राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक १०] तृतीय विधान सभा के दसवें सत्र, १९६६ का ५ वां दिवस [संख्या ३

सोमवार, दिनांक १९ सितम्बर, १९६६.

विधान सभा की बैठक म० पू० ११.०८ बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री रामनिवास मिर्धा, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

[वित्त, आयुर्वेद, पंचायत, समाज-कल्याण, विधि, उद्योग, राजस्व, आबकारी, अकाल-सहायता, चिकित्सा, सहकारी, देवस्थान-विभाग]

श्री अध्यक्ष : प्रश्न।

प्रश्न संख्या ६१

श्री रामकिशन।

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

श्री हरलाल मीणा।

तहसील प्रतापगढ़ में औषधालय

६२. **श्री हरलाल मीणा** (प्रतापगढ़) : क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

(१) तहसील प्रतापगढ़ में आयुर्वेद विभाग द्वारा कितने औषधालय चलाये जा रहे हैं और कहां कहां पर ?

(२) प्रत्येक औषधालय का दवाइयों के लिये अलग अलग वार्षिक बजट कितना कितना है ?

(३) क्या यह सही है कि बजट के मुताबिक इन औषधालयों में दवाइयां नहीं दी जाती हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

आयुर्वेद मंत्री (श्री अमृतलाल यादव) : (१) ९ स्थानों पर चल रहे हैं जो निम्नांकित हैं :

(१) खरोट

(२) प्रतापगढ़ (आयुर्वेद)

(३) प्रतापगढ़ (यूनानी)

(४) खन्दना

(५) मलावाद

(६) कलाड़

(७) सलारपुरा

(८) गादोला

(९) सुहागपुर

Page No. 2

(श्री अमृतलाल यादव)

२. सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

३. जी नहीं। सभी औषधालयों में औषध निर्धारित बजट कोट के अनुसार भेज दी गई है।

(कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

श्री हरलाल मीणा : प्रतापगढ़ में ६ औषधालय चल रहे हैं ?

श्री अमृतलाल यादव : जी हां।

श्री हरलाल मीणा : इससे ज्यादा हुए तो ?

श्री अमृतलाल यादव : ज्यादा तो आपने मांगे भी नहीं। अगर पंचायत समिति या जिला परिषद् की तरफ से मांग आई तो देखेंगे।

श्री हरलाल मीणा : जो जवाब आप दे रहे हैं वह गलत है। औषधालय ज्यादा हैं।

श्री अमृतलाल यादव : ज्यादा हैं तो अच्छी बात ही है।

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : इस प्रश्न को बड़ी आसानी से टाला जा रहा है। यह बड़ा गम्भीर प्रश्न है। आप कहते हैं ६ औषधालय हैं। माननीय सदस्य कहते हैं ज्यादा हैं और आपकी सूचना गलत है।

श्री अमृतलाल यादव : तहसील का पूछा है। सब-डिवीज़न प्रतापगढ़ के और भी ज्यादा होंगे। पूरे चित्तौड़ जिले में उससे भी अधिक होंगे।

श्री कृष्णकुमार गोयल : प्रतापगढ़ सब-डिवीज़न में एक ही तहसील प्रतापगढ़ है। उसमें ६ ही हैं क्या ?

श्री अमृतलाल यादव : ज्यादा हैं तो नुकसान क्या है ?

श्री राधाकृष्ण गोयल (टोंक) : अगर आप सही उत्तर नहीं दे सकते तो सवाल पूछने का अभिप्राय क्या है ?

श्री अमृतलाल यादव : मेरे पास सूचना है कि ६ औषधालय हैं।

श्री राधाकृष्ण गोयल : भविष्य में ऐसे गलत उत्तर न हों इस बात का ख्याल रखने की कोशिश करें।

श्री हरलाल मीणा : बजट के अनुसार जो दवाइयां दी जाती हैं वे किस माह में दी जाती हैं ?

श्री अमृतलाल यादव : सारी जानकारी सदन की मेज पर रखी गई है। आप पढ़ लीजिए. अलग अलग सूचियां हैं।

श्री हरलाल मीणा : सूची में बताया गया है कि बजट के अनुसार दी जाती हैं लेकिन दवाइयां मिलती ही नहीं हैं।

श्री अमृतलाल यादव : दवाइयाँ उनको मिल गई हैं यह मैंने जवाब दिया है।

श्री हरलाल मीणा : ठीक है, लेकिन गांवों में क्यों नहीं मिलती हैं ? मैं दो, तीन जगह गया हूँ वहां नहीं हैं।

Page No. 3

श्री अमृतलाल यादव : आप वहां जाइए, दवाइयां तैयार मिलेंगी ।

श्री चन्द्रसिंह बर्फा (बिलाड़ा) : क्या यह सही है कि बजट के अनुसार दवाइयां नहीं मिल रही हैं ?

श्री अमृतलाल यादव : मिल रही हैं ।

श्री चन्द्रसिंह बर्फा : एक एक हजार का बजट है फिर भी दवाइयां नहीं मिल रही हैं ?

श्री अमृतलाल यादव : ऐसा कोई स्पेसीफिक उदाहरण सामने आएगा तो जरूर देखेंगे ।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (आसपुर) : मंत्रीजी ने उत्तर दिया है कि अब आप जाकर देखें तो दवाइयां वहां पर काफी मिल जायेंगी । इसका अर्थ तो यह है कि अब से पहले दवाइयां नहीं थीं ।

श्री अमृतलाल यादव : उन्होंने कहा कि मैं जाकर आया था तो नहीं थीं । वह कब जाकर आए मालूम नहीं । आज जो मैं जवाब दे रहा हूँ मैंने कहा दवाइयां हैं, आप जाकर देख सकते हैं ।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : क्या आपने कोई जादू की लकड़ी फेरी जिससे कि दवाइयां वहाँ पहुंच गई ?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : अल्लाद्दीन का चिराग इनके पास है ।

श्री हरलाल मीणा : मई के महीने में तो दवाइयां नहीं थीं ।

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय आदिवासी क्षेत्र का विशेष ध्यान रखें ।

प्रश्न संख्या ६३

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत ।

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिए)

श्री रावतराम ।

जयपुर में छात्रावास

६४. **श्री रावतराम** (सादूलपुर-सु.) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बतायेंगे:—

क्या सरकार ने यह निश्चय किया है कि जयपुर में एक ऐसा छात्रावास बनाया जाय जहां कॉलेजों में अध्ययन करने वाले अनुसूचित जाति के छात्र सुविधाजनक तरीके से रह सकें ? यदि हां, तो यह छात्रावास कब से खुलेगा ?

समाज कल्याण मंत्री (**श्री अमृतलाल यादव**) : जी नहीं, फिलहाल कोई ऐसा विचार नहीं है ।

श्री रावतराम : अध्यक्ष महोदय, यह सवाल कई बार आ चुका है । पहले भी मैंने मंत्रीजी से निवेदन किया था कि ये जो लड़के कॉलेजों में पढ़ते हैं उनके रहने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है बोर्डिंग हाउस में और जो बोर्डिंग हाउस अभी भी विभाग के चल रहे हैं उनमें छोटे क्लासेज के लड़के भर्ती किए जाते हैं, वहाँ पढ़ने की सुविधा नहीं है । इसके अलावा जो टेक्निकल कॉलेजेज हैं—मेडिकल कॉलेजेज और इंजीनियरिंग कॉलेजेज हैं—उसके लिए भी आपने

Page No. 4

(श्री रावतराम)

गत सेशन में आश्वासन दिया था। आपने कहा था कि अलग व्यवस्था कर रहे हैं। इतना लम्बा समय हो गया, तीन साल से कहते आ रहे हैं; अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया।

श्री अमृतलाल यादव : ऐसा है कि जो लड़के कॉलेजेज में पढ़ते हैं वे कोई छात्रावास की सुविधा से वंचित नहीं हैं, बल्कि उनको प्राथमिकता दी जा रही है। आपका सवाल था कि उनको दूसरे क्लासेज से हायर सेकिन्डरी वगैरह के विद्यार्थियों से अलग छांट कर रखा जाय, उसके लिए मैंने यह कहा।

श्री रावतराम : आपने कहा, 'जी नहीं'।

श्री अमृतलाल यादव : मैंने कहा, कॉलेज के लड़कों के लिए अलग से कोई छात्रावास की बात हो उसके लिए मैंने जी नहीं कहा, लेकिन जो कॉलेजेज के छात्रावास हैं, अभी अपने छात्रावास में हैं, उनकी संख्या देता हूं :

अनुसूचित जाति छात्रावास, नटवारा हाऊस, जयपुर -२१

टी० डी० सी० तीसरा वर्ष २

सेकिंड वर्ष ३

सेकिंड ईयर बी० ए० ऑनर्स १

टी० डी० सी० प्रथम वर्ष १

पी० यू० सी० ६

अनुसूचित जाति, जनजाति छात्रावास २०

मेडिकल कॉलेज	१
इंजीनियरिंग कॉलेज	३
अन्य जाति	३
विभिन्न जाति मेडीकल	१
इंजीनियरिंग	२

कुल मिला कर १०

इसमें हायर सेकिन्डरी के भी लड़के हैं तो अभी विचार था कि इसमें कॉलेज के जो लड़के हैं उनको अलग कर दें, वह अभी नहीं हुआ है।

श्री रावतराम : यही तो मेरा निवेदन है कि कॉलेज के लड़कों के लिए आप अलग से विचार करें, इसके लिए आपको प्रयास करना चाहिए। अलग से उनको रखेंगे तो स्टेंडर्ड बढ़ेगा, खर्चा तो बढ़ेगा नहीं।

श्री अमृतलाल यादव : इस पर विचार किया जा सकता है। इस पर खर्चा नहीं बढ़ेगा, ऐसा नहीं है। खर्चा तो बढ़ेगा ही। लेकिन फिलहाल ख्याल नहीं है।

श्री रावतराम : चालू साल में ऐसी व्यवस्था करेंगे ?

श्री अमृतलाल यादव : इस साल तो हो नहीं सकता। आगे जुलाई और इस साल के बीच में विचार किया जा सकता है।

श्री रावतराम : आपने दो, तीन बार सदन में कहा है।

श्री अध्यक्ष : आपकी और हमारी कौन मानता है ?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा।

कोटा स्टोन इन्डस्ट्रीज मुकदमे के खिलाफ में सरकारी वकील

६५. **श्री योगेन्द्रनाथ हांडा** (रायसिंह-नगर) : क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या कोटा स्टोन इन्डस्ट्रीज के खिलाफ राजस्थान सरकार का कोई केस कोटा की अदालत में चल रहा है ?

(२) यदि हां, तो उसमें सरकार की ओर से कौन सा वकील है ? क्या सरकारी एडवोकेट इस केस की पैरवी नहीं कर रहे हैं ? यदि कर रहे हैं तो किस रूप में ?

विधि मन्त्री (श्री निरंजननाथ आचार्य):

(१) जी नहीं।

(२) प्रश्न नहीं उठता।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मेरी यह जानकारी थी कि बीकानेर से एक वकील तय किया गया है इस केस के लिए ?

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : क्या यह सही है कि सरकार के खिलाफ दावा चल रहा है ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : कोटा की अदालत में नहीं है।

श्री मानिकचन्द सुराना (कोलायत) : क्या यह सही है कि राजस्थान सरकार और इस कोटा स्टोन इन्डस्ट्रीज के बीच में कोई मामला आर्बिट्रेशन में है और वह आर्बिट्रेटर दोनों पार्टीज़ की तरफ से किया हुआ है और राज्य सरकार के विचाराधीन है ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : यह अलग प्रश्न है।

श्री मानिकचन्द सुराना : यही तो प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : श्री कृष्णकुमार गोयल।

कोटा नगर में रसायनिक खाद के कारखाने

६६. **श्री कृष्णकुमार गोयल** (कोटा) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(१) क्या यह सही है कि कोटा नगर में रसायनिक खाद के कारखाने स्थापित करना निश्चय हुआ है ?

(२) अगर हां, तो किस किस पार्टी को लाइसेन्स दिए हैं और वे कब तक स्थापित होकर उत्पादन शुरू कर देंगे ?

उद्योग मंत्री (श्री हरिश्चंद्र) :

(१) जी हां।

(२) दो लाइसेन्स निम्नलिखित पार्टियों को दिये गये हैं :—

(क) राजस्थान फर्टीलाइजर्स एण्ड केमिकल कारपोरेशन लि०, कलकत्ता।

(ख) दिल्ली क्लॉथ एण्ड जनरल मिल्स लि०, दिल्ली।

Page No. 6

(श्री हरिश्चन्द्र)

कारखानों के स्थापित होकर उत्पादन शुरू होने के समय की निश्चित अवधि फिलहाल नहीं बताई जा सकती है क्योंकि ये अभी प्रारम्भिक स्थिति में हैं।

श्री कृष्णकुमार गोयल : क्या यह सही है कि जिस समय लाइसेन्स दिए गए थे उस समय टाइम-लिमिट निर्धारित की गई थी कि अमुक वर्ष तक यह कारखाने स्थापित होकर शुरू हो जाने चाहिए ?

श्री हरिश्चन्द्र : इनको शुरू होने का समय रखते तो हैं लेकिन यह कहना मुश्किल है कि समय पर ही वे शुरू कर देंगे, क्योंकि इसमें फोरिन कोलोबूरेशन और फोरिन एक्सचेंज की जरूरत पड़ती है, इसलिए निश्चित अवधि कहना मुश्किल है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : मैं जानना चाहता हूं कि इन दोनों कनसर्न्स को क्या समय दिया गया है चालू करने के लिए ?

श्री हरिश्चन्द्र : दिल्ली क्लॉथ मिल्स को मेरे ख्याल से १९६८ के अन्त तक का समय दिया गया है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : सवाल यह है कि लाइसेन्स में क्या टाइम-लिमिट है ? उसके अनुसार कौनसी तारीख तक उत्पादन शुरू हो जाना चाहिए ?

श्री हरिश्चन्द्र : यह तारीख मेरे पास नहीं है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : प्रश्न स्पष्ट है, अखबारों में समाचार आते हैं कि पार्टीज को ब्लैकलिस्ट करने को नोटिसेज दिए हैं।

श्री हरिश्चन्द्र : तारीख बता दूंगा।

श्री कृष्णकुमार गोयल : जो इंडस्ट्रीज हैं उनको जो जमीन दी गई है, वह किराए पर किस रेट पर दी गई है ?

श्री हरिश्चन्द्र : रेट मेरे पास नहीं हैं, क्योंकि वह फाइल इस समय मेरे पास नहीं है, न तो वह प्रश्न ही है। लेकिन सरकारी कानून के तहत १५००) रु० फी एकड़ के हिसाब से दी जाती है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : लेकिन वह जमीन तो केवल एक हजार रुपया फी एकड़ पर दी गई है, राजस्थान की जनता के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, जनता का पैसा खींचा जा रहा है। न मंत्री महोदय यह बताते हैं कि किस तारीख को वह चालू कर देना चाहते हैं और क्यों अभी तक चालू नहीं हुए ? जमीनें दी जानी चाहिए थीं १५००) रु० फी एकड़ के हिसाब से और वह एक हजार फी एकड़ के हिसाब से दी गई हैं।

श्री हरिश्चन्द्र : इस बारे में मैंने कई बार कहा है कि प्रोत्साहन देने के लिए कई कन्सेशन्स देने पड़ते हैं लेकिन नियम १५००) का है।

श्री अध्यक्ष : इस नये कारखाने को बिजली किस दर से दी जावेगी ?

श्री हरिश्चन्द्र : वह मेरे पास कोई आंकड़े नहीं हैं।

श्री कृष्णकुमार गोयल : आप कहते हैं कि १५०० रु० पर-एकड़ में दी गई जब कि एक हजार में दी गई है। प्रोपर तरीके से

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

पेपर मूव होकर सेन्क्शन होनी चाहिए वह भी नहीं हुई है और ऊपर की ऊपर जमीन इस प्रकार दे दी गई है।

श्री अध्यक्ष : श्री जोधसिंह।

सवाई माधोपुर सीमेंट फैक्ट्री का सीमेंट

६७. **श्री जोधसिंह चौहान** (गिरवा) : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(१) क्या यह सही है कि सीमेंट फैक्ट्री सवाई माधोपुर द्वारा सरकार से यह प्रार्थना की गई है कि उनके पास जो सीमेंट पड़ा है उसका निपटारा (disposal) नहीं किया गया तो फैक्ट्री को बन्द करना पड़ेगा ?

(२) सीमेंट फैक्ट्री में इस प्रकार की स्थिति पैदा होने के क्या कारण हैं ?

(३) राज्य की सीमेंट फैक्ट्रियां कितना सीमेंट तैयार करती हैं और राज्य की खपत कितनी है ?

(४) क्या यह सही है कि इस समय राज्य में सीमेंट की कमी अनुभव की जा रही है ?

उद्योग मंत्री (श्री हरिश्चन्द्र) : (१) ऐसी कोई प्रार्थना इस कार्यालय में उक्त फैक्ट्री से प्राप्त नहीं हुई है।

(२) प्रश्न नहीं उठता।

(३) सीमेंट की उत्पादन क्षमता निम्न प्रकार है :

१. सवाई माधोपुर सीमेंट फैक्ट्री ६८,=२३ टन प्रति माह।

२. लाखेरी सीमेंट फैक्ट्री २६,६३३ टन प्रति माह।

राज्य में सीमेंट की खपत करीब १ लाख टन तिमाही की है।

(४) जी हां।

श्री जोधसिंह चौहान : उस कमी को पूरा कैसे किया जाता है ? सीमेंट की कमी होने के कारण काम बन्द रहा है।

श्री हरिश्चन्द्र : ऐसी सूचना मेरे पास कई लोगों ने दी है; सीमेंट की कमी है। भारत सरकार को लिखा है, नये कार्पोरेशन को भी लिखा है। पहले से सप्लाई बढ़ी भी है।

श्री जोधसिंह चौहान : हमारा सीमेंट तो बाहर चला जाता है और बाहर से सीमेंट यहां आता है।

श्री हरिश्चन्द्र : इसका अलॉटमेंट भारत सरकार करती है।

श्री हरिप्रसाद शर्मा (पाटन) : सीमेंट के अभाव की पूर्ति के लिए क्या नये कारखाने डाले जा रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष : श्री जोधसिंह।

श्री जोधसिंह चौहान : जामनगर से सीमेंट हमारे यहां मंगाते हो और हमारा

Page No. 8

सीमेंट वाहर चला जाता है इसलिए हमें, दुवाई आदि के अधिक पैसे देने पड़ते हैं वह महँगा पड़ता है।

श्री हरिश्चन्द्र : अब तो डी-कन्ट्रोल है।

श्री जोधसिंह चौहान : उदयपुर नगर में सीमेंट की कमी होने के कारण वहां की सड़कें नहीं बन सकीं। उदयपुर नगरपालिका ने कहा कि सीमेंट दो। कोटा-जामनगर फैक्ट्री से आता है। उस फैक्ट्री में तेल की कमी के कारण सीमेंट देना बन्द कर दिया इसलिए एक साल से उदयपुर नगरपालिका सड़कें नहीं बना सकीं। इस असुविधा को देखते हुए क्या आप राजस्थान की सीमेंट फैक्ट्रीज़ का सीमेंट राजस्थान में ही खपत हो, इसकी व्यवस्था करने का प्रयत्न करेंगे ?

श्री हरिश्चन्द्र : यह सूचना आपने दी है उसका आभारी हूँ। मुझे ऐसी जानकारी नहीं है कि उदयपुर नगरपालिका को सीमेंट नहीं मिला और सड़कें नहीं बनी। आप लिख कर देंगे तो मैं कोशिश करूंगा।

श्री जोधसिंह चौहान : क्या उदयपुर नगरपालिका ने राजस्थान सरकार को और कलेक्टर को कोई पत्र नहीं लिखे कि सीमेंट दी जाय ?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

श्री जोधसिंह चौहान : अध्यक्ष महोदय, वहुत इम्पोर्टेन्ट प्रश्न है। मैं खुद नगरपालिका का सदस्य हूँ।

श्री अध्यक्ष : इम्पोर्टेन्ट प्रश्न ही पूछ लेते। उदयपुर का प्रश्न नहीं आता।

श्री जोधसिंह चौहान : मिनिस्टर महोदय से रिक्वेस्ट करता हूँ।

श्री राधाकृष्ण गोयल (टोंक) : यहां के सीमेंट के लिए सुविधा कर दें और वाहर से नहीं मंगाना पड़े।

श्री नानिकचन्द सुराना (कोलायत) : उदयपुर में सीमेन्ट की कमी है यह सामने आयी है। राजस्थान में जो सीमेन्ट की खपत होती है वह राजस्थान से वाहर जा रही है और राजस्थान फैक्ट्री का सीमेन्ट वाहर जा रहा है। क्या राजस्थान सरकार भारत सरकार से निवेदन करेगी कि जहां तक संभव हो सके राजस्थान में लगी सीमेन्ट फैक्ट्रीज़ का सीमेन्ट राजस्थान में ही अलॉट किया जा सके जिससे यहां पर उसका खर्चा भी कम पड़े ?

श्री हरिश्चन्द्र : इस बारे में भारत सरकार को लिखा जावेगा।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : सीमेन्ट का डीकन्ट्रोल है! गवर्नमेन्ट वर्क्स में भी शोर्टेज चल रही है। इसलिये राजस्थान का सीमेन्ट राजस्थान में ही युटिलाइज हो तो अच्छा है।

श्री हरिश्चन्द्र : पिछले साल जो कोटा था उससे ज्यादा मिला है।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न वितरण की व्यवस्था से है। माननीय सदस्य कहते हैं कि अपना सीमेन्ट वाहर चला जाता है, जामनगर इत्यादि से सीमेन्ट वाहर से आता है। क्या इस पर विचार करेंगे ?

श्री हरिश्चन्द्र : अवश्य करेंगे और भारत सरकार को लिख कर भेजेंगे।

श्री अध्यक्ष : श्री दुर्गालाल बाढ़दार ·

चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को सलेक्शन ग्रेड

६८. **श्री दुर्गालाल बाढ़दार** (हवा-महल, जयपुर) . क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

राज्य के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को सलेक्शन ग्रेड किन नियमों के तहत किन-किन आधारों पर दिये जाते हैं ?

वित्त मन्त्री (श्री बालकृष्ण कौल) : सलेक्शन ग्रेड १-४-६६ से खतम कर दिये गये हैं, इसलिए सवाल नहीं उठता ।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : यह ६६ में किया है । पहले सारे चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को यह ग्रेड दे दिया गया था या नहीं ? इन नियमों का लाभ सारे चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को मिला या नहीं ? नियम बनाये तब उसका लाभ मिला या नहीं ?

श्री बालकृष्ण कौल : यह तो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेन्ट ही बता सकेगा कि लाभ मिला या नहीं; जहां तक वित्त विभाग का सवाल है नियम बना दिये जाते हैं, उनकी कार्यवाही हुई या नहीं, यह मुझे जानकारी नहीं है ।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : क्या मैं यह समझूं कि वित्त विभाग नियम बनाता है, लाभ उसको मिलता है या नहीं, उसकी चिन्ता नहीं करता ?

श्री बालकृष्ण कौल : यह चिन्ता एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेन्ट को होनी चाहिये । आप उनसे प्रश्न पूछिये वह आपको बतायेंगे ।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : कर्मचारियों को लाभ देना चाहिये उसका उत्तरदायित्व वित्त विभाग का है और वित्त विभाग यह कहता है कि चिन्ता करने की आवश्यकता नहीं, यह तो बड़े खेद की बात है । मेरे पास स्पेसिफिक कम्पलेन्ट किसी कर्मचारी की आयी है । सन् १६२३ में यह सेक्रेटेरियेट में चपरासी मुकर्रर हुआ जब कि मैं पैदा भी नहीं हुआ था । जब से यह कर्मचारी चल रहा है । चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी है उसको आप तनख्वाह भी देते क्या हैं, यह भी तो विचार कर लीजिये । आज इस महंगाई के जमाने में उससे होता क्या है ? उसका कलेक्टोरेट में तबादला कर दिया । कलेक्टोरेट में उसको सलेक्शन ग्रेड मिलनी चाहिये, वहां कहा गया कि वहीं से मिल सकती है यहां से नहीं । उसने करीब ३०० रिप्रेजेन्टेशन किये हैं । कोई सुनता ही नहीं । अब राज्य सरकार अपने कर्मचारियों की नहीं सुनती है तो इस दुनिया में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी की तो कोई भी सुनने वाला नहीं है । अब्दुल नाम का आदमी है जिसने यह शिकायत की है । आपके पास कॉपीज पहुंची हैं । आप इस गरीब पर दया कीजिये । मुझे उसकी जिनाइन कम्प्लेन्ट मालूम पड़ती है फिर भी सरकार सोती है तो चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी की तो कोई सुननेवाला भी नहीं है ।

श्री बालकृष्ण कौल : हम हमदर्दी रखते हैं जो प्रश्न किया आपने । लेकिन इतना निवेदन कर दूं कि जहां तक वित्त विभाग का ताल्लुक है वह सलेक्शन ग्रेड के नियम बनाता है, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेन्ट को नोटिफाई कर दिया जाता है । बजट में प्रोविजन हो जाता है, यह उनकी (एडमिनि-

Page No. 10

(श्री बालकृष्ण कौल)

स्ट्रेटिव डिपार्टमेन्ट की) जिम्मेदारी हो जाती है (१० प्रतिशत हुआ करता था) वह उनको दिया है या नहीं। मेरे पास ऐसी कोई शिकायत नहीं आयी है। कुछ लोगों की शिकायत हो सकती है इसलिए रनिंग ग्रेड कर दिया ताकि यह शिकायत नहीं रहे। १-४-६६ से रनिंग ग्रेड चलती है। इससे लोगों को तकलीफ नहीं होगी। वित्त विभाग कुछ कर नहीं सकता सिवाय एक, बजट में प्रोविजन और दूसरा रूल्स का नोटिफिकेशन। आप जानना चाहते हैं तो जी. ए. डी. से प्रश्न पूछ लीजिये, वे बता देंगे।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : मैं यह निवेदन करता हूं कि आपने आपकी मजबूरियां और टेक्निकल डिफिकल्टीज के बारे में बताया और उससे आपका कन्सर्न नहीं है। लेकिन एक जिनाइन प्रोब्लम है। कम से कम आप से सम्बन्धित प्रोब्लम है, वह ही मैं प्रकट कर रहा हूं।

मेरा आशय यह है कि जो रोग है उसकी रेमेडी जरूर होनी चाहिए। यदि आप लोग कर सकते हैं तो उसको करने की चेष्टा कीजिए और आपकी टेक्निकल डिफ़िकल्टीज आती हैं इसकी शिकार जनता बनती है, कर्मचारी शिकार बनते हैं, इनको आप रिमूव कर दीजिए।

श्री अध्यक्ष : श्री श्रवणलाल।

पंचायत समिति हिण्डौन के अध्यापकों को वेतन

६६. **श्री श्रवणलाल** : (हिण्डौन-सु.) क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सच है कि पंचायत समिति हिण्डौन के अध्यापकों को वेतन नहीं दिया जा रहा है ? यदि हां, तो किस किस को, कब से और क्यों नहीं दिया जा रहा है ? विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(२) सरकार इस संबंध में क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है।

पंचायत मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास) :

(१) जी, यह सच नहीं है।

(२) प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

श्री श्रवणलाल : आपने प्रश्न के भाग (१) में कहा 'जी, यह सच नहीं है'; तो सच क्या है, यह बता दें ?

श्री दामोदरलाल व्यास : आपने सवाल पूछा है कि क्या पंचायत समिति हिण्डौन के अध्यापकों को वेतन नहीं दिया जा रहा है मैंने कहा कि यह सही नहीं है।

श्री श्रवणलाल : आपने कहा जी नहीं, यह सच नहीं है तो या तो आप यह कहें कि वेतन दिया जा रहा है या फिर कह दें कि नहीं दिया जा रहा है।

श्री दामोदरलाल व्यास : जी का मतलब 'सर' और यह सही नहीं है "This is not correct."

Page No. 11

श्री श्रवणलाल : क्या अभी कुछ दिनों पहले जब मंत्री महोदय हिण्डौन पधारे थे तो वहां के अध्यापक श्री जगदीशप्रसाद जो कि चिनाय के रहनेवाले हैं उसने कहा था कि मुझे ३ साल से वेतन नहीं मिल रहा है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : एक अध्यापक जगदीशप्रसाद ने मुझसे जरूर शिकायत की थी और मैंने उसकी जानकारी की तो यह पता चला कि प्राथमिकशाला, चिनाय से उनको सस्पेन्ड कर दिया गया था और उन्हें सस्पेन्शन पीरियड में वेतन नहीं दिया गया। अब वह २७-७-६४ से निलम्बित थे और २१-७-६६ को उन्हें आधे वेतन पर बहाल कर दिया है और अब उन्हें वेतन मिल रहा है।

श्री अध्यक्ष : इस पंचायत समिति के अध्यापकों का पिछला वेतन बकाया है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : जी, नहीं।

श्री अध्यक्ष : कई पंचायत समितियों में देखा गया है कि बजट तो कम होता है और जो एस्टेब्लिशमेन्ट पर खर्चा है अध्यापकों आदि का वह ज्यादा होता है। ऐसी एक नहीं कई समितियां मिलेंगी। उसका नतीजा यह होता है कि अध्यापकों को दो-दो, चार-चार, छः छः महीने की तनख्वाह अगले साल तक नहीं दी जाती। तो क्या इस स्थिति से आप अवगत हैं और यदि अवगत हैं तो इस ओर आपने क्या प्रयास किया है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : जहाँ तक पंचायत समितियों में स्टाफ ज्यादा है तो उसका बजट है उसके लिए तो उनको खुद की आय से इन्तजाम करना पड़ता है, क्योंकि जितना बजट है उससे ज्यादा देने का सवाल नहीं होता है। अगर सेंक्शन्ड बजट से ज्यादा स्कूल खोले जाते हैं तो पंचायत समितियां अपनी आय से उसका पैसा देती हैं। जहां तक पर्टीक्युलर पंचायत समिति का प्रश्न है, हिन्डौन में यह मसला पेश नहीं है।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : बनेड़ा पंचायत समिति में जो उसके फण्डस होते हैं अध्यापकों की तनख्वाह चुकाने का उसमें से दूसरे कामों में खर्च कर दिया जाता है और अध्यापकों का जब तनख्वाह आदि का प्रश्न आता है तो कहा जाता है कि हमारे पास पैसा नहीं है। भीलवाड़ा जिले की शाहपुरा पंचायत समिति में ३ महीने की तनख्वाह मास्टरों की बाकी है और वह सारा का सारा पैसा दूसरों को चुका दिया गया।

श्री दामोदरलाल व्यास : यह ठीक है कि किसी किसी पंचायत समिति ने ऐसी अनियमितता की हो और जब सरकार के ध्यान में यह आया तो कोशिश की गयी है कि वह इस तरह की हरकत नहीं करे। उनको कोई अधिकार नहीं है कि शिक्षा के बजट में से दूसरे कामों में खर्च करें। अगर ऐसी अनियमितता करते हैं तो उसको रोकने का प्रयत्न करते हैं और इसके लिए कार्यवाही भी करते हैं।

श्री श्रवणलाल : आपने कहा कि उसको सस्पेन्ड कर रखा था तो जब वह सस्पेन्डेड था तो क्या उससे काम उस पीरियड में लिया गया है ?

Page No. 12

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य ! व्यक्तिगत केस का न तो कोई इस तरह से निराकरण हो सकता है और जो स्थिति थी उसको मंत्री महोदय ने बता दिया। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूँगा कि स्कूल कोई जान कर सेंक्शन से ज्यादा नहीं खोलते हैं लेकिन बजट प्रोविज़न का जो आपके यहां से स्वीकृत ढांचा है उसका भी बजट में प्रावधान नहीं होता।

श्री दामोदरलाल व्यास : ऐसी मेरी जानकारी में नहीं है। अगर आप कह रहे हैं तो मैं आपकी जानकारी करके इसका इन्त-जाम करने की कोशिश करूंगा।

श्री अध्यक्ष : श्री मानिकचन्द सुराना।

विभिन्न उद्योगों को लाइसेन्स

७०. श्री मानिकचन्द सुराना (कोलायत) : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

(१) राजस्थान में अब तक किन किन बड़े या छोटे उद्योग के लाइसेंस भारत सरकार द्वारा राज्य सरकार की सिफारिश पर स्वीकृत किये जा चुके हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(२) उक्त उद्योगों में से कौन कौन से लाइसेन्स ऐसे हैं जो अब तक बेकार पड़े हैं और उनके आधार पर कोई उद्योग अभी तक नहीं लगाये गये हैं ?

(३) इस प्रकार के लाइसेन्स को रद्द करने या कराने के लिए क्या राज्य सरकार ने अब तक कोई कदम उठाये हैं ?

(४) इस प्रकार के बिना काम में आ रहे लाइसेंस को उक्त लाइसेन्स देने का विचार रखती है ?

उद्योग मन्त्री (श्री हरिश्चन्द्र) : (१) भारत सरकार द्वारा बड़े उद्योगों के लाइसेन्स ही राज्य सरकार की सिफारिश पर दिये जाते हैं। भारत सरकार द्वारा दिये गए लाइसेन्स की सूची परिशिष्ट (क) सदन की मेज पर रख दी गई है।

(२) लाइसेन्स जो कार्यान्वित नहीं हुए हैं उसकी सूची परिशिष्ट (ब) सदन की मेज पर रख दी गई है। दूसरे उद्योग लगाने का प्रश्न ही नहीं उठता जब तक उसकी निर्धारित अवधि समाप्त नहीं हो जाती।

(३) जी हां।

(४) जी हां।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई।)

श्री मानिकचन्द सुराना : यह जो सूची आपने दी है इस सूची में क्या सारी फैक्ट्रीज, जिनका लाइसेन्स आपने इस इंड-स्ट्रियल डेवलपमेंट एण्ड रेग्यूलेशन्स एक्ट के तहत प्राप्त किया है यह उनकी मुकम्मिल लिस्ट है ?

श्री हरिश्चन्द्र : मैं यही समझता हूँ कि मुकम्मिल लिस्ट होनी चाहिये।

श्री मानिकचन्द सुराना : इस लिस्ट में कहीं भी आबू रोड सीमेंट फैक्ट्री, ब्यावर सीमेंट फैक्ट्री और सीमेंट फैक्ट्री, चित्तौड़

(श्री माणिकचन्द सुराणा)

का नाम नहीं है; इसकी क्या वजह है ? क्या वाकई में इनको कोई लाइसेन्स इश्यू नहीं किये गये ?

श्री हरिश्चन्द्र : इनके लाइसेन्स अण्डर-कन्सीड्रेशन हो सकते हैं ।

श्री दलपतसिंह (आबू) : आबू सीमेंट फैक्ट्री के बारे में तीन साल पहले लाइसेन्स राज्य सरकार की सिफारिश पर दिया गया था, वह अभी तक किस जगह पर बेकार पड़ा है ? ४ महीने पहले सर्वे भी हो गया था और राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में यह डिक्लेयर कर दिया था कि आबूरोड़ क्षेत्र में एक सीमेंट की फैक्ट्री खोली जाएगी । अब लॉ की क्या टेक्नि-केलिटी आई और वह कहां बेकार पड़ा है, क्यों बेकार पड़ा है, यह जानना चाहता हूं ?

श्री हरिश्चन्द्र : मैं आपके इस प्रश्न का जवाब नहीं दे सकता, क्योंकि इसका संबंध खनिज मन्त्री से है । माइन्स से ताल्लुक रखता है और जो इन्डस्ट्रीज़ माइन्स के ऊपर बेस्ड हैं वह दूसरे मिनिस्टर के पास हैं । इसलिए मैं आपको किसी तरह से भी इस प्रश्न के ऊपर जवाब नहीं दे सकता हूं ।

श्री मानिकचन्द सुराना : सारी लिस्ट में ऊनी धागे का लाइसेन्स जो बीकानेर में दिखाया है, मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या यह ऊनी धागे की फैक्ट्री पब्लिक सैक्टर में लगाने के लिए है यह वही है या इससे भी कोई अलग है ?

श्री हरिश्चन्द्र : वह एक ही है ।

श्री मानिकचन्द सुराना : इसमें मैं यह जानना चाहता हूँ कि आपने इसको उस लिस्ट में लिया है जो और लाइसेन्स कोई क्रियान्वित नहीं हुए हैं । इसकी सारी मशीनरी जो राज्य सरकार को खरीदनी थी क्या राज्य सरकार ने उसके लिए ऑर्डर्स दे दिये हैं और क्या वह आ गयी है ?

श्री अध्यक्ष : यह इससे संबंधित नहीं है माननीय सदस्य ।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया !

श्री मानिकचन्द सुराना : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अभी जोधपुर का प्रश्न पूछूंगा जिससे इस प्रश्न की रिलेवेन्सी नजर आयेगी । इसमें मैं जानना चाहता हूँ कि पिछली बार विधान सभा में उसके तहत स्पलिट-अप करके जितने स्पिन्डल्स लगाने थे उसके १।४ तो बीकानेर में और ३।४ जोधपुर में लगाने की कोशिश सरकार कर रही है ?

श्री अध्यक्ष : उसका संबंध तो दूसरे मन्त्री महोदय से है । आप उनसे पूछ लीजिए । आप ने लिस्ट मांगी और वह उन्होंने दे दी । एक प्रश्न के ऊपर सारी बातें करें यह संभव नहीं है ।

श्री हरिश्चन्द्र : अध्यक्ष महोदय, वैसे कॉर्पोरेशन ने भी दो वुलन फैक्ट्रीज़ ४०० स्पिन्डल्स की लगाई हैं, एक तो लाडनूं में और दूसरी चूरू में वह तो मेरे अण्डर में आती हैं, लेकिन बीकानेरवाली मिल स्टेट एन्टरप्राइजेज़ में आती है उसका जवाब मैं नहीं दे सकता ।

श्री मानिकचन्द सुराना : मैं यह जानना चाहता हूँ अध्यक्ष महोदय, कि क्या बीकानेर के लिए जिस लाइसेन्स की घोषणा की थी वह ५ हजार स्पिन्डल्स की थी ? क्या उसी के तहत स्पिन्डल्स को ब्रेक-अप करके जोधपुर में ऊन की मिल लगा रहे हैं और बीकानेर में ऊन के धागे की लगा रहे हैं ? जोधपुर में जो ऊन की मिल लगाने का है वह बीकानेर वाले के दो पार्ट कर दिये हैं ?

श्री हरिश्चन्द्र : मेरे पास जानकारी नहीं है, लेकिन ओरीजिनली लाइसेन्स बीकानेर को दिया गया था, यह मुझे मालूम है ५ हजार स्पिन्डल्स का । उसके बाद क्या स्थिति है, मुझे पता नहीं है ।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेड़ा) : इसमें जो सूची दी गयी है उसमें चित्तौड़ में एक सूती मिल लगाने के लिए लाइसेंस दिया था उसका नाम नहीं है और वह लाइसेंस ओंकारलाल बोहरा के नाम का था ।

श्री हरिश्चन्द्र : मैं इसकी जानकारी करके आपको इत्तला कर सकता हूँ कि क्यों नहीं इस सूची में नाम है ।

श्री मानिकचन्द सुराना : अध्यक्ष महोदय, इतना महत्त्वपूर्ण सवाल कि इन्डस्ट्रियल डेवलपमेन्ट एण्ड रेग्यूलेशन्स एक्ट के तहत कितने लाइसेन्स भारत सरकार से प्राप्त हुए, कितने कार्यान्वित हुए, यह हम जानना चाहते हैं मंत्री महोदय से और जो सूची दी गयी है वह अधूरी है । यह इतना महत्त्वपूर्ण प्रश्न है कि इन्डस्ट्रीज डिपार्टमेंट को जानना चाहिए कि कितने लाइसेन्स दिए गए, कौन कौन से उद्योगों को चलाने वाले हैं और कौन से नहीं । इसलिए मंत्री महोदय को आदेश दिया जाये कि इसकी पूर्ण सूची मुकम्मिल करके अप-टू-डेट जो भी नैक्स्ट टर्न हो उस दिन वह इसका जवाब जरूर पेश करें ।

श्री हरिश्चन्द्र : मैं तो मुकम्मिल ही मानता हूं अध्यक्ष महोदय, अगर कोई बात जो आपने कही है वह छूट गई है तो तलाश करके ही बता सकूंगा ।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा (रायसिंहनगर): अध्यक्ष महोदय, मेरा एक सप्लीमेंट्री है । आपने हनुमानगढ़ टैक्सटाइल मिल को एक लाइसेन्स इश्यू किया और आपके कहने के मुताबिक जिनके लाइसेन्स की अवधि समाप्त नहीं हुई वह लाइसेन्स स्टेंड करते हैं, लेकिन वे अभी तक लग नहीं पाई हैं । लेकिन हनुमान टैक्सटाइल मिल्स के लाइसेन्स की अवधि समाप्त हो गई, उसको कैंसिल करके किसी दूसरे को लाइसेन्स क्यों नहीं देते हैं ?

श्री अध्यक्ष : श्री ढाबरिया ।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : अध्यक्ष महोदय, मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ....

श्री अध्यक्ष : इसके अन्दर ७४ आइटम्स हैं उनकी एक एक की क्या स्थिति है यह तो मंत्री महोदय नहीं बता सकते, न उनसे इस प्रकार की आशा की जा सकती है ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अलवर में एक स्पिनिंग मिल लगनी थी जो इसमें गायब है, उसको किसी दूसरी जगह ट्रांसफर किया गया है या क्या किया गया है ?

श्री अध्यक्ष : इसका जुदा सवाल पूछना ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं एक पॉलिसी सम्बन्धी प्रश्न पूछना चाहता हूं । जिन लोगों को लाइसेन्स आप रिकमण्ड करते हैं भारत सरकार को और फिर उस दो साल की अवधि तक आप इन्तजार करते हैं कि वह मिल स्थापित करे, लेकिन अगर वह दो साल में मिल स्थापित नहीं करता है तो दो साल का समय तो खराब कर दिया उसने । चूंकि अभी तक अवधि समाप्त नहीं हुई इसलिए उसको किसी और को नहीं दे सकते, इसलिए जो प्रान्त के इण्डस्ट्रियलाइजेशन का प्रोसेस था वह तो रुक गया, उसके लिए कौन जिम्मेदार है ? आप ऐसे लोगों को लाइसेन्स रिकमण्ड करते हैं जो दो साल तक लाइसेन्स लेकर बैठ जाते हैं, इससे इण्डस्ट्रियलाइजेशन का प्रोसेस रुक गया, प्रान्त को नुकसान हुआ, उसके लिए कौन जिम्मेदार है ? आप उनके खिलाफ एक्शन नहीं लेते; लाइसेन्स पीरियड में अगर वह स्थापित नहीं करते हैं इण्डस्ट्री तो आप उनके खिलाफ एक्शन लीजिए, उनको ब्लैक लिस्ट करिए, कुछ कदम तो उठाइए जिससे भविष्य में भी लोग लाइसेन्स लेकर घर बैठ न जायं । इस सम्बन्ध में राज्य सरकार की क्या नीति है, यह मैं जानना चाहता हूँ ।

श्री हरिश्चन्द्र : जहां तक अवधि का सवाल है, किसी भी इन्डस्ट्री को पूरा २ मौका दिया जाता है कि इस अवधि के अन्दर इण्डस्ट्री लगा लें । अवधि खत्म हो जाने के बाद सरकार के हाथ में वह ताकत है कि वह दूसरों को अलॉट कर सकती है । लेकिन अगर वहां से कोई दरख्वास्त नहीं आती है तो फिर कम से कम यह प्रयत्न करते हैं कि वहां इण्डस्ट्री किसी तरह से लग जाय । क्योंकि जब कोई पार्टी नहीं आती है तो फिर इण्डस्ट्री लग ही नहीं सकती, इसलिए यह कोशिश करते हैं कि वह वहां इण्डस्ट्री लगा लें । अगर किसी और की दरख्वास्त आ जाती है तो उस पर विचार कर लेते हैं ।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : प्राइवेट सेक्टर के लिए तो आपने जो फरमाया उसको मान भी सकते हैं लेकिन जो पब्लिक सेक्टर हैं, पब्लिक सेक्टर में जिनके लाइसेन्स लिए जाते हैं, उस काम को पूरा करने की जिम्मेदारी तो सरकार की है । पब्लिक सेक्टर का वह लाइसेन्स जो पांच हजार स्पिडल्स का बीकानेर का हो चुका था और जिसकी अवधि समाप्त हो चुकी है उसके लिए राज्यपाल महोदय ने घोषणा भी करदी थी कि वह काम पूरा हो जाएगा, लेकिन वह मिल नहीं लग सकी, इसकी जिम्मेदारी तो सरकार की है ।

श्री अध्यक्ष : श्री ढाबरिया ।

श्री मुरलीधर व्यास : इसका तो जवाब दें साहब ।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य ! यह प्रश्न पूछा जा चुका है और यह इनसे सम्बन्धित नहीं है । यह इनके दायरे की बात नहीं है । आप दूसरा प्रश्न उठाइए ।

श्री राधाकृष्ण गोयल (टोंक) : उद्योग मंत्री दूसरे मंत्री का लाइसेन्स कैंसिल करेंगे ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न सं० ७१ ।

पंचायत समिति बनेड़ा के हिसाब का ऑडिट

७१. **श्री उमरावसिंह ढाबरिया** (बनेड़ा) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि पंचायत समिति बनेड़ा (जिला भीलवाड़ा) के हिसाब सन् १६५६–६० व ६०–६१ का ऑडिट हो गया है ? यदि हां, तो दोनों ऑडिट रिपोर्टों की एक एक प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ?

(२) क्या यह सही है कि इन ऑडिट रिपोर्टों में यह कहा गया है कि इन सालों में पंचायत समिति में हजारों का गबन व घोटाला हुआ तथा करीब ७०–७५ हजार का बैलेंन्स शीट में फर्क है तथा एक रोकड़ भी गायब है ?

(३) क्या यह सही है कि श्री अयोध्या प्रसाद जी के बाद श्री नरपतसिहजी तथा श्री भाला जो इस पंचायत समिति में विकास अधिकारी बन कर आये, उन्होंने राज्य सरकार के सहायक विकास आयुक्त को इन ऑडिट रिपोर्टों में बताई गई उपरोक्त गड़बड़ियों तथा गबन के बारे में जांच कराने तथा हिसाबी गड़बड़ी को विशेष लेखक लगा कर दुरुस्ती कराने के लिए लिखा ?

(४) क्या राज्य के उच्च अधिकारियों को इन घोटालों की जानकारी हो जाने पर उन अधिकारियों व उस वक्त के प्रधान के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई या करने का इरादा है ?

पंचायत मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास):

(१) जी हां। ऑडिट रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है।

(२) जी नहीं। कुछ हिसाबी अनियमितताओं का उल्लेख जरूर किया गया है।

(३) जी हां।

(४) ऐसी कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई।)

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न के तीसरे कॉलम में जो बात लिखी है उसके जवाब में आपने लिखा है कि 'जी हां'। इस कालम के अन्दर लिखा है कि दो विकास अधिकारियों ने इस रिपोर्ट के अन्दर जो गड़बड़ियां और अनियमितताएं हैं, इसके अलावा जो गबन हैं, उसकी रिपोर्ट दी है **और** इसके जवाब में आपने लिखा है कि "जी हां।" जब आप इतनी बात स्वीकार करते हैं कि इस रिपोर्ट के अन्दर यह चीज है; उनकी रिपोर्ट दी गई थी तो फिर क्या कारण है कि आपने आगे कह दिया कि इसकी कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती ? क्या कोई गबन हो जाय और ऑडिट रिपोर्ट में भी वह आ जाय और आप आवश्यकता ही नहीं समझें जांच कराने की ?

श्री **दामोदरलाल व्यास** : अध्यक्ष महोदय, मैंने यह अपने जवाब में कहीं नहीं कहा है कि वहां पर गबन हो गया है। मैंने सवाल के जवाब में कहा है कि ऑडिट

(श्री दामोदरलाल व्यास)

रिपोर्ट मैंने सदन में रख दी है और भाग (२) में कहा है कि कुछ हिसाबी अनियमितताओं का उल्लेख जरूर किया गया है। अब आप जो नम्बर (३) के लिए कह रहे हैं तो पंचायत समिति बनेड़ा के सन् १९५९-६० और १९६०-६१ की ऑडिट रिपोर्ट की प्रति मैंने सदन की मेज पर रख दी है। इन रिपोर्ट्स में ७०–७५ हजार के गबन और किसी रोकड़ के गायब होने का कोई उल्लेख नहीं है। हिसाबी अनियमितता का जरूर उल्लेख है। विकास अधिकारी श्री उदयसिंह झाला ने हिसाब कार्य को ठीक करने के लिए कहा था। विकास अधिकारी ने फिर सूचित किया कि कैश बुक में गलती रह जाने से खतूनी के कारण सत्तर हजार का अन्तर था जो बाद में मिलान करने से सही स्थिति प्रकट हो गई।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : जो आप इस बात को मंजूर कर रहे हैं कि विकास अधिकारी झाला ने इसको ठीक करने के लिए कहा था, आप उस रिपोर्ट को सदन की मेज पर रख दें। मैं खुद उस वक्त प्रधान था और इस रिपोर्ट को लेकर मैं और विकास अधिकारी दोनों विभाग के डायरेक्टर साहब के पास गये थे और उन्होंने कहा था कि जांच करावेंगे। उस ऑडिट रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि हम रोकड़ चाहते थे, लेकिन पंचायत समिति ने अवेलेबल नहीं कराई। यह ऑडिट रिपोर्ट में लिखा हुआ है। अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्रीजी से यह चाहता हूँ कि जो लिख कर डिपार्टमेन्ट को भेजा है, कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट के रूप में वह सदन की टेबल पर रख दिया जाय।

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने अपने जवाब में साफ कहा है। मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य मेरी बात को अच्छी तरह से समझ नहीं सके हैं। मैंने अर्ज किया है कि विकास अधिकारी ने यह सूचित किया कि कैश बुक में गलत खतूनी के कारण कैश बुक में और खतूनी में डिफरेंस रह गया और इसी के कारण सत्तर हजार का कैश बुक में अन्तर रह गया; परन्तु बाद में मिलान करने में जमा और खर्च में कोई अन्तर नहीं रहा, इसलिए सही स्थिति प्रकट हो गई।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : इसमें जांच कराने में·······

श्री दामोदरलाल व्यास : आप जरा संतोष रखिये, मैंने अपना उत्तर समाप्त नहीं किया है, मैं आपको बता रहा हूँ सारी बात।

अब माननीय सदस्य जो यह कहते हैं कि यह जो सूचना मैंने दी है वह गलत है या जो विभाग ने सूचना मुझे दी है वह गलत है और उनकी अपनी सूचना है कि वहां पर गबन हुआ है तो अध्यक्ष महोदय, मैं यह मानता हूँ कि यह बहुत गम्भीर मामला है। विभाग ने जो मुझे सूचना दी है, मैं समझता हूँ कि वह सही ही होगी और इसको गलत मानने का मेरे पास कोई कारण नहीं है, इसलिए मैं इसे सही ही मानता हूँ। अब अगर माननीय सदस्य यह समझते हैं कि यह गलत सूचना है तो वह ऑडिट रिपोर्ट को पढ़कर बतायें कि यह हिसाब में अनियमितता नहीं बल्कि एम्बेजलमेंट हुआ है, तो मैं आपको अर्ज कर सकता हूँ कि मैं जल्दी से जल्दी शख्त से शख्त कदम उठाने को तैयार हूं।

Page No. 18

श्री उमरावसिंह ढावरिया : इन दोनों ऑडिट रिपोर्ट्स को तो मैंने अन्त तक पढ़ लिया है, इसमें वह सारे कागज जिनके बारे में मैं बात कह रहा हूं वह सारी चीज लिखी हुई नहीं है। हमने पंचायत समिति के विकास अधिकारी से रोकड़ मांगी तो वह नहीं दी गई। इसके अलावा इतना भी लिखा हुआ है कि जब साल खत्म हो रहा था तो उसी साल की रोकड़ के चार पेज फाड़ डाले और नए साल की रोकड़ शुरू कर दी, चार पेज फाड़ कर नई रोकड़ बना ली। यह सब ऑडिट रिपोर्ट के अन्दर लिखा हुआ था और जिसके बारे में मैंने और झाला साहब ने पर्सनली जाकर डायरेक्टर साहब से कहा था कि आप इसकी जांच करवाइए। उस वक्त श्री भंवरलाल दमोरा थे उन्होंने इसकी जांच नहीं करवाई और यह पंचायत समिति का दुर्भाग्य था कि झाला साहब अपना ट्रांसफर करा कर वहां से चले गए। उन्होंने कहा है कि इस पंचायत समिति में हिसाब में गड़बड़ है, मैं यहां पर काम नहीं करूंगा, विकास अधिकारी था। इसलिए, अध्यक्ष महोदय, मैं अर्ज करना चाहता हूँ कि आप मंत्री महोदय से कहिए कि वे इसकी पूरी तरह से जांच करावें। अगर आपको कोई अड़चन आती है तो मेरे जैसे आदमी को बुला लीजिए, मैं जांच करके बता दूंगा कि वहां पर कितनी गड़बड़ियां हुई हैं।

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं माननीय सदस्य से यह जानना चाहता हूं कि जो ऑडिट रिपोर्ट मैंने सदन की मेज पर रखी है क्या वह सही नहीं है या उसके अन्दर कोई हेरफेर कर दिया गया है ?

श्री उमरावसिंह ढावरिया : उसमें पूरे कागज नहीं हैं, जो पोर्शन मैंने अभी कहा है वह नहीं है।

श्री दामोदरलाल व्यास : यह तो बहुत गम्भीर आरोप है। मैं माननीय सदस्य को ऑडिट रिपोर्ट ओरिजनल रूप में बता दूंगा और विभाग से भी मालूम करूंगा कि कहां कोई गलती रह गई है और अगर किसी की गलती पाई गई तो उसके साथ सख्त से सख्त कार्यवाही करूंगा।

श्री उमरावसिंह ढावरिया : वह रिपोर्ट मैंने देखी थी और इसके अलावा जो मैंने आपसे अर्ज किया कि मैं और विकास अधिकारी उसे लेकर गए थे डायरेक्टर साहब के पास, उस सब को आप देखिए।

श्री दामोदरलाल व्यास : वह रिपोर्ट भी मंगा लूंगा असली और ओरिजिनल रिपोर्ट ऑडिट की और आप चाहेंगे तो उसे भी सदन की मेज पर रखवा दूंगा।

श्री दलपतसिंह (आबू) : अभी अभी जो जवाब दिया है हाउस के अन्दर तो वे रेकॉर्ड सम्मिलित क्यों नहीं हैं, जिसके आधार पर सेक्रेटेरियट ने आपको जवाब लिखकर दिया है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने रिपोर्ट की नकल सदन की मेज पर रख दी है। उसमें यह बात बताई है। आप कहना चाहते हैं कि यह वह रिपोर्ट नहीं कुछ कागज गायब कर दिये हैं।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

Page No. 19

ग्राम हरिपाड़ा में गोचर भूमि

७२. **श्री चन्द्रसिंह वर्मा** (बिलाड़ा) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

(१) क्या यह सही है कि ग्राम हरिपाड़ा, तहसील बिलाड़ा, जिला जोधपुर में गोचर भूमि निर्धारित की जा चुकी है? यदि हां, तो कब की गई? इस संबंधी आज्ञा की प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(२) क्या यह सही है कि उक्त आज्ञा का अनुपालन अभी तक नहीं हुआ है और भूमि अभी भी अतिक्रमण करनेवालों के कब्जे में है? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक कोई कार्यवाही न होने के लिए कौन जिम्मेवार है?

(३) उक्त आज्ञा के अनुपालन में विलम्ब करनेवाले अधिकारी के खिलाफ सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है?

(४) क्या यह सही है कि उक्त सरकारी आज्ञा का अनुपालन कराये जाने के सम्बन्ध में ग्रामवासियों का खर्चा हुआ है? यदि हां, तो क्या सरकार वह खर्चा ग्रामवासियों को देगी?

राजस्व मन्त्री (श्री कुम्भाराम आर्य) :

(१) यह भूमि सन् १९६१ में गोचर घोषित की गई। आदेश की प्रतिलिपि सदन के पटल पर रख दी गई है?

(२) उक्त आज्ञा का अनुपालन किया गया है। इतना अवश्य है कि कुछ अतिक्रमणियों ने गोचर भूमि पर अपना अनधिकृत कब्जा कर लिया। उनके खिलाफ भू-राजस्व अधिनियम की धारा ९१ के अनुसार कार्यवाही कर कुछ को बेदखल कर दिया गया है और कुछ व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही जेर-तजवीज है।

(३) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(४) भू-राजस्व अधिनियम की धारा ९१ के तहत अतिक्रमणियों के खिलाफ कार्यवाही की गई है। अतः ग्रामवासियों को खर्चा दिये जाने का प्रश्न ही नहीं पैदा होता।

(सूची विस्तृत होने से विधानसभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री चन्द्रसिंह वर्मा : ग्रामवासियों ने और पटवारी ने सिफारिश कितने बीघे की की थी और मवेशियों की तादाद कितनी बताई थी?

श्री कुम्भाराम आर्य : यह गोचर से सम्बन्ध नहीं रखती है नाजायज कब्जे से उसका सम्बन्ध है।

श्री चन्द्रसिंह वर्मा : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न यह नहीं; प्रश्न यह है कि गोचर भूमि थी वह क्यों नहीं रखी? जो उत्तर आपका मिला है कि ग्रामवासियों ने और पटवारी ने ४००० मवेशियों की तादाद बताई थी और सरपंच १२०० बतलाता है। आप पटवारी के आंकड़ों को तो गलत मानते हैं और सरपंच के कहने को मानते हैं जब कि गांववालों और पटवारी की रिपोर्ट के अनुसार ४००० मवेशी हैं उसके अनुसार

(श्री चन्द्रसिंह बर्फा)

२ हजार बीघा जमीन मिलनी चाहिए उसके अगेन्स्ट में ६०० बीघा एलॉट की गई है। क्या सरकार इस बारे में विचार करेगी और उनको २००० बीघा एलॉट करेगी ?

श्री कुम्भाराम आर्य : विचार करेगी।

श्री जुझारसिंह (चेचट) : क्या मन्त्री महोदय को यह जानकारी है कि अधिकतर चरागाहों पर अतिक्रमण किया हुआ है गोचर भूमि एलॉट हो जाने के बाद उनको ट्रेसपासर्स से छुड़ाने के लिए कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है ?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या ७३

श्री तेजाराम गहलोत !

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिए)

श्री जयनारायण सालोदिया !

राज्य में नशाबन्दी

७४. **श्री जयनारायण सालोदिया** (निवाई): क्या आबकारी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

राज्य में सरकार पूर्ण नशाबन्दी कब तक लागू करना चाहती है ? यदी नहीं, तो क्यों ?

आबकारी मन्त्री (श्री दामोदरलाल व्यास) : भारत सरकार द्वारा मद्य-निषेध कार्यक्रम के विभिन्न पहलुओं पर अध्ययन करने के लिए अध्ययन दल की न्यायाधीश श्री टेकचन्द की देखरेख में नियुक्ति की गई। अध्ययन दल ने अपनी रिपोर्ट में पूर्ण मद्य-निषेध बारह वर्ष के भीतर समस्त भारत में करने की सिफारिश की। राजस्थान सरकार ने अध्ययन दल की बहुत सी सिफारिशों से सहमति प्रकट की और अपना जवाब भारत सरकार को भेज दिया है। जस्टिस श्री टेकचन्द कमेटी ने प्रोहिबिशन इन्ट्रोड्यूस करने की जो सलाह दी है राजस्थान सरकार ने करीब करीब उस सलाह को स्वीकार किया है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : राज्य सरकार ने जो इस सम्बन्ध में नीति निर्धारित कर के उत्तर भेजा है उसकी प्रतिलिपि सदन की मेज पर रख दें, ताकि हमेशा के लिए सब को मालूम पड़ जाय कि सरकार की क्या नीति है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : अभी तो प्रतिलिपि मेरे पास नहीं है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आप कल रख दें जो राजस्थान सरकार ने उत्तर भेजा है उसकी।

श्री दामोदरलाल व्यास : आप चाहेंगे तो रख दूंगा।

श्री राधाकृष्ण गोयल (टोंक) : जस्टिस श्री टेकचन्द का जो अध्ययन दल था उसने कुछ स्ट्रेन्थ निर्धारित की थी कि उस स्ट्रेन्थ से ज्यादा की शराब का प्रयोग नहीं किया जायगा तो क्या राजस्थान सरकार ने उस

(श्री राधाकृष्ण गोयल)

स्ट्रेन्थ से ज्यादा की शराब का विक्रय बन्द कर दिया है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : अध्ययन दल ने जो सिफारिश की थी उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, राजस्थान सरकार उसको किस तरह से इम्प्लीमेंट करेगी, इस बारे में अपने सुझाव भेज दिए हैं। जहां तक स्ट्रेन्थ का सुझाव है तो स्ट्रेंथ राजस्थान सरकार शनैः शनैः कम कर रही है।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : कितनी स्ट्रेंथ निर्धारित की गई है ?

श्री जयनारायण सालोदिया : माननीय अध्यक्ष, राजस्थान सरकार से जो उत्तर मुझे प्राप्त हुआ है उसमें यह है कि राजस्थान सरकार मद्यनिषेध कमेटी की सिफारिशों को मानती है, लेकिन फिर नीचे जा कर लिखा है कि ये सुझाव मानने योग्य नहीं हैं, व्यवहारिक नहीं हैं। तो इन दोनों बातों से राजस्थान सरकार का क्या मकसद है ? मुझे जो उत्तर मिला है उससे दो बातें स्पष्ट होती हैं। पहले तो यह लिखा है—"राज्य सरकार ने अध्ययन दल के सुझाव से साधारणतया सहमति प्रकट करते हुए अपने विचार व्यक्त कर दिए हैं।" इसके नीचे लिखा है "राजस्थान की विशेष परिस्थितियां भी राज्य सरकार को निर्धारित प्रकार और निर्धारित सीमा तक मद्य की सीमा में कमी न करने के लिए विवश करती हैं।" और आगे जाकर १५ साल मान गई और यह भी कहती है कि व्यवहारिक नहीं है तो राजस्थान सरकार की इन दोनों बातों में से कौन सी सही है ?

श्री दामोदर लाल व्यास : मैंने अर्ज किया कि टेकचन्द कमेटी की रिपोर्ट पर राज्य सरकार ने अपने कॉमेन्ट्स भेज दिए हैं। उसके आधार पर जवाब आपके पास पहुँचा है। राजस्थान सरकार ने यह जवाब दिया है। लेटेस्ट बात यह है कि १५ तारीख को सेन्ट्रल प्रोहिबिशन कमेटी की मीटिंग दिल्ली में हुई थी तो उसमें आम तौर से टेकचन्द कमेटी की सिफारिशों को इम्प्लीमेंट करने का फैसला हुआ है। उसमें शराब की स्ट्रेन्थ को प्रोग्रेसिवली घटाने का फैसला हुआ है।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा (रायसिंहनगर) : उसमें ऐसा है कि गारन्टी के बारे में पुनर्विचार करेंगे, जब ऐसी पॉलिसी है कि गारन्टी के बारे में पुनर्विचार करेंगे तो क्या आप करेंगे ?

श्री दामोदरलाल व्यास : गारन्टी का सवाल दूसरा है। मैंने पिछले वक्त भी माननीय सदस्यों को बताया था कि गारन्टी सिस्टम क्या है और उससे इल्लिसिट डिस्टीलेशन में कितनी रोकथाम हुई है। टेकचन्द कमेटी ने भी इस बात को माना है। टेकचन्द कमेटी के सेकिण्ड वॉल्यूम का आप मुलाहिजा करिये। उन्होंने इस बात को माना है कि गारन्टी सिस्टम से इल्लिसिट डिस्टीलेशन बहुत हद तक कम हुआ। टेकचन्द कमेटी की इस रिपोर्ट के ऊपर भारत सरकार और दूसरे राज्यों ने, फोर एक्जामपल यू० पी०, मध्यप्रदेश, पंजाब और आन्ध्र प्रदेश ने इस प्रकार से गारन्टी सिस्टम एडॉप्ट कर लिया है। तो गारन्टी सिस्टम की खराबी का सवाल इसमें पैदा नहीं होता है। यहां प्रोहिबिशन का सवाल

Page No. 22

(श्री दामोदरलाल व्यास)

है। एक फ़ेज्ड प्रोग्राम टेकचन्द कमेटी ने बताया है उस पर राज्य सरकार ने कॉमेन्ट्स दिये हैं। उसमें १२ साल तक के बजाय १५ साल का कहा था, परन्तु जैसा कि मैंने कहा कि सेन्ट्रल प्रोहिबिशन कमेटी की अभी मीटिंग हुई थी उसके ऊपर होम मिनिस्ट्री नीति बनानेवाली है उसके ऊपर सारी स्टेट्स की पॉलिसी मुनस्सर होगी और उसके मुताबिक कार्यवाही की जायेगी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अभी १५ तारीख को एक मीटिंग हुई थी उसमें टेकचन्द कमेटी का एक फ़ेज्ड प्रोग्राम इम्प्लीमेंट करने का फैसला किया है, उसको राज्य सरकार इम्प्लीमेंट करेगी।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : जब इस बात को स्वीकार किया है कि इसकी स्ट्रेन्थ को कम करना शुरू करदें तो आप बतायेंगे कि आपने किन किन डिस्टीलेरीज़ को इन्स्ट्रक्शन्स भेजी हैं आपने स्ट्रेन्थ कम करने की ?

श्री दामोदरलाल व्यास : इसमें इन्स्ट्रक्शन्स का सवाल नहीं है। जो लिकर राजस्थान में बनते हैं उनमें जगमोहन हाइएस्ट स्ट्रेन्थ का था उसको बन्द कर दिया है। दूसरा केसर-किस्तूरी है उसको ५ से १० यू. पी. का कर दिया है और दूसरे जितने भी लिकर्स हैं उनकी भी स्ट्रेन्थ कम कर दी है। इन्स्ट्रक्शन्स भेजने का सवाल नहीं है क्योंकि सारी डिस्टीलेरीज़ हमारी ही हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : जहां तक मेरी जानकारी है......

श्री अध्यक्ष : श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : क्या यह सही है कि जो अखबारों में निकला है कि राजस्थान सरकार ने टेकचन्द कमेटी की रिपोर्ट से इत्तफ़ाक नहीं किया है, क्योंकि उसके एक्सचेकर पर असर पड़ेगा ?

श्री दामोदरलाल व्यास : राजस्थान सरकार ने ही नहीं बल्कि भारत के तमाम राज्यों ने भारत सरकार से यह कहा कि प्रोहिबिशन हम प्रिन्सिपली मन्जूर करते हैं और उसको एडॉप्ट करने के लिए भी तैयार हैं, मगर भारत सरकार १०० फी सदी सब्सिडी उसकी दे जो लोस हमको रेवेन्यू में इससे होगा।

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या यह सही है कि राजस्थान सरकार की नीति इस सम्बन्ध में आबकारी विभाग की शराब की बिक्री को बढ़ाने की है और समाज-कल्याण विभागों की निषेध करने की है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : निषेध करने की है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : दोनों विभागों की अलग अलग नीतियां हैं। एक की तो शराब को प्रोत्साहन देने की है। आपने हर बस के अड्डे पर एक दूकान खुलवादी है ताकि लोगों को दूर न जाना पड़े। इस नीति से जाहिर होता है कि शराब आसानी से उपलब्ध हो यह नीति है। उसी के बराबर समाज-कल्याण विभाग का एडवर्टाइजमेंट लगा होता है कि गांधीजी का कहना था कि शराब मत पीओ। तो राजस्थान सरकार दोनों तरफ पैसा खर्च कर रही है।

श्री दामोदरलाल व्यास : जी नहीं। मैंने अर्ज किया कि राजस्थान सरकार की

Page No. 23

नीति है और गारन्टी सिस्टम से उसको बढ़ोत्तरी मिली है तो यह आपका ख्याल गलत है। मैंने पिछली दफा भी इस पर काफी रोशनी डाली थी। रहा सवाल इस बात का कि प्रोहिबिशन को लागू किया जाय तो प्रिलिमिनेरी स्टेज पर प्रोपेगेण्डा की जरूरत है लोगों में, क्योंकि जब तक जनमत में सुधार नहीं होगा तबतक प्रोहिबिशन सक्सेसफुल नहीं होनेवाला है और इल्लिसिट डिस्टीलेशन ज्यादा होगा।

(१२ मध्यान्ह)

इसलिये सबसे बड़ी जरूरी चीज जो है, चाहे समाज कल्याण विभाग हो, चाहे और महकमा हो, चाहे पब्लिसिटी हो ज्यादा पब्लिसिटी जनता को इस बात की दें कि शराब पीना बुरा है। भारतीय जनता का दिमाग इस तरह का बनावें कि वे प्रोहिबिशन में विश्वास करने लगें तभी इल्लिसिट डिस्टलेशन बंद कर सकते हैं और तभी प्रोहिबिसन संभव होगा।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : गांवों में शराब की दूकानें क्यों खोलते हैं ? दूकानें दिन ब दिन बढ़ती क्यों जा रही हैं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : माननीय सदस्य कहते हैं कि शराब की दूकानें बढ़ती जाती हैं, यह गलत है। दूकानें कम की जा रही हैं, घेराइटीज कम की जा रही हैं चाहेंगे तो सूची दे दूंगा।

श्री अध्यक्ष : श्री भैरोंसिह।

श्री भैरोंसिह (किशनपोल, जयपुर) : क्या यह माना जाय कि जब तक भारत सरकार १०० परसेन्ट सबसिडी नहीं देगी उस समय तक राज्य सरकार टेकचन्द समिति की सिफारिशों को लागू नहीं करेगी ?

श्री दामोदरलाल व्यास : जैसा कि मैंने कहा सिफारिशों को लागू करने के लिये फेज्ड प्रोग्राम सेन्ट्रल प्रोहिबिशन कमेटी, गवर्नमेन्ट ऑफ इंडिया बनायेगी उसको राज्य सरकार भी लागू करेगी और राज्य सरकार बराबर निवेदन करती रहेगी कि सबसिडाइज किया जाय जिससे कि हमारे रेवेन्यू और प्लान पर असर नहीं पड़े।

श्री भैरोंसिह : इसका मतलब क्या यह है कि भारत सरकार १०० परसेन्ट ग्रान्ट दे या न दे राज्य में टेकचन्द समिति की सिफारिशों के अनुसार काम चालू रहेगा ?

श्री दामोदरलाल व्यास : इसका मतलब यह है कि जो सेन्ट्रल कमेटी गवर्नमेन्ट ऑफ इण्डिया की पॉलिसी ले डाउन करेगी, राज्य सरकार उसको फोलो करेगी।

श्री भैरोंसिह : क्या यह तय किया है कि गारन्टी सिस्टम को एबोलिश किया जाय ?

श्री दामोदरलाल व्यास : जी नहीं। एबोलिश करने का कोई फैसला सेन्ट्रल प्रोहिबिशन कमेटी ने नहीं किया है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मंत्रीजी ने कहा है यह मैं भी स्वीकार करता हूं ......

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : आप क्या स्वीकार करते हैं ?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : टेकचन्द समिति की सिफारिशों से इल्लिसिट डिस्टिलेशन कम होगा लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि शराब पीना कम होगा। इल्लिसिट शराब बंद होने से आपकी लिकर और बिकेगी, आपका ग.र टी सिस्टम अभी बाकी है।

श्री अध्यक्ष : शराब शुद्ध, सस्ती और सुलभ हुई है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : अध्यक्ष महोदय, शराब रेडीज में, टोकरियों में, ठेलों में सब जगह बिकती है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मन्त्रीजी को मुबारकबाद देंगे पीने वाले यदि शराब इतनी सुलभ है तो।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : हमारे यहां तो पुलिसवालों और एक्साइज़ डिपार्टमेंट के बीच लड़ाई हुई है। एस० पी०, गंगानगर ने कहा है कि लिकर इतना बढ़ चुका है, इसका प्रसार इतना बढ़ चुका है कि देग कर दंग होते हैं। कौल साहब भी वहां पर मौजूद थे एस० पी० ने कहा जब; क्योंकि टोकरियों में, रेडीज में, ठेलों में खुले आम शराब बिकती है, जिस तरह से खरबूजे बिकते हैं उस तरह से शराब बिकती है, गांव गांव में बिकती है और मन्त्रीजी कह रहे हैं कम हुई है।

श्री दामोदरलाल व्यास : अध्यक्ष महोदय, मैंने अर्ज किया कि ऑथोराइज्ड शॉप्स के अलावा अनऑथोराइज्ड शॉप्स चलती हैं तो मैं निवेदन करूंगा कि मेरे नोटिस में लावें तो मैं एक्शन लूंगा। इल्लिसिट शराब बनती है उसमें १०० में से २ केसेज पकड़े जाते हैं, ९८ बच जाते हैं। जब तक आप नहीं कहेंगे तब तक एक्शन कैसे लेंगे?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आपके लॉ में इतना लेकुना है कि हर आदमी ४ बोतल रख सकता है तो एक आदमी ४ बोतलें ले आता है और उनको बेच देता है। फिर जाकर ले आता है और फिर बेच देता है इसलिए आप लॉ को अमेण्ड कटिये। यदि लॉ को अमेण्ड नहीं करेंगे तो यह नहीं रुक सकता क्योंकि हर आदमी ४ बोतलें रख सकता है।

श्री रावतराम (सादूलपुर-सु.) : मैं आपको बता सकता हूं कि गांवों में ठेकेदार जीपों में भर कर शराब की बोतलें पहुँचाते हैं, गाव गांव में भेजते हैं।

श्री बृजेन्द्रपाल (करौली) : मन्त्रीजी ने बताया कि शराब की दूकानें बढ़ी नहीं है लेकिन मैं निवेदन करूंगा कि करौली में शराब की दूकान १ थी अब ४ हो गई है।

श्री भेरोंसिंह : पिछले ३ साल की सेल थी उसका एवरेज लेकर गारन्टी इन्ट्रोड्यूस होनी चाहिये उसके बजाय पिछले साल की हाइयेस्ट सेल पर गारन्टी लेकर ठेकेदारों को मजबूर क्यों किया गया कि तुमको इतनी शराब बेचने की गारन्टी देनी पड़ेगी? उनके पास शराब पहले ही ज्यादा थी इससे कई ठेकेदारों को नुकसान हुआ और उनके मामले आउट-स्टेन्डिंग सरकार के सामने हैं। वास्तव में ठेकेदारों की जो केपेसिटी शराब बेचने की है उसी को देख कर गारन्टी लेनी चाहिये इस प्रिन्सिपल को कहां तक फोलो किया जाता है?

Page No. 25

श्री दामोदरलाल व्यास : गारन्टी सिस्टम का उसूल यह है कि प्रीवियस ईयर का एवरेज कन्जम्पशन देख कर कायम करते हैं उसके साथ ही इन्क्रीज़-इन पोपुलेशन भी देखना पड़ता है ।

श्री भैरोंसिंह : वास्तव में लागू किया या नहीं किया जो प्रिन्सिपल एडॉप्ट किया है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : यह आप गजट में देख लेंगे प्रिन्सिपल जो एडॉप्ट किया है । प्रीवियस ईयर की सेल, लोगों की ट्रेन्ड, इन्क्रीज-इन पोपुलेशन इन सब का ध्यान रख कर गारन्टी सिस्टम इन्ट्रोड्यूस किया है ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : इन्क्रीज्ड-इन सेल है या डिक्रीज....

श्री भैरोंसिंह : अजमेर में ८ लाख की कम गारन्टी पूरी क्यों नहीं हुई ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : पर-केपिटा, पर-हैड राजस्थान में कैटल नहीं है, पर-केपिटा के हिसाब से राजस्थान में दूध नहीं हैं, घी नहीं है; पर मील के हिसाब से पोपुलेशन का अन्दाज लगाकर जयपुर में पहले ३०, फिर ३२ और फिर ५२ लाख कर दिया, ८–७ करोड़ का रेवेन्यू इससे हो रहा है फिर कहते हैं कि टेकचन्द समिति की रिपोर्ट को लागू करेंगे । केवल नारा देते हो, शराबियों से नोट लेते हो समाज कल्याण के नाम से....

श्री दामोदरलाल व्यास : माननीय सदस्य काफी जिम्मेदार हैं उनको जिम्मेदारी से बात करनी चाहिये ...

(श्री विजयपाल कटारा और कुछ माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर अश्रव्य)

एक माननीय सदस्य : शराब बन्दी का नारा लगाते हो, क्या आप यह प्रतिज्ञा करने को तैयार हैं कि इलेक्शन के टाइम में आदिवासियों को शराब नहीं पिलावोगे ? क्या आज एसेम्बली में संविधान को हाथ में लेकर यह प्रतिज्ञा करने को तैयार हो ?

(शोरगुल)

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यहां बैठे हुए मन्त्री मण्डल के सदस्यों में से कितने सदस्य ऐसे हैं जो कह सकें कि वे शराब नहीं पीते हैं ?

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (आसपुर) : मैं कहता हूँ कि कांग्रेस को चुनाव जीतने के लिए शराब का प्रयोग अनिवार्य है इसलिए ये प्रोहिबिशन में विश्वास नहीं करते हैं लेकिन केवल मात्र ढोल पीट कर धूतक कायम करने को कहना चाहते हैं कि टेकचन्द समिति की सिफारिश मानी जायगी । लेकिन मानी कहां से जायगी, शराब के प्रयोग बिना जीत नहीं सकते; चुनाव में ऐसी उपयोगी चीज को छोड़ना संभव नहीं है ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, यहां इस बात का टेस्ट हो जायेगा कि गवर्नमेंट की आस्था इस पॉलिसी में कितनी है, इस मन्त्रिमण्डल के वे सदस्य जो शराब नहीं पीते हैं वे अपने अपने हाथ उठा दें ।

(शोरगुल)

वित्त मंत्री (श्री बालकृष्ण कौल) : पहले आप उठाइये।

(कुछ माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर शोरगुल)

श्री विजयपाल कटारा (डूंगरपुर–सु०) : इनको खड़ा होना चाहिये यदि गांधीजी का नाम लेते हैं तो।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : चुनाव के समय यह स्थिति होती है कि वोटर पूछते हैं वोट किसको दें तो कांग्रेस वाले शराब की बोतल उठा कर कहते हैं कि वोट इसको दो....

(कुछ माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर शोरगुल)

श्री दुर्गालाल बाढदार (हवामहल, जयपुर : मेरा निवेदन करना केवल इतना सा है, अध्यक्ष महोदय, कि आपके सामने सदन के माननीय सदस्यों ने बताया कि शराब किस प्रकार से अनुचित रूप से बिकती है और यह सब होता है। बड़े खेद के साथ कहना पड़ता है कि शराब मन्त्री को इन सब बातों की जानकारी नहीं है। मेरा निवेदन यह है जब इस सदन के सामने शराब मंत्रीजी उत्तर दे रहे हैं तो उनको कम से कम पूरी जानकारी तो होनी चाहिए और इस बात की रोकथाम करने के लिए उन्हें प्रयत्न करने चाहिए। जैसा कि माननीय सदस्य श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा ने बताया कि चार बोतलों की आपने छूट दे रखी है, कोई भी व्यक्ति चार बोतलें लेकर आता है और गंगानगर में अनुचित रूप से शराब बेचने का तरीका चलता है, इसके सम्बन्ध में माननीय मंत्रीजी अनभिज्ञता प्रकट करते हैं। वह हमसे अपेक्षा करते हैं कि हम उनके समक्ष इस प्रकार की शिकायतें प्रस्तुत करेंगे तो वह उसकी रोकथाम के लिए कार्यवाही करेंगे। मेरा निवेदन यह है कि यह तो उनका कर्त्तव्य है और वह जानकारी स्वयं करें। लेकिन बड़े दुःख के साथ कहना पड़ता है कि जब मंत्रीजी के सामने इस प्रकार के प्रश्न उठाये जाते हैं तो वह यह कहते हैं कि इस प्रकार की शिकायतें उनकी जानकारी में लावें तो वह कार्यवाही करेंगे। मेरा निवेदन है कि आप अपना उत्तरदायित्व समझिये, आखिर आप मंत्री बने हैं और आप प्रशासन चलाते हैं। आप हमसे यह क्यों अपेक्षा करते हैं कि हम आपके सामने शिकायत करें तो आप निश्चित रूप से सुनेंगे और कार्यवाही करेंगे? आप अपनी तरफ से एक्शन क्यों नहीं लेना चाहते हैं? मैं समझता हूँ आपका इस तरह का उत्तर अशोभनीय है। मैं निवेदन करूंगा कि आपका ऐसी बातों पर चैक होना चाहिए। इसके अलावा जब आप पॉलिसी रूप में इस बात को मानते हैं कि यह बुरी चीज है तो इसको एवॉइड करने के लिए इस प्रकार का उत्तर दें और उचित कार्यवाही न करें–यह उचित नहीं है।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : विरोधी दल के माननीय नेता ने जो अभी कहा, मैं यह कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस की हमेशा यह पॉलिसी रही है शराब बन्दी की ओर कांग्रेस ने इस पॉलिसी के लिये कुर्बानियां दी हैं और हम इसके लिए जेल भी गये हैं।

श्री जयनारायण सालोदिया : वह गांधी जी का जमाना तो गया।

श्री **श्रवणलाल** : (हिन्डौन–सु.) अभी जब यह कहा कि मंत्रिमंडल में जो शराब

Page No. 27

(श्री श्रवणलाल)

नहीं पीते हैं वह अपने हाथ उठावें तो किसी ने भी अपना हाथ नहीं उठाया और यह बात नहीं कही कि मैं नहीं पीता हूं ।

(शोरगुल एवं व्यवधान)

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : आप दूसरे की बात को सुनना पसंद नहीं करते, दूसरे की बात सुनना आपको बर्दाश्त नहीं । मैंने आपकी बात शांति से सुनी लेकिन आप, जब मैं बोल रहा हूँ तो चिल्लाते हैं ।

श्री जयनारायण सालोदिया : अब वह कांग्रेस खत्म हो गई और उस कांग्रेस की नीतियां भी उसके साथ गई ।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : आप विराजिये । मैंने आपको सुना है, इत्मिनान से सुना है, शांति से सुना है । आप अब मुझे सुन लें ।

श्री राधाकृष्ण गोयल : अकेले ज्वालाप्रसाद जी बोल रहे हैं । मैं सिविल लाइन्स में रहनेवालों से पूछ रहा हूँ लेकिन वह सब खामोश रहे हैं और किसी ने भी नहीं कहा कि मैं नहीं पीता हूँ । भैरोंसिंह जी बता दें, उनके पास तो पूरी जानकारी रहती है ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : हम आपका (श्री ज्वालाप्रसादजी) का प्रवचन सुनना चाहते हैं ।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : आप भोंकते क्यों हैं ? मैं कहना चाहता हूं कि ऐतिहासिक तथ्यों को कोई नहीं मिटा सकता है । यहां पर जो शराब नहीं पीने का सिद्धान्त बताया जा रहा है और कहा जा रहा है कि शराब बन्दी हो जाय—लेकिन इसके लिए आप कुछ करते नहीं हैं और आपकी आवाज में बल नहीं है । मैं विरोधी दल के नेता को बता देना चाहता हूँ कि यहां जो बातें रखी जाती हैं वह केवल कांग्रेस को बदनाम करने के लिए रखी जाती हैं । वैसे जो कांग्रेस की नीति है उसको सरकार मानती है और यह हमारे डाईरेक्टिव प्रिन्सिपल्स में भी है । अब उसके खिलाफ जो हो रहा है वह क्यों हो रहा है इसके सम्बन्ध में विचार करने का सारे सदन को अधिकार है और सरकार इस सम्बन्ध में उत्तर दे ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : यह बात सही है ।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : नसीराबाद से आने वाले माननीय सदस्य ने जो बात कही वह पन्द्रह, बीस साल पहले तो ठीक थी, वह कांग्रेस कुर्बानी करनेवाली थी । वह जो कुर्बानी करनेवाली कांग्रेस थी वह आज नहीं है ....

श्री ज्वाला प्रसाद शर्मा : आज भी है ।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : आज तो नकली कांग्रेस है जो शराब को कहती है सोमरस और सोमरस के नाम पर कुकृत्य करती है ....

श्री **गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द)** : यह तो आप अपने जमाने की बात कह रहे हैं ।

श्री जयनारायण सालोदिया : अध्यक्ष, महोदय एक प्रश्न ....

श्री अध्यक्ष : आप कुछ कहना चाहते हैं ?

Page No. 28

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : शराब की दुकानों पर धरना देने वाले कांग्रेसी तो इधर बैठे हैं और शराब के ढोलों में से नहा कर निकले हुए शुद्ध कांग्रेसी उधर बैठे हैं।

श्री जयनारायण सालोदिया : अध्यक्ष महोदय, मैं एक प्रश्न माननीय मंत्रीजी से पूछूंगा।

श्री गिरधारीलाल व्यास : सोम रस के पीनेवाले हैं।

श्री जयनारायण सालोदिया : उन्होंने अपने उत्तर में कहा कि १८ वर्ष से कई चरणों में यह कार्यक्रम चल रहा है। आप यह बताने की कृपा करेंगे कि राजस्थान में कौनसा चरण चल रहा है और उसके तहत क्या कार्यवाही हो रही है शराब बन्दी के लिए ?

श्री अध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिए कृपया परिशिष्ट २ देखिए)

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

राज्य में वृद्धों को पेन्शन

६१. **श्री रामकिशन** (वैर) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) राज्य में वृद्धों को पेन्शन देने की योजना चालू होने से अब तक बजट में कितनी धनराशि रखी गई थी और उसमें से कितनी धनराशि व्यय हुई है ?

(२) राज्य में कितने वृद्धों को पेन्शन दी गई है ? जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(१) राज्य में वृद्धों तथा लूले-लंगड़े इत्यादि को पेन्शन एक ही बजट हैड में दी जाती है। दोनों के लिये इकट्ठी धनराशि ५७,४९,००० रुपये रखी गई। जो सूचना जिलाधीशों से मिली उसके आधार पर अब तक ३,७३,२२२.३७ रुपये वृद्धों को पेन्शन देने हेतु खर्च किये गये हैं।

(२) जो सूचना मिली है उसके मुताबिक २०५३ वृद्धों को पेनशन दी गई है, जिसकी जिलेवार सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(कृपया परिशिष्ट ३ देखिये)

पंचायत समितियों में प्री-ऑडिट की व्यवस्था

६३. **श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत** (भीम) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

पंचायत समितियों में अनियमितताओं और अदूरदर्शितापूर्ण अनावश्यक खर्चों को रोकने के लिए पंचायत समितियों में प्री-ऑडिट चालू क्यों नहीं कर दिया जाता ?

उत्तर

राज्य सरकार ऐसा करना आवश्यक नहीं समझती।

जैतारण पंचायत समिति द्वारा ऋण व अनुदान

७३. **श्री तेजाराम गहलोत** (सोजत) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) पाली जिले की जैतारण पंचायत समिति द्वारा २-१०-५६ से ३०-६-६५ तक डिगरना व सेवरिया पंचायतों को कब २ किस २ कार्य हेतु ऋण व अनुदान कितना कितना दिया गया ?

(२) क्या उपरोक्त राशियों के दुरुपयोग या उपयोग न किये जाने की शिकायतें भी विकास अधिकारी को की गई ? यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(१) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(२) जी हां। प्राप्त शिकायतों की जांच की गई थी।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

मलेरिया यूनिट के इन्सपेक्टर्स के यात्रा भत्ते की रकम

१२. **श्री जोधसिंह चौहान (गिरवा)** : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

क्या यह सही है कि उदयपुर डिविजन के मलेरिया यूनिट के सर्वेलेन्स वर्क्स इन्सपेक्टर्स के यात्रा भत्तों के बिल कई वर्षों के बकाया हैं ? यदि हां, तो यह राशि कुल कितनी है, अब तक चुकारा क्यों नहीं किया गया है और अब कब तक कर दिया जायेगा ?

उत्तर

जी हां। उदयपुर डिविजन के मलेरिया यूनिट के सर्वेलेन्स वर्क्स इन्सपेक्टर्स के यात्रा भत्तों के बिल २२७२६-४६ की धनराशि के सन् १९६३ से बकाया हैं इन बिलों का समय पर चुकारा नहीं किया जा सका क्योंकि कई एक बिल अपूर्ण थे और उनको पूर्ण करने में समय लग जाने के कारण संबंधित विभागों से स्वीकृति प्राप्त करना अनिवार्य हो गया था। बिलों के भुगतान के पहले की जाने वाली आवश्यक कार्यवाही पूरी की जा रही है और दिसम्बर, १९६६ तक नियमित बिलों का चुकारा कर दिया जावेगा।

मिलावट संबंधी मामलों का चालान

१३. श्री **रामकिशन (वैर)** : क्या चिकित्सा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

गत पांच वर्षों में भरतपुर जिले में खाद्यान्न में तथा अन्य वस्तुओं में मिलावट सम्बन्धी कितने मामलों में चालान पेश किये गये हैं और कितनों में सजा हुई है ?

उत्तर

सन् १९६१ से १९६५ तक भरतपुर जिले में खाद्यान्न में तथा अन्य वस्तुओं में मिलावट के संबंध में पी० एफ० ए० एक्ट के तहत १८०९ मामलों में चालान पेश किये गये हैं और ९६२ मामलों में सजा हुई है।

शिवप्रसाद मोदी अस्पताल के लिये कोयला

१४. श्री रामकिशन (वैर) क्या चिकित्सा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) ग्राम गुहाला, तहसील नीमका-थाना में शिवप्रसाद मोदी अस्पताल के निर्माण में उपयोग के लिये कितना कोयला दिया गया ?

(२) कोयला किस उद्देश्य हेतु दिया गया ?

(३) क्या यह सही है कि ३ वैगन कोयला जो अस्पताल के नाम से लिया गया वह कांट्रेक्ट में ही बालावाला बेच दिया गया ?

उत्तर

(१) ३ वैगन कोयला एलॉट किया गया था, जिसमें से केवल २ वैगन कर्मचन्द थापड़ द्वारा आया था ।

(२) चूने के भट्ठे हेतु ।

(३) जी नहीं ।

आयुर्वेद औषधालय, उदयपुर

१५. श्री जोधसिंह (गिरवा) : क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि आयुर्वेदिक औषधालय, उदयपुर में कार्य करने वाली धात्री शांतिदेवी गौड़ को एक लम्बे अर्से से वेतन नहीं मिला है, जब कि इसके लिए कई बार मांग की जा चुकी है ?

(२) क्या यह भी सही है कि आयुर्वेदिक औषधालय, उदयपुर के निरीक्षक ने उसका लास्ट पे सर्टिफिकेट एक लम्बे अर्से से रोक रखा है ?

(३) क्या यह सही है कि इस सम्बन्ध में डायरेक्टर को भी कई बार लिखा गया और पहले पहल १५-१२-६४ को लिखा गया परन्तु अब तक इसके बारे में कुछ नहीं किया गया ?

(४) अब तक कितनी प्रार्थनाएं उसकी ओर से आ चुकी हैं, और उन पर क्या कार्यवाही की गई है या की जा रही है ? क्या सरकार इस पर ध्यान देकर उसको उसका रुका हुआ वेतन दिलाने का विचार रखती है ?

उत्तर

(१) जी नहीं । धात्री श्रीमती शान्ति देवी गौड़ को वेतन बहुत अर्से पहले से ही मिल चुका है ।

(२) जी नहीं ।

(३) जी हां । धात्री शान्ति देवी के द्वारा निर्देशक को दिनांक १५-१२-६४ को एक पत्र लिखा गया था उस पत्र २६-३-६५ को ड्राफ्ट द्वारा उसका वेतन भेज दिया था ।

(४) जब उसको दिनांक २६-३-६५ उसका सारा वेतन दिलवा दिया तो आगे कोई प्रश्न ही पैदा नहीं होता ।

(१२. १५ म. प.)

श्री अध्यक्ष : सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्र । श्री दामोदरलाल व्यास !

सदन की मेज पर रखे जानेवाले पत्र
(वित्त, राजस्व एवं अर्थ कार्य)
विभाग की अधिसूचनाएं

श्री दामोदरलाल व्यास (मंत्री, आबकारी विभाग) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान आबकारी कर अधिनियम, १९५० की धारा ७१ (३) के अन्तर्गत वित्त (राजस्व एवं अर्थ कार्य) विभाग की निम्नलिखित अधिसूचनायें सदन की मेज पर रखता हूं :—

(१) अधिसूचना संख्या एफ १ (५७) एफ. डी.ई. एक्स । ६५ दिनांक ७ जुलाई, १९६६, तथा

(२) अधिसूचना संख्या १ (५७) एफ डी । ई. एक्स । ६५ दिनांक २० जुलाई, १९६६ ।

श्री अध्यक्ष : राजस्व मंत्री ।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : ऑन ए पोइन्ट ऑफ ऑर्डर सर, माननीय राजस्व मंत्री जिस अधिसूचना को रखना चाहते हैं, यह १५ फरवरी, १९६६ को जारी की गई थी । उसके बाद इस सदन का एक अधिवेशन, बजट अधिवेशन लगभग दो महीने तक हो चुका है, पिछली २५ या २६ फरवरी से अप्रेल तक वह अधिवेशन हो चुका है । इस अधिवेशन में इस अधिसूचना को रखना लाजिमी था । गवर्नमेंट की तरफ से वार वार इस प्रकार के आश्वासन भी दिये गये हैं । तो मैं निवेदन करूंगा कि माननीय मंत्रीजी को अव्वल तो इसकी इजाजत नहीं दी जाय, वर्ना वह खुले तौर से इसका एक्सप्लेनेशन बतायें कि आखिर यह क्यों नहीं रखी गई अभी तक । अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं, यह खुले तौर से इस सदन का अपमान है, बार बार इस सदन में आश्वासन देकर इस बात की अवहेलना की जाती है । गवर्नमेंट को इस बात का सीरियसली जवाब देना चाहिए ।

राजस्व (ख) विभाग की अधिसूचना

श्री कुम्भाराम आर्य (राजस्व मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्व (ख) विभाग की अधिसूचना संख्या एफ ६ (७१) रे वे० बी । १। ६५ दिनांक १५ फरवरी, १९६६ की प्रति सदन की मेज पर रखता हूं, जिसके द्वारा राजस्थान भू-राजस्व (भूमि अधिलेख) नियम, १९५७ में संशोधन किया गया है ।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य पूछ रहे हैं कि देरी क्यों हुई इसको रखने में ?

श्री कुम्भाराम आर्य : इसमें देरी होने का एक कारण तो यह है कि पिछले सत्र में यह आ गई थी लेकिन अंग्रेजी के अन्दर आई इसलिए वापिस करदी गई और दुबारा हिन्दी में बन कर आई इसलिए देरी हो गई ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : इसकी हिन्दी होने में इतना समय लगा ?

श्री ज्वाला प्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : आपकी हिन्दी हो गई ।

(१२.१७ म. प.)

श्री अध्यक्ष : ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल !

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, एडजोर्नमेंट मोशन दिये हुए थे उनका क्या हुआ ?

श्री अध्यक्ष : इसके बाद !

आदर्शनगर, राजापार्क, गुरुनानकपुरा आदि बस्तियों की सड़कों के संबंध में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरीबाजार, जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि इस एक मसले को अनेक बार इस सदन में मुझे उठाना पड़ा है। आदर्श-नगर, राजापार्क, गुरुनानकपुरा आदि बस्तियों की सड़कों की मरम्मत आदि के सम्बन्ध में मैंने एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सूचना नियम १३१ के अन्तर्गत दी थी, उस सिल-सिले में स्वायत्त शासन मंत्री महोदय, पुनर्वास मंत्री महोदय या कहना चाहिए सम्पूर्ण राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। यह कहने का मेरा तात्पर्य, अध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में विशेष रूप से इसलिए है कि इस प्रश्न को अनेक वर्षों से मैंने इस सदन में उठाया और मुझे अफ-सोस इस बात का है कि राज्य सरकार पिछले बीस सालों में भी इस बात का निर्णय निश्चित रूप से नहीं कर पाई है कि आखिर इन बस्तियों का मालिक है कौन ? इन बस्तियों के विकास की जिम्मेदारी है किस पर ? पी. डब्ल्यू. डी. इसके विकास की जिम्मेदारी लेगी, म्यूनिसिपेलिटी इसकी जिम्मेदारी लेगी, अर्बन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट इसके विकास की जिम्मेदारी लेगा या रीहेबिलि-टेशन विभाग इसके विकास की जिम्मेदारी लेगा ? इन सारे सवालों को ध्यान में रखते हुए मैंने अनेक बार केवल मात्र इतना सा उत्तर राज्य सरकार से चाहने के लिए प्रयत्न किया कि इन बस्तियों की सड़कों की मरम्मत, इन बस्तियों की सड़कों के निर्माण, इन बस्तियों के लिए बिजली पानी की व्यवस्था करने के काम, इन बस्तियों में गटर बनाने का काम, ड्रेनेज के काम आदि के सम्बन्ध में सरकार का कौनसा ऐसा विभाग है जो इनके लिए जिम्मेदारी है ? केवल इतना सा उत्तर राज्य सरकार दे, यह मैंने चाहा है; किन्तु इतना सा उत्तर राज्य सरकार नहीं दे पाई है। अध्यक्ष महो-दय, मुझे बड़ा अफसोस है, बीस साल तक इन सारी बस्तियों की दुर्दशा राज्य सरकार की इस उदासीनता और उपेक्षावृत्ति के कारण से होती रही है। पिछली बार इस सदन में यह सवाल खड़ा हुआ था। १९६४ में भी एक बड़ा भारी प्रदर्शन वहां के नागरिकों ने इस सदन के सामने किया था और उस समय इस सदन के उप नेता, मान-नीय हरिभाऊ उपाध्याय ने प्रदर्शनकारियों को सम्बोधित करते हुए, जो ज्ञापन उनके समक्ष पेश हुआ था, उसके उत्तर में साफ कहा था कि आपकी समस्यायें राज्य सरकार शीघ्रातिशीघ्र सुलझायेगी। उसके बाद-सन् १९६४ के बाद फिर १९६५ में जो विधान सभा का अधिवेशन हुआ उसमें १९–३–६५ को फिर यह सवाल सदन में उठाया। राज्य सरकार ने उस समय इस सम्बन्ध में यह कहा कि हम इस सम्बन्ध में शीघ्र निर्णय लेनेवाले हैं। उस समय एक कमेटी बनाने का सवाल खड़ा हुआ था। उसके बाद में, अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार के आश्वासन

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

के पश्चात् भी कुछ नहीं हुआ। फिर उसके बाद १९६६ में हुए बजट अधिवेशन के समय फिर मामला ६ अप्रेल को उठाया गया। अध्यक्ष महोदय, ६ अप्रेल, १९६६ को राज्य सरकार की तरफ से जो इस सदन में उत्तर दिया गया उसमें माननीय श्री मथुरादासजी माथुर ने इस सदन में यह आश्वासन दिया था मेरे ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के सम्बन्ध में और उसमें उन्होंने बताया था कि उन्होंने उच्चाधिकार समिति बना दी है, जिसकी रिपोर्ट कुछ दिनों में प्राप्त हो जायेगी। उसके बाद उन्होंने आश्वासन दिया कि उस समिति के जरिये फैसला एक महीने में हो जाने के बाद इन बस्तियों की सड़कों के निर्माण की कार्यवाही शुरू कर दी जायेगी। उसके बाद भी उनके उत्तर से सदन संतुष्ट नहीं हुआ और अन्ततोगत्वा माननीय उपाध्यक्ष, जो उस समय आसन पर विराजमान थे, ने यह कहा कि सदस्य उनके उत्तर से संतुष्ट नहीं हुए हैं। तब सरकार की तरफ से उन्होंने आसन से यह आश्वासन दिया कि एक महीने में निर्माण कार्य शुरू कर दिया जायेगा। अध्यक्ष महोदय, इस सदन के लिए यह आसन अत्यन्त सम्मान का स्थान है और आसन की ओर से इस प्रकार का आश्वासन सरकार की ओर से दे दिया जाय—यह अप्रेल, १९६६ की बात है—कि एक महीने में कार्य प्रारम्भ हो जायेगा, उसके बाद भी मुझे बड़ा अफसोस है कि उस बात को भी पांच महीने होने को आये लेकिन आज भी सड़कों की मरम्मत का कार्य या इन बस्तियों के विकास का कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ है। अध्यक्ष महोदय, इसके बाद मैंने स्वायत्त शासन मंत्री को एक पत्र लिखा इस सदन में दिये गये आश्वासनों के आधार पर। उस पत्र का उत्तर उन्होंने मुझे ३ अगस्त को भेजा, ३ या २ अगस्त जिसमें उन्होंने मुझे सूचना दी है—मेरे पत्र का उत्तर उन्होंने महीने भर बाद दिया वह भी तब जब उनको यह सूचना दी गई थी कि आदर्शनगर में जनसंघ के लोगों ने इस बात का फैसला किया है कि राज्य सरकार इस सम्बन्ध में इस बार कोई कदम नहीं उठाती है। सड़कों की मरम्मत और सड़कों के निर्माण आदि के सम्बन्ध में तो हम जन-आन्दोलन खड़ा करेंगे और उस सम्बन्ध में तीन अगस्त को पहली ग्राम सभा थी और आठ या सात तारीख को कार्यक्रम शुरू होने वाला था, इसलिए उस समय मंत्री महोदय ने रात को अत्यावश्यक रूप से पत्र का उत्तर भेजा जिसमें सूचित किया था कि राज्य सरकार ने पांच लाख रुपये की धनराशि आदर्शनगर की सड़कों की मरम्मत और विकास कार्य आदि के लिए स्वीकार की है और उसमें यह भी सूचित किया था कि वह रुपया रीहेबिलिटेशन विभाग को ट्रान्सफर कर दिया गया है। यह भी सूचित किया था उसके साथ कि पांच लाख रुपये का प्रावधान अगले साल के बजट में और रखा जायगा। अध्यक्ष महोदय, इस सूचना के बाद, उस दिन से लेकर आज तक, फिर डेढ महीना हो गया है। सूचना अवश्य आई है, किन्तु मुझे अफसोस इस बात का है कि उसके बाद से आज दिन तक भी वहां काम प्रारम्भ नहीं हुआ है। उसके बाद में जो हमारे रीहेबिलिटेशन मिनिस्टर साहब हैं उनको बस्ती में बुलाया गया, ग्राम सभा में जब यह लोगों को बता दिया गया था कि इस प्रकार जनसंघ के लोग आदर्शनगर के विकास के लिए हमेशा से लड़ते आये हैं और

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

खास तौर पर मैंने तो इस बस्ती के विकास के लिए इस हद तक कह दिया है कई बार कि सरकार इस बस्ती का विकास इसलिए नहीं करना चाहती क्योंकि मैं इस बस्ती से चुन कर आया हूं, मेरा इस बस्ती से चुन कर आना सरकार को खटकता है और मेरा इस सदन में रहना उन्हें अच्छा नहीं लगता है और इस बस्ती को उसी की सजा दी जा रही है और इसलिए ही सरकार इस बस्ती के प्रति उदासीन है। मैंने इस बस्ती के विकास के लिए और उद्धार के लिए इस सदन में सरकार को यहां तक कह दिया है कि मैं इस्तीफा देने को तैयार हूं। यह एक बार नहीं इस सदन में अनेक बार कहा है, और उस पर सरकार ने यह कहा है कि इसमें भेदभाव की बात नहीं है, इसमें कोई राजनीति का सवाल नहीं है और इस सम्बन्ध में इस्तीफा देने की आवश्यकता नहीं है, सरकार इस सम्बन्ध में जागरुक है और जल्दी ही निर्णय करने वाली है। यह भी कहा गया कि सरकार के सामने बहुत सी कठिनाइयां हैं।

अध्यक्ष महोदय, इसके बाद माननीय मंत्रीजी उस बस्ती में गये। वहां के लोगों ने इन्हें बुलाया तो इसमें मुझे कुछ आपत्ति नहीं है। ठीक है, माननीय मंत्रीजी को बुला कर कुछ प्रचार किया जाय—इसमें मुझे आपत्ति नहीं है। वह उस इलाके में अवश्य जायें। किन्तु मुझे खुशी होती, यदि जैसे राज्य सरकार के मंत्री किसी कॉन्स्टीट्यूएन्सी में जाते हैं और कन्सन्र्ड एम० एल० ए० को इत्तला करते हैं कुछ भी राजनैतिक भेदभाव रखे बिना ताकि जिस समय मंत्री महोदय आयें तो उनके सामने इलाके की समस्याओं को रख सकें और उनसे कुछ हल निकलवा सकें। मुझे इस सम्बन्ध में इतना ही अफसोस है कि यदि वह अपने कार्यक्रम के सम्बन्ध में इत्तला मुझे दे देते तो मैं निश्चित रूप से अपने इलाके की समस्याएं उनके सामने रखता। जो माननीय मंत्री महोदय हैं, परसरामजी, वह हमारी क्लब के मेम्बर होने के नाते मेरे मित्र हैं और मैं समझता हूं कि सदन के अन्दर जवाब देते समय, सदन में बहस-मुबाहिसे में भाग लेते समय या उत्तर देते समय वे काफी स्टेट फॉर्वर्ड रहते हैं और इस नाते ही उनकी इस सदन में प्रतिष्ठा है। इस नाते मेरी समझ में नहीं आता कि जब वह मेरी कॉन्स्टीट्यूएन्सी में आये तो उनको मुझे इत्तला देने में क्या आपत्ति हो सकती थी ? खैर, उन्होंने इत्तला नहीं दी तो उसकी भी मुझे चिन्ता नहीं है। वैसे यह ज्यादा अच्छा होता कि वह मुझे इत्तला दे देते तो मैं कुछ सवाल बस्ती के बारे में उनके सामने रखता। वह वहां गये और उन्होंने वहां पर, अध्यक्ष महोदय, कुछ बातों के बारे में कहा, जिनको इस सदन में पचासों बार उठाया गया और उठाने के बाद भी सरकार ने आज तक उन चीजों का उत्तर नहीं दिया है। मैं उन चीजों का कन्फर्मेशन चाहता हूं क्योंकि समाचार-पत्रों में उसके सम्बन्ध में समाचार आये हैं और मैं समाचार-पत्रों पर पूरी आस्था रखता हूं। मैं यह मानकर चलता हूं कि समाचार पत्रों में जो भी चीज छपेगी वह सही होगी। लेकिन फिर भी मैं सदन में सरकार से केटेगेरीकली पूछना चाहता हूं कि क्या इन सारी बस्तियों की सड़कों के निर्माण के लिए, सड़कों की मरम्मत के लिए, ड्रेनेज की व्यवस्था करने के लिए, गटर लाइन डालने

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

के लिए राज्य सरकार ने कोई सर्वे कराई है ? क्या यह सही है कि उस सर्वे के आधार पर इन बस्तियों के विकास और डेवलपमेंट के लिए यह पांच लाख रुपये की धनराशि बिल्कुल ना के बराबर है, इससे काम नहीं चलनेवाला है ? यदि यह सही है तो ज्यादा रुपया प्राप्त कराने के लिए राज्य सरकार क्या कदम उठा रही है और रुपये की मंजूरी के बाद में यह सब काम कब से प्रारम्भ हो जायेंगे ? वहां पर क्या क्या काम करने हैं, इसकी कोई योजना राज्य सरकार ने बना ली है ?

इसके अलावा वहां के लोगों को प्लॉटों के पट्टे नहीं मिले हैं पन्द्रह-बीस सालों से, पन्द्रह-बीस साल उनको मकान बनाये हुए हो गये हैं फिर भी वह कोई कर्जा नहीं ले सकते हैं, न उन मकानों को गिरवी रख सकते हैं। राज्य सरकार के सामने प्लॉटों के पट्टे के सम्बन्ध में कई बार सवाल उठाते आये हैं और यह सवाल मेमोरेण्डम में भी सम्मिलित था। तो उन प्लॉटों के पट्टे राज्य सरकार कब तक दे देगी ? किन शर्तों पर देगी ? इसके अलावा नजराने के सम्बन्ध में जो समस्या खड़ी हुई है, जिसको अर्बन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट चार्ज करना चाहता है, उसके लिए मैं मांग करता हूं कि अर्बन असेसमेंट चार्ज नहीं करना चाहिए और वह चार्ज करने का उसको कोई अधिकार नहीं है। अध्यक्ष महोदय, इन बस्तियों में भविष्य में सड़कों की मरम्मत कराने के काम की जिम्मेदारी किसकी रहेगी ? इन बस्तियों में बिजली कौन लगायेगा ? पानी की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी किसकी होगी ? ड्रेनेज की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी किसकी होगी ? गटर लाइन डालने की जिम्मेदारी किसकी होगी ? इन सब कामों में कितना खर्चा होने का अनुमान है ? उसमें से कितना खर्च हुआ है और राज्य सरकार कितना खर्चा करेगी ? इसके आगे क्या क्या योजनाएं हैं ? इन सब प्रश्नों की ओर मैं राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं और माननीय मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि वे स्पष्ट रूप से जो कुछ भी वह करनेवाले हैं वह कहें और जो नहीं करनेवाले हैं उसके लिए ना कर दें, तो भी मुझे अफसोस नहीं होगा। लेकिन आप साफ तौर से कहें और गोलमाल न करें। इतना ही निवेदन करते हुए मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि वहां पर तीन सौ प्लॉट खाली पड़े हैं, उन खाली प्लॉटों का एलॉटमेंट कौन करेगा ? किस आधार पर करेगा ; और कौनसी इन्स्टीट्यूशन इस कार्य को करेगी । या यह केवल खैरात में बांट दिये जायेंगे ; इस सम्बन्ध में आप सदन को साफ साफ बतायें ? इतना ही निवेदन करते हुए मैं माननीय मंत्री महोदय से इस सम्बन्ध में उत्तर चाहूंगा।

श्री परसराम मदेरणा (पुनर्वास मंत्री) : आदर्शनगर बस्ती पुनर्वास विभाग द्वारा शरणार्थियों को बसाने के लिए बनाई गई थी। इस बस्ती की नागरिक सुविधाओं की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी पुनर्वास विभाग की थी। परन्तु यू० आई० टी० एक्ट, १९५९ के तहत बस्ती की सारी निजूल लैण्ड यू० आई० टी० को २१–११–६२ को हस्तांतरित कर दी गई। अतः इन व्यवस्थाओं का भार यू० आई० टी० पर चला गया।

(श्री परसराम मदेरणा)

परन्तु यू० आई० टी० ने इस भार को वहन करने की असमर्थता प्रकट की और यह कहा कि चूंकि इस क्षेत्र का विकास-व्यय पुनर्वास विभाग ने वसूल किया है व कर रहा है, अतः वह विभाग ही इन व्यवस्थाओं को करे। पुनर्वास विभाग का कहना था कि जितना विकास-व्यय वसूल किया गया उससे अधिक इस क्षेत्र में नागरिक सुविधाओं पर खर्च कर दिया है। इस क्षेत्र का विकास करने में पुनर्वास विभाग ने भारत सरकार से लोन लेकर १८, ४३, १८१ रुपये व्यय किया जिस पर पुनर्वास विभाग को इस राशि पर व्याज के रूप में भारत सरकार को ७, ५१, ७५३ रुपये देना है। अतः कुल व्यय २५, ६४, ६३४ रुपये हुआ है जब कि विकास व्यय के रूप में इस बस्ती से १५, १३, ५२६ रुपये ही प्राप्त होंगे। इस प्रकार राज्य सरकार को १०, ८१, ४०८ रुपये की हानि उठानी पड़ी है।

यह प्रश्न राज्य सरकार के विचाराधीन था कि इसमें नागरिक सुविधाओं के लिए किस प्रकार की व्यवस्था की जाय। इस प्रश्न पर मन्त्री-मंडल ने दिनांक ८–७–६६ को विचार कर यह निर्णय ले लिया है कि इस बस्ती में नागरिक सुविधाएं पुनर्वास विभाग द्वारा ही प्रदान की जाय और इसके लिए चालू वर्ष में ५ लाख की राशि स्वीकृत की गई है इस राशि को विभिन्न कार्यों में विभाजित करने का अधिकार पुनर्वास मन्त्री को दे दिया गया है।

आगामी वर्ष के बजट में भी इस कार्य के हेतु ५ लाख का प्रावधान रखने का निर्णय भी ले लिया गया है।

राज्य सरकार ने यू. आई. टी. को पट्टा देने के आदेश ११–८–६६ को दे दिये हैं।

इस बस्ती में पुनर्वास विभाग द्वारा बस्ती को बसाने के साथ ही एक गर्ल्स हायर सेकिण्डरी स्कूल और एक बॉयज़ हायर सेकिण्डरी स्कूल स्थापित किये गये थे। वर्तमान समय में इस बस्ती में कुल दस पाठशालाएं हैं जिनमें चार सरकारी हैं और ६ स्टेट गवर्नमेन्ट एडेड हैं और कई प्राइवेट पाठशालाएं हैं। और भी कई प्राइवेट पाठशालाएं आदर्शनगर के आसपास चल रही हैं।

राज्य सरकार के निर्णय दिनांक ८–७–६६ के पश्चात् अनिश्चितता की स्थिति हमेशा के लिए समाप्त हो जाती है और इस तारीख के बाद आदर्शनगर बस्ती में नागरिक सुविधाओं की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी और किसी विभाग की नहीं, बल्कि सिर्फ राज्य सरकार पुनर्वास विभाग की है।

इस सम्बन्ध में माननीय सदस्यों ने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव रखते हुए दो,तीन मुद्दे और भी उठाये थे उनका भी मैं जवाब दे देता हूं।

एक बात तो यह कही गई कि मैं उस बस्ती में दो बार गया था। एक २६ जून को और इसके बाद अगस्त के महीने में। २६ जून को इसलिए गया था कि बार बार माननीय सदस्य और दूसरी तरफ से भी राजस्थान सरकार के सामने यह प्रश्न विचाराधीन था कि उस बस्ती में जो नागरिक सुविधाएं देने की बात हमेशा कही

(श्री परसराम मदेरणा)

जाती है उसके बारे में वास्तविक स्थिति क्या है, इसका सही अन्दाजा लगाया जाय, क्योंकि इसका टेक्निकल एस्टीमेट भी जो हमारे पास आया था उसको देखते हुए भी वित्तीय स्थिति हमारी ऐसी नहीं थी कि अधिक पैसे का प्रावधान हम इसके लिए कर सकें। इसलिए मैं स्वयं यह देखने के लिए गया था कि वहां सड़कों की क्या हालत है, पानी पहुँचता है या नहीं, बिजली का प्रबन्ध ठीक से है या नहीं और इसके बाद में गटर की क्या व्यवस्था की जानी चाहिये। मैं पूरी बस्ती में घूमा था। मैं एबरप्टली ही उधर जाने का इरादा कर बैठा। सेक्रेटेरियेट में बैठा था, शाम को इरादा किया और चूंकि उन दिनों फाइल भी मेरे पास ही थी— इसलिये एबरप्टली चल पड़ा। इसलिए माननीय सदस्य को मैं इत्तला नहीं कर सका। इसमें उनका इग्नोर करने की कोई बात नहीं थी। और जो कुछ भी राज्य सरकार ने निर्णय लिये थे मेरे इस बस्ती में आने के बाद जो स्थिति वहां की मैंने राज्य सरकार के सामने रखी उस पर लिये थे। वैसे जो पांच लाख का प्रावधान सरकार ने अपनी आर्थिक स्थिति को देखते हुए रखा है, खर्चा उससे भी ज्यादा होने की सम्भावना है।

यू. आई. टी. ने दो प्रकार के एस्टीमेंट बनाये हैं। सिविक अमेनिटीज को देखते हुए साढ़े ग्यारह लाख का और ड्रेनेज के लिये अलग से १२ लाख का एस्टीमेट था। पर राज्य सरकार की चूंकि वित्तीय स्थिति ऐसी नहीं थी कि इतनी बड़ी राशि का प्रावधान इस साल बजट में कर सकें। इसलिए नागरिक सुविधाओं के लिये जो राशि स्वीकृत की गई है और जो वित्तीय अनुमति प्राप्त की जा रही है वह पांच लाख के लिये है। इसके लिये फाइनेन्स से सेंक्शन आने बाद कन्सर्न्ड विभाग द्वारा इस कार्य को जल्दी से शुरू करा दिया जावेगा।

आगे पट्टों के सम्बन्ध में भी कहा गया। सरकार ने ११–८–६६ को यू आई. टी को आदेश दे दिया है कि तीन प्रकार के लोगों के पट्टे इसमें हैं उनमें कुछ को तो कोऑपरेटिव सोसाइटी ने प्लॉट्स दिये हैं, कुछ को रिहेबिलिटेशन विभाग ने प्लॉट्स अलॉट किये हैं और कुछ ने इन्डिविजुयली लिये हैं –इन तीन प्रकार के प्लॉट होल्डर्स, अगर उनसे जिनसे इन्होंने प्लॉट्स लिए हैं नो ड्यूज सर्टीफिकेट प्रोड्यूस कर दें तो उनको पट्टे दे दिये जावें।

अर्बन असेसमेंट के बारे में कहा गया। इस सम्बन्ध में इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि जिस वक्त जयपुर स्टेट ने प्लॉट अलॉटमेन्ट के ऑर्डर किये थे तो अर्बन असेसमेंट की बात थी। पर इसके साथ साथ सरकार को उस पर २५ लाख रुपया व्यय करने पडे। आज भी अगर हम १.२५ पैसा डेवलपमेन्ट चार्ज लेते हैं तो यह उचित समझा गया कि अर्बन असेसमेंट नहीं लिया जावे। पर अर्बन असेसमेंट इसका एक्स–क्लूजिव है या इन्क्लूजिव है, यह प्रश्न केबिनेट में है, फाइनली तौर पर डिसाइड नहीं हुआ। हमने चाहा था कि इसका क्लेरिफिकेशन ठीक करना चाहिये। तो मेरे सामने यही मुद्दा है और जल्दी ही निर्णय इस पर ले लिया जावेगा।

(श्री परसराम मदेरणा)

जहां तक विभाग का सम्बन्ध है, इस सम्बन्ध में कई तरह के आदेश समय समय पर दे दिये गये थे और उनको देखते हुए एक कन्फ्यूजन सा हो गया है कि अर्बन असेसमेंट १)२५ एबल देना माना है या इसके साथ ही शामिल है। यह केबिनेट मीमो से साफ नहीं है। इसलिये क्लेरिफिकेशन केबिनेट से लेना होगा।

अब चौथा प्रश्न यह उठाया कि खाली प्लॉटों का क्या होगा? वे आर्बीट्रेरी तौर से दिये जावेंगे या क्या व्यवस्था होगी? रीहेबिलिटेशन विभाग के प्लॉट अलॉटमेन्ट के रूल्स बने हुए हैं। उनके तहत या उनमें और मोडिफिकेशन करके अथवा नहीं करके इनको भी देने की जिम्मेदारी पुनर्वास विभाग की है। ३०३ प्लॉट ऐसे हैं। जैसा पहले बता चुका हूं कि यू० आई० टी० एक्ट के तहत निजूल लैंड ट्रान्सफर हो गई। यू० आई० टी० एक्ट की धारा ४३ (४) के अन्तर्गत राज्य सरकार को जब तक वह वापिस नहीं दे दी जाती है वह जमीन तब तक आ नहीं सकती वापिस हमें। तो हम उनको डाइरेक्शन्स देने जा रहे हैं क्योंकि इसका इस एक्ट में प्रावधान है कि राज्य सरकार अगर प्लॉट लेना चाहे वापिस तो इस तरह के डाइरेक्शन दे सकती है। यह मेन्डेटरी प्रोविजन है। तो इसके अन्तर्गत राज्य सरकार यू.आई.टी. को इन ३०३ प्लॉटों के लिए डाइरेक्शन देनेवाली है।

तो मेरे इस वक्तव्य के बाद अब यह कहने की गुन्जाइश नहीं रहेगी कि इसमें किसकी जिम्मेदारी है, किसकी नहीं है। कोई जवाबदारी लेने को तैयार नहीं है। यह लम्बा समय जो लगा इसमें इसका भी मुख्य कारण यह था कि डेवलपमेंट पर खर्चा किया डेवलपमेंट विभाग ने फिर प्लॉटस् यू० आई० टी० को चले गये। इन ३०३ प्लॉटों को छोड़ कर पुनर्वास विभाग की स्कीम पूरी हो गई है। वे जो स्कीम यू०-आई० टी० वाले चलाते हैं, नो लॉस नो प्रोफिट पर चलाते हैं। तो यू. आई. टी. इसी बेसिस पर प्लॉटों को जब नीलाम करती है तो चार्ज करती है। पर यहां समस्या शरणार्थियों की है। इसलिये विभाग कहता है कि हम डेवलपमेंट के चार्जेज नहीं मिला सकते हैं इसमें। हमने तो भारत सरकार से ऋण लेकर काम किया है जिसका बहुत कुछ हिस्सा अदा भी कर चुके हैं। अब अगर इसको हम देते हैं तो राज्य सरकार को दस लाख के करीब घाटा होगा इसलिए केबिनेट ने ८-७-६६ को इस बात का निर्णय लिया कि हालांकि दस लाख का आर्थिक घाटा इससे होनेवाला है तो भी शरणार्थियों के मामले को देखते हुए, जयपुर स्टेट के जमाने के कमिटमेंट को मानते हुए यह कन्सेशन देकर तय किया गया कि डेवलपमेंट चार्जेज २)२५ पैसा नहीं लेकर १)२५ ही लिया जावे।

इसके बाद में राजस्थान सरकार का पुनर्वास विभाग इस बस्ती के लोगों के लिए और नागरिकों के लिए जो सिविक अमेनिटीज प्रोवाइड करने की बात है, पूरी तरह से तैयार है, पर सरकार की वित्तीय संकटपूर्ण स्थिति को देखते हुए जितना हो सकेगा, प्रयत्न करेगा।

श्री सतीशचंद्र अग्रवाल : एक प्रश्न क्लेरिफिकेशन के तौर पर मैं

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

पूछना चाहता हूं । ८–७–६६ का सरकारी निर्णय बताया या तो उसकी प्रतिलिपि सदन की मेज पर रख दें ताकि हम उसे देख सकें और समझ सकें कि वह निर्णय क्या था और इस तरह से यह कन्ट्रोवर्सी समाप्त होती है । सदन में पेश कर दें मैं समझता हूं इसमें तो आपत्ति जैसी बात नहीं है । या फिर आप यह बता दें कि जो आपने २१–११–६२ को यू० आई० टी० को प्लॉट अलॉट किये वे बेचे थे या वे अलग थे अगर ये ही बेचे थे तो डेवलपमेंट का खर्चा क्या कमाया ?

तीसरी बात, आपने जो यह घोषणा की आदर्श नगर में कि सरकार ने अपनी तरफ से दस लाख का घाटा उठाकर आदर्शनगर के नागरिकों से अर्बन सेस को वसूल न करने का निर्णय लिया है, यह ठीक है या गलत ? इसका क्लेरिफिकेशन और कर दें ।

श्री परसराम मदेरणा : जहां तक सरकार के ८–७–६६ के निर्णय की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने का प्रश्न है, यह सीक्रेट डॉक्यूमेंट है इसलिए सदन की मेज पर उसे रखने का प्रश्न नहीं उठता ।

अब यू. आई. टी. ने जो बेचे वे इन ३०३ में से कोई नहीं बेचे । और ये वे इसलिए नहीं बेच रहे थे कि सिविक अमेनिटीज प्रोवाइड करने की बात साथ थी और वे कन्सेशनल रेट पर प्लॉट लेना चाह रहे थे, तो कन्सेशनल रेट पर बेच कर सिविक अमेनिटीजवाली बात को वे निभा नहीं सकते थे ।

दूसरी बात यह कही कि अर्बन असेसमेंट की सेस लेने न लेने के बारे में, तो जैसा मैंने निवेदन किया यह आॅर्डर जो था ८–७–६६ का उसमें इस बात का उल्लेख नहीं है कि इस पर अर्बन सेस लिया जावेगा या नहीं । पहले के आदेश जो समय समय पर हुए, ५४ में, ६० में और ६२ में और आखिर में २८ सितम्बर, ६४ में तो उन आदेशों में अलग अलग तरह से डिसीजन हो गये, इसलिये यह प्रश्न केबिनेट के सामने डिटेल में चर्चा करके इसके बारे में क्लेरिफिकेशन ठीक तरह से आए तो इस इरादे से उसे रेफर कर रहे हैं फिर से केबिनेट में ।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : आॅन ए पाइन्ट आॅफ आॅर्डर सर ।

यहां पर कई बार जब कि किसी भी डॉक्यूमेंट को रेफर कर दिया गया हो तो फिर उसे सीक्रेट कह कर सदन की मेज पर नहीं रखने की बात कहना उचित नहीं है । जब आप रेफरेन्स दे चुके, उसके बारे में काफी कुछ कह चुके तो फिर ऐसा कौनसा सीक्रेट रह जाता है कि जिससे वह डॉक्यूमेंट यहां नहीं रखा जा सकता ? या तो आप उसे रेफर ही नहीं करते और जब सदन में एक बार रेफर कर दिया है तो वह उसे यहां रखा जाना चाहिये ।

श्री अध्यक्ष : श्री जयनारायण सालोदिया ।

(१२. ४८. म. प.)

समाज कल्याण विभाग के बजट को अन्यान्य विभागों को वितरित करने संबंधी ध्यानकर्षण प्रस्ताव

श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई) : माननीय अध्यक्ष महोदय, समाज कल्याण

Page No. 40

(श्री जयनारायण सालोदिया)

विभाग का बजट विभिन्न विभागों को खर्च करने के लिये बांटा जाता है उस सम्बन्ध में मैंने एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिया है।

जब से यह समाज कल्याण विभाग राजस्थान में स्थापित हुआ तब से मैं यह नहीं कह सकता कि मैं उसके कार्य से संतुष्ट हूँ। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूँ कि न जाने किन परिस्थितियों में और किन कारणों से इस विभाग के बजट को सरकार ने अन्यान्य विभागों को वितरित कर दिया जिससे इस विभाग का कोई महत्व नहीं रह गया है और न यह विभाग यह जान सकता है कि उसका वह पैसा सही ढंग से, आसान तरीकों से खर्च भी हो रहा है या नहीं। आज इस विभाग के कामों में, एक दूसरे से तालमेल बैठाने में और उन कामों के लिये नियत रकम प्राप्त करने में इतनी अधिक परेशानियां उठानी पड़ती हैं कि जिसकी सीमा नहीं। उन लोगों की आधी एनर्जी तो इसी में समाप्त हो जाती है, काफी समय इसी में नष्ट हो जाता है तो रचनात्मक काम क्या कर पावेंगे वे? तो इसकी ओर मैंने अपने प्रस्ताव के द्वारा ध्यान आकर्षित किया है।

इसका कुछ बजट शिक्षा विभाग को दे दिया। कुछ बजट मकानों की सहायता, पीने के पानी से कुओं के निर्माण की सहायता और हल-बैलों की तकावी की सहायता आदि की रकम पचायत समिति और विकास विभाग को दे दी। हरिजनों के मोहल्लों में लाइट और पाइप आदि लगाने की सहायता म्यूनिसिपैलिटियों को दे दी। तो इसका बजट अलग अलग विभागों मे बांट दिया इस तरह से और जब से यह किया है तब से परेशानियां और भी अधिक बढ़ गई हैं और इन परेशानियों का जिक्र इधर और उधर बैठने वाले दोनों तरफ से माननीय सदस्य करते हैं। तो इस विभाग के बजट का जो उद्देश्य है वह एक ही है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन-जाति और हरिजन लोगों का सामाजिक स्तर सुधरे, ऊंचा हो और इसके लिये प्राप्त रकम का पूरा पूरा आसानी से सदुपयोग किया जाय। तो यह काम उन विभागों को सौंप दिया जिनके पास पहले से ही अपने ही काम बहुत ज्यादा हैं और बहुत बड़े-बड़े काम हैं।

मैं, जैसे निवेदन करूं कि जब से छात्र-वृत्ति का पैसा शिक्षा विभाग के पास गया है तब से वह छात्रवृत्ति वाजिब आदमियों को नहीं मिलती। किन्हीं को मिलती भी है तो बड़ी कठिनाई से मिल पाती है। वे लोग कहते हैं कि यह हमारा काम नहीं है, हमें तो यों ही सौंप दिया गया है, इसलिये बड़ी लापरवाही से वे पेश आते हैं।

श्री अध्यक्ष: आप केवल बजट तक ही सीमित रहें। सारे विभागों पर प्रवचन हो गया तो उचित नहीं होगा।

श्री जयनारायण सालोदिया: माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके जो आदेश हैं वे शिरोधार्य हैं। मैं यह निवेदन कर देना चाहता हूँ संक्षेप में कि जो बजट को विभाजित किया गया है उसके कारण क्या क्या परेशानियां हुई हैं। पिछड़ी जातियों, एवं जन-जातियों के लिये समाज कल्याण का बजट

(श्री जयनारायण सालोदिया)

जो अलग अलग तौर से अलग अलग विभागों को और जिलों को डिवाइड किया गया है उसके कारण हम लोगों को बहुत परेशानियां हुई हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इसी तरह से पंचायत समितियों में कुछ पैसा इस विभाग का गया है। पंचायत समितियों को आप जानते हैं वहां नीचे से नीचे दर्जे की दलगत नीतियों से काम लिया जाता है। पंचायत समितियों में कुओं का पैसा जाता है वह लम्पसम रूप में जाता है। उस पैसे को बांटने का पंचायत समिति को अधिकार होता है। पंचायत समिति जिस तरह चाहे उस पैसे को खर्च कर सकती है। ऐसे अधिकारों का उपयोग करते हुए एक-एक आदमी को नया कुआं बनाने के लिये एक एक सौ रुपया दिया गया। कुओं के लिये ५ हजार रुपया एक पंचायत समिति को दिया गया तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को खुश करने के लिये एक एक सौ रूपया एक नया कुआं खुदवाने के लिये दिया गया। इसी तरह से मकान बनाने के लिये सहायता दी गई उसमें भी एक एक आदमी को ८०–८० रूपया दिया गया। अध्यक्ष महोदय, यह सर्व विदित सत्य है कि १०० रुपयों में एक नया कुआं नहीं बन सकता और ८० रूपयों में एक मकान नहीं बन सकता, पर ज्यादा से ज्यादा लोग उनके फेवर में कैसे हो सकते हैं ज्यादा से ज्यादा मत उनको कैसे प्राप्त हो सकते हैं, इस आधार पर समाज कल्याण विभाग का पैसा खर्च होता है। इस प्रकार इस पैसे के वितरण से जो लोग वास्तव में जरूरत मंद हैं, जो लोग वास्तव में हकदार हैं, उनको पैसा नहीं मिलता है क्योंकि जो बांटने वाली एजेंसी है, जो बांटने वाले लोग हैं उनके दिमाग में यह पैसा बांटने में दूसरा ही मापदण्ड होता है, दूसरा ही चक्कर होता है। इस तरह समाज कल्याण का पैसा वाजिब तौर से खर्च नहीं होता। अध्यक्ष महोदय, समाज कल्याण के पास जो आंकड़े हैं, जो समाज कल्याण विभाग की रिपोर्टस निकलती हैं, जो किताबें इसकी हमें दी जाती हैं, जो बजट के प्रावधान निकलते हैं, अगर वह पैसा वाजिब तौर पर खर्च हो जाता, जिन कामों के लिये यह रखा गया था उन्हीं कामों के लिये खर्च हो जाता तो अनुसूचित जन-जाति और अनुसूचित जाति व इन पिछड़े हुए वर्ग के लोगों की आज यह हालत नहीं रहती।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपका ध्यान आकर्षण का प्रस्ताव था, तो उस पर ही आप बोलते, पूरी बहस उठाने की मंशा उस से नहीं हो सकती। और भी बहुत से अहम काम हैं जो सदन के सामने आने वाले हैं।

एक माननीय सदस्य : इनके पास यही एक काम है।

श्री जयनारायण सालोदिया : अध्यक्ष महोदय, मुझे एक ही काम है, जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा यही एक काम है। मैं माननीय सदस्य की तरह ऐसा आदमी नहीं हूं कि जिन लोगों का वे प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, जिन लोगों ने उन्हें चुन कर भेजा है, उन लोगों के हित का सवाल आने पर नीची गर्दन कर के बैठ जायं।

यह मेरा पुनीत कर्त्तव्य है कि जिनके प्रतिनिधि के रूप में मैं जीत कर आया हूं

(श्री जयनारायण सालोदिया)

उन्होंने मुझे इस लिए भेजा है कि उनके हितों के लिए आवाज उठाऊं। इसलिए पुरजोर शब्दों में मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूं कि समाज कल्याण का बजट हैं, वह पुनः समाज कल्याण विभाग को दिया तो इससे उन लोगों को सहूलियत मिलेगी। समाज कल्याण विभाग भी जिन आदर्शों से उसे काम करना चाहिए वह नहीं करता, पर अलग अलग विभागों से तो एक विभाग के पास यह काम होगा तो इसमें हमें सहूलियत होगी। हम इन पिछड़ी जातियों के हित के लिए जाकर मिल सकते हैं, शंकाओं का समाधान कर सकते और अपनी सब बात रख सकते हैं, पर एक काम के लिए बीकानेर जावें दूसरे काम के लिए जोधपुर जावें, तीसरे काम के लिए कोटा जाना पड़े तो इसमें बड़ी भारी दिक्कत होती है। इसलिए मैं सरकार से प्रार्थना करता हूं और समाज कल्याण मन्त्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि अगर आप हरिजनों का भला करना चाहते हैं, बजट के पैसों का सदुपयोग करना चाहते हैं तो मैं आप से पुरजोर शब्दों में यही निवेदन करना चाहता हूं कि समाज कल्याण के बजट का पैसा समाज कल्याण विभाग द्वारा खर्च करें तो हम अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन–जाति के लोगों को आराम मिल सकेगा, सुविधाएं मिल सकेंगी। मैं आपसे आशा करता हूं कि आप इस मांग को स्वीकार करेंगे।

श्री अध्यक्ष : मन्त्री महोदय उत्तर दें, उससे पहले मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहूंगा कि इस सदन के समक्ष यह ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है, इसका मन्त्री महोदय उत्तर देंगे, उसके बाद ब्यावर के मिल मजदूरों के सम्बन्ध में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है. इसका उद्योग मन्त्री जी और श्रम मन्त्रीजी उत्तर देंगे, और भी कई मसले हैं जिनके सम्बन्ध में माननीय सदस्यों ने एड्जोर्नमेंट मोशन कालअटेन्शन नोटिस दिये हैं। इस सदन में शुरू में जो विधाई कार्य रखा था उस पर सदन में कार्यवाही नहीं हो रही है, इसलिए हमने स्वयं निर्णय दिया था कि दो विधेयक पारित कर देंगे, तो मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि आज दो विधेयक पारित कर दें, जिस विधेयक पर आधी कार्यवाही हुई है उसे आज पारित कर दें।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : संभव नहीं हो सकता।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : संभव नहीं हो सकेगा। मैं थोड़ा सा निवेदन कर दूं, हम स्वयं भी चाहते हैं कि जो निर्धारित समय है उसी के अनुसार विधेयक पारित करें, पर कॉल अटेन्शन नोटिसेज हैं, एड्जोर्नमेंट मोशन्स हैं, यह सदन का आखिरी सत्र है, इसलिए सदन के माननीय सदस्य थोड़े समय के लिए मिलें हैं तो अपनी बातें रखना चाहेंगे। मेरे पहले ही १२ काल अटेन्शन नोटिस हैं, अभी तो एक ही हुआ है। सदन के समक्ष मोटर विहिकल्स का विधेयक है, औफिशियल लैंग्वेज का बिल, ये महत्वपूर्ण बिल है इनके लिए पूरा दिन चाहिए। इस लिए सभी माननीय सदस्यों की तरफ से निवेदन करता हूं कि यह तीन बिल पास नहीं हो सकेंगे। आप कृपा करके

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

विरोधी दल की भावनाओं की कद्र करेंगे ।

श्री अध्यक्ष : भू-राजस्व विधेयक जिस पर आधी कार्यवाही हुई है उसे आज पास कर लिया जाय....

श्री भैरोंसिंह : टाइम रहा तो करेंगे । आज हाउस के सामने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं । अभी अभी हमें नोटिस मिला है कि ३ ।। बजे बिज़नेस एड्वाज़री कमेटी की मीटिंग है । उसमें विचार कर लिया जायेगा । भू-राजस्व संशोधन विधेयक बड़ा कन्ट्रोवर्शियल विधेयक है इसमें कई कन्ट्रोवर्शियल बातें हैं ।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य ने कन्ट्रोवर्शियल बातों का कहा, पर विधेयक को देखे, यह बिल्कुल कन्ट्रोवर्शियल नहीं है । कई बातें रखीं जो रिलेवेन्ट नहीं थीं । यह विधेयक है इसे निश्चित रूप से पास करें ताकि जो कार्यक्रम आप स्वयं निर्धारित करते हैं, बिजनिस एड्वाइजरी कमेटी उसे निर्धारित करती है, सदन उसे स्वीकार करता है, उसका सतर्कता से पालन कर सकें ।

श्री भैरोंसिंह : अगले सत्र में पूरे सावधान हो कर काम करेंगे ।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य आवश्यक कार्य उठाना चाहते हैं उस पर विचार होगा, पर विधायी कार्य बिल्कुल नहीं हो, इतने दिन हो गये, एक भी क्लाज़ पास नहीं हो सका, यह उचित नहीं । माननीय सदस्यों ने जो पहलू रखे हैं उन पर विचार होगा, फिर विधायी कार्य होगा ।

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, कुछ भ्रम फैलाया जा रहा है कि सदन की कार्यवाही आज शाम तक एड्जोर्न कर दी जायेगी ।

श्री अध्यक्ष : मैं माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि इस तरह का भ्रम फैलाने में सहायक न हों ।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : अध्यक्ष महोदय, हम सहयोग करना चाहते हैं पर जो घटनाएं घटित होती हैं वे आपके और हमारे कन्ट्रोल की नहीं हैं । कोई आवश्यक घटनाएं हो जायें तो इस सदन में चर्चा का विषय बने, यह आवश्यक हो जाता है । इसलिये जो एडजोर्नमेंट मोशन आपके पास आये हैं, उनका सरकार की तरफ से उत्तर होना चाहिए । निर्धारित विधायीकार्य अवश्य कर लेंगे पर अभी काफी समय है । गवर्नमेंट ने कुल तीन बिल दिये हैं, ३० तारीख़ तक इन बिलों को निश्चित रूप से पास करके जायेंगे ।

श्री अध्यक्ष : मन्त्री महोदय ।

श्री अमृतलाल यादव (समाज कल्याण मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव रखते हुए जिन बातों की ओर इशारा किया है, दरअसल भारत सरकार ने शिड्यूल्ड कास्ट्स, शिड्यूल्ड ट्राईब्स और पिछड़ी जातियों के लिए स्पेशल प्रावधान किये हैं, विशेष सुविधाएं हैं, इसको देखते हुए सभी जगह इस कार्य के लिए एक विशेष विभाग अलग मुकर्रर किया गया;

(श्री अमृतलाल यादव)

राजस्थान में भी अलग विभाग है। माननीय सदस्य को यह शिकायत है कि इस विभाग का जो कार्य था वह विभिन्न विभागों में वितरित किया गया है और इस वितरण के कारण जो अपेक्षित लाभ था वह उन वर्गों को नहीं मिल सका है। इस सम्बन्ध में मैं निवेदन करना चाहूँगा कि राजस्थान में डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन अडॉप्ट किया उसके अनुसार केवल समाज कल्याण विभाग का कार्य ही नहीं, अन्य विभागों के भी कार्य पंचायत समितियों, पंचायतों को दिये गये, क्योंकि यह माना गया कि जो स्वायत्त शासन की ओर कदम बढ़ाया जा रहा है, जनता में प्रजातन्त्र की भावनाएं मजबूत हों, उसके लिए अधिक काम कर सकें, इसलिए उनको यह अधिकार दिया गया। यह राजस्थान सरकार की नीति है कि पंचायती राज को मजबूत किया जाय और नागरिक अपनी जिम्मेदारी निबाहने में अच्छी तरह कार्य करें।

जहां तक अस्पृश्यता और पिछड़े वर्गों का सवाल है, इससे कोई इन्कार नहीं कर सकता कि गांवों में यह समस्या है। और

(१. म० प०)

ग्रामीण जनता और गांव के जो लोग जिम्मेदारी निभाते हैं पंच, सरपंच प्रधान, प्रमुख इस दिशा में, उनको कुछ अधिकार दिये जायें और उससे कुछ परिवर्तन आये वहां तो वह स्थाई परिवर्तन होगा। इस ख्याल से उन लोगों की शिक्षा के लिये जो व्यवस्था थी उसमें स्कॉलरशिप से सहायता दी जाय और मकान सहायता वगैरह जितने काम है वह पंचायत समितियों को दिये गये। हायर सेकेन्ड्री और कालेज एजूकेशन के लिये स्कॉलरशिप दी गई और जहां तक छात्रावास का सवाल है उनको समाजकल्याण विभाग के पास सीधी देख रेख में रखा। छात्रवृतियां शिक्षा विभाग को देने का खास ख्याल यह था कि जो लड़के जिस स्कूल में पढ़ते हैं उस हैडमास्टर की ऑथोरिटी उसमें चाहिये और हैडमास्टर का सम्बन्ध शिक्षा विभाग से होता है। यह काम यदि शिक्षा विभाग को सीधा दे देते हैं तो उनके यहां से जल्दी न्यायपूर्वक छात्रवृतियां वितरित हो जायेंगी इस ख्याल से यह उनको दिया गया।

जब से ये अधिकार दिये गये, उनका अनुभव है उसको बहुत संतोषजनक कहा जाय ऐसी कहने की स्थिति में मैं भी नहीं हूँ माननीय सदस्य की बात को मैं मानता हूं। मेरे पास भी शिकायतें आयी हैं कि उन लोगों को वैलफेयर के लिये यह पैसा दिया गया था उसका जैसा होना चाहिये वैसा उपयोग नहीं किया गया और अधिकांश जगह तो बिना उपयोग में आये ही पड़ा रह गया। यह नीति का दोष नहीं है किंतु व्यवस्था का दोष है। माननीय सदस्य को मैं आश्वासन देना चाहता हूं कि पहले हम कोशिश करेंगे कि पंचायत और पंचायत समिति को जो रकम दी जाती है वे उसका उपयोग ठीक प्रकार से करें और उसके विपरीत वे नहीं करेंगी तो राज्य सरकार सोचेगी कि क्या यह रकम पंचायत समितियों के पास वितरण के लिए रखी जाय, जो अधिकार उनको दिये गये हैं वे उनके पास रखे जाएं या समाज कल्याण विभाग को वे अधिकार वापिस दे दिये जायं। इसके बारे में निश्चित रूप से सरकार सोचेगी।

मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि राजस्थान की कुल आबादी का १।४ हिस्सा

(श्री अमृतलाल यादव)

जिसको पिछड़ा हुआ कहा जा सकता है और उसका विकास नहीं हुआ है, यदि उस चौथाई भाग का विकास नहीं होता है तो राजस्थान का सर्वांगीण विकास हुआ है ऐसा नहीं माना जावेगा। मैं यह स्वीकार करता हूं कि इसके लिए बजट कम है और अधिक व्यवस्था होनी चाहिये। लेकिन यह छिपा हुआ नहीं है कि जो राज्य की स्थिति है और आम तौर पर स्थिति है उसको देखते हुए इसको बढ़ाना मुश्किल है। आर्थिक कटौती और चल रही है। इस आर्थिक कटौती के रहते हुए बजट बढ़ाने की बात करना थोड़ा कठिन मालूम पड़ता है। लेकिन मैं यह कह सकता हूं कि बजट में जो योजना है जो पिछड़े हुए वर्ग के लिए उपयोगी है और जिसका रहना नितान्त आवश्यक है उसके लिए प्रयत्न मैं अवश्य करूंगा कि उसकी कटौती न हो सके। लेकिन आम तौर पर कटौती का प्रभाव विभागों पर है। इस विभाग में भी वह हुए बिना नहीं रहेगी। जो व्यवस्था-खर्च है उसमें मितव्ययता करने का हमारा भी फर्ज हो जाता है। जो कुछ भी कोशिश की जाय वह की जाय। जो विकास की बात हैं उसको इस आर्थिक कटौती से कम से कम प्रभावित होना पड़े, उसकी पूरी कोशिश की जावेगी। इतना कहने के पश्चात् मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य को सन्तोष होगा और मैं इसको समाप्त करता हूं।

श्री गोपीलाल गोठवाल (फागी) : यह सोचे जाने का सवाल है। सन् ७० तक रिजर्वेशन खत्म हो जावेगा। जो पैसा दिया गया है उसका कोई उपयोग नहीं हो पाया है। आगे क्या होगा ?

श्री अमृतलाल यादव : यह कहना तो ज्यादती होगी कि जो पंचायत समितियों को रकम दी गई है वह बिल्कुल खर्च नहीं हुई है और उसका दुरुपयोग हुआ है। शिकायतों की बात मैंने कही हैं, उसमें जल्दी सोच कर व्यवस्था की जायेगी।

श्री गोपीलाल गोठवाल : माननीय अध्यक्ष,....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य ! इसमें बहस नहीं हो रही है।

श्री रामकिशन (वैर) : आपने चौथी पंचवर्षीय योजना का प्रारूप प्रस्तुत किया उसमें लिखा है कि जितनी रकम निर्धारित थी उसमें २४ प्रतिशत खर्च हुई है और उसका कारण यह है कि वह रकम पंचायत समितियों को ट्रान्सफर कर दी गई। समाज कल्याण अफसर हैं और जिनके पास बहुत सीमित काम हैं। क्या कारण है कि यह रकम पंचायत समितियों को दे दी गई ? जो लोग चुन कर आते हैं, गरीब लोगों के प्रति सहानुभूति रखना यह उनके मन और व्यवहार के प्रतिकूल है। समाज कल्याण विभाग का खर्चा चल रहा है तो उस रकम को वापिस लेकर चलाया जाय। पहले नतीजा अच्छा निकला है।

श्री अमृतलाल यादव : मुझे इस बात की खुशी है कि एक माननीय सदस्य, वे माननीय सदस्य ही नहीं हैं एक जिला प्रमुख भी है, वे इसको महसूस करते हैं कि पंचायत समितियों को अधिकार दिये गये हैं। वे उनसे वापिस लेने चाहिये। यह एक फन्डामेंटल पॉलिसी की बात है। पंचायत

(श्री अमृतलाल यादव)

समितियों को यह अधिकार यह समझ कर दिये गये थे कि रकम का दुरुपयोग नहीं होगा और ठीक समय पर वितरण हो जावेगी। वे स्वयं मानते हैं तो मुझे इससे बल ही मिलता है और मैं मानता हूं कि आपके अनुभव का लाभ उठा कर इसका जल्दी ही निर्णय करने के लिए प्रयत्न करूंगा।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : सादिकअली कमेटी नें भी सिफारिश की है उसमें भी उन बातों का उल्लेख है।

श्री अध्यक्ष : श्री बिरदाराम।

श्री बिरदाराम फुलवारिया (जालौर) : ७५० रु० मकान के लिए दिया जाता है। ७५० रुपये में मकान नहीं बनता है। गरीब आदमी हैं। घर से मेल नहीं सकते। इसमें थोड़ा सा पैसा बढ़ाया जाय। ताकि एक मकान तो बनें।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, ...

श्री अध्यक्ष : आप स्थान ग्रहण कर लें। मन्त्री महोदय जवाब देंगे और इस पर चर्चा खत्म होगी।

श्री अमृतलाल यादव : ७५० रुपया कम पड़ता है, मैं उसको मानता हूं। कन्स्ट्रक्शन मेटिरियल के काफी भाव बढ़ गये हैं। और इसमें वन-रूम टेनीमेंट्स बनानी पड़ती हैं। हम महसूस करते हैं। हम महसूस करते हैं और कोशिश कर रहे हैं कि इसको एक हजार रुपए तक बढ़ा दें। बाकी जो इनिशिएटिव है, आखिर हरिजन और आदिवासी एक गरीब तबके के हैं और हम अपेक्षा रखते हैं कि उनको माल के लिए रकम हम दे दें लेकिन जो परिश्रम है, उनको स्वयं करना चाहिए। यह नहीं कि कोई पी. डब्ल्यू. डी. या और कोई एजेंसी मकान उनको बनाकर दे दें। हम कोशिश करते हैं कि उनका श्रम होता रहे। उसके बावजूद भी मैं मानता हूं कि ७५०) रु० कम हैं और एक हजार तक यह रकम होनी चाहिए।

(१. ११ म. प.)

मंत्री मण्डल के प्रति अविश्वास प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष : एक प्रस्ताव की सूचना आई है जो निम्नलिखित माननीय सदस्यों ने दी है :

(१) महारावल श्री लक्ष्मणसिंह,

(२) श्री भैरोंसिंह,

(३) श्री उमरावसिंह ढाबरिया,

(४) श्री रामानन्द अग्रवाल,

(५) श्री मुरलीधर व्यास,

यह सूचना हमारी प्रक्रिया तथा कार्य संबंधी नियमावली के नियम १३२ के अंतर्गत है और प्रस्ताव इस प्रकार है :

"यह सदन राजस्थान सरकार के वर्तमान मंत्री-परिषद् में अपना अविश्वास प्रकट करता है।"

(श्री अध्यक्ष)

इस प्रस्ताव के पक्ष में जो माननीय सदस्य हों कृपया अपने स्थान पर खड़े हो जायं।

(स्वामी कुमारानन्द के अतिरिक्त विरोधीपक्ष के सभी माननीय सदस्य खड़े हुए)

यह प्रस्ताव विचारार्थ स्वीकार किया गया।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : स्वामी कुमारानन्द इसलिए नहीं खड़े हुए क्योंकि कानूनी तौर से उनको वोट देने का अधिकार नहीं है।

श्री अध्यक्ष : इस प्रस्ताव पर कब विचार किया जायेगा, इस संबंध में सभी पक्षों से विचार विमर्श करने के बाद तारीख निर्धारित की जायेगी।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : बहस १८ फरवरी तक चलेगी।

(१.११ म. प.)

महालक्ष्मी मिल, ब्यावर में तालाबन्दी के सम्बन्ध में शासकीय वक्तव्य

श्री **अध्यक्ष** : ब्यावर मिल्स के बारे में उद्योग मंत्री अपना वक्तव्य दें।

श्री हरिश्चन्द्र (उद्योग मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, महालक्ष्मी मिल्स कंपनी लिमिटेड ब्यावर, को एक अर्से से आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा था। मैनेजमेंट ने राजस्थान सरकार को वर्किंग कैपिटल एवं रिनोवेशन के लिए आर्थिक सहयोग की दरख्वास्त दी थी।

(१.१२ म. प.)

(राव श्री नारायणसिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

अगस्त १९६५ में मैनेजमेंट ने १० लाख रुपये की वर्किंग कैपीटल की मांग की थी। उन्होंने राजस्थान फाइनेंशियल कारपोरेशन को भी रिनोवेशन के लिए आर्थिक उपलब्धि की दरख्वास्त दी थी। इनके रिप्रेजेन्टेशन्स को राजस्थान सरकार ने गहराई से सोचा कि क्या इनको आर्थिक सहायता दी जा सकती है या नहीं। राजस्थान सरकार ने यह भी निर्णय लिया कि उनकी लोन एप्लीकेशन्स के ऊपर चार-टर्ड एकाऊन्टेन्टस से राय ली जाय कि क्या इनके पास फिक्सड और फ्लोटिंग असेट्स कितने तादाद में हैं जो वह बतौर सिक्योरिटी के सरकार के पास रख सकते हैं? यह निर्णय कार्यान्वित होने से पूर्व मिल मालिकों ने दिनांक १ मई, १९६६ से मिल मजदूरों को ले-आफ करने की कार्यवाही शुरू करदी। इसकी रिपोर्ट कलेक्टर, अजमेर, ने दिनांक २४-५-६६ को भेजी थी। मिल की नाजुक हालत को देखते हुए राजस्थान सरकार ने भारत सरकार को तुरन्त सिफारिश की कि मिल का मैनेजमेंट भारत सरकार अपने हाथ में ले ले। भारत सरकार ने एक ३ सदस्यों की कमेटी की घोषणा दिनांक ८-६-६६ को की। इस कमेटी ने भारत सरकार को हाल ही में अपनी रिपोर्ट पेश की है जिसमें उसने यह बताया है कि मिल की मशीनरी बड़ी पुरानी हो चुकी है और स्क्रेप के योग्य है। कमेटी ने यह भी बताया है कि कम से कम इस मिल को चालू करने में २० लाख रुपये की जरूरत होगी और अगर मॉर्डर्नाइजेशन का प्रोग्राम लिया जाय तो बड़ी तादाद में फाइनेन्सेज की जरूरत पड़ेगी।

Page No. 48

(श्री हरिश्चन्द्र)

बैलेन्स-शीट की जांच करने के बाद कमेटी भी इस राय पर पहुंची कि कम्पनी के पास सिक्योरिटीज इतनी नहीं है जिसके ऊपर मिल को लोन एडवान्स किया जा सके, जब तक आर्थिक उपलब्धि के बारे में सरकार फैसला न करले उस समय तक किसी निर्णय पर पहुंचना मुश्किल है। इस बारे में उद्योग विभाग भारत सरकार से भी आर्थिक उपलब्धि के बारे में और किस तरह यह १,४०० मजदूरों को मजदूरी मिलती रहे विचार विमर्श कर रहा है।

यहां यह कहना जरूरी होगा कि जब तक इस मिल के रिनोवेशन का पूरा प्रोग्राम नहीं हो जाय उस समय तक इस मशीनरी के द्वारा प्रोफिट होना सम्भव नहीं मालूम होता है। यदि मिल को चालू रखना हैं तो मोर्डर्नाइजेशन प्रोग्राम को हाथ में लेना निहायत जरूरी होगा।

श्री भीखाभाई (श्रम मन्त्री) : महा लक्ष्मी मिल्स, ब्यावर, की आर्थिक स्थिति दिसम्बर १९६५, से बिगड़ती चली आ रही थी, इसके बारे में श्रम आयुक्त ने सर्वप्रथम दिनांक १४-१२-१९६५ को राज्य सरकार को सूचना भेजी, जिसमें विशेषत: श्रमिकों के कमाए हुए नवम्बर माह के वेतन आदि का चुकारा न करने के बारे में तथा इन्डेक्स नम्बर के अनुसार महंगाई भत्ता न देने और प्रोवीडेन्ट फण्ड की रकम जमा न करने के प्रश्न थे। राज्य सरकार ने भारत सरकार के श्रम एवं नियोजन विभाग को दिनांक १-२-६६ को इस बारे में सूचना भेजी तथा प्रार्थना की है कि मिल की आर्थिक स्थिति को देखते हुए, वे इन्डस्ट्रीज डेवलपमेंट रेग्यूलेशन्स अधिनियम, १९५१, के अन्तर्गत जांच करवाने तथा मिल का प्रबन्ध सरकार के हाथ में लेने के लिए कार्यवाही करें। दिनांक ७-४-१९६६ को पुन: इस बारे में भारत सरकार को स्मरण-पत्र भेजा गया।

मिल की स्थिति दिन पर दिन बिगड़ती गई हालांकि उनकी कमाई हुई तनख्वाह को वितरण करने के बारे में प्रयत्न किये गए, स्थिति को बिगड़ने से समय समय पर रोका। इसके उपरांत भी दिनांक ३-५ १९६६ से अनिश्चित काल के लिए मिल का ले-ऑफ किया। यह ले-ऑफ अभी भी चालू है। मिल के अन्दर दो पाली से काम लिया जा रहा है। पहली पाली में ६६६ तथा दूसरी पाली में ३२५ श्रमिक कार्य करते हैं। माह जून के अन्दर जिन व्यक्तियों को ले-ऑफ किया गया उनकी संख्या लगभग ८०० के करीब थी। माह जुलाई और अगस्त तथा सितम्बर के माहों में भी ले-ऑफ श्रमिकों की संख्या ८०० तथा ८५० के आस-पास रही।

ले-ऑफ के पश्चात् श्रमिक स्थिति के अन्दर कुछ अन्तर आया। श्रमिकों ने मिल के प्रबन्धकों के निवास स्थान से आगे सामूहिक भूख हड़ताल भी की। अब बारी-बारी से श्रमिकों को भूख हड़ताल पर बिठाया जा रहा है। मिल की बिगड़ती हुई स्थिति को ध्यान में रखते हुए मुख्य मन्त्रीजी ने भी इस बारे में व्यक्तिगत रूप से पहले श्री सजीवयाजी, उद्योग मन्त्री, तथा इसके पश्चात् श्री मनूभाई शाह, वाणिज्य मन्त्री, को मिल को तुरन्त सरकारी

(श्री मीखाभाई)

प्रबन्ध में लेने के अथवा आवश्यक कर्जों की व्यवस्था करने के बारे में पत्र लिखे। जैसा कि उद्योग मन्त्री ने बताया भारत सरकार ने इन्डस्ट्रीज़ डेवलपमेंट रेग्यूलेशन अधिनियम के अन्तर्गत एक इन्क्वायरी कमेटी का गठन कर मिल की आर्थिक स्थिति की जांच कर ली है। इसकी रिपोर्ट जो हमारे राज्य के उद्योग मन्त्री ने आपको बताई उससे सारी स्थिति आपको मालूम हो सकेगी। इस दौरान में श्रम अधिकारी, अजमेर ने जिनके सम्मुख मिल के ले-ऑफ के विवाद को लेकर प्रश्न उठा, समझौता वार्ता असफल होने के कारण अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को भेजी। सरकार ने समझौता अधिकारी की रिपोर्ट पर विचार कर, दिनांक ८-६-१६६६ को सरकारी विज्ञप्ति द्वारा इस विवाद को औद्योगिक न्यायालय के सुपुर्द कर दिया है। रेफरन्स जो इस सम्बन्ध में किया गया है वह ले-ऑफ तथा ले-ऑफ से सम्बन्धित नोटिसों का औचित्य निर्धारित करने के बारे में है।

श्रमिकों की अप्रेल, १६६६ का वेतन तथा महंगाई भत्ते में लिंकिंग की रकम दिसम्बर १६६५ से बकाया है। इस संबंध में फैक्टरिज़ इन्सपेक्टर ने पेमेन्ट ऑफ वेजेज़ ऑथोरिटी के समक्ष क्लेम प्रस्तुत कर दिए हैं। प्रोवीडेन्ट फण्ड की रकम वसूल करने के बारे में भी कानूनी कार्यवाही कर दी गई है।

उपरोक्त कार्यवाही से यह प्रतीत होगा कि सरकार इस मामले में जागरूक है और जो उचित कदम इस बारे में उठाने चाहिए, वह ले चुकी है। यह मामला भारत सरकार के विचाराधीन है, जिसके सम्बन्ध में माननीय उद्योग मन्त्री ने बताया।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय उद्योग मन्त्रीजी ने और श्रम मन्त्रीजी ने उत्तर दिया है उससे यह स्पष्ट करने की कोशिश की है कि मिल किस वजह से बन्द हुई कि उसकी मशीनरी बहुत पुरानी और खराब है और उसके बदले बगैर, बिल्कुल मोडर्न बनाये बगैर मिल को चालू नहीं किया जा सकता। उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह बात तथ्यों से परे है। जहां तक इस मिल की मशीनरी का ताल्लुक है ब्यावर में दूसरी और जो दो मिलें हैं उन दोनों मिलों से इस मिल की मशीनरी नयी है और जो दो मिलें चालू हैं उसके अन्दर महालक्ष्मी मिल की मशीनरी से पहले वहां मशीन लगाई गई थी। वास्तविकता यह है कि इस मिल का बन्द होना मशीनों के पुराने होने के कारण से नहीं, बल्कि वहां पर मेनेजमेन्ट की तरफ से घोटालेबाजी करना, आपस में झगड़े होना और आपस में झगड़े होने की वजह से पैसों को खींचना और लूट खसोट करना यह इसके मुख्य कारण हैं। लेबर टैक्सटाइल यूनियन जो ब्यावर का है उसने इन सारी घटनाओं की सूचना गवर्नमेंट को साल, डेढ़ साल पहले अपने पत्र द्वारा दे दी थी कि इस मिल के मालिक थे उनकी मौत के बाद उनके ३ लड़के और जवांई में आपस में मिल के आधिपत्य के बारे में झगड़े हुए और झगड़े की वजह से इस तरह से उन्होंने गोलमाल करना शुरू किया कि कोयले की खरीद में, कॉटन की खरीद में और स्टोर्स की खरीद में और

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

इन सब चीजों की बेच में हर दृष्टिकोण से बजाय इसके कि मिल के फायदे के लिए यह खरीद और बेच की जाती इन लोगों ने बीच–बीच में अपनी बोगस कम्पनीज़ खोल–कर के उनके जरिये खरीद कर फ्राड्यूलेन्ट पर्चेजेज की गयी हैं और फ्राड्यूलेन्ट सैल्स की गयी हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, इस महालक्ष्मी मिल के लिए जहां पहले डाइरेक्टली पर्चेजेज़ हुआ करती थीं मैन्यूफेक्चरार्स से या कोल की पर्चेज़ डाइरेक्टली जो स्टेन्डर्ड एजेन्ट्स थे उनके जरिये हुआ करती थी इन लोगों ने आपसी झगड़ों की वजह से वहां से पर्चेजेज़ करना बन्द कर दिया और एक फेक Fake परसराम ट्रेडिंग कम्पनी के नाम से फर्म बनायी और जिसके जरिये इन्होंने परचेजेज़ मिल की शुरू कीं, बजाय स्टेन्डर्ड एजेन्ट्स से खरीद के। ऐसे लोकल खरीदना शुरू किया सेकिण्ड ग्रेड और थर्ड ग्रेड का कोल और कोल लिया ६२ रुपये के भाव का और लगाया ८३ के भाव का और जो परसराम ट्रेडिंग कम्पनी थी यह जो इसके जवांई था उस जवांई की यह कम्पनी थी और उसके जरिये खरीदकर मिसमेनेजमेन्ट मिल में होता था।

इसी तरीके से जो कॉटन की खरीद होती थी वह भी इस परसराम ट्रेडिंग कम्पनी के जरिये करते थे और दो नई और फेक फर्मस् बना दी गई जिनके नाम गणेश-दास किस्तुरचन्द और कुन्दनमल हीरालाल थे। इन दो फेक फर्म्स के जरिये कॉटन की पर्चेजेज़ होती थीं और यह परचेज़ भी परसराम ट्रेडिंग कम्पनी करती थी। लेकिन यह दोनों फर्म्स भी इनके जवांई की फर्म्स थीं और फेक नाम से थीं और गणेशदास किस्तूरचन्द फर्म ने सिवाय परसराम ट्रेडिंग कम्पनी के कॉटन की सैल और किसी को नहीं की और जो भी कॉटन खरीदी जाती थी वह भी थर्ड स्टेपल क्वालिटी की होती थी और महंगी होती थी।

इसी तरीके से सैल करने के लिए वह कपड़ा जो यह मिल बनाती थी उसके लिए एक फेक फर्म बनाई हुई थी उसका नाम था महावीर ट्रेडिंग कम्पनी जो भी महालक्ष्मी मिल की सैल होती थी वह महावीर ट्रेडिंग कम्पनी के जरिये होती थी और उसका फायदा भी जवांई और लड़के लोग लेते थे और जो वास्तविक कीमत होती थी उससे कम रेट पर खरीदते थे और उससे ज्यादा रेट पर बेचते थे। इस तरीके से इस मिल के अन्दर पूरी तरह से तमाम शेयरहोल्डर्स का मिल के इन्टरेस्ट को मद्देनजर नहीं रखकर लूटखसोट इसमें मची हुई थी और वह गवर्नमेंट को लेबर ने इस बात का ध्यान दिलाया कि यह जो लूटखसोट मची हुई है इसमें गवर्नमेंट को इन्टरवीन करना चाहिये वर्ना एक दिन मिल बन्द हो जायेगी।

उपाध्यक्ष महोदय, यहां तक कि कोल की खर्च को कम करने के लिए एक मशीन इकोनोमाइज़र होती है जो कि तीन–चार हजार में आती है। इस परसराम ट्रेडिंग कम्पनी के जरिये ३–४ हजार की मशीन ३४ हजार के अन्दर खरीदी गयी और वह भी अच्छी हालत में नहीं और फिर उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट कराया गया जिसके ऊपर ४० हजार रुपया खर्चा आया और अब तक

Page No. 51

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

उस पर ६० हजार रुपया बैठ चुका है। इस तरह से जो चीज ३–४ हजार की आयी उस पर ४०–४० हजार रुपया खर्च किया जाये, कहां तक उचित है ? उपाध्यक्ष महोदय, मिल का बन्द होने का यह कारण हुआ कि जो मिल का कैपीटल था जो कॉटन की खरीद के लिए रखा गया था लेकिन उससे कॉटन नहीं खरीदी और उसको अलग की अलग लेकर चम्पत बने और इस तरह से कॉटन की खरीद नहीं हुई और डिपार्टमेंट बन्द हो गया। स्टोर्स नहीं खरीदे गये, साइजिंग डिपार्टमेंट बन्द रहा तो मिल को नुकसान हुआ। इस तरह से इस मिल के अन्दर घाटा नहीं हुआ, इस वजह से अर्थ व्यवस्था खराब नहीं हुई कि उसकी मशीनरी खराब थी या स्क्रेप थी या ऐसी थी जो कि बिल्कुल नाकारा थी। वह पुरानी जरूर थी उससे इन्कार नहीं किया जा सकता, लेकिन इससे भी पुरानी पुरानी मशीनें काम कर रही हैं, वह फैक्टरीज अभी तक काम कर रही हैं, गवर्नमेंट ने अपने हाथों में लेकर उनको चलाया है और आज भी चल रही हैं। इसलिए वह दलील जो गवर्नमेंट आज दे रही कि मशीन खराब होने की वजह से नहीं चल सकी, यह कारण नहीं है।

इसलिए, उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वास्तव में गवर्नमेंट ने जो वक्त के ऊपर एक्शन नहीं लिया और जो लेबर टैक्सटाइल यूनियन ने वक्त पर गवर्नमेंट को सूचना दे दी थी और गवर्नमेंट को इन्टरवीन करना चाहिये था और मिल को अपने हाथ में लेकर इस तरह की बदइन्तजामी से रोकते, गवर्नमेंट के ऐसा नहीं करने की वजह से गड़बड़ हुई है।

मिल के ऊपर प्रोवीडेण्ट फण्ड का २ लाख रुपया चढ़ गया और मजदूरों ने इसके लिए भी कहा कि मिल मालिक प्रोवीडेण्ट फण्ड का शेयर जमा नहीं करा रहे हैं फिर भी गवर्नमेंट ने कोई एक्शन नहीं लिया, मजदूरों के हितों की सुरक्षा नहीं की और यह स्थिति लगातार जारी रही और प्रोवीडेण्ट फण्ड का अटेचमेंट हुआ तब मिल बन्द हुई है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि इस तरीके से १॥ साल पहले लगातार यह घटनायें हुई और गवर्नमेंट ने एक्शन नहीं लिया और उसके फलस्वरूप ३ मई, ६६ को यह मिल बन्द हुई। अब ३ मई, ६६ के बाद गवर्नमेंट की तरफ से, श्रम विभाग की तरफ से जो मजदूरों के प्रति दृष्टिकोण अपनाया जा रहा है वह कोरे कागजी दृष्टिकोण हैं, फॉर्मल दृष्टिकोण हैं, औपचारिक दृष्टिकोण हैं और अमली तौर से मजदूरों को राहत मिले उसकी तरफ ध्यान नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, मजदूर उस क्षेत्र के हैं जहां अकाल की जैसी स्थिति है, खेती–बाड़ी की स्थिति नहीं हैं, वहां सरकार को रिलफ कार्य खोलने पड़े हैं। अकाल होने की वजह से रोजगार नहीं है और ऐसी हालत में मिल का बन्द हो जाना, अप्रेल में जो मजदूरों ने काम किया उसकी भी पगार आज तक नहीं मिलना, दिसम्बर से मई तक का उनको इन्डेक्स नम्बरमें जो इम्प्रूवमेन्ट हुआ उसका पैसा नहीं मिलना और मई से आज तक जो उनका ५० परसेन्ट वेजेज ले–ऑफ के दिनों की मिलनी चाहिए वह नहीं मिलना और उसके बारे में गवर्नमेंट की तरफ से कोरे कागजी घोड़े दौड़ाने के अलावा और कोई कदम

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

आज तक नहीं उठाया गया। मन्त्री महोदय खुद अपने बयान में नहीं बता पाये हैं कि उन्होंने किसी भी तरीके से मजदूरों को अप्रेल की तनख्वाह दिलवाई है या ले–ऑफ का पैसा दिलवाया है।

यहां तक हालत है कि मजदूर प्रोविडेण्ट फण्ड के अगेन्स्ट में अगर लोन लेना चाहता है तो डाइरेक्टर उसमें रोड़े अटकाता रहता है। तो मजदूरों का आज चारों तरफ से रास्ता बन्द है।

इधर मिल बन्द होने से उसे आज पैसा नहीं मिल रहा है, पुरानी तनख्वाह का पैसा रुक गया है, वह भी नहीं मिल रहा है, प्रोविडेण्ट फण्ड के अगेन्स्ट में लोन भी नहीं मिल रहा, उधर गांवों में बेकारी है, अकाल है भुखमरी है ऐसी स्थिति में भुखमरी के शिकन्जे में आज मजदूर जकड़ गया है।

इन सब परिस्थितियों से मजबूर होकर मजदूरों ने एस. डी. एम. ब्यावर के सामने १२ घंटे का धरना देने का तय किया है। अगर सरकार ने अब भी इस समस्या को सुलझाने की कोशिश नहीं की तो मजबूर होकर मजदूरों को आगे और कदम उठाने पड़ेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, इसका एक मात्र हल यही है कि सरकार इस मिल को अपने हाथ में ले ले और इसमें पैसा लगाकर इसे चलावे। अगर सरकार इसमें थोड़ा कैपिटल इन्वेस्ट करे तो मेरी यह निश्चित मान्यता है कि यह मिल धीरे धीरे अच्छी तरह से चलाई जा सकती है, थोड़ा बहुत रिनोवेशन करने की जरूरत है। इससे १३०० मजदूरों की बेकारी दूर हो सकती है और हरेक की औसत पांच आदमियों की फेमिली का अनुमान लगाएं तो सात हजार आदमियों को रोजी रोटी आप दे सकते हैं। नहीं तो ये सात हजार आदमी आज बेकार होकर दुर्दशा की हालत में पहुंच जायेंगे।

जब तक सरकार इसे अपने हाथ में लेने का प्रबन्ध करे, तब तक बीच में फौरन मजदूरों की तनख्वाह दिलवाने का प्रयत्न करें। जो पैसा अब तक का मिल मालिक पर चढ़ा हुआ है वह नहीं दिलाने की कोई वजह नहीं है। श्रम मन्त्री महोदय और मुख्य मन्त्री महोदय परसनल इन्फ्लुएन्स का प्रयोग करके यह चढ़ा हुआ पैसा तो कम से कम दिलवायें ताकि उनके घरों में चूल्हे जल सकें। वरना आज तो भुखमरी की स्थिति है। वरना तो 'तंग आयद जंग आयद' है।

मैं उम्मीद करता हूं कि सरकार इस पर गहराई से सोच-विचार कर जवाब देगी और उनकी बढ़ी हुई तनख्वाह का पैसा और ले-ऑफ का पैसा दिलवाने की फौरन कोशिश करेगी, उन कोशिशों के लिये उठाये जाने वाले कदमों की घोषणा करेगी और इसका मन्त्री महोदय सदन को आश्वासन भी देंगे।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, यह विषय कोई नया नहीं है। राजस्थान में कई मिलों में ऐसी स्थिति पैदा हुई और सरकार ने उस स्थिति को ठीक करने के लिये उन मिलों का प्रबन्ध अपने हाथ में भी लिया है और स्थिति बहुत सुधरी भी है।

Page No. 53

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

यही कदम अगर सरकार इस मामले में नहीं उठाती है तो स्थिति बिगड़ेगी, आज कैपिटलिस्ट, मिल मालिक अगर किसी मिल से अपना हाथ निकालना चाहता है तो कई फर्जी कम्पनियां बनाकर कई रास्तों से इस तरह से पैसा निकाल कर उसे टूटी फूटी हालत में छोड देता है कि सरकार और दूसरा कोई आसानी से उसे ठीक नहीं कर सकता। पर ऐसा होता क्यों है ?

क्या सरकार ने कानून नहीं बना रक्खे? प्रोविडेण्ट फण्ड तक का पैसा मिल मालिक खा जाता है, तो क्या इसके बारे में सरकार ने कानून कायदे नहीं बना रक्खे ? क्या पेमेंट ऑफ मिनिमम वेजेज का कानून नहीं है ? क्या इसको देखने भालने वाला आपका श्रम विभाग नहीं है ? क्या श्रम विभाग के पास इसका कोई हथियार नहीं है जिससे वह मिल मालिक को प्रोविडेण्ट फण्ड का पैसा खाने से रोक सके और इस मामले में मजदूरों की रक्षा कर सके ? सब कुछ है, पर श्रम विभाग सोता रहता है, सरकार के कानून पड़े रहते हैं, कागजी कार्यवाही चलती रहती है अनमने मन से। इस तरह से मिल मालिक मजदूरों की तनख्वाह का पैसा और प्रोविडेंट का रुपया भी खाकर हजम कर चुकता है तब पता लगता है।

आपको याद रखना चाहिये कि मजदूर एक जगह भूखों नहीं बैठा रहेगा। मिल मालिक उसकी हालत अच्छी तरह जानता है, वह जानता है पैसा हडप कर जाना और मजदूरों को इधर उधर बिखेर देना। भूखा नंगा मजदूर मजबूरन दूसरी जगह काम पर जावेगा, अहमदाबाद, बम्बई में जाकर अपनी रोजी रोटी तलाश करेगा। तो यह मिल मालिक का षडयन्त्र है पैसा हजम कर जाने का।

आज सरकार का एक विभाग रिपोर्ट देता है कि यह मिल सरकार को हाथ में लेने से घाटा रहेगा। एडवर्ड मिल के बारे में भी इसी तरह की रिपोर्ट थी। हालांकि वह मिल १६०६ में लगी थी और यह तो १६२१ में लगी है। तो इसकी सही सही रिपोर्ट ली जावे। एडवर्ड मिल आज ठीक चल रही है तो कोई कारण नहीं कि उसके बाद लगी यह मिल ठीक तरह से नहीं चले।

ब्यावर की स्थिति को देखते हुए मैं सरकार को कहना चाहता हूं कि इस तरह से आज देश के अन्दर जो स्थितियाँ पैदा हो रही हैं उन्हें देखें और सही तरह से उनका मुकाबला करें। नहीं तो, 'बुभुक्षितः किं न करोति पापम्'। मजदूर बेजार होकर हालत को और खराब कर देगा। आपको संभालना मुश्किल हो जावेगा।

आज ऐसी हालत में सरकार को चाहिए कि वह इन मजदूरों को इन केपिटलिस्टों का शिकार नहीं बनने दें। आज इन केपिटलिस्टों के हाथ बहुत लम्बे हैं, बहुत पैसा है, उसके जोर पर वह आपके कानूनों को और आपके विभागों को पंगु बना सकता है। नहीं तो क्या जब मजदूर बराबर सरकार को बता रहे हैं कि यह आदमी इस तरह से इस मिल पैसा बोगस कम्पनियां बनाकर हड़प करता चला जा रहा है। प्रोविडेण्ट फन्ड का पैसा नियमानुसार बैंक में जमा नहीं करवा रहा है, वह भी खाता चला जा रहा है, तो क्या आपकी कम्पनीज रजिस्ट्रार का

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

दफ्तर आपको खबर नहीं कर सकता था ? कम्पनीज़ एक्ट बना है । कानून में यह है कि दस तारीख तक अगर मिल मालिक वेजिज डियरनैस अलाउन्स आदि न दे तो उस का चालान हो सकता है । प्रोविडेण्ट फण्ड का पैसा वह नियमानुसार बैंक में जमा कराए अब आप देखिये कि आपके दिमाग ने क्या किया ?

तो एक तरफ तो यह स्थिति हो आप के विभाग आपके दफ्तर मिल मालिक के षडयन्त्र की ओर से आंख बन्द करके पड़े रहें, अपने कर्त्तव्य के प्रति लापरवाह रहें, उधर मजदूर भूखों मरने की स्थिति में पंहुच जाय और फिर आप कहें कि धरना देने के लिए कलेक्टर के दफ्तर में वह न जावे, अमन रक्खे शान्ति रक्खे तो यह कहां तक हो सकता है ? यह गलत है । सरकार अपना रवैया स्वयं बदले ।

मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपको मालूम है, प्रोविडेण्ट का कितना रुपया है ? पांच लाख है । इस पांच लाख की गारन्टी लेकर आप इस मिल को मजदूरों के नाम कर दीजिये । चन्दा करके हम चला लेंगे इसे, सरकार स्वयं हाथ में ले नहीं तो । प्राइवेट सेक्टर में इस तरह की चलने वाली चीजों को अब बर्दाश्त न करे सरकार । एक आदमी की १३०० आदमियों को भूखों मारने की कॉन्सपिरेसी सरकार नहीं चलने दे अब ।

आज सरकार उस पर कब्जा करे और नहीं तो मजदूरों को उनका चढ़ा हुआ वेतन और पी० एफ० का पैसा उसकी मालिक की प्रॉपर्टी को जब्त करके उससे दिलवायें या मिल को कोआपरेटिव के आधार पर मजदूरों के नाम पर कर दे । आज मिल मालिक षडयन्त्र कर रहा है और उनको हाई कोर्ट और सूप्रीम कोर्ट तक जाने को मजबूर करके उनको परेशान करना चाहता है । कानून के मातहत मजदूरों [illegible] पांच लाख का पी० एफ० का पैसा म[illegible] नहीं दबा सकता । आज उसका पी० [illegible] का पैसा डूब रहा है, आपकी नाक [illegible] ने है । वह बैंक में जमा कराने की रसीद [illegible]पको नहीं देता जब कि कानून के [illegible] से देना चाहिये । आपके श्रमविभाग [illegible]पर-वाही है । वह सोता रहता है, [illegible] नोटिस नहीं लेता । तो आप आज अपना [illegible]निस्ट्रेटर मुकर्रर करके मिल अपने हाथ में लीजिये । पांच लाख के घाटे तक मजदूरों की गारन्टी है । लॉ एण्ड ऑर्डर के [illegible] इन्टरेस्ट में भी आपको यह करना चाहिए । [illegible] एण्ड ऑर्डर के इन्टरेस्ट में मैं आपको [illegible] कहना चाहता हूं ।

आज जिस तरह की स्थिति [illegible] राज-स्थान में बन रही हैं, टोंक में जो [illegible] बनी, अजमेर, जहां दो हजार आदमी [illegible] के घेरे को तोड़ कर चले जावें, अखबारों पर हमले हो रहे हैं तो जो स्थितियां जिस तरह की बन रही हैं, उसमें यह स्थिति आग में घी का काम देगी । आपको इन स्थितियों का सामना करना पड़ेगा ।

यह सरकार किसान मजदूरों की है । कांग्रेसी सिद्धान्तों की सरकार है उसको तुरन्त कदम उठाकर इस स्थिति को रोकना चाहिये । मजदूर कोई आपकी मेहरबानी नहीं चाहते, वे अपने पांच लाख की वापसी

Page No. 55

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

चाहते हैं। इन शब्दों के साथ जोरदार ढंग से मैं सरकार से अपील करता हूँ कि इस मिल को सरकार अपने हाथ में लेकर इसका काम जोरदार ढंग से चलावे।

श्री उपाध्यक्ष : इस विषय में मैं समझता हूँ कि बहस की आवश्यकता नहीं है। स्पष्टीकरण के लिये भले ही पूछ लें। पर इसके पहले माननीय मन्त्री कुछ कह दें तो ठीक है, ताकि हमें कुछ और तथ्य मालूम पड़ सकें।

इस विषय में माननीय मन्त्री खास तौर से इस बात पर प्रकाश डालें कि इस तरह की गम्भीर स्थिति होते हुए किस प्रकार से पी० एफ० के प्रश्न को सरकार हल करना चाहती है या उसको टेक-ओवर करने का क्या तरीका सोच रही है? इस पर विशेष प्रकाश डालेंगे तो और भी माननीय सदस्यों को आगे अपने विचार प्रकट करने में मदद मिलेगी।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, और भी मिलों को सरकार ने टेक ओवर किया है।

श्री उपाध्यक्ष : मन्त्री कह दे। फिर····

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : जैसे भीलवाड़ा की मेवाड़ टैक्सटाइल मिल है उस की भी हालत इस जैसी ही हो गई थी।

पर जैसा श्रम विभाग वाले कहते हैं कि आज भी उन मजदूरों का पैसा मालिक में बाकी है और मुकदमे मजदूरों के मालिक पर चल रहे हैं। अब सरकार ने मिल टेक ओवर किया मेवाड़ टैक्सटाइल, तो कानून लगा दिया कि कोई मजदूर अपनी डिमाण्ड के बारे में इस मिल के अगेन्स्ट कानून का सहारा नहीं ले सकेगा। नतीजा यह हुआ कि सैकड़ों मजदूर उस मेवाड़ टैक्सटाइल के जो पांच साल तक बैठे रहे और जिनका काफी रुपया अपनी मजदूरी का मिल में बकाया था उसका बेनिफिट उनको नहीं मिला और उनको मिल से निकाल दिया गया। उनकी आज भी तनख्वाह और एरियर बाकी है और भी बहुत सी चीजें बाकी हैं। तो आज वही गलती यहां भी रिपीट न हो तो इसका भी ध्यान रखा जाय।

श्री उपाध्यक्ष : After take over ?

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : जी हां, आफ्टर टेक ओवर भी उनका पहले का बकाया अभी नहीं मिला है।

तो मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि सरकार टेक ओवर इसे करना चाहे तो पहले का आज दिन तक का बाकी जो मजदूरों का रह गया है वह मिल मालिक से दिलवाया जाना चाहिये। इसके बाद आप टेक ओवर करिये और फिर चलाइये। मजदूरों की पहले के बकाया की हानि इस मामले में नहीं होनी चाहिये। आप टेक ओवर कर लें और वे बिचारे अपने पहले के बकाया की वसूली में वैसे ही लटकते रहें। एक बार मजदूर भुगत चुके हैं आगे से वे सावधान रहना चाहते हैं।

एक बात मैं और अर्ज करना चाहता हूँ, उपाध्यक्ष महोदय, और खास तौर से उद्योग मन्त्रीजी से कि राजस्थान में एक तरफ

(श्री उमरावसिंह ढाबरिया)

तो इन्डस्ट्रियलाइजेशन बढ़ता जा रहा है नये सिरे से, पर पुरानी इन्डस्ट्रियां बन्द होती जा रही हैं, जैसे किशनगढ़ का मिल ले लीजिये, ब्यावर और भीलवाड़ा के मिल ले लीजिये। विजयनगर का बंद होने जा रहा है तो इसका कारण क्या है ? इस पर भी आप सोचें।

मिलों में काम करने वाले मजदूर एक के बाद दूसरे बेकार होते जा रहे हैं। इस पर भी सरकार को अपनी पॉलिसी बनानी चाहिये और सारी मिलें जो बन्द हो चुकी हैं उनको अपने हाथ में लेकर भी सरकार अगर चलाना चाहती है तो इसकी एक पूरी योजना बनावे और फिर उन सबको हाथ में लेकर चलावे।

श्री गिरधारी लाल व्यास (आसीन्द) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने अभी मेवाड़ टैक्सटाइल्स का जिक्र किया और जानकारी के अभाव में बताया कि टेक ओवर करने के बाद में मजदूरों के साथ अन्याय हुआ और उनका पहले का बकाया नहीं दिया गया। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मिल के टेक ओवर होने के बाद में जिन जिन मजदूरों का पहले का बकाया था, पी. एफ. का बकाया था वह सब देकर और भी औद्योगिक विवाद मालिक मजदूरों के बीच थे उन सबको सैटल करके सब रुपया मजदूरों को चुकाया गया है और इसके बाद में वर्क लोड स्थापित करके मेवाड़ टैक्सटाइल मिल चलाई गई है।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : उपाध्यक्ष महोदय, इनको जानकारी नहीं है। अब भी जो ट्रिब्यूनल कानून खत्म हो गया है तो इसलिये मजदूर कोर्ट के सामने जा रहे हैं अपनी बकाया वसूली के लिये और ये पैरवी कर रहे हैं और आई. एन. टी. यू. सी. के होकर मजदूरों की खिलाफत करते हैं।

श्री गिरधारीलाल व्यास : आप सदन में गलत बात कहते हैं।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : आप कहते हैं गलत, आपके दिमाग में गोबर भरा है। गोबर है गोबर।

श्री गिरधारीलाल व्यास : ट्रिब्यूनल को जो केस रेफर हुए उनका भी हिसाब हुआ।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : इस चापलूसी के कारण आज फिर यह मिल लॉस में जा रही है सारी की सारी।

श्री उपाध्यक्ष : आपको स्टेटमेन्ट पर संक्षेप में जो पूछना हो वह पूछ ले केवल। यह वादविवाद न करें।

श्री गिरधारीलाल व्यास : इसके सम्बन्ध में तो, उपाध्यक्ष महोदय, यही निवेदन करना है कि मिल मालिक ने जिस प्रकार से गलत कार्यवाही करके गलत तरीकों से मिल का सारा पैसा हड़प किया है, मजदूरों का पी. एफ. का पैसा हड़प किया है, और मजदूरों के साथ जो अन्याय किया है और खोटी कम्पनियां बना कर जो गड़बड़ियां की है, उन सबके बारे में सरकार पूरी पूरी छानबीन करे, जांच करे और जिसकी गलती पाई जावे उसके बारे में सख्त से सख्त एक्शन ले।

(श्री गिरधारीलाल व्यास)

दूसरा निवेदन यह करना है कि जो टेक ग्रोवर का प्रश्न चल रहा है, उसके बारे में जिस कमेटी की रिपोर्ट का जिक्र किया गया कि उसकी मशीनरी स्क्रेप हो गई है, इसलिये यह चलने वाली नहीं है, तो उसके बारे में निवेदन करना हूं चाहता कि इस प्रकार की स्थितियां कई मिलों में आई हैं और खास तौर से मेवाड़ टेक्सटाइल मिल भीलवाड़ा में भी आई हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आप केवल स्टेटमेन्ट के विषय में ही कोई स्पष्टीकरण लेना चाहें या सजेशन देना चाहें वह लें या दें, बाकी का जिक्र न करें।

श्री गिरधारीलाल व्यास : पर टेक ओवर करने के बाद स्क्रेप मशीनों का सवाल तो दूर रहा, वह नफे में चली। इसी तरह से व्यावर की इस लक्ष्मी मिल को भी सरकार टेक ओवर करे तो इस प्रकार की समस्या पैदा नहीं होगी।

साथ ही मजदूरों का जो प्रोवीडेन्ट फण्ड का पैसा जमा है या जो वेतन आदि बकाया है उसको बतौर सिक्योरिटी मानकर उसमें सरकार और फाइनेन्स की व्यवस्था करे ताकि मिल बन्द न हो और १३०० मजदूरों की बेकारी की समस्या का हल निकल सके। इन पर सात हजार व्यक्तियों की रोजी रोटी निर्भर है। उनकी समस्या किसी तरह से हल हो, यह विचारणीय प्रश्न है। सरकार जल्दी से जल्दी इसे टेक ओवर करे। इतना ही मुझे निवेदन करना है।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा (मांडल) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपने जो बताया उसी की बात बताता हूं।

श्री श्रवणलाल (हिन्डौन–सु०) : उपाध्यक्ष महोदय,........ ...

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे आपने आज्ञा दी है।

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : इसकी मशीनरी खराब है, यह चल नहीं पावेगी यह तथ्य सही नहीं है। वहां पर एडवर्ड मिल है, जिसको सरकार ने अपने हाथ में लिया और अच्छी तरह चलाकर बताया। वह मिल इससे भी अधिक पुरानी थी, १६०६ में बनी थी, जब कि लक्ष्मी मिल १६२२ में बनी हुई है। तो यह बिल्कुल ही खराब हो गई, ऐसी बात नहीं है।

मामला इसमें यह है कि मालिक लोगों में से एक भी जाकर मिल को देखते नहीं है। तीन–चार भाई हैं वे। रूई खरीदी जावे तो पैसा कैसे बीच में खाया जावे यह उनका ध्यान रहता है। उसमें जो भी कमा लें वे और जो भी जिसके हाथ में पड़ जावे वे खा जाते हैं। इसी तरह और सामान की खरीद में है।

अब राष्ट्रीय मिल मजदूर संघ की तरफ से यह बात सरकार को बराबर लिखी जाती रही हैं कि मालिक इस इस तरह से कर रहा है और मजदूरों के साथ इस तरह से ज्यादती कर रहा है, इस तरह से बेईमानी कर रहा है। इतने दिन लिखे हो गये, पर सरकार ने आज तक क्यों नहीं कोई कार्यवाही की ? यह प्रश्न है।

अगर गवर्नमेंट पहले कार्यवाही कर लेती तो आज यह मुश्किल हमारे सामने नहीं

(श्री गोकुलप्रसाद शर्मा)

आती। प्रोविडेण्ट फण्ड का पैसा उसमें बाकी है। हर महीने मजदूरों का पैसा प्रोविडेण्ट फण्ड के नाम पर काटा गया और मालिक को चाहिए था कि वह उसमें अपना शेयर मिला कर सरकार के पास उसी महीने में जमा करा दे। लेकिन मजदूरों का पैसा तो मालिक ने काटा ही और उस पैसे को भी अपने पास रख लिया, इसके अलावा मालिक ने अपने शेयर का पैसा भी उसमें नहीं मिलाया और अपने शेयर का पैसा अपने पास ही रख लिया। दोनों ही पैसे मालिक ने अपने पास रख लिए। अब मालिक कहता है कि उसकी हालत खराब है, पैसा जमा नहीं करा सकता। जब प्रोविडेण्ट फण्ड का पैसा, मजदूरों का पैसा, मालिक ने रख लिया तो उस पर अटैचमेंट करवाया गया तो फिर मालिक को एक बहाना मिल गया कि हमारा तो रॉ-मेटिरियल ही, रनिंग मैटिरियल ही अटैच हो गया तो फिर अब हम काम कैसे चला सकते हैं ? मालिक को मिल बन्द करने का बहाना मिल गया। वहां पर ले-ऑफ चला। एक मई से ले-ऑफ चला। एक मई कोई आज कल की बात नहीं है, एक मई को महीनों हो गए हैं। मजदूर घर बैठा हुआ है। उसको ले-ऑफ का पैसा नहीं मिला है, उसे घर बैठे रहने का पैसा नहीं मिला है और उसके प्रोविडेंट फन्ड का पैसा भी मालिक ने रख लिया है। आप इस मिल को पांच लाख की मिल मानते हैं, पांच लाख तो मजदूरों का पैसा उसमें बाकी है। आपको टेक ओवर करने में क्या मुश्किल थी ? भीलवाड़ा टेक्सटाईल मिल को....

श्री उपाध्यक्ष : आप केवल इसी विषय पर बोलें।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : मैं तो इसी पॉइन्ट पर बोल रहा हूँ। भीलवाड़ा का नाम ले लिया तो आपको आपत्ति हो गई लेकिन दूसरे माननीय सदस्य का तो पूरा वक्तव्य ही भीलवाड़ा पर हुआ है। वहां पर भी ऐसी हालत हुई थी और सरकार ने उसे अपने हाथ में लिया और सरकार आज उसे अच्छी तरह से चला रही है अच्छी तरह से पैसा भी कमाया है। ५४) रुपये से आज डयेढी तनख्वाहें वहां पर हो गई हैं। वही हालत ब्यावर में भी हो सकती है। हो सकता है कि उनकी वहां पर यूनियन चलती हो, लेकिन वहां पर १३०० मेम्बरों वाली यूनियन है। मैं यह नहीं कहता कि ब्यावर की इस महालक्ष्मी मिल में हमारे रामानन्द जी की जो यूनियन चल रही है उसमें कोई पार्टीबाजी की बात है। उसमें हमारी पार्टी के भी मेम्बर हैं हमारी मेम्बर शिप भी है और हमने भी गवर्नमेंट को लिखा है कि इसको टेक ओवर कर लिया जाय। मजदूरों के बारे में हमारे में और उनमें कोई झगड़ा नहीं है। झगड़ा है तो सिद्धान्तों का झगड़ा है। हमारे लेबर मिनिस्टर साहब कहते हैं कि मामला ट्रिब्यूनल में दे दिया गया है। ट्रिब्यूनल का फैसला बरसों में होगा, तब तक मजदूर भूखों नहीं बैठे रह सकते, अगर भूखे लोगों ने गड़बड़ कर दी तो उसकी जिम्मेदारी आपकी होगी। आपकी ट्रिब्यूनल को फैसला करने में महीनों ही नहीं सालों लग सकते हैं, मिल को मालिक ने मई से बन्द कर रखा है, मजदूर मई से भूखों बैठे हुए हैं और अब जाकर अगर वे धरना लगाते हैं, कलेक्टर के ऑफिस को घेरते हैं

(श्री गोकुलप्रसाद शर्मा)

और किसी प्रकार की घटना हो जाती है तो उसकी जिम्मेदारी मजदूरों की नहीं मानी जाएगी बल्कि लेबर विभाग की मानी जाएगी। यह माना जाएगा कि आपने इस बारे में कोई काम नहीं किया है। आप चाहें तो इसको आप किसी भी समय टेक ओवर कर सकते हैं। अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो रातों-रात दिल्ली जाकर भारत सरकार पर यह दबाव डालें कि आप इस मिल को अपने कब्जे में ले लें। आप पांच छः लाख की मिल की बात करते हैं, लाखों रुपयों की तो इसकी जमीनें हैं। आपने गंगानगर शुगर मिल को पैसा दिलवाया, वहां पर लाखों रुपयों का खर्चा हो रहा है, लेकिन यहां आप कहते हैं कि आपके पास पैसा नहीं है। इसलिए मैं आपसे अर्ज करूंगा कि आप इस मिल को अपने हाथ में लीजिए, इसका मैनेजमेंट हाथ में लेकर ठीक तरह से चलाइए ताकि जो १३०० मजदूर बेकार बैठे हुए हैं उनका भला हो। मैं श्रम मन्त्रीजी से इस बारे में कहूंगा....

(समय-समाप्ति-सूचक-घण्टी)

कि आप इस मामले को कल पर न छोड़ कर रात को ही दिल्ली जाकर प्रयास करें। आपके रातों रात आर्डिनेंस निकल सकते हैं, एक नहीं चार चार आर्डिनेंस आपके रातों-रात निकल सकते हैं,

(समय-समाप्ति-सूचक-घण्टी)

लेकिन इसमें आप कुछ नहीं कर सकते तो फिर मजदूर भूखे मरते कोई वारदात कर डालें तो उसकी सारी जिम्मेदारी गवर्नमेंट की होगी।

(समय-समाप्ति-सूचक-घण्टी)

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज !

श्री हरिप्रसाद शर्मा (पाटन) : उपाध्यक्ष महोदय, इस ...

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज !

श्री हरिप्रसाद शर्मा : केवल स्पष्टीकरण के लिए एक बात अर्ज करना चाहता हूं। इस ब्यावर मिल के मालिक के कारनामों और काले चिट्ठे की चर्चा इस सदन में एक बार नहीं अनेक बार हो चुकी है। चाहे रूई की खरीद का मामला हो, चाहे मजदूरों के बारे में कोई बात हो, यह बराबर सरकार के सामने आता रहा है कि इस मिल का मालिक किस तरह से काम कर रहा है। और यह सबसे बड़ा गम्भीर मामला, उपाध्यक्ष महोदय, सामने आया है जब कि मिल बन्द हो जाय और मजदूर भूखों मरते रहें और महीनों भूखों मरते बेकार बैठे रहें और हमारी निकम्मी सरकार सोती रहे। आज सारे देश में, सारे प्रदेश के अन्दर हमारी सरकार और इन पूंजीपतियों की सांठ-गांठ हो गई, इससे सारे मजदूर भयभीत हैं। यह तो ठीक है कि यह ब्यावर का मामला है, ब्यावर के मजदूर परेशान हैं। मैं श्रम मन्त्री जी से यह जानना चाहता हूं कि मिल मालिक मजदूरों का प्रोविडेंट फण्ड का पैसा दबा कर बैठ गया जिसका कि उसको कोई अधिकार नहीं था। मालिकों ने मजदूरों का

(श्री हरिप्रसाद शर्मा)

गला काटा और आपकी सरकार ने उसके गले को क्यों नहीं दबोचा ? हजारों मजदूर बेकार होकर मर रहे हैं और मालिक मिल पर ताला लगा कर बैठा हुआ है। आपको इस बारे में शर्म आनी चाहिए कि ब्यावर के अन्दर तेरह सौ मजदूर बेकार बैठे हुए हैं, हजारों मजदूर भूखों मर रहे हैं और यह पूंजीपतियों से सांठ-गांठ करके चुप बैठे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, आज इस देश के अन्दर....

(समय-समाप्ति-सूचक-घण्टी)

श्रमिकों के साथ ज्यादतियां हो रही हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं एक उदाहरण देकर, आप सुन लीजिए उसे। बड़ी सनसनी-पूर्ण घटना सवाई माधोपुर की आपको बता रहा हूँ। वहां पर एक मजदूर मिल के अन्दर फंस गया और वह मर गया और जब उसके मांस की बोटी सामने आई तो मजदूरों ने पूछा कि यह मांस की बोटी कहां से आई और इसकी सूचना सरकार को भी दी तो सवाई माधोपुर की इस फैक्ट्री में जहां कि एक मजदूर मशीन में फंस कर मर गया और उसके बारे में चर्चा हुई तो कहा गया कि कुत्ता फंस गया था। एक मजदूर की लाश को कुत्ते का मांस बता कर मामले को दफना दिया गया। आए दिन इस प्रकार के केसेज हो रहे हैं और मजदूर एक्सीडेंट्स में मर गए हैं लेकिन उन मालिकों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं होती है। आप कहते हैं कि यह पांच लाख की फैक्ट्री है, पांच लाख का उद्योग है तो मैं आपसे कहता हूं कि आप इससे हमें साढे पांच लाख में दे दीजिए, हम मजदूरों की सहकारी समिति बनाएंगे और इस मिल को चलायेंगे। पांच लाख की तो उसकी जमीन ही है। उद्योग के नाम पर करोड़ों रुपया दबाया जा रहा है। जब मजदूरों के बोनस की मांग की जाती है, जब मजदूरों के अधिकारों की मांग की जाती है तो मालिक लोग मिल को ताला लगा कर बैठ जाते हैं और हमारा श्रम मंत्रालय तमाशा देखता रहता है। आखिर श्रम विभाग इनके विरुद्ध कार्यवाही क्यों नहीं करता है, क्योंकि इनकी सांठ गांठ चलती है उनके साथ। चुनाव लड़ने के नाम पर उनकी जीपें इनके यहां दौड़ती हैं। आज इन उद्योगपतियों के साथ सरकार की सांठ-गांठ चलने से मजदूर दबते जा रहे हैं, मजदूरों के विरुद्ध साँठ-गांठ बढ़ती जा रही है। ऐसी हालत में अगर मजदूर अपनी आवाज उठाते हैं और कोई घटना होती है तो उसकी जिम्मेदारी आपकी होगी। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप इस सदन की कार्यवाही को स्थगित कर दीजिए, मजदूरों का विषय बहुत गम्भीर विषय है, हजारों मजदूर बेकार बैठे हुए हैं और हमारी सरकार कुछ नहीं कर पा रही है। उन बेकार बैठे मजदूरों के लिए रोटी की व्यवस्था नहीं कर पा रही है, उस उद्योग को कब्जे में नहीं लेती है और यहां आराम से बैठे मुस्कुराते रहते हैं और समझते हैं कि हम तो बड़ा भारी मजदूरों का काम कर रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि ऐसी सरकार पर लानत है, शर्म आनी चाहिए और इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप इस सदन की कार्यवाही को स्थगित कर दीजिए।

श्री रामकिशन (बैर) : मैं एक बात जानकारी के लिए कहना चाहता हूं। अब तक जो बहस यहां पर हुई है और उससे

(श्री रामकिशन)

पहले जो मंत्री महोदय ने जवाब दिया है, मैं केवल इतना ही जानना चाहता हूं कि इस बहस से जो हालात सामने आए हैं उससे सरकार ने कुछ अपना फैसला बदला है क्या ? जो कुछ बहस हुई है और उससे जो तथ्य सामने आए हैं, तो मंत्रीजी, जो उन्होंने पहला बयान दिया है, उसी को स्पष्ट करना चाहते हैं या सरकार की कोई नीति में परिवर्तन हुआ हो उसको बताना चाहते हैं ?

दूसरा मंत्रीजी यह बतावें कि इसको टेकओवर करने में हमारे सामने क्या दिक्कत है ? इन दो चीजों का आप जवाब दें।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : एक पोइन्ट मैं भी पूछना चाहता हूं, उपाध्यक्ष महोदय। आपने यह सारे मिल की कीमत जो बताई है वह पांच लाख रुपये है और आगे के लिए आपने कहा कि बीस लाख रुपया और चाहिए। तो क्या राज्य सरकार के पास बीस लाख रुपया नहीं है या मिल के लिए फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन से बीस लाख रुपया नहीं दिला सकती या किसी अन्य साधन से बीस लाख का इन्तजाम नहीं कर सकती ? क्या भारत सरकार के पास भी बीस लाख रुपया नहीं है, भारत सरकार से भी बीस लाख रुपया नहीं मिल सकता, ताकि यह पांच लाख रुपये की मील सरकार अपने अधिकार में ले ले ?

(२.०० म. प.)

दूसरा, मैं श्रम मंत्रीजी से पूछना चाहूंगा कि वे केटेगोरिकली इस हाउस में यह बतायें कि प्रोवीडेन्ट फण्ड के नियम हैं ? उन नियमों का जब उल्लंघन हुआ है और राजस्थान सरकार के श्रम विभाग को इस सम्बन्ध में सूचना दी गई है तो उन सब के खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स क्यों नहीं की गई ? इसके सम्बन्ध में श्रम मंत्री जी क्या कहते हैं ?

श्री हरिश्चन्द्र (उद्योग मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, सरकार की यह नीति रही है कि जो जो भी औद्योगिक यूनिट्स राजस्थान मे चलते हैं उनको पूरी तरह से मदद दी जाय और उनको अगर कहीं दिक्कत आती है तो उस दिक्कत को मिटाया जाय। जहां तक ब्यावर टैक्सटाइल मिल का सवाल है सबसे पहले मेरा ध्यान इस ओर आकर्षित करने वाले नसीराबाद से आने वाले माननीय सदस्य थे। उन्होंने आज नहीं चन्द महीनों पहले मेरा ध्यान आकर्षित किया था कि ब्यावर की इस मिल की हालत ठीक नहीं है। उसके बाद ब्यावर के जो माननीय सदस्य हैं स्वामीजी–वे भी मुझसे दो-तीन दफा मिले थे, और मैंने उन दोनों को यह आश्वासन दिया था कि सरकार की नीति के हिसाब से और जो कानून सरकार का है उसके हिसाब से सरकार चलेगी, और ऐसी किसी बात की गलतफहमी दिमाग में नहीं रहनी चाहिए कि सरकार इस मिल को नहीं लेना चाहती और जब से इस को मैंने उनसे कहा तुरन्त ही राजस्थान सरकार ने भारत सरकार को लिखा कि इस मिल की हालत खराब होती जा रही है, उसकी आर्थिक हालत खराब है। हमें अन्देशा है कि यह मिल बन्द हो जायगी। यह चिट्ठी लिखने से पहले ही इस मिल की हालत इतनी खराब थी कि वह बन्द हो गई, और हमने तार के द्वारा भारत सरकार को लिखा।

(श्री हरिश्चन्द्र)

उसके ऊपर भारत सरकार ने तीन सदस्यों की एक कमेटी बनाई। उस कमेटी की रिपोर्ट मेरे पास है।

अब सवाल यह आकर पड़ता है कि अगर इस मिल को हम चाहते हैं तो इसमें यह मान कर चलते हैं कि हम मिल के मालिक के खिलाफ पर चलायेंगे। यह नहीं कि राजस्थान सरकार उसको जब्त कर लेगी, क्योंकि अभी यहां जो भाषण हुए हैं उससे यह अन्देशा लगता है कि माननीय सदस्यों के दिमाग में यह हो कि जब्त कर ली जाय, तो जब्त करने वाली बात नहीं है। उनके खिलाफ पर राजस्थान सरकार चलायेगी। राजस्थान सरकार को चलाने के लिए, इसको स्टार्ट करने के लिए २० लाख रुपये की जरूरत है। और यह भी रिपोर्ट में लिखा है कि यह मशीनरी और प्लान्ट एट्सेट्रा यह स्क्रेप है और इसकी अनुमानित लागत ५,५०,००० रु० तक है। अब सवाल यह खड़ा होता है कि भारत सरकार के ऊपर इसकी फाइनेन्सियल रेस्पोन्सिबिलिटी कितनी पड़ती है? इसके बारे में मैंने अपने स्टेटमेंट में यह कहा है कि जितना भी भारत सरकार हमको देगी उसका तो हम स्वागत करेंगे ही, लेकिन इसकी आर्थिक उपलब्धि के लिए राजस्थान सरकार को भी सोचना पड़ेगा। और अगर राजस्थान सरकार २० लाख का इन्तजाम करती है-हम यह कोशिश कर सकते हैं कि भारत सरकार से भी हम और रुपया उपलब्ध करा लें, लेकिन बहरहाल इसको चलाने के लिए २० लाख रुपया चाहिए और २० लाख रुपये के लोन के सवाल को जब देखते हैं तो उस मिल मालिक के फ्लोटिंग एसेट्स कितने हैं, उस पर ध्यान जाता है। जैसा कि मैंने अपने स्टेटमेंट में कहा है फ्लोटिंग एसेट्स वह करीब ५,५०,००० रु० के आस पास कहते हैं। इस वास्ते जो भी एक दिक्कत सामने आती है कि जब इसके कुल ५,५०,००० रु० के एसेट्स हैं तो २० लाख का लोन कैसे लें-एक तो यह मुश्किल है।

दूसरा सवाल यह है कि इस रिपोर्ट में यह लिखा है कि अगर इस मिल को लिया जाय तो कमेटी की यह रिकमन्डेशन है कि इसको नहीं लिया जाय यह भी रिकमन्डेशन इसके अन्दर है। मैं यह मानकर चलता हूं कि कम से कम मॉडर्नाइजेशन के लिए इसके अन्दर ५०-६० लाख रुपया लगे तब जाकर यह प्लान्ट इस तरह का हो सकता है कि जो मॉडर्न मिलों को कम्पीट कर सके। इस वास्ते यह लोंग टर्म प्लान है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : ५ लाख के एसेट्स में जमीन की कोस्ट भी इन्क्लूडेड है क्या?

श्री हरिश्चन्द्र : देखिये इस रिपोर्ट को मैं आपके सामने बता दूं। जो मिल मालिक ने इसके आंकड़े कूते हैं जब इन्डिपेन्डेन्टली कूतवाये थे तो प्लान्ट एण्ड मशीनरी के आंकड़े, करीब ४४ लाख के दे मशीनरी व प्लान्ट बतलाते हैं, लेकिन गवर्नमेंट आॅफ इण्डिया ने जो कमेटी एपोइन्ट की है उसके आंकड़े हैं ५,५०,००० रु०-तो अन्तर काफी है इसके बीच में। अब यह हम कर सकते हैं कि अगर आप लोग स्वीकार करें कि इसकी जांच और करा लें तो ५,५०,००० रु० इसकी डेप्रिशि-

(श्री हरिश्चन्द्र)

येटेड वेल्यू है और शायद इसके पास एसेट्स और भी हों तो जनरल एसेट्स के ऊपर लोन एक्वायर करके इसको चला सकें, क्योंकि इसमें रिक्वायरमेंट कमेटी के हिसाब से २० लाख रुपयों का इनीशियल इन्वेस्टमेंट चाहिए ताकि मिल चालू हो जाय, और ५० लाख रुपया और चाहिए ताकि इसका मॉडर्नाइजेशन करके इसको चलायें–ये सारे प्रश्न सरकार के सामने हैं। मैं आपको निवेदन करना चाहता हूँ कि सरकार की तरफ से कोई कोताई नहीं है, फाईनेन्सेज़ की कोताई हो सकती है। फाइनेन्सेज़ न हों यह बात दूसरी है, लेकिन अगर फाइनेन्सेज़ उपलब्ध हो जाय तो ऑथोराइज्ड कन्ट्रोलर एपोइन्ट हो सकता है और मिल चालू हो सकती है।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : सरकार ने इससे पहले भी एक मिल ली है १६०६ की पुरानी एडवर्ड मिल को। तो क्या उस मिल में मॉडर्नाईजेशन करके और इसी रूप में जैसा माननीय मन्त्री महोदय ने कहा उस मिल को चलाया ? नं० १.

वह सन् १६०६ की मिल थी। वह फाइनेन्स एडजस्टमेंट इस प्रकार के थे....

श्री हरिश्चन्द्र : उपाध्यक्ष महोदय, एडवर्ड मिल का इससे कोई सम्बन्ध नहीं है। यह अलग कमेटी है। गवर्नमेंट ऑफ इण्डिया ने बनाई है उसकी यह रिपोर्ट है। उसकी रिपोर्ट मैं नहीं मानता हूँ तो माननीय सदस्य कहेंगे कि इस रिपोर्ट से चले गये। आप दोनों तरफ पर बैच करना चाहते हैं ?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आपके पर बैंच नहीं करना चाहता।

श्री हरिश्चन्द्र : एक कमेटी गवर्नमेंट ऑफ इण्डिया ने बनाई थी। उसकी मुख्य बातें मैंने आपके सामने रखी हैं। सवाल सिर्फ इतना है कि क्या सरकार के पास २० लाख रुपया है या नहीं जिससे यह मिल चल सके ? सवाल इतना ही है।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : अभी नसीराबाद से आने वाले माननीय सदस्य और भीलवाड़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि मेवाड़ टैक्सटाइल मिल और एडवर्ड मिल जिनकी मशीनरी इससे भी पुरानी थी और इस तरह से कमेटी के द्वारा स्क्रैप घोषित कर दी गई थी, उस वक्त भी यही रिनोवेशन और मॉडर्नाइजेशन की आवश्यकता पड़ी थी, लेकिन उसके बावजूद भी उसके किये बगैर उसी मशीन से गवर्नमेंट ने इन्तजाम अपने हाथ में ले लिया और मालिकों की लूट खसोट खत्म कर दी और एफिसियेन्ट तरीके से काम हुआ तो मज़दूरों को भी पैसा मिल गया और उसी मशीन से काम भी चल गया। इसी तरीके से हमारा यह निवेदन है और मैंने इस बात की सिफारिश की है कि मशीन पुरानी है लेकिन एडवर्ड मिल और भीलवाड़ा के मेवाड़ टैक्सटाइल मिल से पुरानी नहीं है, उससे बहुत नई है। इससे जो गड़बड़ है वह बदइन्तजामी है, उसके कारण है।

Page No. 64

श्री हरिश्चन्द्र : मैं इस रिपोर्ट के तहत ही चल सकता हूं। जो रिपोर्ट गवर्नमेंट ऑफ इण्डिया ने दी है उसके आगे कैसे जाऊंगा। रिपोर्ट यह कहती है कि यह पुराना स्क्रेप है और यह इसकी वेल्यू है। इसी हिसाब से आज मैंने यहां कहा। यह हो सकता है कि गवर्नमेंट ऑफ इण्डिया के सम्बन्धित मिनिस्टर से मैं इसको डिसक्स कर सकता हूँ कि यह बात है और हमारे यहां के लोग यह फील करते हैं। इसके बावजूद आप यह कहें कि यह हो सकता है लेकिन रिपोर्ट को नहीं मानना यह मेरे लिए नहीं हो सकता।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। मैं यह पूछना चाहता हूँ कि माननीय मन्त्री महोदय ने ...

श्री उपाध्यक्ष : उनको पूछने दें।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : उपाध्यक्ष महोदय, यह सत्ताधारी दल के एम० एल० एज० आपके आदेशों की अवहेलना कर सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मुख्य प्रश्न यह है कि माननीय मन्त्री महोदय का यह रिपीटिशन ठीक है कि जो कमेटी सेन्टर ने इन्स्टीट्यूट की है वह स्पष्ट रूप से सामने आ रही है।

मालिक का एसेसमेंट ४४ लाख का है, कमेटी का एसेसमेंट ५ लाख का है। प्रश्न यह है कि मंत्रीजी दुबारा इन्क्वायरी कराने के लिये तैयार है, उसके लिये तो मैं उनको धन्यवाद देता हूं। दुबारा इन्क्वायरी की पोजीशन है....

श्री हरिश्चन्द्र : मैंने इन्क्वायरी का नहीं कहा। मैंने यह कहा कि आप की मंशा मिनिस्टर तक पहुंचा दूंगा, इन्क्वायरी का नहीं कहा।

श्री राधानन्द अग्रवाल : हम केवल यह आश्वासन नहीं चाहते कि आप हमारी भावनाओं को उन तक पहुंचा दें। हम यह चाहते हैं कि हमारी भावना वहां तक पहुंचा कर कोई रास्ता निकालेंगे और मिल को टेक ओवर करें और चलावें। आप दो मिल्स चला रहे हैं। इस सेन्स में आप हमको आश्वासन दीजिये उस रिपोर्ट पर आश्वस्त न रह कर दुबारा टॉक करेंगे एण्ड यू विल सी देट दुबारा बात करके टेक ओवर करके आप उसको चलावें। कुछ रकम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से लीजिये, बाकी आप लगावें। मॉडर्नाइजेशन के बगैर भी आप चला सकते है, आप के पास तजुर्बा मौजूद है उसकी बुनियाद पर आप यह कह सकते हैं।

श्री गिरधारीलाल व्यास : एक छोटा सा प्रश्न मेरा है ....

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि एक चीज है ४४ लाख और ५ लाख का एसेसमेंट है। आप २० लाख में चला सकते है। यह चीज इम्पोर्टटेन्ट है कि आप मिल मालिक के खिलाफ पर चलायेंगे न कि अपनी तरफ से, यह स्थिति स्पष्ट है। और यह स्पष्ट स्थिति निकलती है कि न मालिक का

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

एसेसमेंट सही है और न गवर्नमेंट का एसेसमेंट सही है। इन दोनों के बीच का एसेसमेंट होगा क्योंकि पुराना तजुर्बा सामने है। एडवर्ड मिल सन् १६०६ की है, वह इकोनोमिकली नहीं चल रही है तो अनइकोनोमिकली भी नहीं चल रही है और मजदूरों को रोटी दे रही है। क्या आप यह आश्वासन पूरी तरह से रन करने की गारन्टी का दे सकते हैं? लाइन पर चला सकते हैं?

दूसरी स्थिति यह है कि मजदूरों का प्रोविडेन्ट फंड बकाया है, ऐरियर बकाया है.... ...

श्री उपाध्यक्ष : इस बारे में लेबर मिनिस्टर साहब कहेंगे।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : यह स्थिति आयेगी क्योंकि वस्तु स्थिति यह है कि लालचन्द जो मिल मालिक है उसके तीन भाई हैं और तीनों में डिविजन की वजह से क्राइसिस है, गंभीर स्थिति है, एक दूसरे को बंदूक मारने की स्थिति है जिसकी वजह से बहुत से तथ्य सप्रेस हो रहे हैं। जिस जमीन पर मिल है उस जमीन की कीमत आज लाखों रुपयों से कम नहीं है। आप कह रहे हैं कि मिल के सारे सिस्टम और मशीनरी की कीमत ५ लाख रुपये हैं लेकिन खाली मिल की जमीन की कीमत ही लाखों रुपया है। आप उस मिल को टेक ओवर करके मिल मालिक के रूप में आ सकते हैं क्योंकि ५ लाख रुपयों से ज्यादा तो आपको मजदूरों का पी. एफ. रिकवर करना है और दूसरे एरियर्स है सेलेरी के हैं, बोनस के हैं। कुल मिलाकर सरकार पी. डी. आर. के तहत रिकवरी करेगी तो काफी रकम मिल सकती है।

श्री उपाध्यक्ष : I think let us hear Hon, ble Labour Minister

(श्री मुरलीधर व्यास और श्री गिरधारीलाल व्यास एक साथ बोलने लगे)

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : उपाध्यक्ष महोदय, क्योंकि मंत्री महोदय ने कहा.......

श्री गिरधारीलाल व्यास : मैं बार बार खड़ा होकर पूछना चाहता हूँ, मेरा मामूली प्रश्न है, वह यह है मैंने जैसा निवेदन किया था, क्या सरकार इस स्थिति में है कि जो पी. एफ. मजदूरों का जमा है उसको बतौर सीक्योरिटी के लेकर सरकार इतना रनिंग कैपिटल दे दे और मिल चलावे?

श्री हरिश्चन्द्र : किसको?

श्री गिरधारीलाल व्यास : सरकार मिल को दे दे इस सीक्योरिटी के अगेन्स्ट में, इतना पी. एफ. जमा है वह उपलब्ध करदे तो मिल अच्छी तरह से चल सकती है।

श्री उपाध्यक्ष : Let us hear labour Minister.

श्री हरिश्चन्द्र : मैं समझता हूँ हर डिटेल-कोमा, फुलस्टोप-में जाना तो ठीक नहीं है। मैंने कहा था कि सीक्योरिटी पर्याप्त है तो आसानी हो जायेगी। अगर सीक्योरिटी नहीं है तो भारत सरकार से बात करूंगा कि आपको सोचना चाहिये। फाईनेन्स

(श्री हरिश्चन्द्र)

डिपार्टमेंट से बात करूंगा। रुपये मिल गये तो फिर चलाने का प्रयत्न करेंगे········

श्री मुरलीधर व्यास : उपाध्यक्ष महोदय,

श्री हरिश्चन्द्र : जहां तक एडवर्ड मिल की बात है········

श्री मुरलीधर व्यास : आप टेक ओवर नहीं कर सकते मैं जानता हूँ, क्योंकि आपकी जो माली हालत है जिस तरह की और बात बतलाई कि इतने रुपये लगेंगे वह कैसे खर्च करेंगे। मैं तो यह जानना चाहता हूँ कि जो कुछ आज की स्थिति है, स्थिति पर स्थगन प्रस्ताव है, मजदूर इस परिस्थिति में पड़े हैं सरकार क्या करे। पहला काम तो यह करना चाहिये कि जिस मिल मालिक ने इतने रुपये मजदूरों के प्रोविडेन्ट फंड के हैं, जिनको कानून के खिलाफ जमा न करवा कर अपने पास रखता गया, उसके खिलाफ या तो प्रोसीक्यूशन की कार्यवाही करनी चाहिये क्योंकि आज हिन्दुस्तान में कई मिल मालिकों ने ऐसा रास्ता अख्तियार कर लिया है कि वे ऐसी स्थिति पैदा कर देते हैं कि या तो सरकार पैसा दे नहीं तो मिल बंद करते हैं। इस तरह से जो माल उनको मारना है वह तो पहले मार लेते हैं और फिर इस तरह की स्थिति पैदा कर देते हैं। तो सरकार को ध्यान रखना है कि भयंकर स्थिति में ले ऑफ करते हैं, पैसा गबन करते हैं–पहले कार्यवाही उनके खिलाफ होनी चाहिये।

दूसरी बात आप कहते हैं कि मिल चलाने का मामला है उसको चलाने के मामले में सरकार खुद कहती है अपने अपने तरीके से इतने रुपये के एसेट्स हैं, हमारा लेना इतना है, हमारे पास सरकार की रिपोर्ट है तो पूछना क्या है? मिल को टेक ओवर कर लें और अपनी रकम लगा सकें तो इसको पब्लिक सैक्टर में चलावें। आप कहते हैं कि मिल उसकी रहेगी, उसकी देख रेख में चलावेंगे तो उसका नतीजा बहुत बुरा होगा। तो इस सिलसिले में मंत्रीजी और वे दोनों मिलाकर पहली कार्यवाही यह करें कि जो परेशानी है उसको हटाने के लिये क्या किया जाय?

श्री उपाध्यक्ष : Hon' ble Labour Minister.

श्री रामानन्द अग्रवाल : फ्लोटिंग के लिये क्यों कैपिटल चाहते हैं? आप खुद टेक ओवर करें तो कॉटन के लिए या कोयले के लिये रुपया चाहिये तो सारा स्टॉक रहेगा, सीक्योरिटी रहेगी, इसलिए जो कैपिटल आपको इन्वेस्ट करना पड़े वह सेफ है। दूसरा, जब आप खुद रन करेंगे तो फ्लोटिंग कैपिटल की चिन्ता करने की जरूरत नहीं है जब कि मैनेजमेंट खुद के हाथ में है। बाकी मशीनरी है, जमीन है। नई मशीन लगाने की जरूरत है नहीं, जब लगावें तब तक इसके प्रॉडक्शन से मजदूरों का एरियर चुकाते जाइये। क्या ऐसी रिपोर्ट है कि इसमें लोस ही होगा?

श्री हरिश्चन्द्र : मैंने फ्लोटिंग कैपिटल के लिए नहीं कहा, फ्लोटिंग ऐसेट्स के लिये कहा। उस रिपोर्ट में लिखा है :–"In our opinion a minimum of 20 lakhs would be required as mini-

(श्री हरिश्चन्द्र)

mum working capital to run the mill, apart from the huge finances required for the modernisation of the mill as discussed."

तो minimum requirements to start the mill is twenty lacs. उसमें तेल है, पानी है, मजदूरों को देना है, लेना है। इस तरह से इसको चलाने के लिए २० लाख रुपये चाहिये। यह पोजिशन रिपोर्ट में है। मैं आश्वासन इतना दे सकता हूँ कि मैं खुद जाकर मंत्री महोदय, मनु भाई शाह से बात करूंगा कि वे कितनी मदद कर सकते हैं, फाइनेन्स विभाग वाले कितना दे सकते हैं, किस आश्वासन पर चल सकते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : अब मैं समझता हूँ लेबर मिनिस्टर साहब की सुन लें।

श्री भीखाभाई (श्रम मंत्री) : अभी अभी दौराने बहस नसीराबाद से आने वाले माननीय सदस्य, लाखेरी के सदस्य और अलवर से आने वाले माननीय सदस्य ने यह बात बताई कि राजस्थान का जो श्रम विभाग है उसने किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं किया। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मारफत माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूँ कि जहां तक श्रम विभाग का सवाल है, श्रम विभाग ने इस स्थिति को, जिस स्थिति का सामना आज करना पड़ता है, उसकी फरवरी के महिने में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सूचना दे दी थी और जो पत्र हमारे यहां से भेजा गया मैं उसका रिलेवेन्ट एक्सट्रैक्ट प्रस्तुत करके बताना चाहता हूं कि श्रम विभाग ने अपनी ओर से बराबर ताकीद की--

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : उनकी तनख्वाहों के एरियर्स का क्या किया ? श्री ज्वालाप्रसाद जी ने और श्री स्वामी जी ने आपको चिट्ठी लिखी थी।

श्री भीखाभाई : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने आपसे निवेदन किया कि सारी स्थिति को किस प्रकार से हैंडल किया, प्रोवीडेन्ड फन्ड, वेतन आदि नहीं दे रहे हैं उसके बारे में क्या कर रहे हैं आपने पूछा, उसके लिये मैं आपको यह रेलेवेन्ट पोर्शन पढ़ कर सुनाता हूँ :

"In the interest of maintenence of peace in Beawar and to ensure regular and continuous employment to the workmen, it is desirable that the Govern-ment take stock of the situation immediately and take over the mill under the Industries (Development and Regulation) Act, 1951. This mill was also taken over in 1956 and put under a Receiver when the financial condition of the mill worsened. Later on under the Receiver the mill started making profits and it was handed over back ultimately to the old management. Hence a prompt action in the matter is not only desirable but necessary to maintain peace in Beawar and good industrial relations."

यह चिट्ठी फरवरी, १९६६ को लिखी गई। इसके बाद में उपाध्यक्ष महोदय, हमने दूसरी चिट्ठी लिखी है ७ अप्रेल को भारत सरकार को। उसके बाद में मैं, उपाध्यक्ष महोदय, निवेदन करूंगा कि हमने क्या क्या कार्यवाही की, जयपुर से आने वाले माननीय

(श्री भीखाभाई)

सदस्य हैं उन्होंने कहा कि इस संबन्ध में कोई कार्यवाही नहीं की....

(कुछ माननीय सदस्य एक साथ बोलने लगे)

(व्यवधान–शोरगुल-अश्रव्य)

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आपने स्वामी जी की चिट्ठी का जवाब दिया ? आपने उसका प्रोसीक्यूशन क्यों नहीं किया ?

(शोरगुल–व्यवधान)

श्री रामानद अग्रवाल : मजदूरों का प्रोवीडेन्ड फन्ड कितने सालों से एरियर में रखा रहा और आपने उसके खिलाफ कब एक्शन लिया ?

श्री भीखाभाई : मार्च ६५, सितम्बर ६५; इस प्रकार १ लाख ७६ हजार रुपया बाकी है। इसके बारे में १३.७.६६. को प्रोसीक्यूशन की स्वीकृति दे दी गई। मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि सरकार ने यह भी निर्णय लिया है की डी. पी. आर. के अन्तर्गत कार्यवाही की जावे। यहाँ तक कार्यवाही है कि उससे बैंक के अकाउन्ट्स को फ्रीज कर लिया है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : यह तो पुलिस केसेज में हम रोज ही थाने में देखते हैं कि जब घर से चोर भाग जाते हैं तो पुलिस उस घर का घेरा लगाती है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आपने उसको सूचना दे दी और उसने अपना बैंक का अकाउन्ट साफ कर लिया....

(व्यवधान)

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : आपने जैसा आप कहते है कि बैंक अकाउन्ट फ्रीज़ किया तो आप बतावें कि कितना बैंक बैलेन्स था ?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : १३ रुपये २ रुआने बैंक बैलेन्स था।

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि मंत्री) : एक एक साथ तीन तीन आदमी बोलें तो कुछ सुनाई नहीं देगा। आपने एक प्रश्न उठाया कि पी. एफ. के बारे में सरकार ने क्या कदम उठाया। उसका मंत्री महोदय ने जवाब दे दिया कि प्रोसीक्यूशन की स्वीकृति दे दी है। बैंक अकाउन्ट को फ्रीज़ किया है। अब प्रश्न उठा कि कितना रुपया बैंक में एज बैलेन्स था–वह अभी मालूम नहीं है। मैं यह कहूँगा कि जो कदम उठाया वह तो आपको बता दिया। आप कोई व्यवस्था से तो चलें।

(सर्व श्री योगेन्द्रनाथ हांडा, हरिप्रसाद, कृष्णकुमार गोयल, जोधसिंह तथा सतीशचन्द्र अग्रवाल आदि कुछ माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने से–व्यवधान)

श्री रामानन्द अग्रवाल : उनको आप पहले ही बता दें कि हम आपका बैंक बेलेन्स फ्रीज़ करने वाले हैं तो वे पहले ही उसको ठीक कर लें।

आपको यह भी पता नहीं कि उनका कितना रुपया जमा है।

श्री नाथूराम मिर्धा : यह इन्क्वायरी तो

(श्री नाथूराम मिर्धा)

पी. एफ. कमीशन ने की है। सरकार ने नहीं हैं। ग्राप यह कहते है कि पहले उनको वता दिया यह तो ग्रापके मानने का तरीका है।

श्री रामानन्द ग्रग्रवाल : ग्राप यह तो वता सकते हैं कि उनका कितना ग्रकाउन्ट वैंक में था जव ग्रापने फ्रीज़ किया ?

श्री नाथूराम मिर्धा : यह इन्फोरमेशन ग्रापको दी जा सकती है। ग्रभी यह इन्फोरमेशन नहीं है। यह जरूर दी जानी चाहिये।

श्री भीखाभाई : (बोलने के लिये खड़े हुए)

(व्यवधान–कुछ माननीय सदस्य एक साथ बोलने लगे)

श्री उपाध्यक्ष : श्री उमरावसिंह ढाबरिया।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया (वनेड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक वात लेवर मिनिस्टर से पूछना चाहता हूँ कि वे एक वात वतावें कि प्रोवीडेन्ट फन्ड जो मजदूरों का जमा था उस प्रोवीडेन्ट फन्ड को इस मिल मालिक ने ग्रपने यूज में खर्च कर दिया जो उसके पास मजदूरों का ग्रमानत था। क्या यह ग्रमानत से खयानत नहीं है ? क्या ग्रापने उसको जब उसने ग्रमानत में ख़यानत की तो जेल में भेज दिया या ग्रापने उसके लिये कोई प्रोसीक्यूशन किया ग्रौर सजा दी ? यह वात ग्राप वता दें।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : ग्राप लेबर लॉ बहुत कम जानते है। सन् ६५ के खुद मंत्री वता रहे हैं कि ४ महीनों का प्रोवीडेन्ट फन्ड मालिक ने यूज कर लिया ग्रौर वह ग्राज तक ग्रन्डर एरेस्ट नहीं हैं।

श्री भीखाभाई : मैंने ग्रापको वताया कि हमारे पास रिपोर्ट दिसम्बर में ग्राई ग्रौर हमने उसके लिये लिखा पढ़ी करना शुरू कर दिया। भारत सरकार को इसके लिये लिखा गया।

श्री रामानन्द ग्रग्रवाल : यह तो ग्रापका काम नहीं था। यह तो इन्डस्ट्री डिपार्टमेंट का काम था।

(व्यवधान)

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : ग्रापको उनको एरेस्ट करना चाहिये, ग्रापने ग्रभी तक नहीं किया है।

श्री रामानन्द ग्रग्रवाल : ग्रगर कोई यह कह दे कि चोरी हो रही है ग्रौर हमने इत्तिला दे दी........

श्री सतीशचन्द्र ग्रग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने यह बात पूछी थी कितना बैंक वैंलेन्स था वह इसलिये कि हमेशा सरकार यह कह कर वचना चाहती है कि हमने बैंक वैंलेन्स उसका सीज कर लिया। हमने कितना सख्त कदम उठाया है ! मैं यह कहूँगा कि सरकार चोर को कहती है कि चोरी करो ग्रौर साहूकार को कहती है कि जगते रहो। मैं यह कहूँगा कि ग्राप हाउस को वतावें कि कितना रुपया उसका वैंक में जमा था जिसको ग्रापने सीज किया ? ग्रापने उसका बैंक

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

बैलेन्स उस समय सीज़ क्यों नहीं किया जब उसके लाखों रुपये बैंक में जमा थे ? यह पैसा मजदूरों का पैसा था जो उसके पास जमा था और वह अमानत में खयानत है। इसके लिये आपने उसका क्रिमिनल प्रोसीक्यूशन क्यों नहीं किया ? उसको जेल में क्यों नहीं रखा ? भीखाभाई जी साहब, आपका लेबर डिपार्टमेंट बहुत निकम्मा डिपार्टमेंट है जो लाखों मजदूरों का गला काट रहा है और आप कुछ नहीं कर रहे हैं। अगर आपसे कुछ नहीं होता है और आपसे यह महकमा नहीं संभलता है तो आप नाथूरामजी को यह विभाग दे दीजिये....

एक माननीय सदस्य : बंटाधार हो जाएगा।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : बन्टाधार हो जाएगा तो हो ज़ाएगा। ऑफिसियेटिंग चीफ मिनिस्टर हो चुके हैं कुछ करके दिखावेंगे।

(समय–समाप्ति-सूचक घण्टी)

क्या यह मोशन खत्म हो गया ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : ये बैंक बैलेंस बता रहे हैं।

(श्री भीखाभाई बोलने के लिए खड़े हुए)

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आपके आंकड़े कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है।

श्री भीखाभाई : हमेशा नये नेता पैदा होते हैं। उनसे तो हम....

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : हार खा गये।

श्री भीखाभाई : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि जहाँ तक गवर्नमेंट का प्रश्न है कि गवर्नमेंट ने क्या किया– उसके लिए मैंने कहा कि १३-७-६६ को उनके प्रोसीक्यूशन की मंजूरी दे दी। प्रोविडेन्ट फन्ड के पैसे वसूल करने के बारे में पी० एफ० कमीशन ने डी० पी० आर० के तहत वसूली करने के लिए कलेक्टर को लिखा है और कोशिश कर रहे हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मिल बन्द होने के बाद में।

श्री भीखाभाई : वह भी कलेक्टर के द्वारा की गई। यह सब होने के बाद लेबर विभाग........

श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई) : इन सारी बातों से नतीजा क्या निकला।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : जिस सरकारी अधिकारी ने आपको खबर दी . . .

श्री रामानन्द अग्रवाल : गवर्नमेंट ने, इन्डस्ट्री मिनिस्टर ने या लेबर मिनिस्टर ने जो भी जवाब दिया है, जो एडजोर्नमेंट मोशन में मांग की गई कि मिल को टेक ओवर किया जाना चाहिए और चालू किया जाना चाहिए ताकि मजदूरों को रोजगार मिले और उनका चढ़ा हुआ पैसा जो है उसकी गवर्नमेंट गारन्टी दे। मगर उपाध्यक्ष महोदय, इसके लिए जो बहस हुई है, मैं कहूंगा कि डेढ साल से इन्डस्ट्री डिपार्टमेंट को बता रहे है कि ये पैसा उठा रहे हैं मगर उन्होंने इतने अर्से में इन्टरवीन नहीं किया

Page No. 71

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

और उनके पी. एफ. के पैसे मिल मालिक ने उठा दिये ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैं यह पूछना चाहता हूँ कि अभी उद्योग मंत्री जी ने आपको सूचना दी वह आपको किसने दी ?

श्री हरिश्चन्द्र : यह टेलीफोन से सूचना प्राप्त की जा रही है ।

श्री सतीश चन्द्र अग्रवाल : आप लोबी के पास में किससे यह सूचना पूछने जा रहे हैं, यह मैं पूछने जा रहा हूँ ।

(२.३० म. प.)

श्री बृजमोहनलाल शर्मा, भूतपूर्व सदस्य, के सदन में प्रवेश करने संबंधी विशेषाधिकार प्रश्न

श्री योगेन्द्र नाथ हांडा : चूंकि Lobby is a part of the House.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : ब्यावर के बृजमोहन जी हाउस में फिर रहे हैं यह ब्रीच आफ प्रिविलेज है ।

श्री योगेन्द्र नाथ हांडा - इन्फोर्मेशन वे दे रहे हैं । एक घन्टे से वे यहां फिर रहे हैं । Lobby is a part of the House.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आप उनको तहवील में लें और जिस प्रकार वे हाउस में घूम रहे हैं और पूंजीपतियों की वकालत कर रहे हैं, यह एक ब्रीच ऑफ प्रिविलेज है ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : वे हाउस में आ रहे हैं, लॉबीज में आ रहे हैं ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आपके मिल के एजेन्ट हैं जो यहां पर घूम रहे हैं—यह ब्रीच ऑफ प्रिविलेज है ।

श्री उपाध्यक्ष : मैं इस विषय में जानकारी कर रहा हूँ ।

(शोर गुल)

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : उनका प्रोसीक्यूशन किया जावे ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आपने फरमाया कि आप उसकी जानकारी कर रहे हैं । उपाध्यक्ष महोदय, मैंने स्वयं ने अपनी आंखों से उनको देखा है । उद्योग मंत्री महोदय स्वयं उनसे अभी बात करके आये हैं--१० सदस्यों ने यह देखा है । क्या बात की है यह नहीं कह सकते । मैं यह निवेदन करूंगा कि ब्यावर के पूंजीपतियों के दलाल यहां पर हाउस में चक्कर लगा रहे हैं । उनके दलाल हाउस में लोबिंग करें उससे ज्यादा शर्म की बात सरकार के लिये क्या हो सकती है । ऐसी निकम्मी सरकार उनको पकड़ नहीं सकती जो मजदूरों के पैसे का दुरुपयोग करें और गरीब मजदूरों का गला घोटें । अतः मैं और मेरी पार्टी निकम्मी सरकार की इस संबंध में किसी कार्यवाही में साथ नहीं दे सकती । इसलिये मैं सभी पार्टीज से निवेदन करूंगा कि इसका विरोध करने के लिये सदन से वहिर्गमन करें ।

(जनसंघ पार्टी द्वारा वहिर्गमन)

श्री रामानन्द अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, श्रम मंत्री ने जो बयान दिया है....

(व्यवधान)

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : On a point of order, Sir.

(शोरगुल और व्यवधान)

श्री रामानन्द अग्रवाल : मिल को टेक-ओवर करने का कोई ऑर्डर नहीं दिया, मजदूरों की तनख्वाह आदि के लिये कुछ नहीं किया, मालिक की ओर से उनके पैसे गवन करने का सरकार ने मौका दिया है....

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : On a point of order, Sir.

(शोरगुल और व्यवधान)

श्री रामानन्द अग्रवाल : मैं समझता हूँ कि वृजमोहनजी यहां आये वे पूंजीपतियों के दलाल बन कर सरकार के पास आये । मैं सरकार की इस नीति का विरोध करता हूँ और एतराज करता हूँ और मजदूरों की तरफ से एतराज करता हूँ और इसके फल-स्वरूप सदन से बहिर्गमन करता हूँ ।

(श्री रामानन्द अग्रवाल द्वारा वहिर्गमन)

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपने साथियों को साफ कहना चाहता हूँ कि वाक आउट करना उनका अधिकार है और वे करें, लेकिन यहां पर वृजमोहनजी के बारे में जो बातें कही गई हैं—वृजमोहनजी ने मुझे मकान पर आ कर ये बातें बताई हैं । यह मैं अपने साथियों को कहना चाहता हूँ कि जितनी श्रद्धा श्री रामानन्दजी अपने मिल मजदूरों के लिये रखते हैं उतनी ही जगह वृजमोहनजी भी सरकार को मजबूर करना चाहते है कि सरकार को किसी तरह उस मिल को लेना चाहिये । मैंने जो नये सुझाव दिये, मैं उसके लियेश्री वृजमोहनजी का शुक्रगुजार हूँ । उन्होंने बताया कि रुपया जमा है उसको जमानत वाले लें और मजदूर रुपयों को लेने को तैयार हैं । मैं यह कहना चाहता हूँ कि ऐसी बातों पर सही तौर से वातावरण बनाते हैं तो वैसी हालत में उसे अनुचित नही कहें । लोबी में आने के बारे में कहा—वे हाउस के उप मंत्री रहे हैं, उनको लॉबी में आकर हमसे बातचीत करने का अधिकार है और उसको रोक नहीं सकते ।

श्री रामकिशन (वैर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं कुछ इस पर कहना चाहता हूँ ।

श्री राधाकृष्ण गोयल (टोंक) : उपाध्यक्ष महोदय, कोई भी व्यक्ति लॉबी में आ सकता है और बातचीत कर सकता है—जैसा अभी माननीय सदस्य ने कहा कि उनको लॉबी में आने का अधिकार था । तो क्या यह उचित है कि कोई भी व्यक्ति लोबी में आ कर बात कर सकता है—इसके बारे में आपका निर्णय चाहता हूँ ?

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : उपाध्यक्ष महोदय, अभी ब्रीच ऑफ प्रिविलेज का मोशन श्री सतीशचन्द्रजी ने उठाया । आपने उसके बारे में व्यवस्था देने के लिये कहा कि मैं व्यवस्था दूंगा । मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि यदि ब्रीच ऑफ प्रिवि-लेज सदन के बाहर किया जाता है तो उसके लिये सोचने की आवश्यकता है और सोचना चाहिये । मगर इसी सदन के अन्दर और देखते देखते किया जावे तो उसी वक्त इस

(श्री मानिक चन्द सुराना)

सारे मसले को विशेषाधिकार समिति के सामने दिया जावे। इस हाउस के अन्दर जहां पर 'हां पक्ष' की लॉबी है वहां वृजमोहनजी खड़े थे। मैंने उनको सबसे पहले देखा और सतीशचन्द्रजी को पोइन्ट आउट किया कि ये माननीय सदस्य सदन के सदस्य नहीं हैं— कौन हैं ? उन्होंने कहा कि ये तो वृजमोहनजी हैं। उन्होंने यह भी कहा कि उनको छोड़ दिया जावे। मगर प्रश्न यह है कि हाउस की मर्यादा जो हमारे नियमों में दी है : उसका "House" means the Rajasthan Legislative Assembly. "Precincts of the House" means and includes the Chamber, the lobbies, the galleries and such other places as the Speaker may for time to time specify.

मैं निवेदन करता हूँ जिस जगह वे खड़े थे वह क्लीयरली इस परिभाषा में आती है। गैलेरी, लॉबीज, इस हाउस का पार्ट हैं। इसलिये इसके बीच में कोई सज्जन बाहर से आयें, वह साफ रूप में ब्रीच ऑफ प्रिविलेज हैं। गुड इन्टेन्शन में किया है तो सदन में माफी मांग लेंगे, सवाल व्यक्तियों का नहीं परम्पराओं का है। यह ब्रीच ऑफ प्रिविलेज साफ साफ हुआ है। माननीय ज्वालाप्रसादजी कहते हैं कि अच्छे सुझाव दिये हैं, अच्छी बात है ....

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : घर पर दिये थे।

श्री मानिकचन्द सुराणा : घर पर दिये हैं तो अच्छी बात है। माननीय ज्वालाप्रसाद जी उनकी कद्र करते हैं, हम भी उनकी कद्र करते हैं, पर वे सदन के मेम्बर नहीं हैं तो उनको अधिकार नहीं कि लॉबी में आ जायं। वे आ गये इसलिये यह ब्रीच ऑफ प्रिविलेज बनता है क्लीयर कट। अतः इसे प्रिविलेज कमेटी को सुपुर्द करें।

श्री मानसिंह महार (आमेर) :उपाध्यक्ष महोदय, मसला बहुत महत्वपूर्ण है और माननीय एक्स-मिनिस्टर महोदय किसी भुलावे में आकर "हां पक्ष" की लोबी और सदन के बीच में आ गये- वह सरासर ब्रीच ऑफ प्रिविलेज है। नसीराबाद से आने वाले मित्र ने बात कही........

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द) : कानून भी पढ़ा है ?

श्री मानसिंह महार :—बड़े दुःख की बात है। कानून क्या पढ़ेंगे, कानून पढ़ना तो आप वकीलों का काम है कि मामले को उलझाया जाय। यह तो सीधी बात है कि वे सदन के मेम्बर नहीं, लॉबी के गेट के बाहर है सदन और लॉबी के बीच में खड़े रहे, मन्त्री को बुलाया और कानाबुलबुल करें—यह क्लीयर कट ब्रीच ऑफ प्रिविलेज है। उनके खिलाफ ब्रीच आफ प्रिविलेज का मोशन इसी वक्त प्रिविलेज कमेटी के सुपुर्द किया जाना चाहिये।

श्री सतीशचंद्र अग्रवाल : प्रिविलेज कमेटी को देने का सवाल नहीं, इसी समय समय हाउस में बुलायें और सजा दें।

श्री मानसिंहमहार :—यहां भू स्वामी आन्दोलन चल रहा था तो कुछ आदमियों ने सदन में प्रवेश किया, उनको पकड़ा सदन

(श्री मानसिंह माहर)

गे उनकी ट्रायल हुई और जेल भेजा। जो कल के एम० एल० ए० हैं, वे क्या जानें कि परम्परा क्या है ? इस सदन में कोई स्ट्रेन्जर आ जाय, गुप चुप नहीं चौड़े बात करे–इससे बढ़ कर सदन की मानहानि नहीं हो सकती। इसकी गवाह और सहादत की जरूरत नहीं–मंत्रीजी कह रहे हैं कि मौजूद थे। नसीराबाद से आने वाले माननीय मित्र कह रहे हैं कि आये थे। उनके पास "वेलिड फॉर लॉबीज" पास है या नहीं, उनको इमिडिएटली बुला कर पूछिये, नहीं तो यह तो इस सदन की मखौल उड़ाना है। इस में अगर कुछ नहीं करेंगे तो कल विरोधी पक्ष की लॉबीज की तरफ भी कई लोग आयेंगे। यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, सदन में कोई स्ट्रेन्जर आता है तो उसे रोका जाय, उसको सजा दी जाय तभी सदन की व्यवस्था कायम रह सकती है, नहीं तो नहीं रह सकेगी।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, विशेषाधिकार समिति का तीसरा प्रतिवेदन जो हमें कल प्राप्त हुआ है आप इस कमेटी के अध्यक्ष थे कमेटी ने फैसला दिया है कि श्री किशनसिंह उप-निरीक्षक, गुप्तचर विभाग को पत्र-दीर्घा में आने का कोई अधिकार नहीं था। इसी लिये उन्होंने आपके सामने माफी मांगी है और आपने उनको माफ किया है। तो इस तरह जो आ जाते हैं सदन में वह बिल्कुल ब्रीच ऑफ प्रिविलेज है यह आपके सामने हैं ब्रीच ऑफ प्रिविलेज।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : मैं इस बात से सहमत हूं कि लॉबी में आने की इजाजत नहीं है तो टेक्निकली ब्रीच ऑफ प्रिविलेज हुआ है।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : ब्रीच ऑफ प्रिविलेज इन्टेन्शनली हुआ है। बृजमोहनजी इस सदन के सदस्य रह चुके हैं, डिप्टी मिनिस्टर रह चुके हैं इसलिये नहीं कहा जा सकता कि कायदा नहीं जानते। कायदा जानते हुए सदन के प्रिविलेजेज का हनन किया है। अनजान गांव का आदमी लॉबी में आ जाय तो कहा जा सकता है कि वह अनजान था पर श्री बृजमोहनजी डिप्टी मिनिस्टर रह चुके हैं इस राजस्थान के इस सदन के माननीय सदस्य रह चुके हैं, उनसे अपेक्षा नहीं की जा सकती कि उनको पता नहीं। प्रजातन्त्र की यह उनकी तरफ से उपेक्षा है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा एक निवेदन है। यहां ब्रीच ऑफ प्रिविलेज के बारे में बहस चले, ऐसा नहीं हो कि इस बीच में वे पास हांसिल कर लें। इसलिए मेरा निवेदन है कि इस बात के बारे में तथ्यों को कसौटी मानें। माननीय सदस्य कह रहे हैं कि वे आये माननीय मंत्री महोदय इन्कार नहीं कर सकते क्योंकि उन्होंने बृजमोहनजी से बहुत बातें कीं।

श्री हरिश्चन्द्र (उद्योग मन्त्री) : उपाध्यक्ष महोदय ....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : तो वे कहीं भाग नहीं जायं, पास नहीं बनवा लें, इस लिए हाउस अपना मानस बनाये तब तक चेअर की तरफ से व्यवस्था होनी चाहिये। आप इन्टेरिम आदेश दे दीजिये, निगरानी में

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

रखियो पास नहीं वनवा सकें। बाकी बहस में क्या रखा है।

श्री उपाध्यक्ष : अभी व्यवस्था का प्रश्न श्री सतीशचन्द्रजी की तरफ से इस बात का हुआ कि उन्होंने हाउस में इन्ट्रूजन किया और माननीय सुराणाजी की तरफ से यह था कि यह एक बीच आफ प्रिविलेज है कि वे लाबी में आ गये, लाबीज हाउस की डेफिनेशन में आती हैं। सबसे पहले माननीय श्री सुराणाजी ने सवाल उठाया उसके संबंध में कहूंगा कि हाउस की डेफिनेशन लेजिस्लेटिव असेम्बली बताई गई है। यदि लाबीज और गैलेरीज हैं, वे भी शरीक हैं तो यह सर्वमान्य तथ्य है कि पास लेकर गैलेरीज में आ सकते हैं, डी.बी.जी. गैलेरी, स्पेशल गैलेरी साधारण गैलेरी हैं, लाबीज इत्यादि में जा सकते हैं और मैं माननीय सदस्य का ध्यान तत्संबंधी रूल्स की तरफ आकर्षित करूंगा इसमें यह है –

"Ex-Member of the Assembly holding special sessional pass will be admitted to the lobby."

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : उनसे पास स्पेशल पास है क्या ?

श्री उपाध्यक्ष : मैं निवेदन कर रहा हूं इस प्रकार स्पष्ट हो जाता है विशेष परिस्थिति में कि एक्स-मेम्बर लाबीज में आ सकते हैं। दूसरे विभिन्न चेम्बर्स में भी इस प्रकार पास लेकर व्यक्ति जाते हैं, पर इस विषय में पता लगाया आ रहा है कि उनके पास किस प्रकार का पास था ? इस पास का पता लगे तब तक इन्ट्रूजन आंफ दी हाउस का, तो प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि हाउस के अन्दर तो नहीं आये लाबी में आये और किस हैसियत से आये इस बात का पता नहीं लगाया जाय तब तक कुछ नहीं कह सकते।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : या लाबी के गेट के वाहर से हाउस शुरू नहीं हो जाता है ?

श्री सतीशचंद्र अग्रवाल : इस मामले को उठाये २०-२५ मिनट हो गये और अब तक यह पता नहीं लगाया जा सका कि पास था या नहीं ?

श्री उपाध्यक्ष : पता लगाया जा रहा है।

श्री सतीशचंद्र अग्रवाल : क्या वे आपके पजेशन में हैं ? वे तो यहां से चले गये।

श्री उपाध्यक्ष : मैंने आदमी भेज दिया है पता लगाने के लिए।

(कुछ माननीय सदस्य एक साथ बोलने लगे व्यवधान)

Order please !

श्री **उमरावसिंह ढाबरिया** : आफिस से पता लगाइये, कोई ऐसा पास इश्यू हुआ है ?

श्री मानसिंह महार : जब मालूम पड़ा तो फौरन उनको क्यों नहीं रोका ? वाच एण्ड वार्ड वाले क्या कर रहे हैं ?

श्री **दलपत सिंह (आबू)** : अगर एक्स-मेम्बर था और आ गया ...

(व्यवधान-अश्रव्य)

श्री उपाध्यक्ष : Order please ।

श्री मानसिंह महार : परम्परा का सवाल है। सवाल बहुत ही मुद्दे का है।

श्री उपाध्यक्ष : सूचना मंगाईगई है।

कुछ माननीय सदस्य : फिर पास बन जायेगा ?

श्री उपाध्यक्ष : कैसे पास बन जायगा ?

श्री दलपत सिंह : परम्परा को हम भी जानते हैं।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : Order please ! माननीय सदस्यों....

श्री मानसिंह महार : आधे घंटे से क्या कर रहे थे ?

श्री उपाध्यक्ष : मैं विश्वास दिलाता हूं कि कोई पास अब नहीं बनेगा । जो उनके पास है उसको चैक करने का प्रयत्न कर रहे हैं।

श्री मानसिंह महार : वह तो हैं नहीं, क्या चैक करेंगे ? वेलिड फार लावीज नहीं है।

श्री उमरावसिंह ढावरिया : आप शीघ्र ही मालूम करें कि क्या लावी का पास इश्यू हुआ है, इतनी देरी लगाने की आवश्यकता क्या है ?

श्री मानसिंह महार : यह हाइट आफ एफीशियेन्सी है।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : अगर लॉवी के लिए वेलिड पास नहीं इश्यू हुआ है तो यह गलत काम हुआ है।

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषी मंत्री) : मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि इस सदन में आज जो बहुत से माननीय सस्दय बैठे हैं वे भी कल एक्स हो सकते हैं, तो आप इतनी सी बात पर अभी अभी पता लगाने के लिए....

(व्यवधान–अश्रव्य)

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : २६ फरवरी को जब हमको यहां से बाहर निकाला गया, तो ऐसे कितने लोग कांग्रेस के आ गए थे हमको बाहर निकालने के लिए ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : मैंने लिखित रिपोर्ट संबंधित अधिकारी से मंगाई है, आने पर जवाब दूंगा।

श्री रामकिशन : तब तक सदन की कार्यवाही स्थगित की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, आगे और स्थगन प्रस्ताव हैं ।

श्री भैरोंसिंह : आपने आदेश दिया कि रिपोर्ट मंगाई गई है । लेकिन, यदि चेयर बुरा न माने तो, इतनी देर के बाद चेयर को इस बात की सूचना न मिले कि अमुक व्यक्ति बिना पास के आया या

(श्री भैरोंसिह)

पास से, तो मैं समझता हूं कि विधान सभा सचिवालय के काम पर एक वहुत बड़ा रिफ्लेक्शन है । ऐसे मामले में जिसमें सदन एजीटेटेड हो और मांग कर रहा हो कि अमुक व्यक्ति को पास मिला या नहीं और विधान सभा सचिवालय इस बात का जवाब नहीं दे सके आधे घंटे के वादविवाद के बाद भी तो लोगों के दिमाग में विधान सभा सचि–वालय के प्रति अश्रद्धा का निमाण होता है । हम सरकार की आलोचना जो करते हैं इन्एफिशियेन्सी के लिए, रेडटेपिज्म के लिए वह इस विधान सभा सचिवालय की न कर पाएं तो उचित होगा । जहां भी सचि-वालय के एडमिनिस्ट्रेशन का सवाल आता है, उसको फौरन डिस्पोज ऑफ किया जाय तो लोगों में कम से कम धारणा बनेगी कि विधान सभा सचिवालय की वर्किंग इफि–शियेन्ट है । इसलिए इस मामले में पास है या नहीं, इस प्रश्न का तुरंत जवाब दिलाया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष : स्थिति यह हुई कि जिस समय यह प्रश्न उठा, उसी समय यहां से एक अधिकारी भेजा गया स्थिति का पता लगाने के लिए, लेकिन व्यक्ति विशेष उपलब्ध नहीं था, इसलिए उसकी तलाश में रहने के लिए देरी लगी और अब संबंधित क्लर्क से रिपोर्ट मांगी है तुरंत पेश करने लिए उनसे कहा है इसलिए....

श्री भैरोंसिह : यह दूसरा ऑफेन्स और माना गया ब्रीच आफ प्रिविलेज का विधान सभा सचिवालय को मालूम नहीं कि अमूक व्यक्ति आ जाता है, विना पास के लॉबी में कैसे घुस गया जहां सार्जेन्ट खड़ा रहता है । अगर सार्जेन्ट ने लॉबी में घुसने दिया तो यह समझ कर दिया कि उनके पास लॉबी का पास था स्थिति क्लीयर नहीं है अगर उनके पास पास नहीं था उनकी स्थिति स्ट्रेन्जर के रूप में होती है और मार्शल और सचिवालय की ड्यूटी थी की उनको उसी समय रोकता अंदर आने की अनुमति नहीं देता तो इस प्रकार की स्थिति पैदा नहीं होती । इसलिए इस मामले में, जैसा आपने बताया, जांच करने के लिए भेजा गया है लेकिन वह उपलब्ध नहीं । इससे इस बात का संकेत मिलता है कि उनके पास पास नहीं था और उनके अपने मित्रों ने सलाह दी होगी कि भागो नहीं तो सदन की बार में खड़ा होकर एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा । प्राथमिक रूप से आपने आप में सिद्ध हो रहा है कि उनके पास पास नहीं था और इसलिए वह विधान सभा से चले गये । इसलिए यह पर्याप्त कारण था, तुरंत इन्क्वायरी करने के लिए विशेष रूप से मार्शल का काम था कि वह जांच करते कि विधान सभा के अन्दर या लॉबी के अंदर कोई आदमी बिना पास के कैसे आ या और उसके खिलाफ क्या कार्यवाही की जा सकती है । इसमें घंटा–डेढ़ घंटा लग जाय, यह अनुचित है और इसकी रोक-थाम के लिए विधान सभा के रेकार्ड से आप प्राथमिक रूप से बता दें कि लॉबी में एन्टर करने का पास उनके पास था या नहीं ?

(शोरगुल)

श्री रामकिशन : व्यक्ति विशेष के साथ परम्पराएं जुड़ जाती है, यह चीज साफ सामने आ जाती है । दूसरे लोग भी कानून तोड़ेंगे....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मागने की उनको क्या जरूरत थी ? जो मगता है, वह चोर है ।

श्री मानसिंह महार : आपके वाच एण्ड वार्ड के इतने अदमी कुछ नहीं कर सके । हम सचिवालय के स्टाफ की मुक्त कंठ से प्रशंसा करते थे, लेकिन अफसोस है कि आज ४५ मिनिट हो गए जवाब नहीं आया कि वह पास लेकर आया था या नहीं ?

श्री रामकिशन : दो मिनिट का काम था ।

श्री उपाध्यक्ष : (कागज पढ़ने के पश्चात्) श्री वृजमोहन शर्मा को डी० वी० जी० का पास दिया गया ।

श्री भैरोंसिंह : लॉबी का पास नहीं था ?

(व्यवधान)

श्री मानसिंह महार : सदन उनको इम्पीच करेगा । सार्जेण्ट को निकाला जाय, वह अयोग्य हैं । वह क्या कर रहे थे ?सार्जेन्ट क्याकर रहे थे ? उनको गिरफ्तार किया जाय ।

(शोरगुल अश्रव्य)

श्री उमरांवसिंह ढाबरिया : उनको गिरफ्तार करके बुलाइये ।

(शोरगुल)

आई० जी० पी० को बुलाइये । उनको गिरफ्तार करके लायें ।

श्री मानसिंह महार : जब तक उनको जेल नहीं भेजेंगे तब तक काम नहीं चलेगा । कांग्रेस की तानाशाही नहीं चलेगी !

(शोरगुल–अश्रव्य)

नहीं चलेगी ! नहीं चलेगी !! कांग्रेस की तानाशाही नहीं चलेगी !!!

श्री उपाध्यक्ष : मैं निवेदन करूं....

(अनवरत शोरगुल)

श्री मानसिंह महार : अब कहने की गुन्जायश ही नहीं रही, उपाध्यक्ष महोदय । जब तक गिरफ्तार करके उनको नहीं लाया जायगा तब तक इस प्रकार की कार्यवाही नहीं चलेगी । नहीं चलने दी जावेगी । कांग्रेस की तानाशाही नहीं चलेगी, उपाध्यक्ष महोदय !

श्री राधाकृष्ण गोयल (टोंक) : आप सब के ही अधिकारों का सवाल है, हमारा ही केवल नहीं है । सदन की गरिमा को आपको कायम रखना चाहिये ।

(शोरगुल)

श्री उपाध्यक्ष : Order please ! मैं निवेदन करूं ....

श्री हरिराम चौहान (तिजारा) : उपाध्यक्ष महोदय...........

श्री उपाध्यक्ष : आप सुनिये तो सही मैं निवेदन कर रहा हूं । वास्तव में यह

(श्री उपाध्यक्ष)

डी. वी. जी. का पास है और जिन मेम्बर के पास यह डी. वी. जी. का पास था उधर आये यह बड़ी गलती हुई ।

(विरोधी पक्ष द्वारा 'हीग्रर हीग्रर')

श्री नाथूराम मिर्धा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय,

(शोरगुल)

कुछ माननीय सदस्य : बैठ जाओ, ! बैठ जाओ !!

(अनवरत शोरगुल)

श्री राधाकृष्ण गोयल : On a point of order, sir

(अनवरत शोरगुल)

श्री उपाध्यक्ष : Order please ! Order please !

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर) : यह हमको नहीं बोलने देंगे तो हाउस की कोई कार्यवाही नहीं चल सकेगी ।

(शोरगुल)

श्री उपाध्यक्ष : Order please !

और इस विषय में कोई प्रिविलेज मोशन उठाना चाहें तो उठा सकते हैं ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जोहरी बाजार, जयपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, प्रिविलेज मोशन दो प्रकार के हैं । एक प्रिविलेज मोशन विद्आउट नोटिस है यदि कोई स्ट्रेन्जर आ जाय तो वह उसी समय उठाया जा सकता है । एक वेकार आदमी, गरीब आदमी गैलेरी में बैठ गया वहां से उसने कुछ बोल दिया और कह दिया, तो हाउस में अपनी सारी कार्यवाही स्थगित करके, उसी दिन व उसी समय सार्जेण्ट को कह कर गिरफ्तार कर के बुलाया गया, उस पर चार्ज लगाया गया, चेयर ने पूछा कि उसको क्या कहना है क्योंकि उस पर यह चार्ज है कि उसने सदन की कार्यवाही में बाधा डाली है । उस समय यह सदन न्यायालय के रूप में, जज के रूप में बैठ गया । उस व्यक्ति ने सदन से क्षमा मांगी । उसको माफ कर दिया गया । इसलिये प्रिविलेज मोशन को मूव कर के नोटिस देकर करें तब तक तो सारी चीज ही बेकार हो जावेगी । इसलिये प्रारम्भ में, सदन में उनके बहिर्गमन करने से पहले ही ओरली प्रिविलेज मोशन मूव कर दिया गया था कि एक स्ट्रेन्जर लॉबी में घुस आया है, सदन की प्रतिष्ठा को भंग किया है, सदन की परम्पराओं को तोड़ा है, इसलिए उसको फौरन गिरफ्तार किया जाकर उसको सदन में बुलाया जाय । यदि मार्शल से उसको बुला लिया जाता तो न तो वह आदमी भाग जाता और न इतनी बात होती । ओरली प्रिविलेज मोशन मूव किया जा सकता है उसका आधार आपके सामने है । इसलिये आप तुरन्त मार्शल को आदेश दीजिये कि जिस व्यक्ति ने सदन की प्रतिष्ठा को भंग किया है, मर्यादा को भंग किया है, सदन की परम्पराओं का अतिक्रमण किया है और बाहर चला गया है, लेकिन मुझे तो आशंका है कि वह कहीं न कहीं मंत्री के कमरों में

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

ऊपर इधर-उधर बैठा होगा इसलिये आप मार्शल को आदेश दें कि वह उसको पकड कर लावें। उसको हाउस जो भी सजा दे, दलपतसिंहजी मेरे मित्र हैं, उनको लिनियेन्ट व्यू लेकर छोड़ दिया जाय तो विरोधी पक्ष भी उनके इस कथन पर निश्चित रूप से विचार करेगा। हम दिमाग बन्द करके नहीं बैठे हैं। सदन की परम्पराओं का सवाल है। डी. वी. जी का पास हो और लॉबी में घुस जाय–यह परम्परा कायम की तो डी० वी० जी० का लोग पास लेंगे और लॉबी में घुस जावेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, आप परम्पराओं के काफी हामी हैं। नियमों के हो या न हों। आप परम्पराओं की अधिक चिन्ता करते हैं। इसलिए, उपाध्यक्ष महोदय, जब प्रिविलेज मोशन है कि श्री बृजमोहनलाल शर्मा, भूतपूर्व श्रम मन्त्री सदन की कांग्रेस लॉबी में डी. वी. जी. का पास लेकर गये हैं, इसलिए उन्होंने सदन की परम्पराओं को उसकी प्रतिष्ठा को भंग किया है। कांग्रेस के मित्र यह ख्याल करें कि वे कांग्रेस के हैं। यहां तो सदन की परम्पराओं का सवाल है। आप भी, उपाध्यक्ष महोदय, कांग्रेस के हैं। सदन के आसन पर बैठ कर आप न जनसंघ के हैं और न कांग्रेस के। सदन की प्रतिष्ठा आपके सामने है। देश की आंखें इस सदन के सामने लगी हुई हैं। आप एक कांग्रेसी के खिलाफ एक्शन लेने में भी हिचकिचाहट नहीं करते और आपने एक कांग्रेसी के विरुद्ध भी सदन की परम्पराओं को तोड़ने के कारण कार्यवाही की।

(हीयर हीयर)

इसलिए आप मार्शल को आदेश दें कि श्री बृजमोहनलाल शर्मा, भूतपूर्व श्रम मन्त्री, जो ब्यावर के रहने वाले हैं, उनको तुरन्त गिरफ्तार करके सदन में प्रस्तुत करें।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : On a point of order, Sir. अभी आपने यह आदेश फर्माया कि इस मामले में कोई ब्रीच ऑफ प्रिविलेज का मोशन करना चाहे तो कर सकता है। मेरा यह निवेदन है कि इसमें ब्रीच ऑफ प्रिविलेज करने की आवश्यकता नहीं है और चेयर को ही एक्शन लेने का रहता है। रूल ३०३ में लिखा है :

"303. Admission of strangers. The admission of strangers during the sittings of the House to those portions of the House which are not reserved for the exclusive use of members shall be regulated in accordance with orders made by the Speaker."

Rule 304:-

"The Speaker may, whenever he thinks fit, order the withdrawal of strangers from any part of the House."

Then rule 305:-

"The Sergeant-at-Arms or an Officer of the Assembly Secretariat authorised in this behalf by the Speaker shall remove from the precincts of the House or take into custody any stranger whom he may see, or who may be reported to him to be, in any portion of the precincts of the House which is reserved

(श्री भैरोंसिंह)

for the exclusive use of members; and also any stranger who, having been admitted into any portion of the precincts of the House, misconducts himself or willfully infringes the regulations made by the Speaker under rule 303 or does not withdraw when the strangers are directed to withdraw under rule 304 while the House is sitting."

मेरा निवेदन करने का मतलब यह है कि यह क्वेश्चन स्ट्रेन्जर्स का है और स्ट्रेन्जर्स का क्वेश्चन जब अराइज हुआ है जब हाउस की सिटिंग हो रही थी, हाउस की कोई जब सिटिंग हो रही है, कोई स्ट्रेन्जर बिना अनुमति के इन क्षेत्रों में, लॉबीज में या हाउस में या उन पोर्शन में आ गया है जो कि केवल मेम्बर्स यूज के लिये रिजर्व स्थान हैं, उन स्थानों पर आकर खड़ा हो, बिना पास के खड़ा हो तो, डेफिनेशन 'स्ट्रेन्जर' की दी है, उसमें वह आता है। 'स्ट्रेन्जर' के लिए जरूरी नहीं है कि ब्रीच ऑफ प्रिविलेज का मोशन मूव किया जाय तब कार्यवाही हो, बल्कि यह कार्यवाही तो आसन की ओर से होनी चाहिए। उसको सार्जेन्ट को आदेश देकर गिरफ्तार करें और रूल्स के अन्तर्गत उसको सजा दें, वह रिग्रेट शो करे और उस पर हाउस जो चाहे निर्णय ले, जो भी हाउस चाहे वह उसके बाद ही निर्णय कर सकता है। इसलिए प्रिविलेज मोशन को छोड़ कर चेयर स्वयं ही उन बातों को ध्यान में रखकर कार्यवाही करे ताकि सदन में व्यवस्था और नियम बने हैं उनके अनुसार कार्यवाही हो जाय।

श्री मानिकचंद सुराणा (कोलायत) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि इसमें कोई फॉर्मल प्रस्ताव की आवश्यकता नहीं है। यह प्रस्ताव माननीय श्री सतीशचन्द्र जी के बहिर्गमन करने के पहले वह खुद भी अपनी बहस को और अपने मुद्दे को सारे प्रस्ताव में मूव कर चुके हैं और, उपाध्यक्ष महोदय, जो बहस आपके सामने की—जिसके ऊपर आपने यह रूलिंग दी है "अगर वह खड़े थे तो बड़ी भारी गलती हुई है" मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि आपका यह आब्जर्वेशन कि बड़ी भारी गलती हुई है, मुझे थोड़ा और एक आब्जर्वेशन की आवश्यकता अनुभव होती है और वह उसका कान्सीक्वेन्शयल रिलीफ है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि साफ तौर से आपने अपने ऑब्जर्वेशन में कह दिया है कि ब्रीच ऑफ प्रिविलेज है, लेकिन अब तो स्पष्ट आवश्यकता रह गयी है उसके लिये कोई टेक्निकल प्रस्ताव की आवश्यकता नहीं है और, उपाध्यक्ष महोदय, क्योंकि आप ब्रिटिश पार्लियामेन्ट्री ट्रेडीशन्स से वाकिफ हैं और मेज पार्लियामेन्ट्री प्रेक्टिस से भी खूब वाकिफ हैं—ज्वालाप्रसाद जी हंस रहे है शायद इनका इशारा है कि आपने नहीं पढ़ा है मुझे तो इसमें कोई शक नहीं है।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : मैं तो यह मानता हूं कि जब आपने ब्रीच ऑफ प्रिविलेज मान लिया तो सब इन्क्वायरी खत्म हो गयी।

श्री मानिकचंद सुराणा : इसलिये, उपाध्यक्ष महोदय, हाउस जो है उसका मूड है कि वह परम्पराओं की रक्षा करे। वह किसी व्यक्ति को दंडित करना चाहते है या नहीं वह

(श्री मानिकचंद सुराणा)

अलग बात है। लेकिन मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि दंडित करें या माफ करें यह मामूली बात है। हाउस माफ भी कर सकता है और दण्ड भी दे सकता है। लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, गम्भीर बात यह है कि क्योंकि वह विधान सभा के सदस्य रहे हैं और राजस्थान सरकार के मंत्री रहे हैं और अब यह ब्रीच ऑफ प्रिविलेज का मामला खड़ा हो गया और उस पर ऐतराज किया जा रहा है तो उनका चुपके से चला जाना उपाध्यक्ष महोदय मैं यह समझता हूं कि शायद वह हाउस से चले गये होंगे। गंभीरता की बात यह है कि मनुष्य से ही गलती होती है लेकिन गलती के बाद भी हाउस उनको माफ कर सकता है, इसलिए उनके खड़े रहने से भी ज्यादा जब मामला उठा तब यहाँ से उनका चला जाना अधिक गंभीर है। उनके पास सिर्फ डी० वी० जी० का पास होना, मैं समझता हूं कि गंभीर बात है। इसलिये मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस सारे मामले में रूल्स ऑफ प्रोसीजर, जो भी जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कोट किया है, उसको देखते हुए और विशेषाधिकार भंग होने की परम्पराएं रही है उनको देखते हुए जो भी फैसले लोक सभा के अन्दर हो चुके हैं उनको मद्देनजर रखते हुए, यह मामला ब्रीच ऑफ प्रिविलेज का है अब मैं चाहूंगा कि आपकी तरफ से यह होना चाहिए कि हाउस के सम्मुख उसको पेश करें और जो भी उनका जवाब लेना उचित समझते हैं लेकर हाउस उनको माफ करे या सजा दे। मैं नहीं कहता कि उनको दण्ड देने की आवश्यकता है। कोई प्रेक्टीकल इन्फ्रिन्जमेन्ट हुआ है उसमें हाउस कन्डोन भी कर सकता है और जैसी कि हमें ६६.६ परसेन्ट यह उम्मीद है कि हाउस कन्डोन करेगा, लेकिन उस ०.१ परसेन्ट में जो भी बात हो उनको हाउस के सामने बुलाना चाहिए। एक्शन लेना अत्यंत आवश्यक है अन्यथा इस हाउस की कोई परम्परायें सुरक्षित नहीं हो सकेंगी।

श्री दलपतसिंह (आबू): उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यही है कि आज १०-१२ साल से मैं भी मेम्बर हूं और हम देखते हैं कि इस हाउस में क्या परम्परायें चल रही हैं। इसमें कोई शक नहीं कि जहाँ तक टेक्निकल एडमिनिस्ट्रेशन आफ दी हाउस है वहां तक आपके और जैसा ब्रीच आफ प्रिविलेज का प्रश्न माननीय सदस्य ने उठाया है इसकी तरफ मैं नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन हमने जहाँ तक देखा है १० साल में हमारे कई पुराने दोस्त हैं वे मेम्बर भी रहें है और हमारे दोस्त इधर वालों के भी और उधर वालों के भी आते हैं और वे लोग मानवता के नाते लाबी में आ जाते हैं इससे यह नहीं कहता हूं कि उनको आना चाहिए यह तो ला की बात है लेकिन जब डी० वी० जी० का पास होता है और जब राजस्थान के वी० आई० पीज० यहां आते हैं तो लोग आ भी जाते हैं। माननीय सदस्य यह नहीं समझें कि मैं किसी दोस्त का मामला प्लीड करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं तो मानवता के नाते कहता हूं।

(व्यवधान)

श्री योगेन्द्र नाथ हांडा: मानवता तो उस समय रो पड़ी जब वह पूंछ समेटकर भाग गए।

श्री दलपत सिंह : यह मेरा माननीय सदस्यों से निवेदन है कि इसको मानवता कीतरह से लें। मैं नहीं कहता कि आपने ब्रीच आफ प्रिविलेज का क्वेश्चन क्यों उठाया है। आप उठा सकते हैं, आपको वैधानिक अधिकार है, आप जरूर उठायें और अगर उनके पास पास नहीं था और वह लोबी में आते हैं या आ गये यह उपाध्यक्ष महोदय, आपके ऊपर बात है कि आप उसके लिये कैसा सोचते हैं। मैं तो स्पोर्टिंग स्प्रिट की बात कहता हूँ। कई दफा इधर भी आते हैं। और उधर भी आते हैं और बैठते हैं। अगर थोड़ी सी बात के ऊपर इस मसले पर प्रश्न चल रहा था उस समय क्या ऐसा था कि वह अपनी जागृति को भुला सकते थे ? क्या एक सदस्य के आने से मानवता जो जागृत होती है उसको एक सदस्य थोड़े ही रोक सकता है ...

श्री जोधसिंह चौहान (गिरवा) : अब नहीं बटेंगे टुकड़े।

श्री दलपतसिंह : मैं समझता हूं कि किसी के इधर खड़े होने से हम प्रभावित नहीं हो सकते। तो इसी तरीके से अगर कोई इधर का दोस्त हो गया और वह इस गेलेरी में खड़ा हो गया और मेरा तो सिर्फ निवेदन है 'एज ऐ स्पोर्ट्समैन' कि हमको मानवता से लेना चाहिये। यह आपके सोचने की बात है उपाध्यक्ष महोदय, लेकिन १० साल से मैंने देखा है, सारजेन्ट एट आर्म्स या स्पीकर से भी निवेदन है कि यह आपके देखने की बात है कि किस स्प्रिट से बात करें।

श्री निरंजननाथ आचार्य (गृह मन्त्री) : उपाध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न जो सदन के सम्मुख है बड़ा महत्वपूर्ण है। इसमें हमारी परम्पराओं का भी प्रश्न है, हमारे रूल्स के विश्लेषण का भी प्रश्न है। ऐसी स्थिति में माननीय सदस्यों ने इस प्रश्न को बड़ी गम्भीरता से उठाया है हम भी अपेक्षा रखते हैं–इसका निर्णय बड़ी गम्भीरता से हो। मैं इसी सम्बन्ध में इसी सदन में एक प्रश्न उठा था उसको सदन के सम्मुख प्रस्तुत करते हुए उस पर जो निर्णय लिया गया था उस व्यवस्था को भी सदन के सम्मुख रखूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न पर निर्णय लेने के पूर्व जैसा माननीय श्री भैरोंसिहजी ने रूल्स ऑफ प्रोसीजर के रूल ३०३, ३०४ और ३०५ की तरफ ध्यान आकर्षित किया–ये महत्वपूर्ण रूल्स हैं जो इस ओर संकेत करते हैं स्ट्रेन्जर के दाखिल होने पर, ऐसे स्थान पर जहां उसको नहीं आना चाहिये वहां दाखिल होने पर उसके खिलाफ क्या कार्यवाही हो जाती है, और दूसरा रिलेवेन्ट रूल है १५७ जो कि क्वेश्चन ऑफ प्रिविलेज है और प्रोसीजर के माफिक क्वेश्चन ऑफ प्रिविलेज किस तरह से उठाया जाये और किस तरह से निर्णय लिया जाता है ये दो प्रोसीजर हैं। मैंने जैसा निवेदन किया कि इस प्रश्न पर यहां सदन के सम्मुख इसका निर्णय है जैसा माननीय सदस्य जयपुर से आने वालों ने कहा कि यह हाउस सुप्रीम है और न्यायालय का रूप लेता है ऐसे मामलों में। यहां व्यक्ति का ट्रायल होता है और हाउस कॉम्पीटेन्ट है उसको सजा देने के लिये–यह हमारी परम्परा है और बहुत पुरानी परम्परा भी

(श्री निरंजननाथ आचार्य)

है, हाउस ऑफ कॉमन्स की परम्परा भी यही है। मैं एक व्यवस्था की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूँ। एक असिस्टेन्ट कमिश्नर १९५७ अथवा इसके बाद में यहां दाखिल हो गये। अन्दर तक चले आये और मन्त्री महोदय से बात करने लग गये। हाउस ने इस सवाल को उसी समय उठाया और यह हाउस ने आग्रह किया कि इनको अरेस्ट किया जाना चाहिये। उस समय यहां व्यवस्था दी गई कि क्योंकि इसमें प्रिविलेज का प्रश्न है इसलिये इसकी व्यवस्था बाद में दे दी जायेगी। उपाध्यक्ष महोदय, उसकी व्यवस्था रेकॉर्ड पर है, उसमें व्यवस्था यह दी गई कि यह तो ठीक है कि असिस्टेन्ट कमिश्नर अन्दर दाखिल हो गये, ब्रीच ऑफ प्रिविलेज भी किया लेकिन दाखिला का प्रश्न बोनाफाइड था क्योंकि इनको पता नहीं था और जल्दी जल्दी में मन्त्री महोदय के पीछे चले आये। इसलिये नेक नीयति बोनाफाइड के आधार पर उसको एग्जम्पशन दिया गया।....

यह मैंने इसलिए अर्ज किया कि इसके ताकयात इन तथ्यों से न मिलते हों लेकिन निर्णय जरूर निकलता है कि एक व्यक्ति जो अन्दर आ जाय उसके सम्बन्ध में निर्णय देने के पूर्व तथ्यों का विश्लेषण किया जावे और तथ्य ऐसे हों जो कि बोनाफाइडी के द्योतक हों, हाउस की मर्यादा को भंग न करते हों तो स्पीकर महोदय उसको कण्डोन कर सकते हैं। जो प्रश्न अभी सामने है वह बोनाफाइड के प्रश्न के रूप में हाउस के समक्ष है।

दूसरा ३०३ के सम्बन्ध में उपाध्यक्ष महोदय यह बतलाया गया है कि :

"The admission of strangers during the sittings of the House to those portions of the House which are not reserved for the exclusive use of members shall be regulated in accordance with orders made by the Speaker."

अब इसमें यह संकेत किया गया है कि 'They may be admitted in any part of the House excepting the House.'

यह डिस्क्रिशन स्पीकर का है whether through a card or other permission उनको अलाऊ करें।

तो मेरा मतलब यह है कि 'may be admitted' में डिस्क्रिशन है स्पीकर का और दूसरे डिस्क्रिशन इन्वोल्व्ड हैं। स्पीकर चाहें तो गिरफ्तार करा लें और चाहें तो कार्ड न भी हो तो भी कण्डोन कर दें। यह सब स्पीकर के विवेक पर है। यह मैं मानता हूँ कि यह प्रश्न परम्परा और व्यवस्था से सम्बन्धित है और सीरियस होते हुए भी इसका विश्लेषण किया जाना चाहिए। बोनाफाइड्स का प्रश्न आता है इसलिए इसका विश्लेषण किया जाना चाहिए। इसमें यह इसलिए निवेदन कर रहा था कि रूल ३०३ में लिखा है ".........to those portions of the House which are not reserved for the exclusive use of members shall be regulated in accordance with orders made by the Speaker." अगर प्रिविलेज का

(श्री निरंजननाथ आचार्य)

प्रश्न इस तरह का होता तो इस नियम में स्पीकर को यह अधिकार दिया गया है कि यदि कोई ऐसे स्थान पर चला आए जहां पर कि उसको नहीं आना चाहिए तो स्पीकर को यह हक होता है कि वह इस तथ्य को देखें कि दरअसल ब्रीच ऑफ प्रिविलेज की स्थिति बनती है या नहीं और उसके ऐसा करने में उसके बोनाफाईड्स क्या हैं ? और जो रूल्स से रेगुलेटेड स्थिति है और जहाँ इस प्रकार की स्थिति आ जाती है वहाँ रूल्स से रेगुलेट की जा सकती है जिसमें स्पीकर महोदय को सदन के सार्जेन्ट-एट-आर्म्स को अधिकार है कि वह उसको बाहर भी निकाल दे। इसलिए ३०३ और १५७ में बहुत फर्क है।

अब मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि जैसा यहाँ कहा गया कि वह त्रुटि से यहाँ पर आ गए। उपाध्यक्ष महोदय ने इसको त्रुटि माना कि वह त्रुटि से उस स्थान पर आ गए जहाँ उन्हें नहीं आना चाहिए था और उसीके साथ माननीय उपाध्यक्ष महोदय दूसरा संकेत भी दे सकते थे कि उसको बाहर निकाल दिया जाय। तो जो संकेत या आदेश माननीय उपाध्यक्ष महोदय की ओर से दिया जा सकता था कि उसको बाहर निकाल दिया जाय उसका भी पालन यहाँ पर हो गया। ज्योंही उन्होंने देखा कि हाउस एजीटेटेड हो गया है और उपाध्यक्ष महोदय उनकी त्रुटि मानने के साथ साथ दूसरा आदेश भी दे सकते हैं। तो उसके पहले ही वे महाशय यहाँ से चले गए। He has withdrawn himself इसलिए ...

(व्यवधान)

मैं मानता हूँ कि प्रश्न गम्भीर है, प्रश्न हमारी परम्पराओं का है, हमारे कानून और नियमों के विश्लेषण का है अत: मैंने यह व्यवस्था की बात इस सदन के सामने रखी कि अन्दर दाखिल होने पर असिस्टेंट कमीश्नर को जैसे कण्डोन किया गया था और यह माना गया कि वह भुलावे में यहाँ आ गए, मंत्री के साथ आ गए और उसे ब्रीच ऑफ प्रिविलेज नहीं माना गया। इसलिए मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि यही पर्याप्त है कि उन्होंने आपके आदेशों का पालन कर लिया और उपाध्यक्ष महोदय के संकेत को समझ कर तुरन्त यहाँ से प्रस्थान कर गए। यह आपके आदेशों के पालन का द्योतक है, इस सदन के आदेशों का और स्पीकर महोदय के आदेशों के पालन का द्योतक है, यही मुझे अर्ज करना है।

(कुछ माननीय सदस्य एक साथ बोलने लगे)

श्री मानसिंह महार (आमेर) : उपाध्यक्ष महोदय, आपकी व्यवस्था हो जाने के बाद अधिक कहने की गुंजाइश नहीं है इस बारे में। लेकिन हमारे गृह मंत्रीजी ने जो बातें कहीं हैं वे बड़ी जोरदार हैं, इसमें कोई शक नहीं है मैं दाद देता हूँ उनकी बुद्धि को। उन्होंने तो कमाल कर दिया। वह कहते हैं कि एक आदमी ने कोई गलत काम किया और आपके इशारे से भाग गया। इसके माने तो यह हुआ कि चोर चोरी करने गया और माल भी उसके हाथ में आ गया और लोग उसको पकड़ने दौड़े और वह भागा और उसको जाकर मील आधा मील पर पकड़ भी लिया गया, फिर उसके लिए कहें कि उसने कोई गुनाह नहीं किया क्योंकि वह तो भाग गया, यही मतलब लगाया जाय

(श्री मानसिंह महार)

उनकी बात का। यह हमारे गृह मंत्रीजी कहते हैं कि उन्होंने गलत काम किया, नोइंगली किया और जब यहाँ पर उठाया गया मुद्दा तो वह यहाँ से भाग गया और इसलिए अब उनका कोई कसूर नहीं रहा। देखिए, क्या न्याय है आपका! क्या आर्गूमेंट है आपका! आप हमारे होम मिनिस्टर ही नहीं हैं अब तो लॉ मिनिस्टर भी हैं। अब तो राजस्थान का खुदा ही मालिक है। मैं मानता हूँ कि आपने जो रूलिंग दी है वह उचित है। अब प्रश्न इतना ही रह जाता है कि जो आदमी, जो स्ट्रेंजर इस सदन में घुसा, वह लॉबी में नहीं घुसा, इस सदन के हिस्से के अन्दर खड़ा हुआ और एक मिनिस्टर को बुला कर उन पर वोस ओवर किया, इससे बढ़ कर और कोई ज्यादती और अन्याय नहीं होगा। इस मामले में अब कोई आंर्ग्यूमेंट नहीं चल सकता। अगर कोई गाँव का गरीब मेरे ही गाँव का आदमी रास्ता भूल कर अगर इधर खड़ा हो जाता तो हम ही सारे, हमारे उधर बैठने वाले सदस्य परम्पराओं की दुहाइयाँ देते और चिल्लाते कि डेमोक्रेसी खतरे में है। जिस तरह से कांग्रेस के चुनाव में गांधीजी की दुहाई देते हैं, नेहरूजी की दुहाई देते और अब तो लालबहादुरजी की दुहाई और देते हैं। पहले तो दो ही की देते थे, अब तो तीनों की दुहाई देते हैं, उसी तरह से यहाँ परम्पराओं की दुहाई देते। हम अगर इस सदन की कार्यवाही को कुछ समय के लिए रोक दें, समय से थोड़ा ज्यादा बोल लें तो परम्पराओं की ऊपर से नीचे तक दुहाई दी जाती है। मैं निवेदन करना चाहता हूँ उपाध्यक्ष महोदय, कि आज यह बहुत अहम मसला है। आज तो यह श्री बृजमोहनलाल का मामला है, कल हमको भी ब्रीफ करने वाले यहाँ आकर खड़े होंगे और आपको पंगु कर देंगे। आज अगर आप इस बृजमोहनलाल को इस सदन के सामने नहीं लाए और आपने दूसरा फैसला दे दिया तो कल से हमको भी बीस ब्रीफ करने वाले यहाँ आकर खड़े होंगे, आप उनका भी कुछ नहीं कर सकेंगे। आप डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो यह घटना पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के लिए बहुत सहज मसला है। अगर आपको इस सदन में व्यवस्था रखनी है तो वह चाहे एक्स–मिनिस्टर हों, चाहे पी. सी. सी. के प्रेसीडेंट हों या कांग्रेस के आका हों, अगर उसने कोई गलत काम किया है, ब्रीच आफ प्रिविलेज किया है, जैसा कि आपका क्लिअर आदेश है, आपकी रूलिंग है कि वह ब्रीच आफ प्रिविलेज है तो आप उनको इस सदन के कठघरे में बुलाइए। यह सदन as a judges बैठेगा और उसके बाद फैसला होगा। उस समय हमारे मित्र जो कि सिरोही से आए हैं श्री दलपत सिंह जी, जिन्होंने कि स्पोर्ट्समेन स्प्रिट की बात कही, तो उधर तो एक दो ही स्पोर्टसमेन होंगे लेकिन इधर तो ७५ प्रतिशत ही स्पोर्ट्समेन हैं। उनको किसी प्रकार की घबराहट नहीं होनी चाहिए। वह हमको एक शब्द की आकर कह दें कि जो कुछ हुआ वह आयन्दा नहीं होगा। लेकिन वह तभी हो सकता है, स्पोर्ट्समेन स्प्रिट तब ही आ सकती है जब कि उनको यहां बुलाया जाय। मैं तो कहता हूं कि जो स्पोर्ट्समेन स्प्रिट की बात करते हैं उनको चाहिए कि 'अंज ए स्पोर्ट्समेन' जाकर श्री बृजमोहन लाल को बुला कर इधर लायें और उपाध्यक्ष महोदय को कहें

(श्री मानसिंह महार)

कि वह खड़ा है ग्राप बुला कर कटघरे में खड़ा कीजिए । फिर 'एज ए स्पोर्ट्समेंन,' ग्रगर ग्राप स्पोर्ट्समेंन हैं तो वृजमोहन लाल तो ग्रापके सामने खड़ा होता है तो फिर यहां ग्राकर खड़े होने में क्या दिक्कत है ? यह हाउस सुप्रीम है, यह सुप्रीम वॉडी है । ग्रापको मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों का यू. पी. के ग्रन्दर क्या हुग्रा ? मैं ग्रापसे उपाध्यक्ष महोदय, यह निवेदन कर रहा था कि ग्राप लोगों की विचारधारा में नहीं वहें । मैं यह ग्रापको इसलिए ग्रर्ज करता हूं कि ग्राज ग्रगर इस मामले में जरा सी भी ढील दे दी गई तो इसके रिपरकुशन्स क्या होंगे उसको भी ग्राप सोचिए । कल से हमको भी ब्रीफ करने वाले ग्रायेंगे तो ग्राप कुछ नहीं कर सकेंगे, हम भी उस वक्त कहेंगे डीयर स्पोर्ट्समेन, डीयर फ्रेंड । हम उस वक्त ग्रापको भी कहेंगे उपाध्यक्ष महोदय, कि तीन दिन पहले ग्रापने यह फैसला दिया था । हम नहीं चाहते कि पालियामेंट्री डेमोक्रेसी किसी प्रकार के खतरे में हो ।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

हम चाहते हैं कि देश में डेमोक्रेसी जिन्दा रहे ग्रौर डेमोक्रेसी के लिए, उपाध्यक्ष महोदय, मैं ग्रापसे ग्रर्ज करूं कि यह मसला कोई राजस्थान के लिए ही नहीं है ।

यह सारे भारतवर्ष के लिए मिसाल है जो ग्राज ग्रापकी रूलिंग होगी वह ऐतिहासिक रूलिंग होगी । ग्रगर ग्राप ग्राज श्री वृजमोहन शर्मा-एक एक्स मिनिस्टर जैसी बिग गन-को ग्रपने महान् हृदय से, जैसा कि ग्राप करते ग्राये हैं, ग्राप जैसे महान् व्यक्तित्व से मैं कहना चाहता हूँ कि ग्रगर ग्राज ग्राप इस बात से दब गये, उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह नहीं मान सकता, कल्पना नहीं कर सकता कि हमारे डिप्टी स्पीकर ग्रौर श्री वृज मोहनजी के नाम से किसी प्रकार से यह हो । ग्रापका ग्रादेश होना चाहिए सार्जेन्ट-एट-ग्राम्र्स को कि वृज मोहन को यहां बुलाकर खड़ा किया जाय । यह सदन न्यायालय के रूप में परिणित होगा ग्रौर होकर फैसला दे । ग्रब बुलाने में हिचकिचाहट है ? ब्रीच ग्रॉफ प्रिविलेज तो हो गया । उपाध्यक्ष महोदय, यह साफ हो गया कि वे यहां ग्रनग्रॉथोराइज्ड रूप से ग्राये । यह तो ग्रापको पास से मालूम ही हो गया ग्रौर उधर बैठने वाले मित्र जो वृज मोहन की पेरवी करते थे वे भी कहने लगे कि भाई माफ करो । माफ किया जायगा या नहीं किया जायगा यह सुप्रीम वॉडी के हाथ में है, लेकिन वह यहां ग्राकर खड़ा होना चाहिए । हम उस एक्स मिनिस्टर को यहां ग्राकर खड़ा देखना चाहते हैं ग्रौर यह बताना चाहते हैं कि मिनिस्टर हो या एक्समिनिस्टर हो एम० एल० एज० के सामने सब बराबर हैं ग्रौर हमारे पैदा किये हुए हैं, वह कोई खुदा नहीं है । इसलिए वृज मोहन को यहां बुलाना ग्रत्यन्त ग्रावश्यक है । ग्रगर इस सदन की महानता को ग्रापको कायम रखना है तो फोरन, उपाध्यक्ष महोदय, वृज मोहन को यहां बुलाया जाय ।

श्री भैरोंसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, श्री निरन्जननाथ जी ग्राचार्य जो कि कानून मंत्री भी हैं उन्होंने रूल के बारे में यहां कन्फ्यूज करने की कोशिश की कि 'लोवीज' वह स्थान है या नहीं जो मेम्बर्स के लिए एक्सक्लूजिवली इस्तेमाल करने के लिए हैं ग्रौर जिनके

(श्री भैरोंसिंह)

बारे में व्यवस्था की हुई है। इस सम्बन्ध में मैं माननीय मंत्री महोदय की जानकारी के लिए रूल्स के आधार पर यह बताना चाहूंगा कि लोबीज केवल मेम्बर्स के लिए ही निर्धारित हैं इसमें जो परिभाषा दी हुई है–उस परिभाषा में लिखा है:

" 'Precincts of the House' means and includes the Chamber, the Lobbies the Gallaries and such other places as the Speaker may from time to times pecify.'

अब मैंने आपके सामने रूल ३०३ पढ़कर सुनाया और रूल ३०४ भी आपके सामने पढ़कर सुनाया था। उसका मतलब यह है कि माननीय वृजमोहन जी ऐसे स्थान पर गये जो केवल मेम्बर्स के लिए निर्धारित था और बिना पास के गये थे।

इस समय दूसरी बात एक जो इस सदन में है जिसके लिए मैं इतना सीरियस नहीं हूं वह यह है कि उनको किस तरह से पेनेलाइज किया जाय। लेकिन एक बात जानकारी के लिए सदन में रखना चाहता हुं कि गैलेरीज के रूल्स जो राजस्थान विधान सभा के लिए बनाये गये हैं उन रूल्स का यह रूल १४ है : जिसमें लिखा है:—

"The responsibility with respect to any visitor will rest solely on the member or person introducing him who shall be responsible for the behaviour of the person concerned during his stay in the gallery or the legislative assembly premises."

उनको कोई दण्ड दिया जाय इसके बारे में मेरी कोई इच्छा नहीं है, लेकिन मैं आपके द्वारा इस बात की जानकारी चाहूंगा कि वे कौन से माननीय सदस्य हैं जिन्होंने इनको इन्ट्रोड्यूस कराया है और जिस इन्ट्रोडक्शन के बाद उन्होंने रूल्स के अनुसार विहेव नहीं किया।

अब माननीय मंत्री महोदय ने दो बातें विशेष रूप से कहीं। एक तो उन्होंने कहा कि एक असिस्टेन्ट कमिश्नर यहां आ गये थे तो उनको सजा नहीं दी गई थी और उनको यह जाहिर कर दिया कि हाउस इतना सख्त एटीट्यूड नहीं रखता है और आपने पहले की एक बात थी उसको रखा कि उनको सजा नहीं दी जाय, हालांकि सजा देना हाउस के अधिकार की बात है। लेकिन परम्परा का सवाल है, जहां तक व्यवस्था का सवाल है हम यह आशा नहीं कर सकते कि एक भूतपूर्व मेम्बर, जो एक बड़ी रेस्पान्सिबल पोस्ट यानी एक मिनिस्टर रहा है, उनसे यह आशा नहीं कर सकते कि उनको असेम्बली के रूल्स का पता नहीं, वे असेम्बली की परम्पराओं से अनभिज्ञ थे तो यह मानकर चलना पड़ेगा कि उनको इस बात की जानकारी तमाम थी।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : तब आप फिर यह कैसे दावा करते हैं कि कानूनन मिनिस्टर भी कुछ नहीं जानते ? जो बात अभी आप बतला रहे हैं वह कानून मिनिस्टर पर लागू नहीं है क्या ?

श्री भैरोंसिंह : वह बिल्कुल सही है। राजस्थान में ऐसे ऐसे मंत्री रहते हैं जिनको कुछ पता नहीं सिवाय वेतन लेने के और

(श्री भैरोंसिंह)

भत्ता लेने के। यह आपने सही बात कही है। मैं आपकी बात की दाद देता हूं। प्रश्न यह नहीं है। प्रश्न यह है कि स्पीकर चाहें तो सजा दें। यह बात बिल्कुल सही है। हमने उनको रूल्स में इतने बड़े पावर्स दिये हैं कि स्पीकर चाहें तो रूल्स कंडोन कर सकते हैं, स्पीकर चाहें तो किसी भी प्रकार का निर्णय ले सकते हैं. लेकिन यदि आप लोगों की यह इच्छा हो कि सारे अपोजिशन को भुलाकर स्पीकर पर डालकर उनको बचाने की कोशिश की जाय तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप स्पीकर की सर्विस नहीं कर रहे हैं। स्पीकर को उन तथ्यों में फंसाने की कोशिश कर रहे हैं कि जहां आज स्पीकर को इन्डिपेन्डेन्टली किसी प्रकार के रूल्स को कन्डोन किया जाय, रिलेक्स किया जाय उनको यह पावर्स दी हैं तो विश्वास के कारण। उन पावर्स का दुरुपयोग करके सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लें तो जैसा कि महार से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा, सॉरी, जमुआ रामगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा उस तरह की बात करने वाले नहीं हैं। मैं निवेदन करूंगा, माननीय अध्यक्ष महोदय से निवेदन करूंगा कि इस प्रकार की कोई इमरजेन्सी पैदा नहीं हुई है जिस इमर्जेन्सी के कारण स्पीकर को रूल्स के अन्दर इन्टरप्रिटेशन में बाद में ऐसी व्याख्या करनी पड़े जिस व्याख्या के कारण सारी मार चेयर के ऊपर आ जाय। यह चैयर इतनी रेस्पेक्टेबल है कि इस चैयर को जितना कन्ट्रोवर्सी से दूर रखा जाय, तो दूर रखने की चेष्टा करना चाहिए। दुर्भाग्य से कानून मंत्री यह चाहते हैं कि चैयर को जितना कन्ट्रोवर्शल बनाया जाय उतना ही अच्छा है। हो सकता है कि उनके उपाध्यक्ष पद का अनुभव इसका आधार हो और उस आधार पर चैयर को कन्ट्रोवर्शल बनाना चहाते हों जलन के कारण। कन्ट्रोवर्शल बना कर उसकी प्रतिष्ठा को गिराना चाहते हैं, लेकिन मैं नहीं गिराना चाहता हूं।

प्रश्न यह उठाया गया है यहां पर विद्ड्रा करने के लिए, तो विद्ड्रा करने के के बाद चीज नहीं बिलेगी कि राजस्थान के एक्स-शिक्षा मंत्री जी राजस्थान के छात्र उनसे प्रेरणा लेते थे, उनको श्री बृजमोहन जी को चाहिये था कि उसी वक्त वे स्पीकर को एक लैटर लिखते कि गलती से लोबी की तरफ चला गया था। इस प्रकार का लैटर लिखकर देते तो यह मानवता की बात थी। सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य जो मानवता की बात करते हैं वे लैटर पेश कर देते और सदन के सामने रख देते तो सदन सीरियस एटीट्यूड लेने वाला नहीं है। उस लैटर को रिग्रेट शो करने के बाद स्वीकार कर लेते। इसके विपरीत रिग्रेट शो नहीं करके और बिना पूछे चले जाते हैं तो यह बात संकेत करती है कि उनके मनमें यह बात जरूर थी कि गलती करदी है और इससे बचने का तरीका और नहीं हो सकता सिवाय इसके कि असेम्बली के बाहर जाकर रिक्षा या स्कूटर जो मिले उसको पकड़ कर ब्यावर पहुंचा जाय। वे ब्यावर चले गये होंगे। अगर चले नहीं गये होंगे तो जाने की तैयारी में होंगे। विद्ड्रा करने का सवाल नहीं है। असिस्टेन्ट कमिश्नर ने कुछ परम्परा कायम करा दी वह इस तरह का सवाल है जिसको यह हाउस इस तरह से सीरियस

(श्री भैरोंसिंह)

नहीं लेता है और इग्नोर करके चल सकता है। जो मेम्बर अनभिज्ञता से घुस गया है और नोटिस में आगया हो तो भी नोटिस में नहीं लेते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन एक मेम्बर जब हाउस में इस प्रश्न को लेकर हाउस में आये हैं-जिस विषय पर माननीय चेयर को यह रूलिंग देनी पड़ी कि उन्होंने गलती की है, और यह भी स्थिति पैदा हुई कि कांग्रेस के मेम्बर्स में आज कोई यह बात कहने को तैयार नहीं है कि गलती नहीं की। हाउस ने एक मैटर को सीरियसली लिया और उसके बाद असमर्थता के कारण इसको यों डिसपोज ऑफ कर दें तो यह हाउस के लिए उचित नहीं होगा। यह बात सही नहीं कि सजा हो इसके बारे में मैं नहीं कहता लेकिन यह हाउस की प्रतिष्ठा के ऊपर आंच आने का सवाल है। पिछली बार वे इलेक्शन में हार गये और उन्हें विधान सभा में घुसने का मौका नहीं मिला तो आज गलती से उन्होंने विधान सभा में घुसने का मौका प्राप्त कर लिया। मैं समझता हूँ कि उन्हें विधान सभा में पैर रखने की अनुमति दी जाय ताकि कम से कम इस तरह की भावना बन जाय कि आखिर ५ वर्ष पहले हार गया तो एक बार तो विधान सभा में चला ही गया वह मौका उनको मिलेगा। इसलिए चेयर को रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि इस मामले को सीरियसली नहीं लेते हुए, चूंकि हाउस ने इसको टेक अप कर रखा है, उसमें सीरियसनेस है और उसी सीरियसनेस से इसको डिसपोज ऑफ करना चाहिये यही उचित होगा वर्ना एक गलत परम्परा का निर्माण होगा और फिर आचार्यजी खड़े होंगे और कहेंगे कि बृजमोहन जी का उदाहरण है। मैं विशेष नहीं बोलता लेकिन एक गलत परम्परा कायम होगी जो कि पहले किसी प्रकार से बन गई थी–उसका रिपीटिशन नहीं होना चाहिए....

श्री राधाकृष्ण गोयल : उदाहरण देने के लिए दुबारा हाउस में वे नहीं आयेंगे।

श्री रामकिशन (बैर) मुझे एक मिनिट निवेदन करना है।

श्री हीराभाई (कुशलगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं पहले थोड़ी सी बात कह दूं।

यदि हम हाउस को ढंग से न लें तो हमने एक कल्याणसिंह या कल्याणमल नाम का लड़का था उसका जिक्र किया था दूसरा धराधर किस तरह से हाउस में बोल गया था, अंग्रेजी का सवाल था। दोनों घटनाओं में उसी वक्त उनको गिरफ्तार किया था और सार्जेन्ट के उधर रखा गया था और शाम को लाकर पेश किया था। बाद में हाउस ने फैसला किया जो कुछ किया, ठीक किया, हाउस को अधिकार था इसलिए किया। इस तरह की छोटी-छोटी गल्ती करने वालों को कहेंगे चोर है, सजा दो और एक इतना बड़ा आदमी हाउस को मुगालता देनेवाला खड़ा हो हाउस में वह भी समझता हुआ, अनजान में अनसमझे किया हो तो माफ किया जा सकता है। लेकिन मिनिस्टर रहा व्यक्ति आधे घंटे तक खड़ा रहा। हम यह सोच रहे थे कि हमारे भोगीलालजी पाण्ड्या क्यों खड़े हैं, अंदाज कर रहा था पहिचान में नहीं आया। वह इतनी देर तक खड़ा रहा। हमारे आचार्य जी ने कहा कि भूल से आकर खड़ा रह गया। भूल से आदमी

(श्री हीराभाई)

आधा घंटा तक आकर खड़ा नहीं रह सकता। उसने हाउस को हाउस नहीं समझा, हाउस को इस ढंग से रखा, यह हमारे हाउस की बहुत बड़ी मान–हानि है। छोटों के लिए तो कानून हो सकता है, कल्याणमल जैसों के लिए तो मैं चेयर से ज्यादा रिक्वेस्ट नहीं करके यही कहूँगा कि कानून सब के लिए बराबर है, चाहे मिनिस्टर हो, चाहे और कोई हो गिरफ्तार करके मंगाया जाय। हाउस उसको कुछ भी सजा दे इसमें एतराज नहीं होगा। लेकिन कानून सब के लिए एकसा है, नीति का सवाल है, आचार्य जी ने कहा भूल से खड़ा रहा। पर भूल से नहीं जानबूझ कर खड़ा रहा, नीयत साफ थी इसलिए मैं चेयर से निवेदन करूंगा कि वह जहां कहीं भी हो पकड़ा कर मंगाया जाकर हाउस के सामने खड़ा किया जाय।

श्री रामकिशन (वैर) : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे एक निवेदन करना है। वैसे मैंने अंग्रेजी पढ़ना छोड़ रखा है लेकिन अंग्रेजी आचार्य जी की वजह से पढ़ लूंगा अर्थ बताऊंगा। उसमें लिखा है कि मेम्बर्स के एक्सक्ल्युजिव यूज के लिए वह है। आपका तर्क या कि कैसा भी प्रिविलेज मोशन हो, स्पीकर चाहें तो विद्ड्रा के लिए नियम में प्रावधान कर सकते हैं लेकिन ३०३ रूल है उसमें साफ है, मेम्बर्स के आने–जाने का क्षेत्र सुरक्षित नहीं हो तो उसके लिए व्यवस्था दे सकते हैं। लेकिन नियम स्पष्ट है उसका अर्थ यह है कि गैलेरीज हों, लॉबीज हों और सदन का सवाल है ये उनके प्रयोग के लिए हैं। इस मामले में स्पीकर को कोई अधिकार नहीं है कि नियम के विपरीत ऑर्डर दे सकें। इसलिए मंत्री जी ने जो व्याख्या की है वह अंग्रेजी नहीं जानने के कारण की है। मैं अंग्रेजी नहीं जानता लेकिन वे भी नहीं जानते इसलिए गलत व्याख्या की है।....

श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेड़ा) : वे वकील रहे हैं।

श्री रामकिशन : यह प्रश्न बहुत महत्व पूर्ण नहीं है कि बृजमोहन को सजा दी जाय, न दी जाय लेकिन प्रश्न है परंपरा का। परंपरा के बारे में सभी माननीय सदस्यों ने निवेदन किया है चेयर से गंभीरता से विचार करने के लिए आज तो प्रश्न बृजमोहनजी का है इसलिए बहस हो गई, यदि कोई अनजान आदमी गलती करता तो मैं समझता हूं सदन दूसरी कार्यवाही चालू करता और सजा दी जा चुकी होती। मैं यह नहीं सोचता कि क्या सजा देंगे क्या नहीं। परंपराओं की बात करते हैं तो परंपराओं का उल्लंघन है इसलिए मैं सदन से आपकी मार्फत निवेदन करूंगा कि इसमें कोई झिझक नहीं होनी चाहिए। सदन की प्रतिष्ठा का सवाल है, इस तरह के मामलों में जो कोई भी अपराधी हो सदन के दृष्टिकोण से अपराधी है तो वह जरूर दंडित होना चाहिए, अन्यथा ऐसी परिस्थिति पैदा हो जायगी, राजस्थान में तरह तरह के आन्दोलन चल रहे हैं, कांग्रेस के भीतर भी आन्दोलन चल रहा है, सैकड़ों लोग घुसेंगे और मर्यादा का चलना मुश्किल हो जायगा। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि मर्यादा भंग के लिए जो प्रावधान किया है उनके अनुरूप कार्य करना चाहिए आचार्य जी ने ३०३ की गलत व्याख्या की

(श्री रामकिशन)

है। वे भी कहदें कि अंग्रेजी नहीं जानने के कारण गलती हो गई। यदि वे अंग्रेजी जानते तो स्पष्ट प्रावधान है स्पीकर कुछ नहीं कर सकते, मर्यादा भंग करने का मामला है इस पर उचित विचार करना चाहिए।

श्री राधाकृष्ण गोयल (टोंक): उपाध्यक्ष महोदय,...

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर): ऐसा है उपाध्यक्ष महोदय, जिसके खिलाफ आपत्ति प्रस्तुत हुई है वह आदमी न तो सदन के सामने है और न भवन में आपके सामने है। दूसरे मसले भी कम महत्व के नहीं हैं इसलिए मैं क्लोजर मोशन मूव करता हूं। दूसरा मसला पत्रकारों के संबंध में है....

श्री रामकिशन (वैर) : मजदूरों का प्रश्न अभी तो बाकी पड़ा है ....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि राजस्थान पत्रिका, जो दैनिक समाचार पत्र है, उसको लेकर जो घटना हुई उसने सभी पत्रकारों में रोष व्याप्त किया है। इससे पत्रकारों में बड़ा रोष है। मैं समझता हूँ कि आपको भी इस बारे में काफी जानकारी हुई है। ऐसी स्थिति में हमको इस पर विचार करना है। राजस्थान के पत्रकारों में इस प्रकार की स्थिति व्याप्त है, लोगों के पास टेली-फोन आते रहें हैं, धमकियां मिलती जा रही हैं कि जिन्होंने स्टेटमेंट दिया हैं उनकी हालत खराब कर देंगे। इस पर भी गृह मंत्री जी चुप बैठे रहे, मेडिकल मंत्रीजी को कुछ नहीं, राजस्थान सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे, इस लिए यह कर्तव्य है कि इस घटना पर गंभीर विचार करें, क्या कदम लें, सरकार को क्या कदम लेना चाहिए, सदन का क्या दृष्टिकोण है। इसलिए जो स्थगन प्रस्ताव इस संबंध में प्रस्तुत किये गये, मैं निवेदन करूंगा कि शीघ्रातिशीघ्र आप उन पर विचार करने का मौका दें तो अच्छा रहेगा। २–४ मिनिट किसी को कहना है, कहेगा। महत्व-पूर्ण विषय पर विचार करना चाहिये।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक राजस्थान पत्रिका का सवाल है उससे हम चिन्तित हैं और उस पर गंभीरता से विचार करके जायेंगे। लेकिन इस सवाल को भी अधर-भूल लटकता नहीं छोड़ना चाहिए। जहां तक यह प्रश्न है कुछ पार्लियामेन्टरी डेमो-क्रेसी में कुछ परंपराओं और कुछ नियमों के आधार पर चलते हैं। इस ओर बैठने वाले माननीय सदस्य कोई परंपरा तोड़ दें तो पहले धरा जाय और उस ओर से टूटे तो कुछ नहीं ...

श्री उपाध्यक्ष : ये क्लोजर मूव कर रहे हैं व्यवस्था दे दूं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : हमारा यह कहना है कि गृह मंत्रीजी जो कुछ कहें लीनियेन्ट एटीट्यूड लेना चाहिए, बोनाफाइडी है, यह तो क्वान्टम आफ पनिशमेंट पर है कितनी सजा देनी चाहिये कितनी नहीं। पहला सवाल तो यह है कि सामने तथ्य है, कन्टैम्प्ट आफ हाउस हो चुका है, प्रिविलेज भंग हो चुका है इसलिए

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

बृजमोहनजी को सदन के समक्ष बुलाया जाय। वे क्या तथ्य रखते हैं, क्यों आये थे; बोनाफाइडी था या मेलाफाइडी था उस वक्त हाउस किस मूड में होगा, क्या सजा देनी चाहिए, हमें इस बारे में बहुत कुछ कहना है। जैसे बोनाफाइडीज् उनको नजर आते हैं, हमको नजर नहीं आते। उन्होंने बुरी तरह से दिलचस्पी ली है। महालक्ष्मी मिल बंद हुआ उस पर एक्शन नहीं लिया। उसके पीछे बृजमोहनजी का हाथ नजर आता है इसलिए वे इस हद तक चिन्तित हुए कि मिल मालिक की वकालत करने यहां तक आये और उन्होंने सदन की परंपरा की चिन्ता नहीं की। कालाबाजारी या कुछ भी करते हों लेकिन हमारे यहां जनता द्वारा चुने हुए १७६ मेम्बर्स के सामने अपनी दलाली. महालक्ष्मी मिल मजदूरों को लूटनेवालों को दलाली करने से नहीं चूके....

इस बात को हमें सोचना पड़ेगा कि उनकी बोनाफाइडी कितनी है और कितनी नहीं है। लेकिन फिर भी इस ओर बैठने वाले कुछ भी करें या मामला जो भी हो उस पर उतना गम्भीर व्यू लें लेकिन उनके आकर कुछ करें तो उसके बारे में सफाई देना चाहें कोई इस तरह इस सदन की मर्यादा–भंग करे और इस सदन को शक्तिहीन समझे कि मैं स्कूटर में बैठ कर उड़ जाऊं तो मुझे सदन में कोई पेश नहीं कर सकेगा। मैं समझता हूं कि सदन की शक्ति बहुत कम मान कर उतना ही और भी इसकी मर्यादा-भंग करना है। मेरा निवेदन है कि उधर से जितने माननीय सदस्य बोले हैं, नसीराबाद से आने वाले माननीय सदस्य बोले हैं, माननीय दलपतसिंहजी बोले हैं या माननीय गृह मन्त्रीजी बोले हैं–सब ने इस बात को स्वीकार किया है कि मर्यादा भंग हुई है–मेलाफाइडी हो या बोनाफाइडी हो तो भी उनको बुलायें आप और उनको बुला कर उनसे जवाब तलब किया जाय। उपाध्यक्ष महोदय, पहले आप इस सम्बन्ध में अपना निर्णय दे दीजिये ताकि दूसरा सब्जेक्ट लिया जा सके।

श्री राधाकृष्ण गोयल (टोंक) : आसन तो अपना निर्णय दे चुका है।

श्री उपाध्यक्ष : मैं निवेदन कर दूं....

श्री राधाकृष्ण गोयल : आसन ने निर्णय दे दिया है। केवल यह अधिकार हाउस का है वह अन्तिम निर्णय ले इस सम्बन्ध में, इसलिए उनको बुलाया जाय।

श्री हरीराम चौहान (तीजारा) : उपाध्यक्ष महोदय....

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि मन्त्री) : आप बैठिये, चेयर लेग पर है।

श्री उपाध्यक्ष : Order please !

सदन के सामने जो प्रश्न उपस्थित हुआ है, श्री बृजमोहनजी यहां इस गैलेरी में अनधिकार रूप से आये। उस बात का, इसी प्रकार की एक घटना को अभी-अभी एक माननीय सदस्य ने रेफर भी किया था, पहले भी हुई है कि प्रेस गैलेरी में इसी प्रकार से अनधिकार रूप में एक पुलिस अधिकारी ने प्रवेश किया था और उस परम्परा और उस

(श्री उपाध्यक्ष)

सब चीज को देखते हुए में इस चीज को काफी अहमियत देता हूँ और रूल्स १६२ के अन्तर्गत में इसको प्रिविलेज कमेटी को सौंपता हूं।

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि मन्त्री) : (किसी माननीय सदस्य के बोलने के लिए खड़े होने पर) प्रिविलेज कमेटी को सौंप दिया अब क्या ?

(३.५२ म० प०)

"राजस्थान पत्रिका" के कार्यालय पर हुए हमले से सम्बन्धित स्थगन प्रस्ताव पर वक्तव्य एवं वाद-विवाद।

श्री उपाध्यक्ष : Next is Rajasthan Patrika's Adjournment motion.

राजस्थान पत्रिका दैनिक समाचार पत्र, जयपुर, के कार्यालय पर हुए हमले से जयपुर में आम तौर पर तथा समाचार पत्रों के लिए खास तौर पर विकट चिन्ता की स्थिति बन गई है जो विचारों को स्वतन्त्र बनाये रखने के लिए अत्यन्त ही लोक महत्व का प्रश्न है। उपरोक्त अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न की चर्चा के लिए सदन की साधारण बैठक स्थगित करने की प्रार्थना करता हूं। यह है राधेश्यामजी ..

श्री राधाकृष्ण गोयल (टोंक) : मेरा है राधाकृष्ण गोयल।

श्री उपाध्यक्ष : श्री राधाकृष्ण गोयल, इसी प्रकार का एक स्थान प्रस्ताव सर्व श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल, हरिप्रसाद शर्मा और यह स्पष्ट नहीं है....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : सर्व श्री भैरोंसिंह, कृष्ण कुमार गोयल।

श्री उपाध्यक्ष : भैरोंसिंह और एक, दो माननीय सदस्य और हैं जिनका लिखा हुआ है यह स्थगन प्रस्ताव।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंह नगर): मेरा भी है एक स्थगन प्रस्ताव।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेड़ा) : हमारा भी है। कल ही दे दिया था स्थगन प्रस्ताव और स्पीकर ने बुलाकर होम सेक्रेटरी को दे दिया था। हमने कल ही स्थगन प्रस्ताव दे दिया था।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : सब विरोधी दल स्थगन प्रस्ताव के बारे में एकमत हैं, कांग्रेस वाले अपनी बात जानें।

श्री उपाध्यक्ष : चूंकि मैं इस स्थगन प्रस्ताव को अत्यन्त अविलम्बनीय लोक महत्व का नहीं समझता जिसके लिए सदन की कार्यवाही स्थगित की जाय इसलिए मैं इसे अस्वीकार करते हुए सम्बन्धित मन्त्री महोदय से प्रार्थना करूंगा कि वह इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दें।

श्री राधाकृष्ण गोयल (टोंक) : आज या कल ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल जौहरी बाजार, जयपुर) : अभी और अभी।

श्री निरंजननाथ आचार्य (गृह मन्त्री) : इसका जवाब अभी देना है ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आज ही और अभी इसी वक्त ।

श्री निरंजननाथ आचार्य : मैं पूछ रहा हूँ ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : हम भी अपनी भावना बता रहे हैं जिससे आप जो चाहें हां या ना, वह न कहला दें ।

श्री उपाध्यक्ष : जब सुविधा से जवाब दे सकते हैं तब दें ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आज ही देना है ।

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर) : पूरी जानकारी करके ही तो देंगे ।

श्री दुर्गालाल बादवार (हवामहल जयपुर) : जब कि यह समाचार अखबारों में आ चुका है और आपकी नॉलेज में भी है तो आपको वक्तव्य देने के लिए प्रिपेयर्ड होना चाहिए ।

श्री राधाकृष्ण गोयल : उपाध्यक्ष महोदय, यह एक बहुत महत्वपूर्ण मसला है ।

श्री निरंजननाथ आचार्य : अभी वक्तव्य देने के लिए नहीं कहा गया है । अभी तो स्थगन प्रस्ताव डिस एलाऊ हुआ है और मुझे स्टेटमेंट देने का आदेश हुआ है । ऐसी स्थिति में यदि आदेश आज वक्तव्य देने का है तो मैं थोड़ा समय इसलिए चाहता हूं कि इसकी अभी इन्वेस्टीगेशन प्रोग्रेस में है । यदि कल के लिए आदेश हो जाय वक्तव्य देने के लिए तो मैं पर्याप्त इसकी सूचना दे सकूंगा ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : नहीं, नहीं ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : केवल इसलिए आप समय चाहते हैं....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अभी आप वक्तव्य दें । यह एक अत्यन्त महत्वपूर्ण मसला है ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : सतीश जी !

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : बड़े अफसोस की बात है....

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आप केवल इसलिए समय चाहते हैं....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : बड़े अफसोस की बात है कि राज्य के गृह मन्त्री आज वक्तव्य देने की स्थिति में नहीं हैं, जब कि राजस्थान पत्रिका जैसी 'ए' क्लास श्रेणी की पत्रिका के कार्यालय पर, जयपुर में और राजधानी में आज से चार दिन पहले कातिलाना हमला हुआ, २०,००० रु० की सम्पत्ति की लूट-पाट की गई, प्रेस के कम्पोजीटर्स को पीटा गया और मशीन तोड़ दी गई । आज चार दिन बाद भी राज्य के गृह मन्त्री इस स्थिति में नहीं हैं कि इस सम्बन्ध में वह अपना वक्तव्य दें । मैं समझता हूँ कि इससे ज्यादा शर्म की बात और क्या हो सकती है ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : केवल इसलिए मन्त्री महोदय समय चाहते हैं....

श्री राधाकृष्ण गोयल : इसकी सूचना आपको पहले ही दी, अगर, कोई ऐसी बात थी तो उसकी जानकारी आपको कर लेनी चाहिए थी।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : श्रमजीवी पत्रकार संघ ने नोटिस दे रखा है कि २० तारीख को उनके प्रेस बन्द रहेंगे इसलिए आप आज स्टेटमेंट नहीं देना चाहते हैं। आपको निवेदन करना चाहता हूं कि पत्रकारों को धमकियां दी जाती हैं, उसके बाद इस तरह की घटना होती है, ऐसी स्थिति में मन्त्री महोदय को स्टेटमेंट आज ही देना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : Order please ! माननीय मन्त्रीजी स्टेटमेंट दे रहे हैं।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, उन्होंने जो....

श्री उपाध्यक्ष : He is giving the statement.

श्री राधाकृष्ण गोयल : अब देते हैं। वैसे ही वक्तव्य दे देते।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : एक बात मैं पूछना चाहता हूं। आज से ४ दिन पहले जब प्रस्ताव आ गया था तो मैं पूछना चाहता हूं, जैसा उन्होंने कहा कि मैं कल स्टेटमेंट दूंगा तो ...

श्री उपाध्यक्ष : अब मान रहे हैं।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : तो बीच में २ दिन की छुट्टी निकल गई उसमें आप मालूम कर सकते थे। आज आप कहते हैं।

श्री निरंजननाथ आचार्य (गृह-मंत्री : जो कुछ भी घटना, उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान पत्रिका के सम्बन्ध में हुई यह निश्चय ही, उपाध्यक्ष महोदय, हेय है घृणित है, दुखद है, स्वतन्त्र और स्वस्थ पत्रकारिता पर यह एक आघात है। इस का राज्य सरकार को भी अत्यन्त दुख है, वेदना है। इस सम्बन्ध में....

श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई) : रो मत पड़ना।

श्री निरंजननाथ आचार्य : इस प्रकार स्वतन्त्र और स्वस्थ पत्रकारिता को आतंकित किया गया आतंकित करने का प्रयास किया गया अपराधों के आधार पर उस सम्बन्ध में मैं यह स्टेटमेंट सदन के प्रांगण पर प्रस्तुत करता हूं।

राजस्थान पत्रिका के प्रेस मैनेजर द्वारा दि० १६–६–६६ को प्रातः २ बजे दी गई इत्तला-अव्वल के आधार पर यह पाया जाता है कि दिनांक १५ व १६ सितम्बर की दरमियानी रात को ४०–५० विद्यार्थी लगभग एक सवा बजे लाठियां व डण्डे लिए हुए प्रेस कार्यालय पर पहुँचे और खिड़की को खुलवा कर अन्दर प्रविष्ठ हुये। कार्यालय के अन्दर पहुँचने के पश्चात् उन्होंने टेलीफोन को क्षति पहुंचाई, मेजें, कुर्सी, बल्ब व शीशे आदि की भी तोड़-फोड़ व मारपीट की, मशीन व टाइप सेक्शन में भी नुकसान किया। प्रेस मैनेजर द्वारा लगभग १५–२० हजार रुपये का नुकसान बताया गया है। १०–१५ मिनट में ही सारी हरकतें कर लड़कों का भाग जाना बतलाया गया।

(श्री निरंजननाथ ग्राचार्य)

उपरोक्त घटना की लिखित सूचना प्राप्त होने के पहले ही, फोन से प्राप्त हुई सूचना के ग्राधार पर फ्लाइंग स्क्वैड तुरन्त घटना स्थल पर पहुँच गया व सब-इन्सपेक्टर, थाना मानकचौक भी ग्रपने दल के साथ रवाना होकर पहुँच गये। कुछ समय बाद ही सी. ग्राई. भी मौके पर पहुँच गये थे, इत्तला ग्रव्वल प्रेस मैनेजर द्वारा पुलिस को मौके पर ही दी गई थी जिसके फलस्वरूप मुकद्दमा ह. द. ४५२। १४७।१४८।१४७।४२७ डकेती में ग्रादि दर्ज की जाकर ग्रनुसंधान प्रारम्भ किया गया व जिन ११ व्यक्तियों के चोटें ग्राई थीं उन्हें मुग्रायने हेतु ग्रस्पताल भेज दिया गया था। उपरोक्त मुकद्दमे की तफतीश वरिष्ठ पुलिस ग्रधिकारियों की देखरेख में की जा रही है। एफ ग्राई. ग्रार में मुलजिमान का नाम, हुलिया ग्रादि का कोई उल्लेख नहीं था जिस वजह से मुलजिमान का निराकरण करने में व ग्रागे की कार्यवाही करने में स्वभावतः समय लग रहा है। पुलिस द्वारा तत्परता से तफतीश जारी है ग्रौर काफी प्रगति हो चुकी है।

यह उल्लेखनीय है कि इस घटना के पहले दिनांक ६-६-६६ को सम्पादक, राजस्थान पत्रिका को धमकी भरे टेलीफोन प्राप्त होना बताया गया ग्रौर मैनेजर ने प्रेस कार्यालय पर उस दिन ही धावा होने की सूचना दी थी इस ग्राधार पर २-३ दिन के लिए प्रेस कार्यालय पर पुलिस का विशेष प्रबन्ध कर दिया गया था।

(४.०० म. पं.)

श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय,........

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : ग्रोन ए पोइन्ट ग्राफ क्लियेरी फिकेशन, सर। उपाध्यक्ष महोदय, जैसा माननीय मंत्री महोदय कहते हैं वैसा सीधा साधा सा यह मामला नहीं है। मुझे खेद तो इस बात का है कि जो स्टेटमेंट दिया गया है उसको ग्राप कम्पलीट मानते हैं ग्रौर किस प्रोइन्ट्स से मानते हैं....

श्री **उमरावसिंह ढाबरिया** : हम पहले बता दें।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : मैं पहले बता देता हूँ ग्रौर ५ मिनट में बता देता हूँ उपाध्यक्ष महोदय. मैं इस सिलसिले में निवेदन करना चाहता हूं कि ग्राज यहां पर इतने रोज से बराबर इसकी चर्चा है ग्रौर इस चर्चा के बाद सार्वजनिक महत्व है। इसमें खास बात यह है कि किस वक्त तो इत्तिला हुई ग्रौर किस वक्त पुलिस वहां पर पहुंची ग्रौर उन पुलिस के ग्रधिकारियों ने उनके साथ क्या व्यवहार किया. उसके बारे में स्पष्टतया या सही तौर से उनको कहना है। वहां पर हमला हुग्रा उन लोगों का कहना है। उसके बारे में स्पष्ट शिकायत है जिसकी जांच कराई जानी चाहिये। जो उनकी मांग है उसमें पुलिस ने इतनी ढिलाई क्यों दिखलाई मैं कहूंगा कि उन्होंने फोन किया। उनको कहा गया कि एस. पी. सो रहे हैं उनको जगाया नहीं जा सकता। ग्रौर जब कोई कार्यवाही नहीं हुई तो उन्होंने हरिदेव जोशी को कोन्टेक्ट किया ग्रोर उसके बाद में वहां पर पुलिस पहूंची। इससे पहले पुलिस वहां नहीं पहुंची यह टालमटोल क्यों की गई? उनको वह कहा गया कि ग्राप मानक चौक में रिपोर्ट कर दीजिये, यह कर दीजिए

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

वह कर दीजिये । उसके बाद में फ्लाइंग स्क्वैड आया । उसने कोई कॉग्निजेन्स नहीं लिया ।

इसके साथ साथ मैं यह निवेदन करूंगा कि यह शहर राजस्थान की राजधानी है अगर यहां पर इस तरह का गेंग्स्टर बन रहा है, तो मैं आपसे यह जानना चाहता हूँ कि आपके गुप्तचर विभाग के कार्यकर्ता क्या कार्य कर रहे हैं ? इतने बड़े महत्वपूर्ण अखबार पर, 'राजस्थान पत्रिका' के छापा–खाने पर, हमला हो जो होस्पिटल की जो गन्दी हालत है उसके बारे में लिख रहे थे उसके बाद उनको पता चल चुका था कि उसमें किन लोगों का हाथ है । जिन सब लोगों ने मिलकर उस चीज को आर्गेनाईज किया और रात को १।। बजे छापाखाने पर हमला किया । मैं इसको एक डाका समझता हूं, इसको मर्डर समझता हूँ । यह एक बहुत बड़ा षडयन्त्र है । इतने लड़कों की कान्सि–पिरेसी है । अगर यही हालत रही तो निश्चित ही राजस्थान पत्रिका जैसे अखबार निश्चित रूप से सांस नहीं ले सकते । वे सच्ची बात लिखते हैं तो लोग उन पर हमला करते हैं । पुलिस ने उसमें हमले के बाद क्या एक्शन लिया ? आप कहते हैं कि उनके खिलाफ केस दर्ज कर दिया । मैं यह पूछना चाहता हूँ कि इतना बड़ा काण्ड हुआ, सारे राजस्थान में इसका आतंक हुआ है कि हमारे जान और माल की रक्षा करने की जिम्मेदारी किस के हाथ में है । और जब यह वाक्यात हुई तो हमको डर बढ़ा कि यहां पर गुण्डों का गेन्गेस्टर बढ रहा है और पनप रहा है । हमको यह देखना है कि उनके पीछे ऐसी कौनसी ताकत है जो उनको पनपा रही है । इसलिये जो हमारी जान और माल की व्यवस्था की रक्षा की जिम्मेदारी है उसकी क्या स्थिति है । इतने लोगों की चर्चा है और कुछ लोगों ने किया है उनके . डिपार्टमेंट की चर्चा है । इसमें कौन लोग हैं जो आज यह समझते हैं कि सारे कानून हमारे जेब में हैं ?, हम किसी के घर में जाकर कुछ भी कर सकते हैं और यही सोचकर उन्होंने ऐसा किया है ? मैं यह कहना चाहता हुं कि कर्मचारियों का क्या कसूर है, वे लोग तो कम्पोज करते हैं और मशीनमैन वहां पर काम करते हैं । उन पर जाकर इस प्रकार हमला करना मैं यह कहूंगा कि यह प्रीकनाइज्ड है, हीनियस क्राईम है । डाक्टरों का इन्स्टीट्यूट है । वे ऐसा कार्य करते हैं और जब अखबारवाले उनको दबाने की कोशिश करते हैं और जब कारखाने वाले उनको लिखते हैं तो इस प्रकार की कार्यवाही करते हैं । यह एक क्राईम है । चाहें वे कोई भी लड़के हों अगर वे इस प्रकार की ज्यादती करते हैं तो सहन नहीं की जा सकती है । मैं लडकों को बेटों की तरह प्यार करता हुं लेकिन मैं उनको यह छूट नहीं दे सकता कि वे जनजीवन के साथ खिलवाड़ करें । आज आप यह कहते है कि उनके नाम नहीं है । लोगों को मालूम है । मैं बच्चों को बच्चों की तरह प्यार कर सकता हूँ लेकिन उन्होंने डाकुओं की तरह से हमला किया है उसको बरदास्त नहीं कर सकता । जिन लोगों का हाथ है, मैं यह मान सकता हूं कि यह एक बहुत बड़ा षडयन्त्र है जिसका यह अखबार शिकार हुआ है और सब जगह आतंक हो गया है । इस आतंक को रोकने के लिए यह अत्यन्त आवश्यक है कि उन लोगों को गिरफ्तार किया जाए । आपने उन पर

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

कुछ सेक्शन लगाये हैं। आपने कौन कौन से सेक्शन लगाये हैं, डाके, मारकाट, षड्यन्त्र और कानस्पीरेसी के बाद आपने यह दफा लगाये। मैं यह कहूंगा कि कानस्पीरेसी के बाद उन्होंने यह कार्य किया उसका क्या नतीजा होता है। मैं यह कहूंगा कि छोटे छोटे क्राइम से यह काम नहीं चलेया। यह तो कोन्सपीरेसी है और इसके लिए उनको सजा दी जानी चाहिये।

(समय–समाप्ति–सूचक घंटी)

मैं यह जानना चाहता हूं कि इस कांड में अफसरों के बच्चे थे या नहीं? जो जो लोग हैं वे अफसरवालों के बच्चे थे या नहीं? अगर यह गिरफ्तारियें इनकी वजह से नहीं होती हैं तो यह बहुत अन्याय की बात है और यह बहुत बड़ा क्राईम हुआ है उसकी जिम्मेदारी गेंगेस्टर पर है। मैं यह कहूंगा कि उनको तुरन्त गिरफ्तार कया जाना चाहिए नहीं तो राजस्थान में यह बात हो जावेगी कि कोई भी अखबार किसी के खिलाफ कुछ नहीं लिख सकेगा।

(समय–समाप्ति–सूचक घंटी)

कोई भी बात लिखने की और कहने की आज जो स्वतन्त्रता है अखबार वालों को वह नहीं रहेगी। आज हमको धमकीं दी जाती है और अगर उनके खिलाफ कार्यवाही नही हुई तो इस प्रकार की कार्यवाहीं नहीं हुई तो इस प्रकार की कार्यवाही के लिए बड़ावा मिलेगा कि आज एक साथ २० आदमियों ने मिलकर राजस्थान पत्रिका पर हमला किया अखबार वाले चिल्लाते रहे। संस्था ने रेजोल्यूशन पास किया मगर कुछ नही होगा। पहले भी लोकवाणी पर हमला हुआ था उस समय वहां के प्रिन्सीपल और लोगों ने मिलकर उनसे माफी मंगवा कर उनको छोड़ दिया और माफ करवा दिया और अब मैं यह कहूंगा कि वह भी सरकार की गलती थी कि उनको माफ कर दिया अब की बार उनको उस गलती को नहीं करना चाहिये।

हम चाहेंगे कि जो शंकाए उत्पन्न हुई है कि इस तरह का पुलिस के अधिकारियों का रवैया है, मैं किसी पुलिस अधिकारी को नहीं जानता, मगर यह अवश्य कहूंगा कि उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही होनी चाहिये, जिन्होंने इसके ईन्वेस्टीगेशन में देर लगाई है। उनका इसमें क्या इन्टरेस्ट है। अगर उनका कोई इन्टरेस्ट है और अधिकारियों के लड़के है तो उन पर भी एक्शन लेना चाहिये मै यह मानता हूं कि सरकार की और कांग्रेस की इच्छा नहीं है कि आज जो नागरिक हैं उन पर जुल्म हो।

(समय–समाप्ति–सूचक घंटी)

आज १॥। करोड़ नागरिक आपकी तरफ देख रहें हैं। आज तीन दिन से एडजोर्नमेंट मोशन पड़ा है। उसके बाद आज आप यह कहते है कि सिम्पेथी दिखाई आपने मातमपोशी की है।

(समय–समाप्ति–सूचक घंटी)

इसकी मातमपोसी तो सारा राजस्थान कर चुका है। आप तो यह बताये कि आपने किसी को आज तक गिरफतार किया या नहीं यह आप बता दें जिससे जनजीवन को कुछ विश्वास हो जाए।

(श्री राधाकृष्ण गोयल, श्री रामानन्द अग्रवाल व श्री भैरोंसिह आदि के खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष : आप संक्षेप में बोलें।

श्री भैरोंसिह : आप किसी एक को कह दीजिये। हम सब खड़े हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : उपाध्यक्ष महोदय,

श्री उपाध्यक्ष : मैं केवल इतना निवेदन करूंगा कि ५, १० मिनट तक बोल लें ताकि सब निपट जावें।

श्री रामानन्द अग्रवाल : पुलिस ने तो जो रवैया दिखाया है वह तो पता लग गया आपसे तो सहानुभूति चाहते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आप ५, १० मिनट में स्पष्टीकरण करें।

श्री रामानन्द अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, जो राजस्थान पत्रिका के साथ घटानी हुई है और काम रोको प्रस्ताव लोगों ने प्रस्तुत किया है उसका भी उत्तर माननीय मंत्री ने दिया है। उस उत्तर को मैं एक बिलकुल अनोपचारिक उत्तर मानता हूँ। वह बिल्कुल इस तरह का नजरिया लगता है जिस तरह का नजरिया पुलिस ने राजस्थान पत्रिका पर यह घटना होने के बाद अपनाया है। कि घटना हो गई, लोग घायल हो गये, टेलीफोन मानकचौक कोतवाली थाने पर किया तो कहते हैं कि लिखित में रिपोर्ट करो। कोई कहता है कि अभी साहब सो रहे हैं, जगाया नहीं जा सकता। इतनी बड़ी घटना होने के बाद भी लिखित में रिपोर्ट आनी चाहिये इस बात पर बहस घंटे, डेढ़, घंटे चलती रहे और इसलिये पुलिस कार्यवाही डेढ़ घंटा लेट हो गई। चार दिन हो गये इस घटना को घंटे और मन्त्री महोदय ने यह नहीं बताया कि घटना के पीछे बैकग्राउन्ड क्या है, यह नहीं बताया कि छात्र कहाँ के थे मन्त्री महोदय ने केवल छात्र कहा। वे छात्र कहां से सम्बन्धित है ? सभी अखबारों में है कि मेडिकल कॉलेज के छात्र हैं। उन्होंने डिनाइ भी नहीं किया, यह तो कहते कि मेडिकल कॉलेज में भी बहुत से स्टुडेन्ट्स हैं, सा के सब स्टुडेन्ट ऐसे नहीं हो सकते, चालीस, पचास ऐसे हो सकते हैं। तो यह जानकारी देना जरूरी था कि कहाँ के छात्र थे और किस तरह घटना हुई। उनको यह भी बताना चाहिये था कि पुलिस ने किस किस तरह की एन्क्वायरी की है और एन्क्वायरी से पुलिस किस किस नतीजे पर पहुँची है। किसी पुलिस अफसर की नीयत मुकदमें को दर्ज करके दफ्तर दाखिल करने की होती है उसी तरह का स्टेटमेंट मन्त्री महोदय ने दिया है। हमारे पास हुलिया दर्ज नहीं, हमारे पास नाम नहीं उन छात्रों के इसलिये हम अभी नहीं पकड़ सके हैं। ४०, ५०, आदमी इस प्रकार हमला करें, तो कोई आदमी पूरी तरह से उन लोगों के नाम नहीं जान सकता, उनके हुलिये पहचान सके, यह जरूरी नहीं। और तरीके हो सकते हैं, गवर्नमेंट के पास इन्टेलिजेंस है, गवर्नमेंट के पास यह भी है कि पहले भी इस तरह की घटनाएं हुई हैं, थ्रेटनिंग लैटर्स आते रहे हैं। पर इसके पीछे क्या बैकग्राउन्ड है, इसका मन्त्री महोदय ने कोई उत्तर नहीं दिया। उपाध्यक्ष महोदय, मुझे तो खेद के साथ कहना पड़ता

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

है, मंत्रीजी ने उत्तर दिया है उससे मेरी धारणा मजबूत हो गई है कि न केवल मेडिकल कालेज के छात्र, न केवल पुलिस के अधिकारी लोग बल्कि इस गवर्नमेंट के कुछ मंत्री लोग जैसे कॉन्सपायर करके, किसी अखबारवाले से नाराज होकर, बदले की भावना लेकर उसे नुकसान पहुँचाने पर तुले हुए हों इस प्रकार का इस सब रवैये से जाहिर हो रहा है। इस प्रकार की घटना हो जाय, पुलिस वहाँ घटनास्थल पर पहुँचे नहीं, पुलिस अफसर उठे नहीं। मंत्रीजी ने कहा कि फ्लाइंग स्क्वेड वहाँ पहुँचा पर वास्तव में फ्लाइंग स्क्वेड वहाँ नहीं पहुँचा, एस० पी० साहब को कहा तब उन्होंने कहा कि मैं जानकारी करूंगा कि फ्लाइंग स्क्वेड क्यों नहीं गया। मुझे तो पता चला है कि पत्रकारों के प्रतिनिधि हमारे आई० जी० पी० साहब से मिले तो उन्होंने इनसे कहा कि जो हॉस्पिटल को बूचड़खाना लिखेगा, उसके साथ ऐसा व्यवहार होगा, इसमें क्या बड़ी बात है? बड़े आश्चर्य की बात है कि इस प्रकार की बात आई० जी० पी० पत्रकारों को कह सकते हैं तो अखबारों के प्रति क्या रवैया है, यह इसी बात से जाहिर हो जाता है। यह बात सही है कि राजस्थान पत्रिका ने अस्पताल की खराबियों के बारे में, मरीजों की ठीक देख-रेख नहीं होती इस बारे में लेख निकाले। एस. एम. एस. हॉस्पिटल के बारे में ही नहीं हर हास्पिटल के बारे में ही नहीं इस प्रकार के हालात, इस प्रकार की खबरें, समाचार हमको अखबारों में पढ़ने पड़ते हैं, खुद अनुभव करने पड़ रहे हैं, मरीज रो रहा है, पर फीस नहीं मिली डाक्टर को इसलिए मरीज की देखभाल नहीं होगी। यह सब हमारी देखी हुई, अनुभव की हुई बातें हैं। यहीं की नहीं, अलवर, गंगानगर के तजुर्बे हैं। माननीय सदस्य रोजमर्रा इस तरह की बातें सदन में रखते रहे हैं, अखबारों में भी रखते रहे हैं। अगर किसी कॉलेज में किसी कॉलेज हॉस्टल में स्टूडेन्ट्स को किसी प्रकार की दिक्कत है, अगर कहीं जनता को दिक्कत है, विद्यार्थियों को दिक्कत है, एडमिनिस्ट्रेटिव को दिक्कत है, तो हम लोगों का उन दिक्कतों को सदन में रखने का काम है और पत्रों का का काम है उन बातों को अखबार में देने का निर्भिकता से देने का। कोई भी गलती करें, एडमिनिस्ट्रेशन के लोग गलती करें, अस्पतालों के लोग गलती करें, विद्यार्थियों की तरफ से गलती हो तो उनको निर्भिकता से रखना हमारे प्रजातन्त्र में यह मूलभूत अधिकार है। कुछ भी विचार रखते हों, आजाद तरीके से रखें। पर आज हॉस्पिटल के अधिकारी इसलिये कि उनकी आलोचना अखबारों में छपी है तो अपने छात्रों को इस प्रकार अपना टूल बनायें, बदला लेने की भावना लेकर उन्हें हथियार बनाने की कोशिश करें, वे उनके पास पढ़ते हैं, उनके छात्र हैं, उनको इम्तिहान में नम्बर लाने होते हैं, उनकी इन कमजोरियों का फायदा उठायें, बैड करेक्टर्स को उनका लीडर बनाकर इस तरह सार्वजनिक जीवन में इस प्रकार की स्थिति पैदा करने की कोशिश करें तो यह राजस्थान के लिये बहुत गम्भीर और सोचने की बात है, हमें गम्भीरता से इसका इलाज करना पड़ेगा।

इसलिये यह एन्क्वायरी कराने की जरूरत नहीं कि कौन कौन लड़के थे, उनके क्या केस हुलिये थे बल्कि यह एन्क्वायरी की बात है

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

कि इसके पीछे कौन कौन लोग हैं। लड़के अस्पताल नहीं चलाते। हॉस्पिटल के डाक्टर हॉस्पिटल के अधिकारी, जिनकी शिकायत अखबार में छपी है जो लड़के पढ़ते हैं उनकी मजबूरियां हैं, उनको टूल बनाकर उनकी मजबूरियों का इस प्रकार का फायदा उठा कर इस प्रकार का हमला कराया गया है। लड़कों में भी बैड करेक्टर्स 'दादा' लोग हैं, वे जाते हैं और इस तरह दादगिरी करके सार्वजनिक जीवन की भावनाओं को आंतकित करने की कोशिश करते हैं। हम यदि अपने जयपुर शहर में इन घटनाओं को देखें तो आज से पहिले कई जगह इस प्रकार की घटनाएं हुई हैं। लोकवाणी अखबार निकलता था, इसके साथ भी इस प्रकार की घटना हुई। कहा जाता है कि जब उस अखबार ने आर्टिकल छापा तो जिम्मेदार डाक्टर ने स्टुडेन्ट्स को लेक्चर दिया कि डेढ़ पैसे का अखबार तुम्हारे और हमारे बारे में चाहे जो लिख देता है।

इस तरह के इश्तिहार करके, उन लोगों को गलत प्रोत्साहन देकर हमला कराया, इस तरह की सूचनाएं हमें मिली हैं। ये ही विद्यार्थी लोग जो कि अपनी मांगों के लिए लड़ते हैं, अपने एकेडेमिक केरीयर के लिए लड़ते हैं, अपने सिलेबस के लिए लड़ते हैं, होस्टल की मांगों के लिए लड़ते हैं, तो ये बड़े बड़े अधिकारी कहते हैं कि इन विद्यार्थियों को राजनीति से अलग रहना चाहिए, राजनैतिक दल उनको अपने हथियार बना रहे हैं और उनको कोई असंतोष नहीं है हमने इंतजाम कर रखा है।

(समय समाप्ति–सूचक घंटी)

बीकानेर में जब हड़ताल हुई तो इस तरह के लेक्चर्स सुनने को मिले, अभी हाल में राजस्थान विश्वविद्यालय में हड़ताल हुई, तो भी ऐसे ही लेक्चर्स मिले, जब जोधपुर विश्वविद्यालय में हुई तो भी ऐसे ही लेक्चर्स सुनने को मिले। लेकिन वे लोग किस तरह से नवनिहालों को, निकम्मे, भ्रष्ट एडमिनिस्ट्रेशन को छिपाने के लिए उनको टूल बनाने की कोशिश करते हैं, यह सामने आ जाता है। राजस्थान पत्रिका के साथ जो घटना हुई है उससे यह स्पष्ट रूप से सामने आया है। जो भी घटना १५–१६ की रात को राजस्थान पत्रिका के साथ हुई, जिस तरह से

(४.२२ म० प०)

(श्री सतीशचंद्र अग्रवाल, सभापति, पदासीन)

डरवाने के लिए उन लोगों को टेलीफोन किए गए और आज भी सुनते है कि राष्ट्रदूत को इस तरह से टेलीफोन किए जा रहे हैं, हिन्दुस्तान समाचार समिति को इस तरह से टेलीफोन किए जा रहे हैं, उसके लिए मैं बता देना चाहता हूँ कि वे बड़े बड़े डॉक्टर्स हों, बड़े बड़े पुलिस अधिकारी हों, या बड़े बड़े मन्त्रीगण हों जिनका इसके पीछे हाथ हो सकता है, वे भारत के प्रजातंत्र की मजाक बना रहे हैं, लेकिन वे धमकियों से जनतंत्र की निर्भीकता की आवाज को दबा नहीं सकते। जो लोग फाँसी पर चढ़ गए, अंग्रेजों की गोलियां खा गए, वे लाठियों और पत्थरों से डरने वाले नहीं हैं, उनके कलम के अन्दर ज्यादा तेजी होगी, आवाज के अन्दर ज्यादा गर्मी होगी, उनके दिल के अन्दर देश में सच्चा प्रजातंत्र कायम करने के लिए ज्यादा जोश पैदा होगा। इसलिए इस डर के जरिए किसी को दबाया नहीं जा सकता। वे अपने दिमाग से इस

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

भूल को निकाल दें। भारत और राजस्थान की जनतांत्रिक शक्ति और एकता इसका मुकाबला करेगी। इसमें राजस्थान सरकार का स्वरूप भी लोगों को देखने का मौका मिला है, राजस्थान पुलिस का स्वरूप भी देखने का मौका मिला है। चाहे कोई भी मामला हो, सरकार का रवैया अपना ही है घटना हो जाय, चौर भाग जाय, चाहें महालक्ष्मी मिल्स के मालिक का सवाल हो, लाखों की गठरियां बनाते रहें, मजदूरों को तनख्वाह न मिले, लेबर के कानून लागू नहीं होते, जब मालिक भाग जाय तब यहाँ बयान दिया जाय कि हमने प्रोसीक्यूशन की आज्ञा दे दी है, हमने रिपोर्ट लिखकर केन्द्रीय सरकार को भेज दी है इसी तरह से चाहे हमलावर हमला करके भाग जाय, तब ऊपर से दिखाने के लिए पुलिस वहाँ पहुंचे कि कौन है, क्या है, कहाँ हैं। ये सब तरीके हम समझते

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

हैं, जानते हैं लेकिन इस तरह से जनता की आँखों में धूल नहीं डाली जा सकती। यह जो राजस्थान पत्रिका के साथ घटना घटी है वह हमला खाली उसी अखबार पर नहीं है या उसमें काम करने वाले मजदूरों पर नहीं है, यह सारे भारत, सारे राजस्थान की जनतांत्रिक आवाज पर हमला है, उन तत्वों पर हमला है जो राजस्थान की जनतांत्रिक आवाज को दबाना नहीं चाहते हैं। इसलिए अब

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

सवाल केवल इन लोगों का नहीं रहा जिन्होंने हमला किया। आज उससे भी अधिक सवाल बन गया है उनको ढूंढ निकालने का और उन पर मुकदमा चलाने का जो कॉन्सपीरेटर्स हैं। आज एक ही कॉन्सपीरेसी नहीं हैं, कितनी ही चल रही हैं। पेथोलॉजी डिपार्टमेंट का जो हैड है, उनके कितने केसेज मैंने रखे हैं, सरकार कुछ नहीं करती। बीसों केसेज की रिपोर्ट की लेकिन अभी तक वह डॉक्टर काम कर रहा है। इस तरह से गेंग्स बनी हुई हैं, ग्रूप्स बने हुए हैं, वे अपने ग्रूपिजम के आधार पर मंत्रिमंडल में अपना असर रखते हैं, अपना असर पुलिस के अंदर रखते हैं, उनके लड़के शायद वहाँ पढ़ते हों, मैंने सुना है कि बड़े बड़े डॉक्टरों के लड़के हैं, रिश्तेदार हैं, जो इस हमले के अंदर आ गए थे, बड़े बड़े पुलिस ऑफिसर्स के लड़के थे। इसलिए पुलिस अधिकारियों की तरफ से से यह जवाब मिलता है कि जो बूचड़खाना कहेगा, उनको यह जवाब मिलेगा। मैं स्पष्ट कहूँगा कि अगर कोई बुरा इंतजाम महसूस करता है तो उसको लिखने का हक है। चाहे राजस्थान के आई. जी. पी. हों चाहे राजस्थान के जिम्मेदार व्यक्ति हों, अगर कोई अखबार गलत लिखता है तो मुकदमा चलाया जा सकता है लेकिन गुंडागर्दी से उनकी आवाज को बंद नहीं कराया जा सकता और जो रवैया डॉक्टरों का नजर आया, जो रवैया पुलिस अधिकारियों का नजर आया और गृह मंत्री का नजर आया कि जो अखबार की इस तरह की आलोचना से नाराज हों, उनको सरकार सबक सिखाना चाहती है। इस तरह की बात को हम हर्गिज नहीं होने देंगे, इसके भयंकर परिणाम निकलेंगे। इस तरह अखबारों की आवाज को, जनता की आवाज को, राजनैतिक नेताओं की आवाज को, जनता के प्रतिनिधियों की आवाज को, इस तरह से कुचलने की कोशिश की तो यह फासिज्म की शुरुआत

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

है । फिर जनता को लड़ाई लड़नी पड़ेगी, फिर आप दुहाई देंगे दूसरी तरह की, वह जनता नहीं सुनेगी ।

इस घटना के पीछे बड़े जिम्मेदार लोगों का हाथ है, नवनिहालों को हथियार बनाने की कोशिश की है जिनके हाथ में हम भविष्य सुपुर्द करने वाले हैं । इसलिए सारी घटनाओं की जाँच करके पूरी पूरी कॉन्सपीरेसी, एस. एम. एस. मेडीकल कालेज या अस्पताल, इसके अंदर जो भी हो, चाहे डा., सरीन या और कोई डॉक्टर हो, इसका पता लगाना चाहिए । सब लोग कहते हैं कि इसमें डा० सरीन का हाथ है, उसने ही लड़कों की क्लास लेकर कहा है कि अखबारों के जरिए यह क्या हो रहा है और इस तरह की बातें लिखी जा रही हैं, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा, तो इस बात की जाँच की जाय । मैं बाहर से आया हूँ और पूरे तथ्यों की जानकारी नहीं कर पाया हूँ लेकिन इस तरह की आम चर्चा सुनी है । यह गंभीर बात है । हमारे जिम्मेदार अधिकारियों के बारे में इस तरह का संदेह भी हो तो वह संदेह नहीं रहना चाहिए । तो मैं इसलिये निवेदन करूंगा कि इस सारी चीज की पूरी जाँच हो । जिन जिन पुलिस अधिकारियों का जिस प्रकार से इस मामले में रवैया रहा है वह अपने आप में निन्दनीय है और जिन्होंने यह रवैया अपनाया है पुलिस डिपार्टमेन्ट को उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिये । इस प्रकार के गेंग के खिलाफ सावधानी बरतनी चाहिये ।

हमारे श्रमजीवी पत्रकार संघ ने इस बारे में एक रिजोल्यूशन पास किया है । उनको आघात पहुँचना लाजमी है । सारी जनता ने मामले में अपने मतभेद भुला कर इसकी निन्दा की है, यह खुशी की बात है । सदन में इस ओर बैठे हुए या उस ओर बैठे हुए सभी माननीय सदस्य, प्रजातन्त्र में अपनी व्यूज रखने की आजादी के लिये हम सभी एक मत हैं उस पर जरा कुठाराघात हुआ है । हमारी पूरी हमदर्दी है । उनको पूरी हमदर्दी मिले, उसके लिये हम कोशिश करेंगे ।

उन्होंने अपने प्रस्ताव में यह कहा है कि यदि संतोषजनक कदम गवर्नमेन्ट की ओर से नहीं उठाया गया तो कल से असेम्बली की तमाम प्रोसीडिंग्स को पब्लिश न करने का जो निर्णय लिया है वह कायम रहेगा । मैं नम्र निवेदन करना चाहता हूँ, सभापतिजी, आपके जरिये कि यह सदन उनकी आवाज को, उन पर जो हमला हुआ है, अन्याय हुआ है, उसको बुलन्द करके उठाता है निश्चित रूप से । आपको शिकायतें सरकार से और पुलिस अधिकारियों से हो सकती हैं लेकिन यह सदन निर्भयता से जनता की आवाज बुलन्द करने वाला रहा है उसके बारे में आपकी तबियत में किसी प्रकार की ठेस नहीं होनी चाहिये । जहाँ तक इस सदन की प्रोसीडिंग्स को पब्लिस करने का प्रश्न है सदा उसके लिये पूरा प्रयत्न करेंगे और सदन की पूरी हमदर्दी आपके साथ है किसी प्रकार की आपके हृदय में दुर्भावना नहीं होनी चाहिये । मैं गवर्नमेन्ट से मांग करूंगा कि शीघ्र ही दोषी लोगों को सजा दे ।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : मैं अभी केन्टीन के आगे था । मैं ऐसा मानता हू वहाँ पर जब जिक्र किया गया एक साहब ने कहा मैं कुछ भी कर दू मेरा हुकूमत कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती, मुझे हुकूमत नहीं पकड़ सकती ।

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

हमें हुकूमत पकडेगी जो हम हुकूमत को भी नहीं छोड़ेंगे । मैं मानता हूं वे यहाँ पर लोग बैठे हुए जो इस प्रकार की बात करते हैं । मेरे सामने अभी कहा ।

श्री भैरोंसिह (किशनपोल, जयपुर) सभापति महोदय, राजस्थान पत्रिका के सम्बन्ध में जो प्रश्न सदन में विचारार्थ है उस प्रश्न की भूमिका यदि थोड़ी देख लीं जाय तो सारी बातें अपने आप स्पष्ट होगी कि हमला किन कारणों से हुआ और हमले को रोकने में हमारी सरकार किस प्रकार से असमर्थ रही ।

सभापति, महोदय, इस सदन के माननीय सदस्य जानते हैं कि पिछले पांच वर्षों से लगातार इस सदन में सवाई मानसिंह हॉस्पिटल के सम्बन्ध में कई प्रकार की चर्चायें हुई हैं । वहां रोगियों के साथ किस प्रकार का व्यवहार होता है, इस बात के कई ज्वलन्त उदाहरण इस सदन में प्रस्तुत किये गये हैं । माननीय गृह मन्त्री जी स्वयं इस बात से परिचित हैं कि एक लड़के को एक ऐसा आक्सिजन स्लेण्डर देकर हत्या की गई कि जिस स्लेण्डर में ओक्सिजन ही नहीं था । उनको इस बात की भी जानकारी है कि एक लड़के के बायें पैर में ओपरेशन होना चाहिये था उसके बाये पैर के ऑपरेशन के बजाय उसके दाहिने पैर का ऑपरेशन कर दिया गया । यह सब बातें उनकी जानकारी में हैं और जानकारी के बाद यदि कोई पत्र अपनी सूचना के आधार पर सदन के माननीय सदस्यों की सूचना के आधार पर, रोगियों के अनुभव के आधार पर, यदि किसी समाचार पत्र में सवाई मानसिंह हॉस्पिटल के बारे में यह लिखे कि यह बूचड़खाना है, मैं समझता हूं, यह कोई आपत्ति की बात नहीं है । यह वास्तव में बूचड़खाना है । इस बूचड़खाने के बारे में राजस्थान पत्रिका में लेख लिखे गये हैं । मैंने उनको अच्छी तरह से देखें हैं । उन लेखों का सबसे बड़ा सार यदि आप लेकर चलें तो एक यही निकलता है कि सवाई मानसिंह अस्पताल में गरीबों का कोई इलाज नहीं होता, वहां पर कार वालों का इलाज होता है, पैसे वाले हैं उनका इलाज होता है, प्रभावशाली व्यक्तियों का और उनके रिश्तेदारों का इलाज होता है या जो सिफारिश वाले हैं उनका इलाज होता है । गरीबों का इलाज नहीं होता । उनकी भरती नहीं होती । गरीब बीमारों की भर्ती नहीं होती, उनको चारपाई नहीं मिलती, गरीबों को बिस्तर नहीं मिलते, गरीबों को बीमार के कपड़े नहीं मिलते । आज इस लेख को लिख कर मैं समझता हूं, राजस्थान पत्रिका ने गरीब रोगियों की बड़ी हिमायत की है और गरीबों की हिमायत करना आज के युग में कोई पाप नहीं कह सकता है यह तो बहुत बड़ा पुण्य है, एक बहुत बड़ा कर्त्तव्य है जो एक पत्र ने निभाया है । यह सवाई मानसिंह हॉस्पिटल है । इस नाम से लिखा । जहां जैसा दाम, वैसी ही दवा, डाक्टर और आराम यह हैड लाइन्स हैं । कोई भी विधान सभा का सदस्य और जनता का सदस्य हैड लाइन के बारे में अपनी सहमति प्रकट किये बिना नहीं रह सकता । हॉस्पिटल की दशा का सजीव चित्र प्रस्तुत किया है । आगे इसी लेख में लिखा है और हैडिंग दिया है मानसिंह अस्पताल में मछली

(श्री भैरोंसिंह)

बाजार जैसा शोरगुल । कौन माननीय सदस्य इसको अस्वीकार नहीं करता ? जैसा वातावरण एक हॉस्पिटल में चाहिये वैसा वातावरण हॉस्पिटल में नहीं है। सरकार का जब इस ओर ध्यान इसी सन्दर्भ में आकर्षित किया था पिछले सत्र में तो माननीय स्वायत्त शासन मन्त्री, जो स्वास्थ्य मंत्री थे, उन्होंने स्वीकार किया है कि सवाई मानसिंह हॉस्पिटल की जिस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिये वैसी नहीं है और इसलिये वे एक विजिलेंस कमेटी की नियुक्ति करेंगे। सवाई मानसिंह हॉस्पिटल के बारे में शिकायतों को लेकर यह जो स्थिति पैदा हुई वह एक दुर्भाग्य की बात है। आज तक सरकार ने कमेटी की घोषणा नहीं की। हॉस्पिटल में जाकर देखिये कि एक्सरे अमीरों के मुफ्त में होते हैं गरीबों को पूछने वाला कोई नहीं। उसको यह राय दी जावेगी कि प्राइवेट एक्सरे एक्सपर्ट के पास जाओ। उसके बाद ही डाइग्नोसिस, किस प्रकार की बीमारी है और क्या दवा है, इस तथ्य को आज कोई अस्वीकार नहीं कर सकता। २९ अगस्त की पत्रिका में एक लेख हास्पिटल के बारे में लिखा गया जिसमें लड़कों और डाक्टरों का सम्बन्ध नहीं आता। सामूहिक रूप से हास्पिटल की क्या दशा है, उसका वर्णन किया गया है। लोकतन्त्र में उसकी सबसे बड़ी हत्या और नहीं हो सकती कि राजस्थान का एक जिम्मेदार समाचार पत्र प्रमाण सहित तथ्यों से जानकारी देता है लेकिन हमारी सरकार पत्र से नहीं पूछती, जनता की प्रतिक्रियाओं के अनुसार हॉस्पिटल की व्यवस्था सुधारने की चेष्टा नहीं करती मैं समझता हूँ कि पत्रकार, पत्रकारिता और जनता के प्रति सरकार की यह उपेक्षापूर्ण वृत्ति है, रवैया है जो बहुत ही निन्दनीय एवं खेदजनक है। कोई न कोई माध्यम होना चाहिये जिसके द्वारा जनता की ग्रिवान्सेज को वेन्टीलेट किया जाय। इस पत्र ने जनता की ग्रिवान्सेज को वेन्टी-लेट करने के साथ साथ अस्पताल में सुधार लाने के लिये भी सरकार का ध्यान आकर्षित किया है। इसने पीड़ित जनता की भी इसके द्वारा बड़ी सेवा की है।

इसी पत्र में ७ सितम्बर, १९६६ को एक लेख प्रकाशित हुआ है। हैड लाइन है यादगार में छात्र बेहोश, रेगिंग का दौर चरम सीमा पर। मैं १५ वर्ष से विधान सभा में बैठा हूं। कोई भी वर्ष नहीं जाता जब इस रेगिंग के प्रश्न को लेकर विधान सभा में किसी न किसी प्रश्न पर चर्चा नहीं होती। वह कोई अजमेर का मेडीकल कालेज हो, चाहे बीकानेर का मेडीकल कालेज हो, चाहे जयपुर का मेडीकल कालेज हो, चाहे जोधपुर का मेडीकल कालेज हो रेगिंग के प्रश्न को लेकर छात्रों ने किसी पर हमला न किया हो, ऐसी स्थिति नहीं हुई है। पिछली बार लोकवाणी पर हमला किया था लेकिन लोकवाणी पर हमला करने के पीछे रेगिंग का उसमें कोई समाचार छपा हो, ऐसा नहीं था। सवाई मानसिंह हास्पिटल में कुछ इस प्रकार के स्टूजेज है उनसे चिढकर उस उल्लेख को छोड़कर वह सारा हमला किया गया। रेगिंग जोधपुर में होता है, रेगिंग बीकानेर में होता है, अजमेर में होता है और जयपुर में १५ वर्षों से लगातार मैं देखता आ रहा हूं कि हमेशा इस तरह

(श्री भैरोंसिंह)

की घटनायें सुनने को मिलती हैं लेकिन संतोष कर लेते हैं। इस बार जिन लड़कों के साथ रेगिंग की घटनायें हुई है वह जब दूसरे लड़के आयेंगे तो उनके साथ भी यही लड़के इसी प्रकार की घटनायें करने को तैयार होंगे। इसको कोई विशेष महत्व नहीं दिया गया लेकिन सरकार की असफलता इससे प्रतीत होती है कि १५ वर्षों से लगातार इस तरह की शिकायतें आने के बाद भी मेडीकल कॉलेज के हॉस्टल और कॉलेज में सरकार रेगिंग की व्यवस्था को और इस अप्रिय कार्य को रोकने में बिल्कुल असफल रही है। इसके लिए सदन में तत्कालीन स्वास्थ्य मन्त्री ने विश्वास दिलाया था और वर्तमान मन्त्री महोदय ने भी विश्वास दिलाया था और उन्होंने कहा था कि हम इस रेगिंग की व्यवस्था को निर्मूल समाप्त करदेंगे। मैं, लेकिन यह मानता हूं कि सरकार इसमें बिल्कुल असफल हुई है और यह प्रश्न भी कॉलेज के एडमिशन होते हैं, उसमें उठता है और जिस समय हारमोनियस रिलेशन्स बन जाते हैं तो वह चीज अपने आप में खत्म होती है। इसका इतना बुरा असर नहीं पड़ता जितना कि लड़कों की मानसिक-बुद्धि और उनके जीवन के ऊपर कुठाराघात होता है। यह ७ तारीख को निकला तो कुछ लोग जिनका सवाई मानसिंह हॉस्पिटल के बारे में उल्लेख किया गया वह इसकी मांग करें और इन्तजार था कि जिस समाचार-पत्र में लिखा गया है उससे किस प्रकार से बदला लिया जाये, किसको हथियार बनाया जाये। लड़कों को दुरुपयोग करने का मौका उनको मिल गया। ७ तारीख की राजस्थान पत्रिका में रेगिंग का समाचार आया। मैं कई पत्रों में बता सकता हूं कि जहां इसकी आलोचना की गई है। अब प्रश्न आता है कि क्योंकि क्राइम किया गया है। कोई कारण नही हो सकता कि जो सवाई मानसिंह हॉस्पीटल के लिए आलोचना हुई है उससे पीड़ित होकर, दुखी होकर मेडीकल कॉलेज के स्टुडेन्ट्स का दुरुपयोग किया गया। अब यह जो दुरुपयोग किया गया, यह क्यों है? आखिर एस० एम० एस० हॉस्पीटल का सुप्रिन्टेन्डेन्ट कौन है जो इनका दुरुपगोग करेगा। कोई मामूली डाक्टर या आदमी या अधिकारी नहीं हो सकता। इस कार्य को आखिर ऐसा व्यक्ति ही कर सकता है जिसका असर सरकार के ऊपर होगा, जिसका असर लड़कों के ऊपर होगा जो एडमिशन के अन्दर अनियमिततायें कर सकेगा और उससे बड़े से बड़े अधिकारी, नेता और मंत्री को ऑब्लाइज कर सकेगा। जो सर्विस की रिटायरमेन्ट की Age खत्म होने के बाद भी राजस्थान की सर्विस में रहें और हॉस्पीटल का सुप्रिन्टेडेन्ट बना हुआ है। आज जो हॉस्पीटल में अव्यवस्था है वह वहां के सुप्रिन्टेन्डेन्ट की प्रशासनिक अयोग्यता के कारण है। राज्य सरकार ने पिछली बार यह निर्णय लिया था कि ६० वर्ष से जिसकी उम्र ज्यादा हो जाये उसको नहीं रखा जाये। इसके लिए हमारी सरकार ने हिन्दुस्तान की अन्य राज्य सरकारों से जानकारी की कि किसी व्यक्ति को आपने मेडिकल सर्विस में ६० वर्ष की उम्र हो जाने के बाद भी रखा है या नहीं तो मेरी जानकारी के अनुसार सभापति महोदय, सारी राज्य सरकारों ने अपनी सूचना दी है कि हम ६० वर्ष के बाद किसी भी

(श्री भैरोंसिंह)

व्यक्ति को री–एम्पलॉय मेडीकल में नहीं करते हैं। यहां सरकार ने उनको ऑब्लाइज कर रखा है कि आपको एक्सटेन्शन दिया जाता है और इसलिए ऑब्लाइज कर रखा है कि एडमिशन में वह जी खोल कर अनियमिततायें करें। चाहे किसी सरकारी अधिकारी को ३,००० रु० तनख्वाह मिलती हो उसके लडके को पोलिटिकल सफरर के नाम से एडमिशन दे दिया जाये, किसी को स्पोर्ट्स के अन्दर, चाहे किसी ने फुटबाल की शक्ल नहीं देखी हो, पर स्पोर्टस के नाम पर एडमिशन दे दिया जाये। चाहे अपने रिश्तेदारों को किसी न किसी बहाने से कॉलेज के अंदर और लड़कों के चान्सेज को मार कर एडमिशन दे दिया जाये। यह दोनों बातें मिली हुई हैं। एक तरफ तो सुप्रिन्टेन्डेन्ट को ऑब्लाइज किया जाता है तो एडमिशन के नाम पर बाकी के नेताओं को, सरकार के उच्च अधिकारियों को ऑब्लाइज किया जाता है। इस मिलीजुली कॉन्सप्रेसी का प्रभाव है इन लड़कों के दुरुपयोग का कारण।

आज किसी आदमी के मकान में घुसने का, किसी आदमी को पीटने का क्या परिणाम होता है? यह भी डाक्टर बनने वाले हैं, कोई एक साल में बन जायेगा, कोई दो साल में बन जायेगा और उसके बाद में सब पब्लिक सर्विस में आयेंगे और मैं तो यह भी कहूंगा कि मेडीकल कॉलेज में उन लड़कों का एडमिशन होता है जो कि प्रेस्क्राइब्ड लिमिट को पार करके अच्छे मार्क्स ऑब्टेन करते हैं और सभी इन्टेलीजेन्ट लड़के होते हैं और उनसे यह अपेक्षा करें कि उनको हमले के कान्सीक्वेन्सेज का पता नहीं था, यह मानने के लिए हम तैयार नहीं हैं। लेकिन लड़कों को उभारा जाये और कहा जाये कि तुम्हारे लिए रेगिंग की बात इसमें लिख दी इससे मेडीकल कॉलेज और कॉलेज का हॉस्टल कोबदनाम होंगे, मैं समझता हूँ कि इन बातों से अपरिपक्व बुद्धिवाले लड़को का दुरुपयोग किया जा सकता है और उसका दुरुपयोग किया है।

दूसरा प्रश्न ८ तारीख के अखबार में धमकी भरे टेलीफोन का समाचार इस पत्रिका ने प्रकाशित किया और उसके साथ ही एक लैटर है वह ८ तारीख में लिखा है एस० पी० को जिसमें लिखा है:–

"I want to draw your attention towards the sorry tale of threatening coming to our office from the persons claiming to be the persons of Medical College. You are kindly requested to take necessary action to protect the workers from the possible raids."

यह लेटर ८ तारीख का है और अखबार में समाचार छपा है ८ तारीख को। यह मैनेजर, राजस्थान पत्रिका की तरफ से लिखा है। अब सभापति महोदय, प्रश्न यह आता है कि हमारी पुलिस जिसके ऊपर हम ७ करोड़ रुपया साल के खर्च करते हैं वह किसलिए है? वह है अपराधों की रोकथाम करने के लिए। यह निर्विवाद सत्य है कि पुलिस के जरिये अपराध न हों ऐसी स्थिति हम अपने राज्य में पैदा करना चाहते हैं। मैं

(श्री भैरोंसिंह)..

हमारे राजस्थान के माननीय गृह-मंत्रीजी से पूछना चाहूंगा कि किसी आदमी के यहाँ अचानक गड़बड़ हो जाये, किसी गांव में अचानक डाका हो जाये, लूटखसोट हो जाये या किसी प्रकार का झगड़ा हो जाये उस समय यह बाहाना लेकर चल सकते हैं कि यह सारा काम अचानक हुआ और पुलिस पीछा कर रही है और इनवेस्टीगेशन से मुलजिम पाया जायेगा तब उसका प्रोसीक्यूशन होगा। लेकिन में सरकार से पूछना चाहता हूँ कि आपको ७ दिन पहले सूचना मिलने के बाद आपने क्या एक्शन लिया? आप उनको बचा नहीं सके। इसका मतलब यह हुआ कि राजस्थान में आज कोई डंके की चोट यह कह सकता है कि अमुक तारीख को फला जगह डाका डलेगा। इसकी सूचना मिलने पर यदि एक सरकार के अधिकारी को सूचना दी जाये तो राजस्थान की हकूमत उसको बचा नहीं सकती। इससे ज्यादा निकम्मेपन की मिसाल इस हुकूमत में नहीं हो सकती। मंत्री महोदय कहते हैं कि २३– आदमियों को हमने वहाँ लगा दिया। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि जो २, ३ आदमी लगेहुए थे और जिस समय हमला हुआ उन्होंने जो आदमी वहाँ लगे हुए थे क्या कन्ट्रीब्यूसन दिया? उस घटना की रोकथाम के लिए क्या वह वहाँ थे? जो २–३ आदमी आपके वहाँ थे क्या उन्होंने सूचना दी कि अमुक दिन इस प्रकार की घटना हो सकती है? क्या आपने सी. आई. डी. को लगाया जिसके ऊपर क्राइम्स को डिटेक्ट करने के लिए और क्राइम्सको रोकने के लिये आपने जिम्मेदारी डाल रखी है और जिसकी आपने व्यवस्था कर रखी है कि वह मेडीकल कॉलेज में जाकर आपने सी. आई. डी. के जरिये इस बात की जानकारी करें कि यह वास्तविक धमकी है या इसको अमलीजामा देने की कार्यवाही की जा रही है? मैं समझता हूँ कि इस मामले में आपकी सारी पुलिस और सी. आई. डी. फेल हो गई। तो ऐसा लगता है कि डेलीबरेटली फेल करने की सरकार की नीयत थी। सरकार यह नहीं चाहती थी कि राजस्थान पत्रिका को प्रोटेक्ट किया जाये। अब सरकार क्यों नहीं चाहती थी, इसको भी हमें समझना पड़ेगा, आपको सभापति महोदय, जानकारी होगी और सदन को भी जानकारी होगी कि राजस्थान पत्रिका में खास तौर से सरकार विरोधी समाचार प्रकाशित होते हैं और इसलिए सरकार की स्वाभाविक रूप से इस पत्र के प्रति जलन है। यह जलन उस समय ज्यादा एग्रीगेट हुई जिस समय मुख्य मन्त्रीजी और राजस्व मन्त्रीजी के बीच में खुले रूप से संघर्ष सामने आया और कौन मुख्य मंत्री बने, इस प्रकार की स्थिति पैदा हुई। राजस्थान पत्रिका में उस समय, यह सही है कि राजस्व मंत्री के पक्ष में जो भी बातें होती थीं उनको निर्विवाद सत्य के रूप में छापने की कोशिश की और उसके कारण यह स्वाभाविक है कि आज का सत्तारूढ दल राजस्थान पत्रिका से नाराज था। इस प्रकार का पता न केवल समाचार पत्रों बल्कि सी. आई. डी. और पुलिस के दोनों अधिकारियों को था कि राजस्थान पत्रिका के प्रति सरकार का रुख सहानुभूतिपूर्वक नहीं है बल्कि दूसरी प्रकार का रवैया बना हुआ है। अब यहाँ पर यह रवैया जो सरकारी अधिकारियों के दिमाग में बन गया है तो यह मूल कारण था, जिस मूल कारण के कारण यह सरकार को ७

(श्री भैरोंसिंह)

दिन पहले सूचना मिलने के बाद भी उस सारी समस्या को देख नहीं सके और नुकसान हो गया।

अब प्रश्न, उपाध्यक्ष महोदय, बहुत मोटा है। अभी जैसा माननीय मंत्री महोदय, स्वीकारे करते हैं और बाकी के कुछ और लोग भी स्वीकार करते हैं कि हमने सबसे पहले माणक चौक पुलिस स्टेशन पर सूचना दी, माणकचौक वालों ने कहा कि कोतवाली से कहो और कोतवाली ने कहा कि डीवाई. एस. पी. को लिखकर भेजो। माननीय मंत्री महोदय न केवल गृह मन्त्री हैं वह कानून मंत्री भी हैं। मुझे यह कानूनी बात बता दें कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में यह कहाँ है कि किसी कोग्निजेबल ऑफेंस की रिपोर्ट की जाती है तो उस पुलिस अधिकारी को अधिकार है कि वह रिपोर्ट लिखने से इन्कार कर दे और यह सुझाव दे दे कि इस थाने में नहीं दूसरे थाने में जाओ। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का यह कायदा है कि किसी भी काग्निजेबल ऑफेंस की कोई रिपोर्ट आती है तो पहले एफ. आई. आर. दर्ज करे और उसके बाद सम्बन्धित थाने में भेजदे और जो क्राईम हो रहा हो उसको रोकने के लिए तुरन्त कार्यवाही करे। एक, सवा बजे हमला होता है और उसके बाद डेढ घण्टे के बाद पुलिस पहुँचती है। एस. पी. को जगाया तो वह जगे नहीं, डीवाई. एस. पी. लिखित सूचना के बिना आगे बढ़ना नहीं चाहते। कहीं पर जुआ हो रहा हो, कहीं पर सट्टा हो रहा हो तो कौन जाकर लोगों को पकड़ता है, कौन लिखकर देता है उसके लिए? पुलिस अपने आप वहाँ पर जाती है और लोगों को पकड़ती है। हमला होने के डेढ घण्टे बाद तक एस. पी. की नींद नहीं उड़ी, डीवाई. एस. पी. लिखित में रिपोर्ट का इन्तजार करते रहे और बाद में पुलिस का स्क्वायड पहुँचा। जब स्क्वायड वहाँ पहुँचा तो क्या उसने उन ३ आदमियों से जो आप कहते हैं कि हमने वहाँ पर लगा रखे थे, उनसे पूछा कि वह कौन लोग थे? कहाँ गए वे आपके आदमी वह ३ आदमी वहाँ थे या नहीं? नहीं तो क्यों नहीं थे? वहाँ से किसके हुक्म से चले गये थे? यह कोई कान्सप्रेसी का कारण तो नहीं है। हम पुलिस भी लगा दें और जिस समय वारदात हो उस समय वे ३ पुलिस के सिपाही भी उस स्थान पर मौजूद नहीं रहेंगे, मर्जी आवे जैसे कार्यवाही करना इसकी खुली छूट दे दी गई।

सभापति महोदय, इसी प्रकार की घटना लोकवाणी में भी हुई थी और उसकी सब लोगों को चिन्ता हुई थी। उस समय एस. पी. भवानीमल जी थे। उन्होंने १२ घण्टे के अन्दर सारी बातों की जांच करके सारे व्यक्तियों के नाम मालूम कर लिए और बता दिया कि किस कॉन्सप्रेसी के तहत इन लड़कों ने लोकवाणी पर हमला किया। १२ घण्टे में लिस्ट बनाकर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल को भेज दी कि इन लड़कों को सरेंडर कीजिए और अगर नहीं करेंगे तो मैं इनको गिरफ्तार करूंगा। आखिर जब लड़कों को पता लगा कि पुलिस ने असली व्यक्तियों के निश्चित रूप से नाम मालूम कर लिए हैं तो फिर उन्होंने अपने बचाव के लिए पश्चाताप किया और पश्चाताप करके माफी मागी और फिर उसका छुटकारा कर दिया गया। दुर्भाग्य की बात है कि आज राजस्थान की राजधानी में, जहाँ कि आई. जी. पी. हैं,

(श्री भैरोंसिंह)

राजस्थान की राजधानी में जहाँ डी. ग्राई. जी. हैं, राजस्थान की राजधानी में जहां होम मिनिस्टर मौजूद हैं, राजस्थान की राजधानी में राज्यपाल और राजस्थान के मुख्य मंत्री हैं, एस. पी, डीवाई. एस. पी. और सर्किल इंसपेक्टर हैं और पुलिस के बेड़े की कमीं नहीं है, सी. ग्राई. डी. के ग्रन्दर दुनियां भर का ग्रटाला भर रखा है, उसके बावजूद ३ दिन के ग्रन्दर एक भी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया गया। उससे परिणाम में लोग यह कहेंगे कि सरकार डर गई। कि हमने ग्रगर यह गिरफ्तारी की तो उसके भयंकर परिणाम होंगे। राज बदलते रहते हैं। लोगों को हम डरा कर ऐसी स्थिति ला सकते हैं कि जिस स्थिति में सरकार किसी भी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं कर सके।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ग्राज तो यह राजस्थान पत्रिका का मामला है, राजस्थान पत्रिका में सरकार विरोधी कुछ सामाचार प्रकाशित किए गए और इसलिए यह स्थिति पैदा हो गई। कल ऐसी भी स्थिति ग्रा सकती हैं कि विरोधी दल के सदस्य एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ या किसी डाक्टर के खिलाफ, किसी वकील के खिलाफ या किसी थानेदार के खिलाफ कोई बात यहां कहें तो यही हालत उनकी हो, विद्यार्थियों से उनको भी पिटवा दें। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं गृह मंत्रीजी से कि इस कॉन्स्टीट्यूशन, जिसके रक्षक हम सब यहाँ बैठे हैं, इस कॉन्स्टीट्यूशन को बक्शे में वन्द करके इन्दिरा गाँधी को भेज दो और कह दो कि हम इस कॉन्स्टीट्यूशन के तहत राजस्थान के ग्रन्दर हुकूमत नहीं चला सकते, हम हुकूमत चलाने में ग्रसमर्थ हैं, हम रास्थान की जनता की सुरक्षा नहीं कर सकते, हम राजस्थान में लोकतंत्र की हत्या होने से नहीं बचा सकते, उस लोकतत्र को नहीं बचा सकते। जब ग्राप लोगों की रक्षा नहीं कर सकते फिर ग्राप किस लिए यहाँ बैठे हैं, किस बात का वेतन ले रहे हैं? मैं इसलिए कहना चाहता हूँ कि इस सारे प्रश्न को लेकर, सभापति महोदय, एक प्रोवलम यह ग्रा रही है कि ग्राज राष्ट्रदूत को धमकी दी है, हिन्दुस्तान समाचार समिति को धमकी दी है। इन दो को तो धमकी मिल गई है। लेकिन राजस्थान के गृह मंत्री ने कोई डाका नहीं डाला, राजस्थान के ग्राई० जी० पी० और राजस्थान के डी० ग्राई० जी० ने कोई डाका नहीं डाला, उनका काम तो डाका डालने वालों को पकड़ने का है लेकिन उनको धमकी नहीं दी गई है। ग्राखिर हमें तो धमकी दे दें, जिनका सामान टूटना था वह टूट गया, जिनके सिर पर चोटें ग्रानी थीं वह ग्रा गईं। ग्रब तो काम गिरफ्तारी करने का पुलिस का है। पुलिस को तो धमकी नहीं दी जाती। ग्राचार्यजी नहीं कह सकते कि उनको धमकी टेलिफोन से भी ग्राई है। एस० पी० और डीवाई० एस० पी० जो गिरफ्तार करने वाले हैं उनके पास कोई धमकी नहीं ग्राई और पत्रिका की सहानुभूति में कोई समाचार छापे तो उनके लिए धमकियों का प्रयोग किया जाय, तो इसमें कुछ ऐसा लगता है कि हमारे ग्रधिकारी कहीं न कहीं बैठे हैं। चिन्ता मत करो बेटों, सारी हुकूमत तुम्हारे साथ है, सारी हुकूमत की पुलिस तुम्हारे साथ है. तुम्हें खुली छूट है कि तुम चाहो जैसे प्रत्यक्ष में मार पिटाई करो! ग्राखिर यही लोकतंत्र में हुग्रा १७ वर्ष के बाद! यही मेडिकल कालेज के

(श्री भैरोंसिंह)

छात्र जो दो वर्ष में जाकर जनता की सेवा करने वाले हैं, इनके चरित्र का इसी प्रकार का निर्माण किया है आपने इस १७ वर्ष के लोकतंत्र काल में ? क्या इसी प्रकार के चरित्र का निर्माण आप लोकतंत्र में करना चाहते हैं ? क्या कांग्रेस के काम की यही नामवरी है ? जब शिक्षा के बारे में यहां बात करते हैं, कई बार यहाँ पर कहा गया तो कहते हैं कि यूनिवर्सिटीज ऑटोनोमस बोडीज हैं। सदन के समक्ष शिक्षा मंत्री कहते हैं कि हम इस मामले में दखलन्दाजी नहीं करना चाहते। अगर आपने इसी प्रकार की मनोवृति को बढ़ाने की कोशिश की तो राजस्थान के लिए ही नहीं यह किसी भी देश के लिये भी भली बात नहीं हो सकती। आखिर जिन व्यक्तियों को तीन वर्ष के बाद दो वर्ष के बाद, या एक वर्ष के बाद मानवता का परिचय देना है डॉक्टर के नाते और उस मानवता की स्थिति में रहने वाले का चरित्र, उनका प्रारम्भिक जीवन ऐसा हो तो यह इस राज्य, इस देश और तमाम समाज के लिये कितनी भयंकर बात होगी। यह इस निकम्मी सरकार को कहना है कि वह इस प्रकार का चरित्र निर्माण न करे और इस प्रकार की कार्यवाहियों की रोक-थाम करे।

आज तीन दिन हो गए हैं। तीन दिन के बाद भी गिरफ्तारी नहीं हुई है और गिरफ्तारी न होने का बहाना क्या निकाला है कि आईडेंटिफिकेशन में दिक्कत आ रही है। एफ० आई० आर० में नाम नहीं है। मैं माननीय मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं कि यदि आपके यहां पर पांच आदमी घर आकर डाका डाल जायें और वे पांच आदमी उदयपुर के नहीं होकर ग्वालियर से आ जायं और ग्वालियर से आकर डाका डाला जाये तो क्या पुलिस वाले आपसे पूछेंगे कि उनका नाम बताओ और आप नाम बतायेंगे उनका और नाम नहीं होगा एफ० आई० आर० में तो कोई कार्यवाही नहीं करेंगे ? यह कोई बहाना नहीं है। एफ० आई० आर में नाम नहीं होना इस बात का सबूत है कि उस पत्रिका ने झूठी बात नहीं लिखाई वर्ना उस समय तक जानकारी करके एफ० आई० आर० को रुकवा कर किसी से सच्ची-झूठी जानकारी करके किसी का नाम लिखा दिया जाता। वह तो पत्रिका के संचालकों ने बड़ा अच्छा किया है कि उन्होंने झूठ नहीं बोला अगर आप नाम पूछते हैं तो पत्रिका वालों से नहीं, उन तीन आदमियों से पूछो कि उसका नाम क्या था, उनसे पूछो कि उनका हुलिया कैसा था। जब आपके तीन आदमी वहां मौजूद थे तो वे बता नहीं सकते, आपने उनको प्रोटेक्शन के लिए नियुक्त किया था वे तो आपको नाम बता नहीं सके और अचानक रात में धां-धूं शरू हुई उनसे आप कहते हैं कि उसका हुलिया कैसा था, आप उनकी पहिचान बताओ। अगर कोई यह कह दे कि उनका हुलिया निरंजननाथजी आचार्य जैसा हुलिया था तो उससे पकड़ लेंगे ? आप अगर किसी दूसरे आदमी का हुलिया बता दें तो पकड़ लेंगे ? यह उस चीज पर निर्भर करता है कि जिस समय आपको सूचना मिली उसी समय एक स्कवायड जाता पत्रिका के कार्यालय पर और दूसरा स्कवायड जाता मेडीकल कॉलेज के हॉस्टल के सामने और वहां पर लड़के प्रवेश करते उनसे उसी समय नाम पूछ लिया जाता। लेकिन वह तत्परता तो दिखाई नहीं गई

(श्री भैरोंसिंह)

कह दिया गया कि जाओ, मारो और भाग जाओ और भागने के बाद हमारी तरफ से धीरे २ इन्वेस्टिगेशन होगा और पता चल जाएगा तो जो कुछ करना होगा कर लेंगे।

अब अन्त में सभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि....

(५.०० म. प.)

श्री राधाकृष्ण गोयल (टोंक) : सभापति महोदय, सदन का समय इस कार्यवाही के समाप्त होने तक बढ़ा दिया जाय।

श्री हरिप्रसाद शर्मा (पाटन) : इसको कल कन्टिन्यू किया जाय।

श्री राधाकृष्ण गोयल : यह विषय बड़े महत्व का है इसलिए इसको कल कन्टिन्यू रखा जाय।

श्री सभापति : और भी कोई माननीय सदस्य इस विषय पर बोलेंगे।

(कुछ माननीय सदस्यों के खड़े होने पर)

श्री भैरोंसिंह : सभापतिजी, मेरा भाषण समाप्त नहीं हुआ है और यदि पहले की परम्परा के हिसाब से कल मुझे बोलने नहीं देंगे तब तक तो अभी मुझे अनुमति दी जाय और यदि सदन की ऐसी इच्छा है कि कल भी इस पर बहस रखी जाय तो मेरा जो हक है बोलने का वह उसी प्रकार से बदस्तूर रहता है।

श्री सभापति : मैं ऐसा समझता हूं कि माननीय सदस्य अपने तमाम विचार रख चुके हैं। वे अपनी अन्तिम बात कहने को आ गये हैं। इसलिए....

श्री भैरोंसिंह : मेरी अन्तिम बात लम्बी है।

श्री सभापति : आप समाप्त कर दें ५–१० मिनट में। कल काफी माननीय सदस्य बोलने वाले हैं।

श्री राधाकृष्ण गोयल : कल माननीय भैरोंसिंहजी अपना वक्तव्य जारी रखेंगे और कल ५–१० मिनट बोल लेंगे।

श्री सभापति : आप, भैरोंसिंहजी ५ मिनट में खत्म कर देंगे ?

श्री भैरोंसिंह : नहीं साहब। १० मिनट में तो हो जायेगा लेकिन लोगों का मूड जाने का है इसलिए....

श्री सभापति : मैं समझता हूँ कि १० मिनट में समाप्त कर दें आज ही तो ज्यादा अच्छा रहेगा। बाकी जैसी सदन की इच्छा।

श्री भैरोंसिंह : ठीक है।

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि मंत्री) : यह मोशन क्या कल भी चालू रहेगा ? जिस तरह से माननीय सदस्य खड़े हुए हैं उससे तो ऐसा लगता है कि यह मोशन दो दिन चलेगा।

विपक्ष के कई माननीय सदस्य : हाँ चलेगा, चलेगा।

Page No. 114

श्री नाथूराम मिर्धा : यह प्रस्ताव तो आज के लिए ही रखा है। दो दिन का समय इसी बात के लिए मिलेगा ?

श्री राधाकृष्ण गोयल : एक दैनिक पत्र पर हमला हो जाय और लोग इस तरह से घायल हो जायं। उसकी पहले से सूचना हो और उसकी व्यवस्था नहीं की जाय, उसके लिए समय पर पाबन्दी रहे तो यह कैसे सम्भव है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : ५–१० मिनट का और समय आगे बढ़ा दें। आखिर बैठने की भी कोई सीमा होती है।

श्री श्रवणलाल (हिण्डौन-सु०) : यह अंगूर की खेती पर हमला नहीं हुआ है। यह बहुत अहम मसला है।

श्री नाथूराम मिर्धा : स्टेटमेंट हो गया और माननीय सदस्यों ने इतना कह दिया।

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : यह मामला सीधे लोकतन्त्र से सम्बन्ध रखता है। जो फ्रीडम ऑफ प्रेस मिली हुई है और इस प्रकार की संस्था या इन्स्टीट्यूट पर हमला हो और उस पर सरकार इस प्रकार से मौन रहे तो मैं समझता हूँ कि इस गम्भीर विषय पर पूरा समय मिलना चाहिए माननीय सदस्यों को अपने अपने विचार रखने के लिए।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार (हवा महल, जयपुर) : सभापतिजी, बोलने के मामले पर पाबन्दी लगाई जा रही है।

श्री राधाकृष्ण गोयल : वे अपनी रिपोर्ट बन्द करने वाले हैं। वे परस्पर सहयोग की भावना से काम कर रहे हैं। जो कुछ एक प्रेस के प्रति आचरण किया गया है और जिसमें सरकार का योगदान [illegible] है उसके सम्बन्ध में विस्तारपूर्वक इस सदन में विचार किया जाना आवश्यक है। बहुत से माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त करने की इच्छा प्रकट की है। इसमें समय की पाबन्दी नहीं लगाई जाय और विधान के अनुकूल पूरा समय दिया जाना आवश्यक है। इसलिए मेरा निवेदन है कि आज सदन को स्थगित करके कल फिर बहस जारी की जाय और माननीय भैरोंसिंहजी जो कुछ अपना बचा हुआ भाषण है वह कल दे दें। उसके बाद अन्य माननीय सदस्य जो बोलना चाहें उनको समय मिल जाय।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : जहाँ तक बोलने का मामला है....

श्री सभापति : श्री मुरलीधर व्यास ! श्री बाढ़दार ! मेरा श्री मुरलीधर व्यास की तरफ संकेत है।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : एक बात मैं यह अर्ज करना चाहता हूँ कि जैसा कि वातावरण है और जैसा हमारे भैरोंसिंहजी ने कहा कि अन्य पत्रों को इस प्रकार की धमकी दी गई है तो मैं आपके जरिये से सरकार को फिर आगाह करना चाहता हूँ कि कम से कम अन्य मामलों में सरकार सतर्क रहे। मुझे एक बात का खतरा हो सकता है कि जहां इस प्रकार की निरंकुशता हो जाय एक बात वहां फिर हो सकती है कि जो सदस्य बोलते हैं उनके

(श्री मुरलीधर व्यास)

खिलाफ भी कोई कार्यवाही की जा सकती है। तो फिर मैं सरकार को इस बारे में कहना चाहता हूँ कि सरकार इस मामले में सतर्क रहे और क्योंकि जैसा अभी भैरोंसिंह जी ने कहा कि सरकार सोई रही और बार बार जिक्र करने के बावजूद इस प्रकार का काम हुआ है। इसलिए मैं आपके जरिये माननीय गृह मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ और अर्ज करना चाहता हूँ कि यह एक ऐसा विषय है जो फण्डामेन्टल राइट्स का सवाल है, हर नागरिक के अधिकारों का सवाल है। इस प्रकार की अगर लोकतन्त्र में परम्परा चल गई और उसका कोई इलाज नहीं हुआ तो हमारे लोकतन्त्र को खतरा है। तो मैं समझता हूँ कि माननीय मंत्री महोदय इस विषय को ऐसा नहीं समझें कि यह ५-१० मिनट में निपटा दें, बल्कि यह एक ऐसा विषय है जिसके ऊपर आपको बहुत ध्यान देना चाहिए और इस विषय पर जो सम्माननीय सदस्य बोलना चाहे उनको पूरा मौका दें ताकि सब को पूरा मौका मिल सके और सरकार भी पूरी तरह से जवाब दे सके तथ्यों के साथ।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : सभापतिजी, मैं हाउस से यह निवेदन करना चाहूँगा कि यह कार्यवाही जब तक चले तब तक के लिए सदन का समय बढ़ाया जाय। इसका मूल कारण यह है कि यह जो मसला उसको स्थगन प्रस्ताव की चर्चा में ले आयेंगे ऐसा कहा गया है। इसके बारे में राजस्थान और हिन्दुस्तान के समाचार-पत्र दिलचस्पी रखते हैं कि राजस्थान की विधान सभा की इस बारे में क्या राय है। और राजस्थान विधान सभा के मेम्बर्स प्रेस की आजादी की रक्षा के लिए क्या कुछ कहना चाहते हैं। इसलिए मेरा यह निवेदन है कि जैसे प्रेस ने पहले घोषणा की है कि वह कल किसी भी प्रकार के समाचार प्रसारित नहीं करेगी, वह अपना विरोध इस तरह से प्रदर्शित करके राजस्थान सरकार ने जो कुछ गफलत की है, जो कुछ पार्शियलिटी प्रदर्शित की है उसके बारे में रोष प्रकट करना चाहती है, इसलिए मेरा निवेदन है कि इस बारे में बोलने के लिए राजस्थान विधान सभा के सदस्यों को आज ही समय दिया जाय और इस सदन का समय घंटा-डेढ़ घंटा बढ़ा दिया जाय।

श्री सभापति : मैं जानना चाहूंगा कि कितने माननीय सदस्य इस प्रश्न पर बोलेंगे।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : समय बढ़ा दिया जाय आज ही। जो बोलने वाले हैं वे बोल लें।

श्री सभापति : समय बढ़ाना है तो एक घंटे में नहीं बोल सकते।

मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि जो समय बढ़ाने का प्रस्ताव श्री मानिकचन्दजी सुराणा ने रखा है उसको राजस्थान सरकार की तरफ से स्वीकार नहीं किया जा रहा है। इसलिए मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य बोलना चाहते हैं वे सब १०-५ मिनट में नहीं बोल सकते हैं, ऐसा लगता है क्योंकि काफी सदस्य हैं जो इस सम्बन्ध में अपने विचार रखना चाहते हैं; स्थगन प्रस्ताव भी कई माननीय सदस्यों ने दिये हैं इसलिए

(श्री सभापति)

सबका बोलना संभव नहीं है। इसलिए सदन की कार्यवाही कल प्रातः ११ बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। श्री भैरोंसिंहजी कल अपना भाषण जारी रखेंगे।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही ५ बजकर ७ मिनट पर मंगलवार, दिनांक २० सितम्बर, १९६६ के ११ बजे प्रात. तक के लिए स्थगित हुई।)

परिशिष्ट १

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ६१ का उत्तर देखिये)

सूची

(२) प्रत्येक औषधालय के लिए रोगी संख्या के अनुपात से जो वार्षिक बजट है वह उनके सामने अंकित कर दिया गया है :—

क्र० सं० नाम	औषधालय	स्वीकृत बजट
१–खैरोट		५००) रु०
२–प्रतापगढ़ (आयुर्वेद)		८००) रु०
३–प्रतापगढ़ (यूनानी)		५००) रु०
४–रथचना		५००) रु०
५–अमलावद		५००) रु०
६–बसाड़		५००) रु०
७–सैलारपुर		५००) रु०
८–गांदोला		५००) रु०
९–सुहागपुर		६५०) रु०

परिशिष्ट २

(समयाभाव के कारण समय में न लिये जा सकने वाले तारांकित प्रश्नोत्तर)

तहसील सांचोर में अकाल

७५. **श्री रघुनाथ विश्नोई** (सांचोर) : क्या अकाल सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सत्य है कि इस वर्ष बर्षा का अभाव होने से तहसील सांचोर में अकाल की भयंकर स्थिति पैदा हो गई है ? अगर हां, तो ऐसे कितने गांव हैं ?

(२) क्या यह सत्य है कि अकाल की स्थिति तहसील सांचोर में होने से चारे व पानी का बिल्कुल अभाव है ? अगर हां तो, इस स्थिति का मुकाबला करने के लिये सरकार द्वारा अब तक क्या २ कदम उठाए गए ? भविष्य में इस बारे में क्या इन्तजाम किया जावेगा ?

(३) क्या यह सत्य है कि अकाल के समय सांचोर के स्थानीय व्यापारी सरकारी सस्ते धान की दुकानें खोलने को कभी तैयार नहीं होते ? अगर हां, तो सरकार इस बारे में क्या इन्तजाम करेगी ?

उत्तर

१– सांचोर तहसील में गतवर्ष के मुकाबले इस वर्ष वर्षा कम हुई है। कितने गांवों में अकाल की स्थिति हो गई है, अभी पूर्ण रूप से नहीं कहा जा सकता।

२– चारे का इस वर्ष अभाव है। इसके लिये ५ हजार मन चारा जिला जालोर को सिरोही से एलॉट कर दिया गया है। अभी वर्षा हो जाने से पानी की कमी नही रही है।

३– पहले सांचोर के व्यापारी सरकारी दुकान लेने को तैयार नहीं थे किन्तु अब कई व्यापारी तैयार हो गये हैं व दुकाने खोल दी गई हैं जहां से अनाज का वितरण करवाया जा रहा है।

गोहाल पंचायत के तालाब की मरम्मत

७६. **श्रीमती नगेंद्रबाला** (छबड़ा) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या पंचायत समिति, शाहबाद की गोहाल पंचायत के तालाब की सिंचाई विभाग द्वारा मरम्मत करवाई गई ?

(२) यदि हां, तो कब कब ?

(३) कितना पैसा कब कब उक्त मरम्मत पर खर्च हुआ ?

(४) क्या अब तालाब में पानी भरा रहता है ?

उत्तर

(१) शाहबाद पंचायत समिति में गोहल नाम की पंचायत नहीं हैं इसलिए वहां तालाब की मरम्मत का प्रश्न ही नहीं उठता।

(२) प्रश्न ही नहीं उठता।

(३) प्रश्न ही नहीं उठता।

(४) प्रश्न ही नहीं उठता।

झालावाड जिले में काश्तकार फण्ड

७७ श्री **जुझारसिंह** (चेचट)—क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(श्री जुझारसिंह)

(१) झालावाड़ जिले में काश्तकार फण्ड के नाम पर कितनी रकम जमा है और वह किस उपयोग में ली जा रही है ?

(२) क्या यह सही है कि काश्तकार फण्ड की वसूली राजस्थान बनने के बाद से ही बन्द हो चुकी है परन्तु अब भी किसानों से इस फंड की बकाया व ब्याज मांगा जा रहा है ?

(३) तहसील पचपहाड़ में कितने काश्तकारों से पुराने काश्तकार फन्ड की वसूली की मांग की हुई है व कितनी रकम की ? मूल व ब्याज की रकम अलग अलग बताने की कृपा करें ।

उत्तर

१ पी. डी. अकाउन्ट काश्तकार फन्ड में अगस्त, ६६ तक ३७,६०१.१३ है। इसके अलावा इसी अकाउन्ट से राजकीय आदेश के अन्तर्गत केन्द्रीय सहकारी बैंक झालरापाटन में फिक्स्ड डिपोज़िट अकाउन्ट में ६४-६५ तक १,६४,७१६.७२ जमा है । उक्त बैंक द्वारा इस में से झालावाड़ जिले के काश्तकारों को ऋण दिये जाते हैं ।

२, हां, यह सही है कि राजस्थान बनने के बाद से काश्तकार फन्ड की डिमान्ड कायम होना बन्द हो चुकी है जो डिमाण्ड रियासत के समय कायम हो चुकी थी और वसूली से बाकी रह गई थी। वही रकम अब बाकीदारों को वसूल हो रही है ।

३. इस तहसील में ६६ व्यक्तियों से ४,२२४.२५ असल व सूद के ४,६६७.०२ कुल ८,१६१.२७ की डिमाण्ड, वसूली से शेष थी । जिसमें से २४ अगस्त, ६६ तक मूल ८०५.७६ व सूद के ४४६.७५ वसूल हो चुकी है और अब ७,६३८.७३ की वसूली शेष है ।

कस्बा रामगढ में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र

७८. कुमारी उमा माथुर (रामगढ)-क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

१. क्या यह सही है कि ता० १२-१२-६३ को पन्चायत समिति रामगढ़ ने सर्व सम्मति से प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने के सम्बन्ध में यह प्रस्ताव पारित किया कि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कस्बा रामगढ़ में खोला जाय तथा तीन उपकेन्द्र ग्राम अलावड़ा, , नौकन व बगड़ राजपूत में खोले जायं ?

२. क्या यह भी सही है कि सरपंच द्वारा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तुरन्त खोलने के आग्रह व योगदान का रुपया जमा करने के अनुरोध के उपरान्त भी राज्य सरकार द्वारा अचानक तारीख १८-१-६६ को आदेश भेजा गया कि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थगित रखा जाय और पंचायत समिति का प्रस्ताव भेजा जाय कि "प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र किस स्थान पर खोला जाना चाहिए ।"

३. क्या यह भी सही है कि विकास अधिकारी के बार बार लिखने तथा सरपंच द्वारा राज्य सरकार को सूचित करने पर कि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र ग्राम रामगढ में ही खोलने का प्रस्ताव ता० १२-१२-६३ को ही सर्व सम्मति से पास हो चुका है और जब तक यह प्रस्ताव है, इस सम्बन्ध में दूसरा

(कुमारी उमा माथुर)

नया प्रस्ताव पास करने का प्रश्न नहीं उठना चाहिए, ता. २४-४-६६ को राज्य सरकार ने तार द्वारा समिति को सूचित किया गया कि यदि कस्बा रामगढ़ तुरन्त योगदान का रुपया जमा करादे तो प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र कस्बा रामगढ में ही खोल दिया जाय, इस पर सरपन्च रामगढ़ ने तुरन्त दस हजार रुपया योगदान का जमा कराकर स्वास्थ्य विभाग को सूचित कर दिया ?

४, क्या यह भी सही है कि योगदान का धन जमा करा देने तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के विषय में निर्णय होने के पश्चात् अचानक ता. १४-४-६६ को राज्य सरकार ने आदेश भेज दिया कि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र ग्राम नौ गांव में खोल दिया जाय यदि हां, तो समिति के निर्णय के विरुद्ध राज्य सरकार ने यह आदेश किस कानून अथवा नियमों के अधीन दिया और क्या राज्य सरकार अपने इस नियम विरुद्ध आदेश को वापिस लेने के प्रश्न पर विचार करेगी ?

उत्तर

१, जी हां।

२. जी हां।

३. जी हां।

४. जी हां। लेकिन सरपंच ग्राम पंचायत नौगांवा के प्रार्थना पत्र में यह सूचना दी गई कि रामगढ़ में पहले से डिस्पेन्सरी है और नियमानुसार ये १०,००० रु० जमा कराने को भी तैयार हैं। अत रामगढ़ के बजाय नौगांव में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने की आज्ञा प्रचलित की गई।

अपाहिजों के लिए नियत धनराशि

७९. **श्री रामकिशन** (वैर): क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(१) अपाहिजों को पेन्शन देने की योजना के अन्तर्गत अब तक बजट में कितनी धनराशि रखी गई थी और उसमें से कितनी धनराशि व्यय हुई है ?

(२) राज्य में कितने अपाहिजों को पेन्शन दी गई है ? जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(१) राज्य में बूढ़ों तथा लंगडे लूले इत्यादि को पेंशन एक ही बजट हैड से दी जाती है। दोनों के लिए इकट्ठी धनराशि ५७,४६,००० रुपये रखी गई। जो सूचना जिलाधीशों से मिली उसके आधार पर अब तक लूले लंगड़े इत्यादि को योजना चालू होने से अब तक रुपये २२८७.८२ पेंशन हेतु खर्च किये गये हैं। यह योजना २६-११-६५ से चालू की गई है।

(२) जो सूचना मिली है उसके मुताबिक राज्य में अब तक ४१ अपाहिजों को पेन्शन दी गई है। जिलेवार सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(सूची विस्तृत होने से विधानसभा पुस्कालय में रखी गई)

तहसील प्रतापगढ में नाजायज कब्जों की मिसलें

८०. श्री हरलाल मीणा (प्रतापगढ़): क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री हरलाल मीणा)

(१) तहसील प्रतापगढ़ (जिला चित्तोड़ गढ़) में भूमि पर नाजायज़ कब्जे की कितनी मिसलें किस किस वर्ष से पेंडिग हैं ?

(२) उक्त मिसलों को फैसल करने के लिए क्या कोई विशेष कार्यवाही की गई है ? यदि हां, तो इस वर्ष कितनी मिसलें फैसल की गई हैं ?

उत्तर

(१) अगस्त सन् १९६६ के आखीर पर तहसील प्रतापगढ़ में नाजायज कब्जों की सन् १९६५ की ३२७७ व सन् १९६६ की १५४६ यानी कुल ४८२३ मिसलें पेंडिग रहीं।

(२) जी हां। नाजायज कब्जे के मुकदमात मौके पर दौरा कर फैसल किये जा रहे हैं। दिनांक १.१.६६ से अगस्त १९६६ तक १२०३ मुकदमे फैसल किये जा चुके हैं।

सुजानगढ़ में बुनकर बस्ती में पॉवर लूम

८१. **श्री रावतराम** (सादूलपुर) : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि कस्वा सुजानगढ़ (जिला चूरू) में बुनकर बस्ती बनाने व वहां पावर लूम लगाने के लिए सरकार ने योजना स्वीकार की थी ? यदि हां, तो इस योजना के अन्तर्गत विभिन्न कार्यों हेतु कुल कितनी धनराशि स्वीकृत की गई थी ? कृपया कार्यों की सूची मय स्वीकृत धनराशि के सदन की मेज पर रखें ?

(२) क्या यह सही है कि उक्त बुनकर वस्ती के लिए बुनकरों हेतु मकान निर्माण कार्य चालू कर दिया गया था और करीब करीब मकानों का आधा निर्माण हो चुका था ? यदि हां, तो बाद में इस योजना को वन्द क्यों कर दिया गया ?

(३) क्या यह सही है कि उक्त मकान अब बरसात से समाप्त होते जा रहे हैं और आसपास के लोग उनके पत्थर उठाकर ले जा रहे हैं ? यदि हां, तो अब सरकार इस संबंध में क्या विचार कर रही है और आगे इस योजना का क्या भविष्य है ?

(४) क्या सरकार उक्त मकान हरिजनों को आवाद करने हेतु अलॉट करने का विचार रखती है ताकि उनका सही उपयोग हो सके और सरकारी सम्पति का बचाव भी हो सके ?

उत्तर

(१) जी हां। बुनकर वस्ती के लिए १,८०,००० व पावर लूम के लिए ४२,६७५ रु०। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(२) जी हां। १५००० रु० के अनुदान दिये जाने के पश्चात् समिति ने इस वस्ती के निर्माण कार्य को पूरा करने के लिए कोई रुची नहीं ली और उपरोक्त राशि का दुरुपयोग किये जाने के फलस्वरूप इस समिति की कार्यकारिणी को उप रजिस्ट्रार सरकारी विभाग द्वारा सुपरसीड कर दिया

(श्री उद्योग मंत्री)

गया, इस कारण इस योजना में आगे कोई प्रगति नहीं हुई।

(३) ऐसी कोई सूचना अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। इसकी और जानकारी की जा रही है व पूरी जानकारी प्राप्त होने पर आगे कार्यवाही की जायेगी इस बस्ती को गांधी आश्रम सुजानगढ़ को हस्तान्तर करने के सुझाव पर विचार किया जा रहा है।

ऐसा कोई विचार नहीं है।

सूची

हाउसिंग कोलोनी

ऋण हेतु	५,२०,००० रु०
अनुदान	६०,००० रु०

पावर लूम

ऋण हेतु	३६,३७५ रु०
अनुदान	३,३०० रु०

लाडपुरा में आदिवासियों के लिए कोलोनी

६२. श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे--

(१) क्या यह सही है कि जिला कोटा की तहसील लाडपुरा में रंगवाड़ी व लखावा कालोनी आदिवासियों के लिए बनाई गई थी? अगर हां, तो कब व कितने परिवारों के लिए?

(२) उक्त दोनों कालोनीज के लिए कितना रुपया किस विभाग द्वारा निर्माण के लिए व्यय किया गया?

(३) क्या यह सही है कि दोनों कालोनीज अधूरी हैं? अगर हां, तो क्यों?

(४) क्या यह सही है कि इन कोलोनीज में एक एक भी परिवार नहीं रहता? अगर हां, तो क्यों?

उत्तर

१. कोटा जिले की तहसील लाडपुरा स्थित रंगवाड़ी में आदिवासियों के लिए सन् ५६-५७ में ५० परिवारों के लिए कोलोनी स्वीकृत की गई थी। इस जिले में लखावा के नाम पर कोई कोलोनी स्वीकृत नहीं हुई। अलावा ग्राम के नजदीक बांधा कोलोनी के नाम से सन् ५८-५९ में ५० आदिवासियों के लिए कोलोनी स्वीकृत हुई थी।

२. रंगवाड़ी कोलोनी के निर्माण कार्य के लिए कुल ३७,०५७ रु० ११ पैसे समाज कल्याण विभाग के बजट से विकास अधिकारी, लाडपुरा द्वारा व्यय किया गया। बन्धा कोलोनी के निर्माण कार्य पर ३६,६३६ रु० समाज कल्याण विभाग के बजट से विकास अधिकारी लाडपुरा द्वारा व्यय किये गये।

३. जी हाँ। बस्तियां अधूरी रहने का कारण मकानों का विस्तृत प्लान पर बनाया जाना है।

४. बन्धा कोलोनी में एक भी परिवार नहीं रहता है क्योंकि कोई मकान पूर्ण नहीं बना है। रंगवाड़ी कोलोनी में १५ परिवार इन मकानों में रहने लगे हैं। बाकी परिवार मकान नहीं बनने से नहीं रह रहे हैं।

राजस्थान नहर योजना के क्षेत्र के किसानों को खातेदारी अधिकार

८३. **श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा** (रायसिंहनगर): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे-

(१) क्या यह सही है कि राजस्थान टेनेन्सी एक्ट में जिस संशोधन द्वारा राजस्थान नहर योजना के क्षेत्र के किसानों को खातेदारी के अधिकारों से वंचित किया था, उसे राजस्थान हाईकोर्ट ने अवैध घोषित किया है ?

(२) अगर हां, तो क्या राज्य सरकार अब किसानों को खातेदारी अधिकार देने का विचार रखती है ?

उत्तर

१. जी हां। राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा राजस्थान टेनेन्सी एक्ट की धारा १५-(क) जो राजस्थान कैनाल क्षेत्रों में खातेदारी अधिकार प्राप्त न होने के बारे में है, अवैध घोषित की गई थी।

२. जी, नहीं।

राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णय के पश्चात् भारत के संविधान में १७ वें संशोधन द्वारा राजस्थान टैनेन्सी एक्ट १९५५ को संविधान की नौवीं अनुसूचि में सम्मिलित कर संरक्षण दे दिया गया है जिस से उक्त निर्णय का प्रभाव समाप्त होकर उक्त धारा बदस्तूर वैध रही।

राज्य के डाक्टरों का वेतन

८४. **श्री मानिकचन्द सुराणा** (कोलायत): क्या चिकित्सा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) राजस्थान में डाक्टरों की प्रथम नियुक्ति के समय क्या वेतन स्तर दिया जाता है ?

(२) अन्य राज्यों में राजस्थान के मुकाबले डाक्टरों को प्रथम नियुक्ति पर क्या वेतन स्तर दिया जाता है ? इसकी सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ?

(३) राजस्थान में डाक्टरों के कितने पद अभी भी रिक्त हैं ? क्या डाक्टरों के वेतन स्तर के नीचे होने के कारण ही इतने अधिक पद रिक्त रह रहे हैं ?

(४) क्या राज्य सरकार अन्य राज्यों के वेतन स्तरों को ध्यान में रखते हुए डाक्टरों के वेतन स्तर में वृद्धि का विचार रखती है ?

उत्तर

१. २८५) रु० से ८००) रु० तक का वेतन स्तर दिया जाता है। वेतन शृंखला २८२-२५-५६० ई० बी० ३०-८०० है। वेतन स्तर की विस्तृत सूची के अनुसार (१) पोस्ट ग्रेजूएट डिग्री वालों को ४१०) रु० (२) पोस्ट ग्रेजूएट डिप्लोमा वालों को ३६०) रु० (३) अन्य डाक्टरों को ३३५) रु० प्रारम्भिक वेतन मिलता है।

२. इस सम्बन्ध में अन्य राज्यों से जानकारी प्राप्त की जा रही है।

३. डाक्टरों के पद रिक्त हैं।

४. अब रिवाइज्ड पे-स्केलों में राजस्थान की पे-स्केलस अन्य राज्यों के मुकाबले अच्छी है।

चूरू के छात्रावास में दाखिलों के लिये सलाहकार समिति

८५. श्री **रावतराम** (सादुलपुर) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि चूरू में अनुसूचित जाति के राजकीय छात्रावास में छात्रों को दाखिल करने के लिए एक गैर सरकारी सलाहकार कमेटी का निर्माण किया गया है ? यदि हां, तो क्या उक्त कमेटी की स्वीकृति सरकार से ले ली गई है ?

(२) उक्त सलाहकार कमेटी के कौन कौन सदस्य बनाये गये हैं तथा सदस्य बनाये जाने का क्या आधार रखा गया है ? सदस्यों के नामों की सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(३) क्या यह सही है कि संबंधित सलाहकार कमेटी में अनुसूचित जाति के किसी व्यक्ति को सदस्य नहीं रखा गया है ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है ?

उत्तर

१, जी हां । उक्त कमेटी के लिए राज्य सरकार की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं थी।

२. प्रवेश के लिये सलाहकार समिति के तीन से ५ सदस्य रखने का निर्णय किया गया था। समिति ने समिति में सम्बन्धित छात्रावास अधीक्षक समाज कल्याण अधिकारी के अतिरिक्त उसी क्षेत्र के तीन गैर सरकारी सदस्य रखने की व्यवस्था है। सलाहकार समिति के सदस्यों की सूची सदन की मेज पर रखदी गई है।

३. जी हां, नियमानुसार स्थानीय अनूसूचित जाति का विधान सभा व संसद का सदस्य नहीं होने पर उस स्थान का ही सार्वजनिक कार्यकर्ता या अध्यापक को समिति का सदस्य बनाया जा सकता है।

जिला स्तर पर छात्रों को प्रवेश हेतु बनाई गई समिति के सदस्यों की सूची।

१. श्री वीश्वेन्द्रनाथ गुप्ता, समाजकल्याण अधिकारी, बीकानेर

२. श्री बनवारीलाल अधीक्षक छात्रावास

३. श्री मदन सिंह सरपंच

४. श्री मोतीसिंह वकील

५. श्री हरदत्त शर्मा अध्यापक

ग्राम पंचायत क्षेत्र बैराबण्ड़ा में आबादी भूमि

८६. श्री **लक्ष्मणप्रसाद पटेल** (सिकराय–मु.) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या सह सही है कि तहसील सिकराय के ग्राम पंचायत क्षेत्र बैरावन्डा में आबादी भूमि की कमी है और इसलिये कृषि भूमि को आबादी में परिवर्तित करने की प्रार्थना की गई है ?

(२) यदि हां तो सरकार का इस संबंध में क्या विचार है ?

(श्री राजस्व मंत्री)

उत्तर

१. जी नहीं। कृषि भूमि को आबादी में परिवर्तित करने सम्बन्धी प्रार्थना इसी कारण अस्वीकार कर दी गई।

२. प्रश्न ही नहीं उठता।

सहकारी विभाग के कर्मचारियों के विरुद्ध मुकदमे

८७. **श्री कृष्णकुमार गोयल** (कोटा) क्या सहकारी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

(१) क्या यह सत्य है कि सहकारी विभाग के कई कर्मचारियों के विरुद्ध फौजदारी मुकदमे चल रहे हैं और इस आधार पर उन्हें मोअत्तिल किया गया था? यदि हाँ, तो उनकी सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(२) क्या यह सत्य है कि उपरोक्त व्यक्तियों में से कई व्यक्तियों को वापिस नौकरी में ले लिया गया है? यदि हां, तो उनकी सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(३) क्या यह सत्य है कि उपरोक्त व्यक्तियों में से कई व्यक्तियों को प्रमोशन्स दिये गये हैं? यदि हां, तो क्यों? कृपया सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

उत्तर

१. जी हां, ऐसे मोअत्तिल कर्मचारियों की सूची परिशिष्ठ (क) सदन की मेज पर रख दी गई है।

२. जी हां, सूची परिशिष्ट (ख) सदन की मेज पर रख दी गई है।

३. केवल एक व्यक्ति श्री कृष्ण गोपाल को प्रमोशन दिया गया है। चूंकि श्री कृष्ण गोपाल शर्मा के विरुद्ध जांच पूर्ण न होकर उनका अपराध सिद्ध नहीं हुआ था और सेवा नियमानुसार इनकी पदोन्नति वापिस हो गई थी इसलिए अस्थायी रूप से पदोन्नत कर दिया गया था।

सूची परिशिष्ट [क]

क्र० सं०	नाम कर्मचारी
१–	श्री कृष्णगोपाल, सहायक निरीक्षक
२–	श्री घमण्डीसिंह ,, ,,
३–	श्री सीताराम ,, ,,
४–	श्री छाजूराम, निरीक्षक
५–	श्री पी० डी० भार्गव ,,
६–	श्री बन्सीधर शर्मा, सहायक निरीक्षक
७–	श्री भगवानसिंह ,,
८–	श्री नेमीचन्द गुप्ता, सहायक निरीक्षक

सूची परिशिष्ट [ख]

क्र०सं०	नाम कर्मचारी
१–	श्री कृष्णगोपाल शर्मा
२–	श्री घमण्डीसिंह
३–	श्री पी० डी० भार्गव

नीम-का-थाना पंचायत समिति द्वारा हड्डियों का ठेका

८८. श्री रामकिशन (बैर): क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(१) क्या यह सही है कि नीम का थाना पंचायत समिति द्वारा हड्डियों का ठेका १९६३-६४ में टेन्डरों द्वारा अथवा नीलामी से ३०००) रु० में दिया गया था और १९६४-६५ में ठेका केवल (१५००) रु० में बिना नीलामी व टेण्डर मांगे दिया गया है?

(२) इस घाटे व ठेका दिये जाने के तरीके में परिवर्तन के बाबत कौन उत्तरदायी है तथा उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है?

उत्तर

(१) जी नहीं-१९६३-६४ में ठेका २९००) रु० में व १९६४-६५ का ठेका १५००) रु० में चार बार नीलाम का दिनांक निश्चित कर नियमित कार्यवाही के पश्चात दिया गया।

(२) प्रश्न पैदा नहीं होता।

महाकालेश्वर के मन्दिर की सम्पत्ति

८९. श्री जोधसिंह चौहान (गिरवा): क्या देवस्थान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(१) उदयपुर नगर के पास फतहपुर के किनारे तथा ओरियेन्टेशन ट्रेनिंग सेन्टर के भवन के पास महाकालेश्वर का मन्दिर तथा उसकी सम्पत्ति का मालिक कौन है?

(२) क्या यह सही है कि मेवाड़ देवस्थान विभाग द्वारा इस मन्दिर की सम्पत्ति के बारे में वर्तमान पुजारी या उसके पिता से कोई शर्तनामा लिखवाया गया था जिसके अनुसार सारी जायदाद सरकार की मानी गई है? यदि हां, तो उसकी नकल सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(३) क्या यह सही है कि वर्तमान पुजारी इस मन्दिर की जायदाद पर कब्जा कर चुका है और वाड़ी के पेड़ काट कर बेच रहा है? जो सम्पति बेची गई वह कितने रुपये की थी?

(४) क्या सरकार इस सार्वजनिक सम्पत्ति की रक्षा के लिए आवश्यक कार्यवाही करेगी?

(५) क्या सरकार वहां ट्रस्ट बनाने का विचार रखती है?

उत्तर

(१) मन्दिर व सम्पत्ति सार्वजनिक है।

(२) हां, मौजूदा पुजारी के पिता से शर्तनामा लिखवाया गया था (१७-१२-३७) जिसकी नकल सदन की मेज पर रख दी गई है। जायदाद मन्दिर के सम्बन्ध में शर्तनामे में कोई जिक्र नहीं है पर श्री पन्नालाल पुजारी का ही केवल पूजा का हक माना गया था। वह हक मोरूसी नहीं था।

(३) वर्तमान पुजारी का जायदाद पर कोई हक नहीं है न उस पर काबिज है। बाड़ी के पेड़ काट कर बेचने की शिकायत हुई है जिसकी बाबत तहसील से उसके विरुद्ध निर्णय हो चुका है और अब उसकी अपील राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर के यहां विचाराधीन है।

उत्तर

(४) हां।

(५) इस मन्दिर व उसकी सम्पत्ति को राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम के अन्तर्गत दिनांक १-७-६६ को पंजीकृत किया जा चुका है और रजिस्ट्रेशन प्रमाण-पत्र महंत श्री नारायण नाथ को दिया जा चुका है।

परिशिष्ट

(उत्तर के भाग २ में उल्लिखित शर्तनामा)

श्रीरामजी श्री एकलिंगजी

स्टाम्प नं० ६५६० पन्नालाल वल्द किशनलाल गुजर गौड़ साकिन शहर उपर ४० साल को दो आने में दिया. सम्वत् १९९४ का मिगसर सुद १५ तारीख १७-१२-३७।

—

सिद्ध श्री हाकिम सा० श्री १०५ श्री फतेसिह जी साहब एतान पन्नालाल वल्द किशनलाल जी गुजर गौड़ साकिन शहर को आशिर्वाद मालूम होवे। अपरंच मैं महाकालेश्वर जी का पुजारी हूँ और उनकी पुजन करता हूँ जिसके लिए मुझसे इकरार तलब है सो इपें इकरार लिख पेश करता हूँ के महाकालेश्वरजी के पुजन का मैं मारूसी हक नी समझूंगा और पुजन बराबर करता रहूँगा कणी तरे री खामी नहीं पड़वा देऊंगा अगर खामी नजर आवे तो सेवा पुजन सूं अलहदा करा दिया जावे। कणी किसम रो उजर नी करूंगा यो इकरार मारी राजो खुसी सूं वगर नसे पते लिख पेश करूं हूं सं० १९९४ का मिगसर सुद १५ द० पन्नालाल गुजर गौड़ का।

साख एक वेरागी अम्बालाल की पन्नालाल जी गुजर गौड़ का केवा सूं।

साख एक व्यास गिरधरलाल आमेटा की पन्नालाल जी गुजर गौड़ के केने से दी।

द० पन्नालाल का द० व्यास गिरधरलाल

रूबरो तसदीक होकर:—सामील कागजात रहे. १९९४ मिगसर सुद १५. तारीख १७-१२-३७।

ह० फतेसिह

सही प्रतिलिपि

तहसील प्रतापगढ़ में अकालग्रस्त क्षेत्र के लिए घास

९०. **श्री हरलाल मीणा** (प्रतापगढ़) : क्या अकाल सहायता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि तहसील प्रतापगढ़ में अकालग्रस्त क्षेत्र के पशुओं के लिए घास जंगलात विभाग रेन्ज प्रतापगढ़ में कटाया गया था ? यदि हां, तो कितना और उस पर कुल कितना खर्चा हुआ ?

(२) क्या यह सही है कि यह घास अकाल ग्रस्त क्षेत्र में नहीं दिया गया ? अगर नहीं, तो किस गांव को कितना दिया गया ?

(३) क्या यह भी सत्य है कि तहसील द्वारा समय पर घास का परमिट नहीं देने से सब घास वर्षा होने से सड़ गया ? यदि हां, तो इसके लिए उत्तरदायी अधिकारी के खिलाफ क्या कदम उठाया गया ?

उत्तर

(१) जी हां, रेंज प्रतापगढ़ से ६६७—३१ क्वि० घास कटाया गया, जिस पर रु० ५२५६.४२ व्यय हुआ।

उत्तर

(२) जी नहीं, यह घास राश्मी मदेसर, कपासन, डूंगला, चितौड़गढ़ के अभावग्रस्त क्षेत्रों में वितरण किया गया था। तहसील प्रतापगढ़ के निम्नलिखित गांवों को घास दिया गया–

बजरंगगढ़ ३-५० क्वि., झोसड़ो ७-४८ क्वि., खैरोट २२-५६ क्वि., अखेपुर ४३-०० क्वि., सोहनपुर ८-१० क्वि. वेरखेड़ी ५-६० क्वि., गघेर १६-१३ क्वि., सिदरिया ४-१० क्वि., प्रतापगढ़ ४७.६१ क्वि., बसाड़ ७-०० क्वि., वेटनरी ११-२० क्वि., जूमला १७६-०६ क्वि., कुल जूमला ६०६-८४ क्वि., ।

(३) जी नहीं, प्रश्न ही नहीं उठता ।

परिशिष्ट ३

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ६.१ का उत्तर देखिये)

समाज सुरक्षा योजना के अन्तर्गत पेन्शन की रकम का प्रावधान निम्नलिखित है —

सन्	बजट में प्रावधान रखा गया
१९६४-६५	२५,००,०००
१९६५-६६	२७,४६,०००
१९६६-६७	५,००,०००

इस रकम के मुकाबले में जो खर्चा इन तीनों सालों में हुआ है उसको प्रश्न के उत्तर में बताया जा चुका है। सालवार खर्चे की सूचना प्राप्त की जा रही है।

शुद्धि-पत्र

(सोमवार, दिनांक १९ सितम्बर, १९६६)

स्कम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्धि	शुद्धि
५	२	मिर्लेगी	मिलेंगी
७ व ८	क्रमशः ११ व ८	सेकिन्डरी	सैकन्डरी
१०	१ व ६	सुराना	सुराणा
,,	अन्तिम से ७	हा ।	हां ।
,,	,, ६	पाटियों	पार्टियों
१४	१२	सी मेंट	सीमेन्ट
१५	शीर्ष	--	(श्री जोधसिंह चौहान)
१६	६	सुराना	सुराणा
१८	१४ व १५	कलेक्टोरेट	कलेक्टोरेट
,,	१८	रिप्रेजेन्टेशन	रिप्रेजेन्टेशन
२०	अन्तिम से १०	पंचामत	पंचायत
,,	,, ७	आने	आपने
२२	७ व २२	पचायत	पंचायत
,,	११	फण्डस	फण्ड्स
२३	४	वत,	वता
२३ से २७	नोटः—कृपया इन स्कम्भों में जहां भी "श्री मानिकचन्द सुराना" मुद्रित हुआ है उसके स्थान पर पढ़ें "श्री मानिकचन्द सुराणा"		
२५	शीर्ष	(श्री माणिकचन्द	(श्री मानिकचन्द
२७	५	ब्रेप-अप	ब्रेक-अप
३०	अन्तिम से ५	हे ।	है ।
३१	१५	बैलेंन्स	बैलेन्स
३४ व ३६	अन्तिम से २ व ६	शख्त से शख्त	सख्त से सख्त
३६	३	करेगो	करेगी
,,	अन्तिम से ४	यदी	यदि

१	२	३	४
४०	अन्तिम से ४	थ्रा	था
,,	,, ३	स्ट्रेन्थ	स्ट्रेंग्थ
४५	शीर्ष	--	(श्री दामोदरलाल व्यास)
,,	अन्तिम से ५	धेराइटीज	वैराइटीज़
४८	८	कटिये ।	करिये ।
,,	१५	गाव	गांव
४६	१५	श्री रामामन्द	श्री रामानन्द
५१	१५	पुरः	पुर) :
५३	अन्तिम से ६	(श्री ज्वालाद्रसादजी)	(श्री ज्वालाप्रसादजी)
५७	शीर्ष	--	(श्री तेजाराम गहलोत)
,,	१८	यूनट	यूनिट
५८	अन्तिम से २	(वैर	(वैर) :
५६	शीर्ष	—	(श्री रामकिशन)
६१	२	(वित्त,	वित्त(
,,	२	वा य)	कार्य)
६२	१३	(भूमि अधि-	(भूमि अभि-
६३	१८	मत्री	मंत्री
६४	१२	जिम्मेदारी	जिम्मेदारी
६६	२३	सू चत	सूचित
७४	५	आने वाद	आने के बाद
७६	१२	कीं	की
,,	१३	चार्जेज	चार्जेज़
७८	अन्तिम से ४	ध्यान-	ध्याना-
८२	६	रिर्पोर्टस	रिपोर्ट्स
८४	३	सम्चन्ध	सम्बन्ध
८५	६	एड्वाजरी	एड्वाइज़री
,,	अन्तिम से ११	विजनिस	विजनेस
८६	१५	आवयश्क	आवश्यक
६४	४	फाइनेशियल	फाइनेन्शियल
६५	अन्तिम से ८	सचना	सूचना

१	२	३	४
१०१	अन्तिम से ११	रही कि	रही है कि
१०२	,, ११	रिलफ	रिलीफ
१०३	१५	ह	है
१०६	अन्तिम से ६	मिल	मिल का
१०८	५	सूप्रिम	सुप्रीम
११३	६	हू चाहता कि	चाहता हूँ कि
,,	अन्तिम से ६	विचाराणीय	विचारणीय
११४	५	प्लेज	प्लीज़
११७	३	मानो	मानी
१२१	अन्तिम से ६	मील	मिल
१२३	५	डस	इस
१२४	२०	श्री यागेन्द्रनाथ	श्री योगेन्द्रनाथ
,,	,,	(रायसिनगर)	(रायसिहनगर)
१२८	अन्तिम से १४	मॉडर्नाइजेशन	मॉडर्नाइजेशन
,,	,, ४	इम्पोर्टटेन्ट	इम्पोर्टेन्ट
१३१-१३२	शीर्षक	संबंध	संबंधी
१३०	५	Hon, ble	Hon' ble
१३३	अन्तिम से ३	भेज गया	भेजा गया
१३५	,, ११	की	कि
१३६	६	रुग्राने	आने
१३७	२	नहीं हैं।	नहीं की है।
१४०	अन्तिम से ८	च:लू	चालू
१४१	,, १३	श्री	श्री
१४५	शीर्षक	श्री बृजमोहन	श्री बृजमोहन
,,	शीर्ण	गुराना)	सुराणा)
,,	अन्तिम से ७	माननोय	माननीय
१४६ से १६०	शीर्षक	विशेर्वास्थक	विशेषाधिकार
१४६	अन्तिम से ६	बीच	बीच
,,	,, ४	समय हाउस में	हाउस में
१४८	११	वजमोहन जी	बृजमोहनजी

१	२	३	४
१४६	१	ररिवयो	रखिये
,,	७	बीच ग्राफ प्रिबिलेज	ब्रीच ऑफ प्रिविलेज
,,	अन्तिम से ६	उनसे	उनके
१५३	६	निमाण	निर्माण
१५४	६	की	कि
१५५	५	अदमी	आदमी
१५६	शीर्षक	श्री वृजमोहन	श्री बृजमोहन
१६१	१८	मेम्बर्स यूज़	मेम्बर्स के यूज़
१६२	३	हूँ	हू
१६३	अन्तिम से ११	भग	भंग
,,	,, ८	प्रिवलेज	प्रिविलेज
१६६	१४	ज सा	जैसा
१६८	अन्तिम से ४	reseryed	reserved
१७५	६	Lobbies	Lobbies,
,,	११	times pecily.	time specify
,,	अन्तिम से ११	हु	हू
१७६	११	ग्रोर	ग्रौर
,,	२१	थह	यह
१७८, १८४ व १८६	शीर्षक	विशेषस्विक प्रश्न	विशेपाधिकार प्रश्न
१७६	शीर्षक	श्री वृजमोहन	श्री बृजमोहन
,,	३	ग्रनमिज्ञता	ग्रनभिज्ञता
१८०	७	(वैर)	(वैर)
,,	अन्तिम से ८	हौ	है
,,	,, ५	भोगीलालजो	भोगीलालजी
१८१	१८	(बैर)	(वैर)
१८२	६	है ।........	है....
१८३	२१	देनिक	दैनिक
१८४	४	धटना	घटना
,,	१६	पार्लियानेग्टरी	पार्लियामेन्टरी

१	२	३	४
१८४	२२	कीई	कोई
,,	अन्तिम से ६	एटीट्यड	एटीट्यूड
१८५	१६	चुके........	चुके।
,,	२४	आकर	आने पर
१८६	११	**श्री राधाकृष्ण गोयल**	**श्री राधाकृष्ण गोयल**
,,	१८	**श्री हरीराम चौहान**	**श्री हरिराम चौहान**
१८७	शीर्ष	(श्री डपाध्यक्ष)	(श्री उपाध्यक्ष)
,,	१,३	में	मैं
१८८	अन्तिम से २	**श्री सतीश्चन्द्र अग्रवाल** जौहरी.	**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल**(जौहरी
,,	अन्तिम	ओैर	ओर
१९०	अन्तिम से ३	ओैर	ओर
१९१	५	**श्री योगेद्रनाथ हांडा**	**श्री योगेन्द्रनाथ हांडा**
१९२	१	(गृह-मंत्री :	(गृहमंत्री) :
१९३	१७	आर में	आर. में
,,	अन्तिम से ३	(४·०० न. पै.)	(४.०० म. प.)
१९४	अन्तिम से ५	कोन्ठेक्ट	कोन्टेक्ट
,,	,, ४	पहूंची	पहुंची
१९५	६	वडे	वड़े
,,	१८, २६	हुं	हूँ
१९६	१०	,,	,,
,,	११	कर्मचारियों	कर्मचारियों
,,	१८	वाखे	वाले
,,	२३	हुं	हूँ
,,	२६	हमला	हमला
,,	३०	बरदास्त	बरदाश्त
१९७	२	षड्यन्त्र	षडयन्त्र
,,	७	चलेया	चलेगा
,,	१८	कया	किया
१९७	अन्तिम से ६,४	कायॉवाही	कार्यवाही
,,	अन्तिम से ५	नही	नहीं

१	२	३	४
१९८	११	पूलिस	पुलिस
,,	अन्तिम से ५	मातमपोसी	मातमपोशी
१९९	२	भैरोंसिह	भैरोंसिह
,,	१०	वोल	बोल
,,	११	सव	सब
,,	१२	पूलिस	पुलिस
,,	१८	घटानी	घटना
,,	२०	उसघा	उसका
२००	८	वताया	वतलया
,,	अन्तिम से ७	ग्रीर	ग्रोर
,,	,, ३	मन्त्रा	मंत्री
२०३	६	दादगिरी	दादागिरी
२०४	१६	उरवाने	डरवाने
२०५	अन्तिम से ६	जनतॉत्रिक	जनतान्त्रिक
२०६	४	डिपार्टनेन्ट	डिपार्टमेन्ट
,,	६	रिपार्ट	रिपार्ट
,,	११	वहॉ	वहां
,,	१५	से	--
२०७	११	डॉक्टर	डॉक्टर
२०८	अन्तिम से ६	श्री ज्वाल प्रसाद शर्मा	श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा
,,	,, ४	वहॉ	वहां
२०९	१	जो	तो
२११	६	प्र,कार	प्रकार
२१२	२१	रेंगिग	रेंगिग
२१३	६	र्होगे	होंगे
२१३	१०	हॅास्टल	होस्टल
२१४	५	नही	नहीं
,,	६	मानसिह	मार्नासह
,,	२०	र्सविस	सर्विस
२१६	४	रे गिगं	रेंगिग

१	२	३	४
२१६	६	कोंवदनाम	को बदनाम
२१७	१	गृह-मंत्रीजी	गृह-मंत्री जी
,,	२	यहॉं	यहां
,,	६	वाहना	बाहना
,,	७	हुग्रा	हुग्रा
,,	६	तव	तब
,,	१२	वाद	बाद
,,	१८	हकूमत	हुकूमत
,,	२२	वहॉं	वहां
,,	२६	कन्ट्रीव्यूसन	कन्ट्रीब्यूशन
११६	५	ग्रमो	ग्रमी
,,	६	स्वीकारे	स्वीकार
२२२	६	यहॉं	यहां
२२५	शीर्ष	(श्री भैरोंसिह)	(श्री भैरोंसिह)
२२६	७	वोलने	बोलने
२३५	३	कारण समय	कारण प्रश्न किया
,,	ग्रन्तिम से २	नही	नहीं
२४१	१	चितोड	चितौड़
२४३	१	पया	गया
,,	६	जायेगी इस	जायगी । इस
२४४	१४	स्वोकृत	स्वीकृत
२४७	३	(सादुलपुर)	(सादूलपुर)
,,	ग्रन्तिम	व्यवस्था	व्यवस्था
२५०	११	परिशिष्ठ	परिशिष्ट
२५५	शीर्ष	--	(श्री देवस्थान मंत्री)
,,	१	उत्तर	--
२५६	६	में	में
२५७	शीर्ष	--	(श्री ग्रकाल सहायता मंत्री)
,,	१	उत्तर	--